

संसद के दोनों सदनों के  
पटल पर प्रस्तुत


दिनांक 05 MAR 2013

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.) योजना  
की निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार (सिविल)  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय


2012-13 की प्रतिवेदन सं.22  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)





# विषय-सूची

प्रस्तावना	iii
कार्यकारी सारांश	v
I प्रस्तावना	1
II लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली	11
III स.बा.वि.से. योजना का सार्वभौमिकरण	17
IV अवसंरचना विकास	29
V मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण	55
VI अनुपूरक आहार	75
VII स्कूल-पूर्व शिक्षा	105
VIII सामुदायिक गतिशीलता	115
IX वित्तीय प्रबंधन	125
X मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	135
XI निष्कर्ष	151
अनुबंध	157






## प्रस्तावना

मार्च 2011 के समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.) योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से युक्त प्रतिवेदन को संविधान की धारा 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा महिला तथा बाल विकास मंत्रालय तथा चयनित 13 राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के माध्यम से की गई थी। लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल अवधि 2006-07 से 2010-11 थी। प्रतिवेदन मंत्रालय को 20 जुलाई 2012 को अग्रेषित किया था। 23 नवम्बर 2012 को प्राप्त मंत्रालय के उत्तरों पर विचार किया गया तथा प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया है।





## कार्यकारी सारांश

**भारत सरकार (भा.स.) ने समेकित बाल विकास सेवाएं योजना का आरंभ क्यों किया था?**

समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.) योजना को बालकों हेतु राष्ट्रीय नीति, 1974 के अनुसरण में 02 अक्टूबर 1975 को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था। नीति निर्धारित करती है कि राज्य को बालकों को जन्म से पूर्व एवं पश्चात तथा वृद्धि के समय उनकी पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार योजना का लक्ष्य छः सेवाओं के पैकेज के माध्यम से शून्य से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं का समग्र विकास करना था।

**अब हमने इसे लेखापरीक्षा के लिए क्यों चुना?**

मुख्य बाल विकास तथा स्वास्थ्य संकेतकों पर भारत की स्थिति इसके स्वयं के लक्ष्यों के साथ-साथ पड़ोसी तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छी नहीं है। 2010 में 30 और 31 के लक्ष्य के प्रति क्रमशः शिशु मृत्यु दर (शि.मृ.द.) 48 प्रति 1000 जीवित जन्म तथा बाल मृत्यु दर (बा.मृ.द.) 63 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। पड़ोसी देशों के लिए शि.मृ.द. एवं बा.मृ.द. ये संकेतक इस प्रकार थे: चीन (शि.मृ.द. : 16, बा.मृ.द. : 18) और श्रीलंका (शि.मृ.द. : 14, बा.मृ.द. : 17)। औद्योगिक देशों में शि.मृ.द. तथा बा.मृ.द. क्रमशः 5 और 6 तक थी। इसके अतिरिक्त 2006-10 की अवधि के दौरान भारत में 43 प्रतिशत बच्चे कम वजन और 16 प्रतिशत बच्चे गम्भीर रूप से कम वजन वाले थे। इन संकेतकों (कम वजन तथा गम्भीर रूप से कम वजन वाले) की पड़ोसी देशों अर्थात् बांग्लादेश (41 व 16), और श्रीलंका (21 व 4) अथवा उप-सहाराई अफ्रीका से भी तुलना करने पर खराब थी।

लगभग एक दशक पहले, स.बा.वि.से. पर हमारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2000 की सं.3 (सिविल)) ने प्रकट किया था कि स.बा.वि.से. योजना के सार्वभौमीकरण की नीति अप्राप्त रही और योजना अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। हमने यह भी सूचित किया था कि अनुपूरक आहार (अ.आ.) घटक लाभार्थियों की स्वास्थ्य स्थिति सुधारने में विफल रहा था, स्वास्थ्य जाँच तथा रेफरल सेवाओं के कार्यान्वयन में कमी पाई गई तथा लक्ष्यों के गैर-निर्धारण तथा मॉनीटरिंग क्रियाविधि के आभाव के कारण कई अन्य निष्कर्षों के बावजूद टीकाकरण के अंतर्गत पूर्ण समावेश को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

हमने स.बा.वि.से. योजना की वर्तमान स्थिति तथा क्या हमारे पिछले प्रतिवेदन में उजागर मामलों का समुचित रूप से निपटान किया गया था। एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकारों को योजना के सार्वभौमीकरण व इसके अंतर्गत सेवा वितरण में सुधार हेतु कई निर्देश जारी किए। हमारी लेखापरीक्षा ने माननीय



न्यायालय के ओदशों के परिणामस्वरूप नए हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन की जांच करने का प्रयत्न किया।

### लेखापरीक्षा में क्या सम्मिलित किया गया है?

निष्पादन लेखापरीक्षा में, योजना के अंतर्गत तीन सेवाओं अर्थात् अनुपूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि हेतु 13 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडीशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) से 67 जिलों के 273 परियोजना कार्यालयों से 2730 नमूना जांच किए आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) को सम्मिलित किया। राज्यों का चयन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3, 2005 के अनुसार जनसंख्या, निधीयन व पोषण संकेतकों के आधार पर किया गया था।

### प्रतिवेदन की व्यवस्था किस प्रकार की गई है?

इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II योजना पर पृष्ठभूमि सूचना, लेखापरीक्षा अभिगम, नमूना चयन के विवरण और पिछली लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं। अध्याय III से X क्रमानुसार स.बा.वि.से. के सार्वभौमीकरण, अवसंरचना विकास, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण, अनुपूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, सामुदायिक गतिशीलता, वित्तीय प्रबंधन और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के मूल विषयों से संबंधित आठ पूर्व परिभाषित लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं। अध्याय XI निष्कर्ष है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विशिष्टताएं

- (i) स.बा.वि.से. का सार्वभौमीकरण करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिसम्बर, 2008 द्वारा 14 लाख आं.के. को परिचालित करने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया था। मंत्रालय ने 13.71 लाख आं.के. का अनुमोदन किया और 13.17 लाख आं.के. को परिचालित कर सका। इससे 0.54 लाख की कमी रह गई। इसी प्रकार 7,075 अनुमोदित स.बा.वि.से. परियोजनाओं में से 7005 परियोजनाएं परिचालित थीं।

(पैराग्राफ 3.3)

- (ii) नमूना जांच किए आं.के. में से 61 प्रतिशत के पास अपना स्वयं का भवन नहीं था और 25 प्रतिशत आधा पक्के/कच्चे भवनों या खुले/आंशिक रूप से ढके स्थानों से कार्य कर रहे थे। 40 से 65 प्रतिशत में खाना पकाने, खाद्य सामग्री के भण्डारण और बच्चों के लिए भीतरी और बाहरी गतिविधियों के लिए अलग स्थान उपलब्ध नहीं था।

(पैराग्राफ 4.1.1 से 4.1.3)

- (iii) नमूना जांच किए आं.के. में से 52 प्रतिशत में शौचालय के अभाव तथा नमूना जांच किए 32 प्रतिशत में पीने के पानी की सुविधा की अनुपलब्धता के कारण आं.के. में खराब सफाई और स्वच्छता पाई गई थी।



(पैराग्राफ 4.2)

- (iv) नमूना जाँच किए आं.के. में कार्य कर रही शिशुओं तथा वयस्कों का वजन करने की क्रियाशील मशीने क्रमशः 26 व 58 प्रतिशत में उपलब्ध नहीं थी। कई नमूना जाँच किए आं.के. में लाभार्थियों को अनुपूरक आहार प्रदान करने हेतु आवश्यक बर्तन उपलब्ध नहीं थे।

(पैराग्राफ 4.3 व 4.4)

- (v) नमूना जांच किए आं.के. के 33 से 49 प्रतिशत में औषधि किट, राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा जारी निधियों के सामयिक व्यय में असफलता के कारण, उपलब्ध नहीं थी।

(पैराग्राफ 4.5 व 4.5.1)

- (vi) नमूना जांच किए आं.के. में 53 प्रतिशत को 2009-11 की अवधि के दौरान राज्य सरकारों से ₹ 1,000 की वार्षिक फ्लैक्सी निधि प्राप्त नहीं हुई थी।

(पैराग्राफ 4.6)

- (vii) सभी स्तरों पर कर्मचारी तथा मुख्य कार्यकर्ताओं की कमी थी।

(पैराग्राफ 5.1.1)

- (viii) प्रशिक्षण की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (रा.प्र.का.यो.) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी 19 से 58 प्रतिशत के बीच तक थी।

(पैराग्राफ 5.3.3)

- (ix) 2006-11 की अवधि के दौरान आवश्यकताओं के अनुरूप अनुपूरक आहार (अ.आ.) पर व्यय में कमी 15 से 36 प्रतिशत के बीच थी। 2006-09 के दौरान अ.आ. पर औसत दैनिक व्यय प्रति लाभार्थी ₹ 2.06 के प्रतिमान के प्रति ₹ 1.52 से ₹ 2.01 तथा 2009-11 के दौरान ₹ 4.21 के प्रतिमान के प्रति ₹ 3.08 से ₹ 3.64 था।

(पैराग्राफ 6.2)

- (x) 2006-07 से 2010-11 के दौरान 33 से 47 प्रतिशत बच्चों का उनकी वृद्धि की मॉनीटरिंग हेतु वजन नहीं किया गया था। बच्चों की पोषणिक स्थिति पर डाटा में कई कमियाँ थीं और वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वृद्धि मानकों पर आधारित नहीं थे।

(पैराग्राफ 6.3.1 से 6.3.4)

- (xi) 2006-07 से 2010-11 के दौरान चिन्हित किये गये पात्र लाभार्थियों की संख्या तथा अ.आ. प्राप्त कर रहे थे, के बीच 33 से 45 प्रतिशत का अंतर था।

(पैराग्राफ 6.5.1)

- (xii) गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा राज्य सरकारों के बीच समुचित समन्वय के अभाव से



पीड़ित था। मंत्रालय, राज्यों द्वारा मांगे गये खाद्यान्नों का 78 प्रतिशत का आवंटन कर सकता था। राज्यों का वास्तविक उठान, उनके द्वारा रखी गयी मांग का केवल 66 प्रतिशत था।

**(पैराग्राफ 6.6.1 और 6.6.2)**

(xiii) 2006-11 की अवधि के दौरान नमूना जांच किए आं.के. में 41 से 51 प्रतिशत में स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) किट उपलब्ध नहीं थी।

**(पैराग्राफ 7.3 तथा 7.4)**

(xiv) छः नमूना जांच किए राज्यों (बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल) में, स्कू.पू.शि. के मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ने वाले लाभार्थियों पर डाटा उपलब्ध नहीं था। पाँच राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान तथा कर्नाटक) में 2006-11 के दौरान औपचारिक शिक्षा से वास्तव में जुड़नेवाले बच्चों की संख्या में कमी सात से 30 प्रतिशत के बीच थी।

**(पैराग्राफ 7.6)**

(xv) कई राज्यों में सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) के लिए प्रदान की गयी निधियों पर व्यय में 40 से 100 प्रतिशत की कमी देखी गयी थी।

**(पैराग्राफ 8.1.1)**

(xvi) 2008-09 के दौरान 13 राज्यों तथा 2009-11 के दौरान 15 राज्यों को स.बा.वि.से. कर्मचारियों के वेतन पर व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 1753 करोड़ के कुल निर्गम के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 2853 करोड़ था जो अवास्तविक बजट बनाने तथा योजना के अन्य महत्वपूर्ण घटकों से निधियों के परिणामी विपथन को दर्शाता है।

**(पैराग्राफ 9.3.1)**

(xvii) पाँच नमूना जांच किए राज्यों में ₹ 57.82 करोड़ उन गतिविधियों के लिए बटें जिनकी अनुमति स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत नहीं थी तथा ₹ 70.11 करोड़ सिविल जमा/व्यक्तिगत वही खातों/बैंक खाते/कोषगार में रखा गया था जिसका परिणाम निधियों के अवरोधन में हुआ।

**(पैराग्राफ 9.4.1 तथा 9.4.2)**

(xviii) स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई, (के.मॉ.ई.) सुपुर्द कार्यों, जिसमें योजना का समवर्ती मूल्यांकन, राज्यों द्वारा प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से मॉनीटरिंग शामिल है, को कुशलता पूर्वक करने में असफल रही थी।

**(पैराग्राफ 10.3.3 से 10.3.5)**



(xix) अ.आ. तथा स्कू.पू.शि. के अंतर्गत सेवाओं का, बच्चों की पोषण स्थिति जैसे परिणाम संकेतकों पर आधारित प्रभाव निर्धारण नहीं किया जा रहा था।

(पैराग्राफ 10.4)

(xx) मंत्रालय द्वारा आंतरिक मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी और इसका परिणाम योजना के कार्यान्वयन में कमियों तथा खामियों के आवृत्तन में हुआ।

(पैराग्राफ 10.7 से 10.9)

#### अनुशंसाओं का सार

- ❖ मंत्रालय को एक यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण करवाना चाहिए कि सभी अधिवासों को, विशेष कर उनको जो अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी द्वारा बसे हुए हैं, को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ❖ मंत्रालय, नये आं.के. तथा परियोजनाओं के अनुमोदन एवं परिचालन में विलंब के कारणों का विश्लेषण और सभी अनुमोदित आंतरिक परियोजनाओं तथा अतिरिक्त आं.के. के समय पर परिचालन को सुनिश्चित करें
- ❖ मंत्रालय को राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये गये आं.के. भवनों के निर्माण की बारीकी से मॉनीटरिंग करनी चाहिए ताकि आं.के. के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता के भवनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ मौजूदा आं.के. को, अपर्याप्त तथा गैर-क्रियात्मक बर्तनों एवं उपकरणों को बदलने के लिए निधीयन सहायता भी दी जा सकती है।
- ❖ राज्यों/सं.शा.क्षे. को चिकित्सा किटों के प्रापण के लिए निधियों की निमुक्ति के अतिरिक्त, मंत्रालय को निधियों के समय पर उपयोग की प्रगति तथा आं.के. हेतु प्रापण की गई किटों की अंतिम आपूर्ति की मॉनीटरिंग करनी चाहिए।
- ❖ राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (रा.प्र.का.यो.) के अंतर्गत नियत लक्ष्यों का विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के संदर्भ में विश्लेषण किया जाना चाहिए। मंत्रालय को प्रशिक्षण की उपलब्धियों के साथ उसके अंतर्गत आवश्यकताओं के साथ-साथ रा.प्र.का.यो. के अंतर्गत नियत लक्ष्यों का विश्लेषण करना चाहिए।
- ❖ मंत्रालय को अ.आ. पर व्यय तथा निर्धारित मापदण्डों तक पहुँचने में कमी के कारणों का पता लगाना चाहिए।



- ❖ मंत्रालय को लाभार्थियों के वृद्धि मानकों की मॉनीटरिंग की दृष्टि से आं.के. को आवश्यक उपकरण तथा पर्याप्त प्रशिक्षण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। आवश्यक डाटाबेस का निर्धारित अनुरक्षण तथा मॉनीटरिंग होनी चाहिए।
- ❖ राज्यों/सं.शा.क्षे. को स्कू.पू.शि. किटों के प्रापण हेतु निधियों के निर्गम के अतिरिक्त, मंत्रालय को निधियों के समय पर उपयोग की प्रगति आं.के. को इन किटों की अंतिम आपूर्ति को मॉनीटरिंग करना चाहिए।
- ❖ मंत्रालय को राज्यों से वित्तीय मानदण्डों के अनुसार वार्षिक सू.शि.सं. कार्य योजना तैयार करने को कहना चाहिए। सू.शि.सं. पर व्यय को मॉनीटरिंग किया जाना चाहिए ताकि कमी के कारणों की जाँच हो सके।
- ❖ मंत्रालय को निधियों की आवश्यकता का सटीक मूल्यांकन करना चाहिए जिससे कि न्यूनतम अव्ययित शेष तथा अत्याधिक व्यय से बचने को सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ मंत्रालय मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन रिपोर्ट से उजागर कमियों पर की गयी कार्रवाई को आवधिक रूप से मॉनीटर करने के लिए एक प्रणाली विकसित करे।
- ❖ मंत्रालय को योजना के अंतर्गत परिणाम संकेतकों को विकसित तथा उसकी उपलब्धियों का आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए।
- ❖ मंत्रालय को प्रशासकों, शिक्षाविदों, बाल स्वास्थ्य व्यवसायिकों, नागरिक समाज तथा अन्य पणधारियों के व्यापक प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन का, शीघ्रातिशीघ्र आरंभ करना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा की गयी सभी अनुशंसाओं को नोट कर लिया गया था और उन्हें समुचित रूप से, केन्द्रीय स्तर को सम्मिलित करते हुए राज्यों/के.शा.प्र. के समक्ष सुधारात्मक उपायों के लिए उठाया जाएगा। बारहवीं योजना में स.बा.वि.से. के सुदृढीकरण तथा पुनर्गठन को प्रस्तावित किया गया है। मिशन प्रणाली के कार्यान्वयन की परिकल्पना वाले प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। एक बार कार्यक्रम का मिशन प्रणाली में कार्यान्वयन हो जाए, कार्यक्रम क्रियान्वयन की अधिकांश कमियों को बेहतर उपकरणों तथा वित्तीय प्रबंधन के तौर-तरीकों और मॉनीटरिंग क्रियाविधि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।



## प्रस्तावना

### 1.1 पृष्ठभूमि

बच्चों के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति निर्दिष्ट करती है कि हमारे राष्ट्र का भविष्य तथा हमारी जनता की उन्नति बच्चों को एक अच्छे मानव एवं नागरिक के रूप में बड़ा करने हेतु उनके स्वास्थ्य एवं खुशियों तथा देखभाल जो वह परिवार एवं समाज से प्राप्त करते हैं पर निर्भर है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मानसिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक उचित वातावरण में उनका पालन पोषण की गई एक आवश्यक बचनबद्धता है।

राष्ट्रीय बाल नीति (1974) निर्धारित करती है कि राज्य को बच्चों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु जन्म के पूर्व एवं पश्चात तथा विकास की अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) के दौरान एक विस्तृत उद्देश्यों को सीमा के अंतर्गत अंतः संबंधित सेवाओं की अधिकता के एकीकरण तथा समन्वय पर प्रभाव सहित 'बाल कल्याण' से 'बाल विकास' पर कार्यक्रम केन्द्र में परिवर्तन के उत्तर में था।

इस नीति के अनुसरण में, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.) योजना को भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग) की एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के रूप में 2 अक्टूबर 1975 में प्रारम्भ किया गया था।

### 1.2 योजना के उद्देश्य

स.बा.वि.से. योजना शून्य से छः वर्ष के आयु वर्ग तथा गर्भवती एवं लैक्टेटिंग माताओं के साकल्यवादी विकास पर लक्षित है योजना के उद्देश्य हैं:

- 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को सुधारना;
- बच्चों के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास हेतु नींव रखना;
- मृत्यु -दर, अस्वस्थता-दर, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने के आपात को कम करना;
- नीति का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना तथा बाल विकास के उन्नयन हेतु विभिन्न विभागों के बीच कार्यान्वित करना; तथा
- उचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की आम स्वास्थ्य एवं पौषणित आवश्यकताओं की देखभाल हेतु माँ की क्षमता को बढ़ाना।



### 1.3 कार्यक्षेत्र और विस्तार

उपरोक्त उद्देश्यों को नीचे दी गई छः सेवाओं के पैकेज के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है:

तालिका 1.1: स.बा.वि.से. के अंतर्गत सेवाएं

लक्षित वर्ग	सेवाएं	निम्न द्वारा प्रदत्त सेवा
छः वर्ष से नीचे बच्चे; गर्भवती एवं स्तनपान कराती माताओं (पी.ए.एल.एम.)	अनुपूरक पोषण (अ.आ.)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (आं.का.) तथा आंगनवाड़ी सहायक (आं.स.)
	प्रतिरक्षण*	सहायक नर्सिंग मीडवाईफ (स.न.मी.)/ चिकित्सा अधिकारी (चि.अ.)
	स्वास्थ्य जाँच*	स.न.मी./चि.अ./आ.क.
	रैफरल सेवाएं	अ.का./स.न.मी./चि.अ.
3-6 वर्षीय बच्चे	विद्यालय पूर्व शिक्षा (वि.पू.शि.)	आ.का.
महिलाएं (15-45 वर्षीय)	पोषणिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	अ.का./स.न.मी./चि.अ.


[\*आ.का. लक्षित वर्ग की पहचान करने में स.न.मी. की सहायता करते हैं।]

उपरोक्त छः सेवाओं में से तीन नामतः अनुपूरक आहार, विद्यालय पूर्व शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य को ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.), जिसे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक सहायक द्वारा चलाया जाता है, द्वारा एक एकीकृत प्रकार से प्रदान किया गया है। अन्य तीन सेवाएं अर्थात् प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच तथा रैफरल सेवाओं को लोक स्वास्थ्य अवसंरचना<sup>1</sup> के माध्यम से प्रदान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नवम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को स.बा.वि.से. योजना तथा रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत सेवाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त रूप से अनुदेश दिए थे।

स.बा.वि.से. के अंतर्गत दो अतिआवश्यक सेवाएं प्राप्त कर रहे लाभभोगियों की संख्या को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

<sup>1</sup> स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य उप केन्द्र (स्व.उ.के.), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.), तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.)





[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा।]

## 1.4 बाल विकास पर नीति सकेन्द्रित करना

### 1.4.1 पंचवर्षीय योजना के दौरान स.बा.वि.से.

प्रारम्भ में योजना को प्रयोगात्मक आधार पर देश के 33 ब्लॉकों में प्रारम्भ किया गया था। सफलता तथा लोक माँग द्वारा प्रोत्साहित करने पर योजना का विस्तार जारी रहा तथा छठी योजना के दौरान 1037 परियोजना संस्वीकृत की गई थीं। सातवी तथा आठवीं योजना सेवाओं के समेकन पर और योजना के विस्तार द्वारा देश में पोषण के स्तरों को सुधारने पर महत्व देती हैं। अपने विभिन्न निर्णयों (जैसा अध्याय 3 में ब्यौरा दिया गया है) के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशों की दृष्टि में, स.बा.वि.से. परियोजनाओं की संख्या को 2004-05 में 5673 से 2010-11 की समाप्ति तक 7075 तक बढ़ाते हुए दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स.बा.वि.से. योजना का 2005-06, 2006-07 तथा 2008-09 में तीन बार विस्तार किया गया है।

### 1.4.2 राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993

राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 प्रधान मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत 'राष्ट्रीय पोषण परिषद' के संविधान पर विचार किया। फलस्वरूप परिषद को नीति समन्वय, समीक्षा तथा निर्देश हेतु अदालत के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार ने जुलाई 2003 में राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया। मिशन को नवम्बर 2010 में हुई पहली बैठक में "भारतीय पोषण चुनौतियों हेतु प्रधान मंत्री राष्ट्रीय परिषद" के साथ बदला गया। परिषद ने स.बा.वि.से. को मजबूत एवं पूर्ण संरचना, 200 उच्च भार जिलों पर विशेष प्रोत्साहन, अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिकरण तथा कुपोषण पर सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु देशव्यापी अभियान पर जोर डाला।

इस बैठक के अनुसरण में सरकार ने कार्यवाही करने योग्य बिन्दुओं को कार्यान्वित करने हेतु एक अन्तः-मंत्रालय समूह (अं.मं.स.) (जून 2011) को गठित किया। अं.मं.स. ने

जुलाई 2011 में दो बार बैठक की तथा अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन में ए.बा.वि.सं. के सुदृढीकरण तथा पुनर्गठन पर व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) की एक बैठक की गई थी (मार्च 2012)। इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी भी लिए जाने हैं।

1993 नीति के अंतर्गत सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. एक शीर्ष राज्य पोषण परिषद (रा.पो.प.), जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री द्वारा की जाए, गठित करना, तथा राज्य सरकार के संबंधित मंत्री सिविल सोसाइटी सदस्य, व्यावसायिक निकायों के विशेषज्ञों तथा प्रतिनिधियों, को समाविष्ट करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.पो.प. को केवल पाँच राज्यों/सं.शा.क्षे. (चण्डीगढ़, हरियाणा, ओड़ीसा, पंजाब और राजस्थान) में गठित किया गया था। छः राज्य (झारखण्ड, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) ने राज्य विनिर्दिष्ट पोषण नीतियों तथा योजनाओं को अपनाया। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. के संबंध में सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थी।

#### 1.4.3 बच्चों हेतु राष्ट्रीय योजना कार्य 2005 (ब.रा.यो.का.)

ब.रा.यो.का. को 18 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग (अब मंत्रालय) द्वारा सूत्रित किया गया था। बाल विकास के संबंध में ब.रा.यो.का. ने बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रारम्भिक बाल्यावस्था सेवाओं के साधारणीकरण पर कुछ लक्ष्य तथा इनको प्राप्त करने हेतु उद्देश्य निर्धारित किए।

ब.रा.यो.का. के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार की होती है। मंत्रालय को कार्यान्वित विभागों तथा राज्य सरकारों को समन्वित तथा इसके कार्यान्वयन तथा भारतीय बच्चों की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी थीं।

मंत्रालय ने बताया (जून 2012) कि इसने ब.रा.यो.का. 2005 के अंतर्गत की गई प्रगति पर सूचना की माँग करते हुए मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को पत्र लिखे थे। अब तक 12 मंत्रालयों/विभागों तथा एक राज्य सरकार (मेघालय) ने सूचना भेजी है। मंत्रालय द्वारा ब.रा.यो.का., 2005 अथवा भारत में बच्चों की स्थिति पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थीं। तथापि, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रों के कार्यान्वयन की स्थिति पर आवधिक रिपोर्टों का मंत्रालय द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

#### 1.4.4 अंतर्राष्ट्रीय सहायता

भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए यूनिसेफ, स्वेडीश अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (स्व.अं.वि.अ.), सहकारी सहायता तथा सर्वत्र राहत (केयर), विश्व खाद्य कार्यक्रम (वि.खा.का.), विश्व बैंक जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने भी योजना को सहयोग दिया है। 1991-2006 की अवधि के दौरान तीन विश्व बैंक सहायता प्राप्त



स.बा.वि.से. परियोजना को आदिवासी तथा समाज-आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया था।

### 1.5 योजना के अंतर्गत निधीयन प्रतिमान

स.बा.वि.से. एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना है। निधियों का प्रवाह मंत्रालय से राज्य/सं.शा.क्षे. विभागों को है। राज्य/सं.शा.क्षे. विभाग को आगे जिलों/परियोजनाओं को अनुदान जारी करते हैं। राज्य/सं.शा.क्षे. को दो वर्गों अर्थात् (i) संचालन लागत को पूरा करने हेतु स.बा.वि.से. (सामान्य) तथा (ii) अनुपूरक आहार (अ.आ.) के अंतर्गत निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

योजना के अन्तर्गत निधीयन प्रतिमान में हाल ही में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.2: स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत निधीयन प्रतिमान

अवधि	स.बा.वि.से. (सा.)	स.बा.वि.से. (अ.आ.)
2005-06 से पूर्व	केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता	केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं, 100 प्रतिशत लागत राज्यों द्वारा की गई
2005-06 से 2008-09	केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता	वित्तीय मानकों का 50 प्रतिशत या व्यय का 50 प्रतिशत राज्य द्वारा किया गया, जो भी कम हो
2009-10 से आगे	राज्यों/सं.शा.क्षे. को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, शेष लागत को राज्य/सं.शा.क्षे. द्वारा किया जाना था।	उत्तर पूर्वी राज्यों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, अन्य राज्यों/सं.शा.क्षे. को 50 प्रतिशत शेष लागत को राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा किया जाना था।

इसके अलावा, 2001-02 से आं.के. भवनों के निर्माण के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इस संबंध में अन्य राज्यों/सं.शा.क्षे. को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

### 1.6 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

योजना के कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ योजना हेतु आबंटन में दसवीं पंचवर्षीय योजना में ₹10,392 करोड़ से ग्यारहवीं योजना अवधि में ₹44400 करोड़ तक की सार्थक वृद्धि रही है।

2006-11 की अवधि के दौरान, स.बा.वि.से. योजना पर राज्यों/सं.शा.क्षे. के भाग को शामिल करते हुए ₹50,587 करोड़ का कुल व्यय किया गया। 2006-07 से 2010-11 वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों के ब्यौरे तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा बताया गया व्यय नीचे दिया गया है (राज्य/सं.शा.क्षे.-वार ब्यौरे अनुबन्ध 1.1 और 1.2 में दिए गए हैं):

तालिका 1.3: जारी निधियाँ एवं व्यय<sup>2</sup>

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स.बा.वि.से. (सा.)		स.बा.वि.से. (अ.आ.)		कुल व्यय [ स.बा.वि.से. (सा.)+(अ.आ.) ]
	राज्यों को जारी	व्यय	राज्यों को जारी	व्यय	
2006-07	2691.94	2618.34	1519.22	3102.51	5720.85
2007-08	3108.82	2992.94	2062.29	4433.83	7426.77
2008-09	4045.78	3967.37	2281.32	4928.34	8895.71
2009-10	4390.80	4839.66	3730.13	8242.96	13082.62
2010-11	4794.41	5306.91	4968.72	10153.69	15460.6
<b>कुल</b>	<b>19031.75</b>	<b>19725.22</b>	<b>14561.68</b>	<b>30861.33</b>	<b>50586.55</b>

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा। व्यय आंकड़ों में 2009-10 एवं 2010-11 हेतु स.बा.वि.से. (सा.) तथा वर्ष 2006-11 हेतु स.बा.वि.से. (अ.आ.) के अंतर्गत राज्य का अंश शामिल है।]

इस प्रकार, स.बा.वि.से. (सा.) के अंतर्गत राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी निधियां 2006-11 के दौरान दुगुनी हो गई थी। यह कार्यशील परियोजनाओं और आं.के. की संख्या में बढ़ोतरी और वित्तीय प्रतिमानों को संशोधन के कारण था। अ.आ. के अन्तर्गत राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों में लाभभोगियों की संख्या और लागत प्रतिमानों में संशोधन के कारण 227 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।


### 1.7 संगठनात्मक ढांचा

स.बा.वि.से. योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। भारत सरकार में नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। योजना की योजना करने, निधीयन, निष्पादित करने तथा मॉनीटरिंग में केन्द्रीय, राज्य तथा फील्ड स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों को अंकित करने वाला चार्ट चार्ट 1.2 में दिया गया है।

<sup>2</sup> 2011-12 मंत्रालय ने स.बा.वि.से. (सा.) के अन्तर्गत राज्यों/सं.शा.क्षे. को ₹7897.35 करोड़ जारी किए जिसके प्रति ₹7986 करोड़ (राज्य अंश शामिल करते हुए) तृतीय तिमाही तक रिपोर्ट किया गया था। इसी प्रकार अ.पो. के अन्तर्गत मंत्रालय ने 2011-12 के दौरान ₹6303 करोड़ जारी किए जिसके प्रति 11104 करोड़ (राज्य भाग शामिल करते हुए) रिपोर्ट किया गया। हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2011-12 को सम्मिलित नहीं करती है।



चार्ट 1.2: स.बा.वि.से. योजना का संगठनात्मक तथा कार्यान्वयन अवसंरचना



## 1.8 भारत के बाल विकास पर मुख्य सांख्यिकी

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा मिलेनियम विकास लक्ष्यों (मि.वि.ल.)<sup>3</sup> की तुलना में मुख्य संकेतकों पर भारत की स्थिति नीचे अंकित किया गया है:

### 1.8.1 बाल उत्तर जीवन


बाल उत्तर जीवन को मापने हेतु दो आवश्यक संकेतन शिशु मृत्यु दर (शि.मृ.द.) तथा बाल मृत्यु दर (बा.मृ.द.) हैं। शि.मृ.द. जन्म तथा तथ्यतः (एक वर्ष की आयु के दौरान

<sup>3</sup> संयुक्त राष्ट्रों की मिलेनियम परियोजना को 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अरबों लोगों को प्रभावित कर रही घोर गरीबी, भूख तथा रोग को प्रतिवर्तित करने हेतु विश्व के लिए एक ठोस योजना कार्य विकसित करने के लिए प्रारम्भ किया था।

मृत्यु की सम्भाव्यता है जिसे प्रति 1000 सजीव जन्म में बताया जाता है बा.मृ.द. जन्म तथा तथ्यतः पाँच वर्षों की आयु के दौरान मृत्यु की सम्भाव्यता है जिसे 1000 सजीव जन्म में बताया जाता है।


**अध्याय-1**  
**प्रस्तावना**

भा.स. ने 2010 तक शि.मृ.द. को प्रति 1000 सजीव जन्म 30 से नीचे तथा बा.मृ.द. को प्रति 1000 सजीव जन्म 31 से नीचे घटाने हेतु लक्ष्य किया था (बच्चों हेतु राष्ट्रीय योजना कार्य 2005)। इस संबंध में उपलब्धियों को चार्ट 1.3 तथा 1.4 में दर्शाया गया है।



[स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग]

बा.मृ.द. पर भारत को 195 देशों में से 144 पर श्रेणीबद्ध किया गया था वर्ष 2010 में शि.मृ.द. तथा बा.मृ.द. के संबंध में भारत की स्थिति को चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है:




[स्रोत: संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनीसेफ) द्वारा प्रकाशित विश्व के बच्चों का स्तर 2012]




### 1.8.2 बाल पोषण

‘अल्पबल तथा गम्भीर न्यूनभार बच्चों’ को 0-59 महीनों की आयु के बच्चों की प्रतिशतता के रूप में अनुमान लगाया गया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) बाल विकास मानकों की आयु हेतु मध्यम वजन से घटा दो मानक विचलनों से कम है। ‘गम्भीर न्यूनभार बच्चों’ को 0-59 महीनों की आयु के बच्चों की प्रतिशतता के अनुमान लगाया गया है जो वि.स्वा.सं. बाल विकास मानकों की आयु हेतु मध्यम वजन से घटा तीन मानक विचलनों से कम है। बाल पोषण के इस संकेतक पर देश की प्राप्त उपलब्धि को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:



[स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग]

2006-10 की अवधि के दौरान न्यूनभार तथा गम्भीर रूप से न्यूनभार वाले बच्चों की प्रतिशतता के संबंध में भारत की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:



[स्रोत: संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनीसेफ) द्वारा प्रकाशित विश्व के बच्चों का स्तर 2012]

मुख्य बाल विकास तथा स्वास्थ्य संकेतकों पर भारत की स्थिति की पड़ोसी देशों तथा अन्य क्षेत्रों से अच्छी तुलना नहीं की गई थी।

अध्याय-I

प्रस्तावना





## लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली

### 2.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

#### 2.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- i. इस योजना ने अपने अंतर्गत प्रदान सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच के मुख्य लक्ष्यों को पूरा किया;
- ii. आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाएं पर्याप्त रूप से प्रदान की गई थी;
- iii. योजना के अंतर्गत श्रमशक्ति का परिनियोजन एवं प्रशिक्षण सेवाओं के पैकेज के गुणवत्ता तथा आवृत्ति दोनों की दृष्टियों से, प्रभावी वितरण के लिए पर्याप्त था;
- iv. अनुपूरक आहार की सेवाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था ताकि शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य प्राप्त किया जा सके;
- v. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की सेवाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था ताकि स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम किया जा सके;
- vi. सूचना, शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पो.स्वा.शि.) प्रभावी थी तथा स.बा.वि.से. की सेवाओं पर सामुदायिक भागीदारी में परिणत हुई;
- vii. परियोजनाओं के लिए आवंटित और जारी निधियों का मितव्ययी रूप और कुशलता से उपयोग किया गया है; तथा
- viii. योजना के अंतर्गत निष्पादन संकेतकों तथा निर्धारित लक्ष्यों के सामयिक और सुधारात्मक उपचारात्मक उपायों को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से मॉनीटरिंग की गई थी।

#### 2.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए स.बा.वि.से. के तीन घटकों अर्थात् अनुपूरक आहार, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को आवृत्त किया। इसमें मंत्रालय<sup>1</sup> में पांच कार्यक्रम प्रभागों, खाद्य एवं पोषण बोर्ड

<sup>1</sup> नीति, रिहाई, निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और विश्व बैंक से संबंधित

(खा.पो.बो.), राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.)<sup>2</sup> तथा 13 चयनित राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल है। राज्यों का चयन उनकी जनसंख्या, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान जारी निधियों तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3, 2005<sup>3</sup> में वर्णित पोषण संकेतकों के आधार पर किया गया था।

### 2.1.3 लेखापरीक्षा नमूना

नमूने के चयन हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय ढांचे का उपयोग किया गया था:

- प्रत्येक चयनित राज्य को भौगोलिक सामीप्य के आधार पर विभाजित किया गया था।
- 2006-11 वर्षों के दौरान जिलों को प्रतिस्थापन विधि के साथ आकार के अनुपात में संभावना के आकार (प्र.अ.सं.आ.) को मापने के साथ विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जिलों को जारी सहायता अनुदान की कुल राशि को स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए चुना गया था।
- प्रत्येक नमूना जिले में, चार परियोजनाओं का चयन प्रतिस्थापन बिना सरल यादृच्छिक नमूना (प्र.वि.स.या.न.) का उपयोग करके किया गया था।
- प्रत्येक नमूना परियोजना में, दस आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) का प्र.वि.स.या.न. का उपयोग करके चयन किया गया था।

इस प्रकार, प्रत्येक चयनित जिले में चार परियोजनाओं तथा 40 आं.के. की लेखापरीक्षा की गई थी। सभी 67 जिले में, 273 परियोजनाएं तथा 2730 आं.के. का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों में स्थित एक आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (आ.प्र.के.) तथा एक मध्यम स्तर प्रशिक्षण केन्द्र (म.स्त.प्र.के.) की भी लेखापरीक्षा की गई थी। नमूना जांच का विवरण **अनुबंध 2.1** में दिया गया है।

### 2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्डों के स्रोत

स.बा.वि.से. योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा दस्तावेजों के निम्नलिखित स्रोतों से उत्पन्न मानदण्डों के संदर्भ में की गई थी:

- स.बा.वि.से. पर मंत्रालय द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देश तथा अनुदेश,
- योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय,

<sup>2</sup> मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त निकाय

<sup>3</sup> 2005-06 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित, रा.प.स्वा. स-3, 0-5 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण के आंकड़े प्रदान करता है।



- iii. 2004 में स.बा.वि.से. अवसंरचना पर किया गया त्वरित सुविधा सर्वेक्षण, स.बा.वि.से. के तीन दशक - 2006 में राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) द्वारा एक मूल्यांकन, मार्च 2011 में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा स.बा.वि.से. का मूल्यांकन।
- iv. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के नियम एवं विनयम जो लागू है।

## 2.2 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारम्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सितम्बर 2011 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मापदंडों के बारे में विस्तार से बताया गया था। साथ में, प्रत्येक चयनित राज्य में, (प्रधान) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शामिल नोडल विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) तथा सम्बन्धित (प्रधान) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों में योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर प्रतिक्रिया की मांग करते हुए 20 जुलाई 2012 को मंत्रालय को प्रारूप प्रतिवेदन जारी किया गया था। मंत्रालय ने अपना अंतिम उत्तर 23 नवम्बर 2012 को प्रस्तुत किया जिसपर विचार किया गया तथा रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर मंत्रालय के साथ 04 अक्टूबर 2012 को हुए एक 'निर्गम सम्मेलन' में भी चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान सहयोग और सहायता पर आभार प्रदान करता है।

## 2.3 पिछले लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

स.बा.वि.से. योजना की पहले 1999-2000 में लेखापरीक्षा की गई थी तथा 2000 के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के प्रतिवेदन सं. 3 (संघ सरकार-सिविल-निष्पादन मूल्यांकन) के माध्यम से निष्कर्ष को सूचित किया गया था। रिपोर्ट में निहित मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार से थे:-

- मंत्रालय पूर्ण रूप से योजना के सार्वभौमीकरण की नीति को लागू करने में विफल रहा। निधियों की कमी के कारण सार्वभौमीकरण की नीति अप्राप्त रही 5618 की आवश्यकता के प्रति केवल 4200 परियोजनाओं का परिचालन पूरे देश को आवृत्त करने के लिए किया गया।
- विविध एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम में कई योगदान के बावजूद, औषधि किटों और विटामिन 'ए' के प्रावधान पर समीक्षा निष्कर्षों से प्रत्यक्ष के रूप में कार्यक्रम की

अध्याय-II  
लेखापरीक्षा  
दृष्टिकोण एवं  
कार्यप्रणाली

अविश्वसनीय/अप्रबन्धक जटिलता के कारण योजना वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

- अनुपूरक आहार घटक कई कारणों जैसे कि लाभार्थियों की पहचान न हो पाना, लाभार्थियों का अपर्याप्त आवृतन, पोषण में महत्वपूर्ण रूकावट, भोजन में पौष्टिक तत्वों में कमियां, अव-मानक भोजन इत्यादि की वजह से लाभार्थियों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने में विफल रहा।
- स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के घटक के कार्यान्वयन में पहचान करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण के अभाव, अपूर्ण/संबंधित अभिलेखों/रजिस्ट्रों का रखरखाव न करना, तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय में विशेष रूप से कमी पाई गई थी।
- योजना के एक घटक के रूप में टीकाकरण प्रदान करने में, आवृतन में कमी एवं कई मामलों में कमी के अलावा प्रमुख अड़चने लक्ष्यों का गैर निर्धारण, पूर्ण आवृतन को सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग तंत्र का अभाव, अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण/अधूरा अनुरक्षण थी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में औषधि किट का प्रावधान, जैसा कि मंत्रालय द्वारा परिकल्पित है, औषधि किटों की खरीद और वितरण प्रणाली में दोष के कारण विफल रहा था। किट की प्राप्ति में 16 राज्यों में कमी पाई गई थी।
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा घटक स्पष्ट योजना की कमी का शिकार हुए क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा के लिए मानदंडों को तैयार करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और इन घटकों के वितरण के लिए संसाधन बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त पड़े रहे।
- अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा को मुख्य रूप से आं.के. में प्रदान करवाये गए अनुपूरक आहार पर निर्भर पाया गया था।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (आं.का.), आंगनवाड़ी सहायक (आं.स.) योजना के मुख्य पदाधिकारी हैं। पदाधिकारियों में 1992-99 के दौरान स्वीकृत पदों के प्रति कार्यरत व्यक्तियों में 13 से 38 प्रतिशत की कमी के बावजूद, 10 राज्यों में स.बा.वि.से. स्टाफ का गैर-स.बा.वि.से. कार्य के प्रति विपथन के मामले तथा ₹ 5.06 करोड़ के व्यर्थ वेतन की राशि पाई गई थी। मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा बताए गए आंकड़ों के बीच संस्वीकृत पदों तथा कार्यरत व्यक्तियों के आंकड़ों में विभिन्नता पदाधिकारियों की सभी श्रेणियों में पाई गई थी।



- स.बा.वि.से. पदाधिकारियों का प्रशिक्षण काफी हद तक अप्रभावी रहा क्योंकि प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विटामिन ए घोल, आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियों की आपूर्ति संतोषजनक स्तर से काफी नीचे थी।
- योजना को न तो न्यायपूर्ण तरीके से वित्त पोषित किया गया था और न ही संसाधनों का उपयुक्त अनुप्रयोग किया गया था। मंत्रालय ने परियोजनाओं की संख्या के आधार पर गणितीय रूप से अनुदान जारी किए।
- मंत्रालय द्वारा जारी तथा राज्यों द्वारा प्राप्त अनुदान के आंकड़ों का गैर-मिलान योजना के वित्तीय प्रशासन में एक प्रमुख दोष था, जो मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित वित्तीय आंकड़ों की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाता है।
- राज्य सरकारों की ओर से स.बा.वि.से. के प्रति उचित प्रतिबद्धता की कमी तथा मंत्रालय का मूल्यांकन के लिए केवल मासिक प्रगति रिपोर्ट और मॉनीटरिंग रिपोर्ट पर निर्भरता के कारण स.बा.वि.से. योजना की मॉनीटरिंग की प्रणाली काफी हद तक अप्रभावी थी।
- विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना का मूल्यांकन किया गया है। इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सुझाव काफी हद तक गैर कार्यान्वित रहे। समय-समय पर बेंचमार्क सर्वेक्षण नहीं करवाए गए जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर 20 सितम्बर 2010 की कार्यवाही टिप्पणी (का.टि.) में, मंत्रालय ने दर्शाया कि उसने निम्नलिखित कदम उठाए थे:-

- प्रणाली में कमी और अपर्याप्तता का काफी हद तक योजना के सार्वभौमीकरण और सुधार के माध्यम से निपटान किया गया था।
- स.बा.वि.से. के सुधार के पश्चात वित्तीय नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली भी स्थापित की गई थी। बेहतर वित्तीय नियंत्रण के लिए व्यय विवरण के प्रारूप को सुव्यवस्थित किया गया था। समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से निधियां जारी की गई थीं। बजट अनुभाग/वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ नियमित रूप से मिलान प्रक्रिया की गई थी।
- भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान और राज्य के द्वारा वास्तव में प्राप्त अनुदान को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा था। भा.स. द्वारा जारी अनुदान सीधे राज्यों को जाती है और इसलिए उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती है।
- निधियां वर्ष में चार या अधिक किस्तों में जारी की गई थीं। किसी विशेष वर्ष में अतिरिक्त/अव्ययित शेषों को आगामी वर्ष में समायोजित किया गया है।

- मंत्रालय समय-समय पर स.बा.वि.से. के कार्यान्वयन सहित स.बा.वि.से. के पदाधिकारियों की रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा करता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मामलों में जिनमें मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की थी संबोधित किया गया है। राज्यों ने रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने का आश्वासन दिया था।
- मंत्रालय ने स.बा.वि.से. योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को नियमित रूप से मॉनीटर किया। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर संस्वीकृत आं.के. को समयबद्ध तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया गया था।
- भारत सरकार द्वारा पोषण एवं भोजन मानदण्डों को संशोधित किया गया था। राज्यों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपूरक आहार प्रदान करना अपेक्षित है।
- मंत्रालय ने आं.के. के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों को संशोधित किया था। आं.के. पर उपलब्ध निर्धारित अनुपूरक आहार (अ.आ.) और स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) के रजिस्टर में अ.आ. तथा स्कू.पू.शि. के दिनों की संख्या का विवरण पाया जा सकता है।
- हाल ही में मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) के विकास मानकों को अपनाया है जो वृद्धि और विकास के लिए मानकीय मॉडल स्तनपान करने वाले शिशुओं के रूप में आधारित है। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भों के साथ ही समय पर हस्तक्षेप के लिए नया शुरू किया गया वृद्धि मानक कुपोषण का यथार्थ निर्धारण है।
- आं.के. को नियमित रूप से औषधि किट उपलब्ध कराना एवं उनकी खरीद की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से, औषधि किट की खरीद और आपूर्ति को राज्य स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.), नई दिल्ली में एक केन्द्रीय मॉनीटर इकाई की स्थापना स्वतंत्र व्यावसायिक संगठनों/संस्थाओं को शामिल कर स्थापित की गई है, ताकि स.बा.वि.से. की गुणवत्ता को मॉनीटर किया जा सके। इस प्रकार मॉनीटरिंग को सुदृढ़ किया जा रहा था।

पिछले दो वर्षों के दौरान, नि.म.ले.प. द्वारा अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में स.बा.वि.से. के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार अनुबंध 2.2 में दिया गया है।





## स.बा.वि.से. योजना का सार्वभौमिकरण

### 3.1 स.बा.वि.से. के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता

मंत्रालय ने योजना के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आठवीं योजना (1992-1997) की समाप्ति तक सभी 5239 सामुदायिक विकास खंडों एवं देश भर में चिह्नित की गयी 684 प्रमुख शहरी झुग्गियों को आवृत्त करने का निर्णय लिया था (1995)। हमारी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2000) में हमने इंगित किया था कि सार्वभौमिक योजना की परिकल्पना अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के व्यवस्थित आंकलन के बगैर की गई थी। पूरे देश को आवृत्त करने लिए अभीष्ट 5618 परियोजनाओं के प्रति केवल 4200 का ही परिचालन हो सका था।

स.बा.वि.से. योजना का सार्वभौमिकरण इस तथ्य के मद्देनजर अनिवार्य था कि 31 मार्च 2012 तक 0-6 वर्ष (जनगणना 2001) के 15.78 करोड़ बच्चों में से केवल 7.90 करोड़ (50 प्रतिशत) बच्चे ही योजना के अंतर्गत आवृत्त किये गये थे।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (रा.प.स्वा.स-3)<sup>1</sup> ने उजागर किया कि देश में पांच वर्ष से कम के लगभग 43 प्रतिशत बच्चे कम वजन के थे और इनमें से लगभग 16 प्रतिशत बच्चे गम्भीर रूप से कुपोषित थे।

### 3.2 स.बा.वि.से. योजना के सार्वभौमिकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवम्बर 2001, 29 अप्रैल 2004, 07 अक्टूबर 2004 एवं 13 दिसम्बर 2006 के अपने अंतरिम आदेशों द्वारा भारत सरकार को स.बा.वि.से. योजना की आवृत्ति के सार्वभौमिकरण का निर्देश दिया था। सार्वभौमिकरण में, छः वर्ष की आयु से कम वाले प्रत्येक बच्चे तथा सभी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सेवाओं<sup>2</sup> का विस्तार किया जाना शामिल था। योजना के सार्वभौमिकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर न्यायालय के निर्देशों, सरकार द्वारा उठाये गये कदम तथा उन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे पैराग्राफ 3.2.1 से 3.3 में चर्चा की गयी है।

#### 3.2.1 अतिरिक्त स.बा.वि.से. परियोजनाओं एवं आं.के. की संस्वीकृति

सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2004 में भारत सरकार को उस समयावधि को बताने का निर्देश दिया जिसके अंतर्गत 14 लाख बस्तियों को आवृत्त करने हेतु आं.के. का विस्तार

<sup>1</sup> स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2005-06 में संचालित, स.प.स्वा.स.-3, 0-5 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण पर आंकड़े उपलब्ध कराता है।

<sup>2</sup> अनुपूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा रेफरल सेवाएं।

**अध्याय-III**  
**स.बा.वि.से. योजना**  
**का सार्वभौमिकरण**

किया जाएगा। दिसम्बर 2006 में, न्यायालय ने सरकार को दिसम्बर 2008 तक कम से कम 14 लाख आं.के. की चरणबद्ध एवं समान रूप से स्वीकृति देने एवं संचालन करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि आं.के. की स्थापना हेतु जनसंख्या मानदंडों को उर्ध्वगामी रूप से संशोधित न किया जाये।

जबकि, मंत्रालय ने नये आं.के. की स्थापना हेतु जनसंख्या मानदंडों को दो बार संशोधित किया, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

**तालिका 3.1: नये आं.के. की स्थापना हेतु मानदंड**

अवधि	ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाएं	आदिवासी परियोजनाएं/ पहाड़ी/ मरुभूमि/नदी तटीय क्षेत्र
	(जनसंख्या जिसके लिए एक आं.के. स्थापित किया जा सकता है)	
नवम्बर 2005 के पूर्व	1000	700
नवम्बर 2005 में मानदंडों का संशोधन	500-1500	300-1500
मार्च 2007 से संशोधित मानदंड	400-800	300-800

इसके अलावा, जनसंख्या मानदंडों में निर्धारित स्तर से कम जनसंख्या वाली बस्तियों हेतु, 150-400 की जनसंख्या (आदिवासी/मरुभूमि/पहाड़ी/नदी तटीय क्षेत्र में 150-300) के लिए एक लघु आं.के. की स्थापना की जा सकती है।

अतिरिक्त आं.के. की स्थापना हेतु न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में, मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.प्र. से संशोधित जनसंख्या मानदंडों के आधार पर परियोजनाओं<sup>3</sup> एवं आं.के. की आवश्यकताएं प्राप्त करके तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदनस्वरूप अतिरिक्त परियोजनाओं एवं आं.के. के लिए तीन चरणों में संस्वीकृति प्राप्त की। तदनुसार, मंत्रालय को नयी परियोजनाओं एवं आं.के. की संस्वीकृति देनी थी और राज्य सरकारों को उनका परिचालन करना अपेक्षित था। तालिका 3.2 में भा.स. द्वारा 2005-08 की अवधि के दौरान स.बा.वि.से. के विस्तारीकरण की संस्वीकृतियों का क्रमानुसार वर्णन किया गया है।

**तालिका 3.2: सं.बा.वि.से. योजना के विस्तारीकरण हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन**

विस्तार चरण	मंत्रिमंडल के अनुमोदन की तिथि	स.बा.वि.से. योजनाएं		आ.के.		लघु.आं.के.	
		नये अनुमोदन	कुल अनुमोदन	नये अनुमोदन	कुल अनुमोदन	नये अनुमोदन	कुल अनुमोदन
		पहले से		5,651		7,58,000	

<sup>3</sup> स.बा.वि.से. परियोजना की प्रशासनिक इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खंड, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी विकास खंड तथा शहरी क्षेत्रों में बस्ती है। योजना के मानदंडों के अनुसार, एक ग्रामीण/शहरी परियोजना में एक लाख की आबादी को आवृत्त करना होगा। एक आदिवासी परियोजना में 35,000 की आबादी को आवृत्त करना अपेक्षित है।



विद्यमान							
चरण 1	जुलाई 2005	467	6,118	1,88,168	9,46,168		
चरण 2	नवम्बर 2006	173	6,291	1,07,274	10,53,442	25,961	36,847
चरण 3	अक्तूबर 2008	792	7,083	2,13,859	12,67,301	77,102	1,13,949

अध्याय-III  
स.बा.वि.से. योजना  
का सार्वभौमिकरण

### 3.2.2 मांग आधारित आंगनवाड़ी (मा.आ.आं.)

सर्वोच्च न्यायालय का 13 दिसम्बर 2006 का आदेश अन्य बातों के साथ यह भी निर्धारित करता है, कि ग्रामीण समुदाय एवं झुग्गी में रहने वाले लोग उन मामलों में जहाँ कम से कम 40 बच्चे छः वर्ष से कम की आयु के थे, परन्तु कोई आंगनीबाड़ी नहीं थी मांग के आधार पर आंगनवाड़ी के हकदार भी होंगे और इसमें मांग की तिथि से तीन महीने से अधिक का विलम्ब नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार ने स.बा.वि.से. योजना के विस्तारीकरण के तृतीय चरण (अक्तूबर 2008) के दौरान, 20,000 अतिरिक्त मांग आधारित आंगनवाड़ी (मां.आ.आं.) की संस्वीकृति दी। मंत्रालय ने राज्यों को मां.आ.आं. की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को, मांग की तारीख से 45 दिनों के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए (मई 2009)। राज्यों को समेकित प्रस्ताव दो मापदंडों को मिलाकर प्रस्तुत करना था, वे हैं, (i) बिना आं.के. वाली आबादी जिसमें 40 से अधिक बच्चे हों तथा (ii) बाल जनसंख्या मानदंडों के साथ-साथ संपूर्ण जनसंख्या के अनुसार आवश्यकताएं।

तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, मंत्रालय द्वारा 2011-12 में छः राज्यों<sup>4</sup> को केवल 2,030 मां.आ.आं. की मंजूरी प्रदान की गयी थी। मंत्रालय ने मां.आ.आं. की मंजूरी में हुए विलम्ब के लिए राज्य सरकारों के उनके लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेज पाने में असफलता को जिम्मेदार ठहराया। राज्य सरकारों ने मां.आ.आं. के प्रस्तावों को तीसरे चरण के विस्तारीकरण के अंतर्गत नये आं.के. की स्थापना के प्रस्तावों के साथ मिला दिया था।

ओडिशा में, वर्ष 2010-11 के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) की सिफारिश पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों (जि.का.अ.) द्वारा मां.आ.आं. के 4,427 आवेदन प्राप्त किये गए थे। तथापि, राज्य सरकार ने 3,859 मां.आ.आं. के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को 90 से लेकर 570 दिनों के विलंब के साथ भेजे। विलंब के लिए खंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिसमें सांसदों (सां.) तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों (पं.रा.सं.), जो कथित समिति के सदस्य हैं, एवं उप-जिलाधीश जो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, के सुविधानुसार आयोजित करने में विलंब को जिम्मेदार ठहराया गया था।

<sup>4</sup> मध्य प्रदेश: 1231, गुजरात: 339, कर्नाटक: 232, हरियाणा: 185, मेघालय: 41 तथा त्रिपुरा: 02

## अध्याय-III

स.बा.वि.से. योजना  
का सार्वभौमिकरण

विभिन्न पणधारियों जैसे कि राज्य सरकारें, खंड स्तरीय समन्वय समिति इत्यादि के निरूत्साही नजरिए के परिणामस्वरूप मां.आ.आं. का क्रियान्वयन ऐसी आबादी में नहीं हो सका जो योजना के अधीन नहीं आती थी। इस प्रकार, योजना के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है।

### 3.2.3 सभी बस्तियों का आच्छादन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर 2001 में, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि स.बा.वि.से. योजना का कार्यान्वयन पूर्णतः किया जाए एवं प्रत्येक मानव बस्तियों में उसका एक संवितरण केन्द्र (आं.के.) स्थापित किया जाए।

तथापि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को बताया कि स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत बस्तियों के आच्छादन संबंधी जानकारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। योजना के अंतर्गत बस्तियों के आच्छादन के संबंध में मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है।

### 3.2.4 अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) तथा अल्पसंख्यक वाली आबादी का आच्छादन

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (रा.प.स्वा.सं.)-3 (2005-06) के अनुसार 47.9 प्रतिशत अ.जा. के 0-5 आयु वर्ग एवं 54.5 प्रतिशत अ.ज.जा. के बच्चे कुपोषण के शिकार थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 42.5 प्रतिशत था। सर्वोच्च न्यायालय के 13 दिसम्बर 2006 के आदेश में अन्य बातों के साथ, अ.जा. एवं अ.ज.जा. बस्तियों/अधिवासों की पहचान करना तथा उनके लिए नए आंगनवाडी केन्द्रों आं.के. की स्थापना प्राथमिकता आधार पर करना नियत किया गया था।

मंत्रालय ने इस संदर्भ में राज्यों/सं.शा.प्र. को अतिरिक्त आं.के. की स्थापना हेतु मंजूरी इन शर्तों के साथ दी कि (क) ऐसे गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें मुख्यतः अ.जा./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित आबादी हो, (ख) एक गाँव में भी आं.के. के स्थान की स्थिति जहाँ तक संभव हो अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी द्वारा बसे हुए क्षेत्र में होनी चाहिए। राज्य सरकारों को यह प्रमाणित करना था कि सभी अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अधिवास पूर्ण रूप से आवृत्त कर लिए गए थे।

मंत्रालय में जांच किए अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2012 तक केवल 14 राज्यों/सं.शा.क्षे.<sup>5</sup> ने अ.जा./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से आच्छादन से संबंधित आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. के संबंध में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक समुदाय वाले प्रमुखतः बसे अधिवासों के आच्छादन से संबंधित आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थे।

<sup>5</sup> गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अ. एवं नि. द्वीपसमूह, चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप।



लेखापरीक्षा में आगे पाया कि नये आं.के. की स्थापना के लिए, समाज के कुपोषित एवं कमजोर वर्गों के बस्तियों/गाँवों की पहचान के लिए आवश्यक परियोजना क्षेत्र का आरेखन आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा (दो जिलों) में नहीं किया गया था। गुजरात में परियोजना क्षेत्र का आरेखन जनवरी 2012 में शुरू होने की प्रक्रिया में था। इस प्रकार कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा सरकार ने राज्य में परियोजना क्षेत्र में आवश्यक आरेखन किए बगैर ही योजना के अंतर्गत अ.जा, अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक अधिवासों के संपूर्ण आच्छादन को प्रमाणित किया।

मंत्रालय यह आश्वासन दे पाने की स्थिति में नहीं था कि इस संबंध में न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया गया था तथा सभी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य कमजोर वर्ग अधिवासों का आच्छादन स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत हो गया था।

### अनुशंसा

- मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण करें कि सभी अधिवास, विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी, योजना के अंतर्गत आच्छादित किये गये हैं।

### 3.2.5 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय के अन्य अंतरिम निर्णय के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका 3.3 स.बा.वि.से. योजना के कार्यान्वयन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के ब्यौरे


सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
<b>नवम्बर 2001:</b> स.बा.वि.से. को संपूर्ण रूप से लागू करने हेतु और यह सुनिश्चित करने कि देश में प्रत्येक स.बा.वि.से. संवितरण केन्द्र (आं.के.) 6 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी तथा 8-10 ग्राम प्रोटीन प्रदान करेगा और प्रत्येक गर्भवती माता प्रत्येक स्वस्थ माता को 500 कैलोरी एवं 20-25 ग्राम प्रोटीन मलेगा।	मंत्रालय ने फरवरी 2009 में अर्थात् न्यायालय के आदेश से आठ वर्ष के बाद अनुपूरक आहार हेतु पोषण एवं भोजन संबंधी मानदंडों को संशोधित किया।	संशोधित मानदंडों के कार्यान्वयन त्रुटियों पर टिप्पणी इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 6.4.1 में की गयी है।
<b>अप्रैल 2004:</b> 1991 से चले आ रहे पोषक आहार के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए ₹ 1 के मानदंड को	मंत्रालय ने अक्टूबर 2004 तथा नवम्बर 2008 में फिर से वित्तीय मानदंड में संशोधन किया।	संशोधित वित्तीय मानदंडों के कार्यान्वयन में

अध्याय-III  
स.बा.वि.से. योजना  
का सार्वभौमिकरण

संशोधित करने हेतु		त्रुटियों पर टिप्पणी इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 6.2 में की गयी है।
<b>अक्टूबर 2004:</b> स.बा.वि.से. के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) को योग्य मापदंड के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने 2005 में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को अनुदेश जारी किये।	-


### 3.3 सार्वभौमिक योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी

लेखापरीक्षा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में परिकल्पित विस्तारीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी पायी। मंत्रालय वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान को स.बा.वि.से. परियोजनाओं तथा आं.के. की अनुमोदित संख्या परिचालित करने में असफल रहा है जैसा कि चार्ट 3.1 एवं 3.2 में दर्शाया गया है:



[\*परियोजनाओं की संख्या में 7073 से 7012 की कमी, मंत्रालय द्वारा 2009-10 में छत्तीसगढ़ के लिए अनुमोदित 123 परियोजनाओं को रोकने तथा अन्य राज्यों/सं.शा.क्षे. को 62 अतिरिक्त परियोजनाओं को अनुमोदन के कारण हुई]





अध्याय-III  
स.बा.वि.से. योजना  
का सार्वभौमिकरण

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के योजना के सार्वभौमिकरण के लिए दिसम्बर 2008 तक 14 लाख आं.के. के परिचालन के निर्देश के अनुपालन में, मंत्रालय ने मार्च 2011 तक 13.67 लाख आं.के. का अनुमोदन किया और केवल 12.62 लाख को परिचालित किया जा सका। अनुमोदित आं.के. के परिचालन में छत्तीसगढ़ (39 प्रतिशत), उत्तराखण्ड (31 प्रतिशत), मणिपुर (14 प्रतिशत) तथा बिहार (13 प्रतिशत) की कमी उल्लेखनीय थी।

इसी प्रकार, 7,015 अनुमोदित स.बा.वि.से. परियोजनाओं में से 6,722 परियोजनाएं परिचालित हुई थीं। परियोजनाओं के परिचालन में सर्वाधिक कमी दिल्ली (42 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (28 प्रतिशत) तथा छत्तीसगढ़ (26 प्रतिशत) में हुई। अनुमोदित एवं परिचालित परियोजना एवं आं.के. के राज्यवार एवं वर्षवार विवरण अनुबंध 3.1 एवं अनुबंध 3.2 में दिए गये हैं।

लेखापरीक्षा ने नौ नमूना जांच किए राज्यों में सभी अनुमोदित परियोजनाओं एवं आं.के. के गैर-परिचालन तथा परिचालन में विलम्ब के लिए निम्नलिखित कारणों को पाया:-

- ♦ राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (आं.का.)/आंगनवाड़ी सहायक (आं.स.) का चयन न होने के कारण स्टाफ की कमी, गुजरात में भर्ती की लम्बी प्रक्रिया एवं आं.का./आं.स. के लिए योग्य व्यक्तियों की अनुपलब्धता;
- ♦ गुजरात के अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के आवंटन के पूर्व मांग सर्वेक्षण की आवश्यकता में विलंब;
- ♦ उत्तर प्रदेश तथा मेघालय में राज्य सरकारों द्वारा आं.के. की स्थापना हेतु अनुमोदन में विलम्ब (उत्तर प्रदेश में मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति एवं राज्य द्वारा संस्वीकृति देने के बीच 17 माह तक का समयांतराल था);

- ◆ आवृत्त नहीं किये गये अधिवासों के आरेखन के आधार पर अतिरिक्त आं.के. के अनुमोदित प्रस्तावों का आन्ध्र प्रदेश में निदेशक द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना।

#### अध्याय-III

#### स.बा.वि.से. योजना

#### का सार्वभौमिकरण

- ◆ झारखण्ड में बिना उचित सर्वेक्षण किए नए आं.के. का अनुमोदन प्रदान करना।
- ◆ अनुमोदित आं.के. के परिचालन में हरियाणा (13 से 18 माह) एवं ओडिशा (11 से 28 माह) में विलंब।

परियोजनाओं/आं.के. का गैर-परिचालन ने दर्शाया कि स.बा.वि.से. योजना का सार्वभौमिकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य तिथि 31 दिसम्बर 2008 के, चार वर्ष बाद भी, अभी भी प्राप्त किया जाना बाकी है। मंत्रालय/राज्यों का आं.के. की आवश्यक संख्या को समय पर अनुमोदन एवं परिचालन करने और आं.का./आं.स. की आवश्यक संख्या के चयन को सुनिश्चित करने में विफलता, स.बा.वि.से. की सेवाओं के सुदूर क्षेत्रों के अभिप्रेत लाभार्थियों को वंचित रखने के समान था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि प्रारंभिक स्तर में स.बा.वि.से./आं.के. के अनुमोदन एवं परिचालन की प्रगति धीमी थी। मंत्रालय द्वारा राज्यों/सं.शा.क्षे. को आवश्यकता के आधार तथा उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर स.बा.वि.से./आं.के. संस्वीकृत किए गये थे उनके परिचालन में देरी प्रशासनिक कारणों, न्यायालयी मामलों तथा वित्त संबंधी प्रक्रियाओं के कारण हुई थी। 7075 स्वीकृत परियोजनाओं एवं 13.71 आं.के. के प्रति जून 2012 को 7005 परियोजनाएँ एवं 13.17 लाख आं.के. प्रचालनात्मक थे।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय नए आं.के. तथा परियोजनाओं के अनुमोदन एवं परिचालन में विलंब के कारणों का विश्लेषण करे और सभी अनुमोदित अतिरिक्त परियोजनाओं एवं अतिरिक्त आं.के. के समय पर परिचालन को सुनिश्चित करे।

#### 3.4 कई परियोजनाओं/आंगनवाडी केन्द्र (आं.के.) में डाटा में विसंगति

मंत्रालय अनुमोदित एवं परिचालित परियोजनाओं तथा आं.के. के आंकड़ों का राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रदत्त अनुमोदनों और उनसे प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के आधार पर अनुसूक्षण करता है। राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा त्रैमासिक/वार्षिक व्यय विवरण (व्य.वि.) अन्य बातों के साथ-साथ अनुमोदित तथा परिचालित आं.के. की जानकारी देते हुए, प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/आं.के. की संख्या को राज्य सरकारों द्वारा व्य.वि. में अनुमोदित परियोजनाओं/आं.के. की संख्या के प्रति लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया



गया था। इसने 12 राज्यों में 222 परियोजनाओं तथा 7,126 आं.के. का अंतर दर्शाया, जैसा कि **अनुबंध 3.3** में विवरण दिया गया है।

इसी प्रकार, वास्तविक रूप से परिचालन में परियोजनाओं तथा आं.के. के संबंध में क्रमशः चार तथा 17 राज्यों में अंतर देखा गया था। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2011 तक परिचालित परियोजनाओं एवं आं.के. की संख्या, राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा व्य.वि. में दी गयी परिचालित परियोजनाओं एवं आं.के. की संख्या में क्रमशः 55 तथा 56,258 तक का अंतर था। राज्यवार विभिन्नताओं को **अनुबंध 3.4** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित एवं परिचालित परियोजनाओं/आं.के. के संबंध में मंत्रालय एवं राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों के बीच डाटा के मिलान की कोई प्रणाली नहीं थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि परिचालित परियोजनाओं/आं.के. की संख्या योजना के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का आधार है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा परिचालित परियोजनाओं तथा आं.के. के आंकड़ों का संकलन एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। अधिकतर राज्य/सं.शा.क्षे. इन प्रतिवेदनों को मंत्रालय में विलंब से प्रस्तुत किया जिसका परिणाम इसके द्वारा दिखाये गये आंकड़ों में अंतर में हुआ। ये आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किये जाने वाले विगत समेकित प्रतिवेदन के अंतिम रिपोर्ट के आंकड़े को दर्शाते हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। 17 राज्यों में से 15 के संबंध में मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार द्वारा परिचालित आं.के. की संख्या, राज्यों द्वारा बतायी गयी आं.के. की संख्या से अधिक है। मंत्रालय के अभिलेखों में परिचालित आं.के. की अधिक संख्या का कारण प्रतिवेदन में लिए गये समयांतरण को नहीं माना जा सकता था। इस स्थिति में यह मध्यांतर अवधि के दौरान आं.के. का बंद होना दर्शाता है। आंकड़ों में अंतर, योजना के अंतर्गत नियंत्रण संरचना में कमी को दर्शाता है।

### **3.5 स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत सेवाओं का अन्य विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण**

स.बा.वि.से. योजना बहल सेवाओं जिन्हें अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग स्तरों पर संभाला जाता है, के एक एकीकृत वितरण की परिकल्पना की थी। स.बा.वि.से. के अंतर्गत छः सेवाओं में से तीन नामतः टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा रेफरल सेवाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से पहुँचाया जाता है, जैसाकि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1.3 में चर्चा की गई है।

स.बा.वि.से. के वितरण हेतु विभिन्न विभागों तथा कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण के लिए केन्द्र, राज्य, जिला, खंड तथा ग्राम स्तर पर, स.बा.वि.से. योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु समन्वय समितियों का गठन आवश्यक है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति (रा.स्त.स.स.) के अंतर्गत, राज्य नोडल विभागों का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) के विभिन्न स्वास्थ्य पहलुओं पर विचार-विमर्श करने हेतु टीकाकरण तथा

अध्याय-III  
स.बा.वि.से. योजना  
का सार्वभौमिकरण

स.बा.वि.यो के अन्य स्वास्थ्य उद्देश्यों पर सूचनाओं का राज्यों से नियमित आधार पर संकलन करने हेतु, प्रत्येक तिमाही एक संयुक्त बैठक करना आवश्यक है।

### अध्याय-III

#### स.बा.वि.से. योजना का सार्वभौमिकरण

नमूना राज्यों में 2006-11 की अवधि हेतु अभिलेखों की नमूना-जाँच ने उद्घटित किया कि राज्य तथा निम्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों/विभागों के मध्य संयुक्तीकरण अपर्याप्त था, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

**आन्ध्र प्रदेश:** राज्य स्तरीय समन्वय समिति (रा.स्त.स.स.) का गठन किया गया था, परंतु कोई बैठक नहीं की गई थी। किसी नमूना जांच की गई परियोजना में खंड स्तर पर समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया था।

**बिहार:** अन्य विभागों के साथ समन्वय समिति का गठन हुआ था, परंतु बैठकें गिनी-चुनी ही हुई थीं।

**छत्तीसगढ़:** विभिन्न स्तरों पर समन्वय समिति की बैठकें की गयी थी, परंतु इससे संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

**गुजरात:** रा.स्त.स.स. की बैठक राज्य नोडल विभाग द्वारा आयोजित नहीं करायी गयी थी। जिला तथा खंड स्तरों पर, स.बा.वि.से. अधिकारियों ने रा.ग्रा.स्वा.मि. के निदेशक द्वारा आयोजित बैठकों में हिस्सा लिया था। तथापि आयोजित बैठक के विवरण, रा.ग्रा.स्वा.मि. की बैठकों में स.बा.वि.से. के अधिकारियों की वास्तविक भागीदारी तथा बैठक की कार्यवाही के विवरण निदेशक के पास उपलब्ध नहीं थे।

**हरियाणा:** 2006-11 की अवधि के दौरान, रा.स्त.स.स. की 20 बैठकों की आवश्यकता में से केवल तीन बैठकें ही आयोजित की गयी थी। नमूना जांच किए जिलों में जिला/खंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों के आयोजन से संबंधित किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

**कर्नाटक:** स.बा.वि.से. तथा रा.ग्रा.स.मि. के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठकों के विवरण राज्य तथा नमूना जांच किए जिलों के पास उपलब्ध नहीं थे।

**मध्य प्रदेश:** महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त मूल्यांकन एवं क्षेत्र परीक्षण का संचालन लेखापरीक्षित अवधि तक नहीं किया गया था।

**मेघालय:** समन्वय समितियां राज्य, जिला तथा खंड स्तर पर गठित की गयी थीं। हालांकि, बैठकों के कार्यवृत्त लेखापरीक्षा को केवल एक जिले द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

**ओडीशा:** 2006-11 की अवधि के दौरान राज्य स्तरीय समन्वय समिति (रा.स्त.स.स.) की 20 बैठकों की आवश्यकता में से, केवल पांच बैठकें की गयीं। स.बा.वि.से. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) कार्यकर्ताओं के बीच जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों की कुल संख्या की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। आगे स.बा.वि.यो. तथा रा.ग्रा.स्वा.मि. के पदाधिकारियों के मध्य 12 प्रखंड समन्वय समिति की बैठकों का प्रत्येक परियोजना में वार्षिक रूप से आयोजित होना आवश्यक था। इसके विपरीत 2006-07



तथा 2009-10 के दौरान केवल एक जिले (कटक) में ऐसी मात्र दो बैठकें आयोजित की गयीं थीं।

**राजस्थान:** रा.स्त.स.स. का गठन केवल मार्च 2011 में जाकर ही हुआ था। जिला स्तरीय समन्वय समितियों का गठन समीक्षाधीन अवधि के दौरान नहीं हुआ था।

**उत्तर प्रदेश:** 2006-11 की अवधि के दौरान रा.स्त.स.स. की 20 बैठकों की आवश्यकता में से, केवल दो बैठक की गयीं थी।

**पश्चिम बंगाल:** 2006-11 के दौरान बर्द्धमान जिले में न ही जिला स्तर पर और न ही खंड स्तर पर कोई बैठक की गई थी। पांच नमूना जांच किए जिलों में से तीन<sup>6</sup> में, जिला स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण समिति (जि.स्व.प.क.स.) की 130 बैठकें 2006-11 के दौरान हुई थी, इनमें से 114 में जि.का.अ. उपस्थित थे। मालदा के जिला कार्यक्रम अधिकारी (जि.का.अ.) जि.स्व.प.क.स. की किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे।

इस प्रकार, स.बा.वि.से. योजना की बहुलता के एकीकृत वितरण के लिए समन्वित नीति हेतु आवश्यक अंतर्विभागीय अभिसरण प्रभावपूर्ण नहीं था। आगे, स.बा.वि.से. योजना के बाल-विकास प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य नीतियों तथा कार्यान्वयन के प्रभावकारी समन्वय की प्राप्ति का उद्देश्य प्रभावशाली पारस्परिक अभिसरण के अभाव में अधूरा रह गया।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि दिनांक 31 मार्च 2011 को जारी अभिसरण संबंधी नए दिशानिर्देशों को राज्यों/सं.शा.क्षे. के साथ आपस में बाँटा गया था। एक पाँच-टियर मॉनीटरिंग एवं समीक्षा प्रणाली जो मंत्रालयों/विभागों/परियोजनाओं का खंड स्तर समिति से समन्वय एवं अभिसरण संबंधी दिशानिर्देश प्रदान करती थी, को प्रस्तावित किया गया था।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय को, स.बा.वि.से. योजना की बहु-सेवाओं को समन्वित रूप से पहुँचाने हेतु अंतर्विभागीय अभिसरण के लिए दिशानिर्देशों का विकास तथा इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करनी चाहिए।

<sup>6</sup> बर्द्धमान, पश्चिम मिदनापुर, एवं दक्षिण 24 परगना। जलपाईगुड़ी के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।





## अवसंरचना विकास


### 4.1 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) पर भौतिक अवसंरचना

एक आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) दिन के समय 40 बच्चों तक स.बा.वि.से. की सहायता देने की सेवाओं को देने के लिए एक केन्द्रीय बिन्दु है। कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए, आं.के. को आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता है। मंत्रालय (2011) द्वारा निर्धारित आ.के. भवन के निर्माण हेतु प्रतिमानों के अनुसार एक आ.के. पास बच्चों/ महिलाओं के बैठने हेतु अलग कमरा, अलग रसोई, खाद्य वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदाम, बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों के खेलने हेतु अलग स्थान (इंडोर एवं आउटडोर गतिविधियाँ) तथा सुरक्षित पेय जल सुविधाएं होनी चाहिए।

#### 4.1.1 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवन की उपलब्धता

राज्य महिला तथा बाल विकास मंत्रियों की बैठक (जुलाई 2011) की रिपोर्ट के अनुसार, आं.के. को स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रथम ग्राम/निवास पोस्ट के रूप में समेकित किया जाना है तथा इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि आं.के. के पास पर्याप्त अवसंरचना सहित अपना स्वयं का भवन हो। स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत, राज्यों/सं.शा.क्षे. को या तो सामुदायिक सहायता के माध्यम से या फिर उचित इमारत को किराए पर लेकर या फिर भवन के निर्माण हेतु अन्य योजनाओं से निधियों का उपयोग करके आं.के. भवन का प्रबंध करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किए गए 2701 आं.के. में से 1043 आं.के. समर्पित स.बा.वि.से. भवनों से संचालन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, 792 आं.के. किराए के परिसर से कार्य कर रहे थे जबकि शेष 866 आं.के. न तो स.बा.वि.से. भवन से और न किराए के परिसर परंतु अन्य स्थानों/स्थलों पर चल रहे थे जैसा निम्न आरेख में दर्शाया गया है:



[अन्य परिसरों में मुख्यतः विद्यालय परिसर में स्थित आं.के. (53 प्रतिशत) तथा पंचायत घर /सामुदायिक भवन (29 प्रतिशत) इन स्थानों तथा स्थलों के अलावा (18 प्रतिशत) शामिल हैं]

आं.के. हेतु स.बा.वि.से. भवन की उपलब्धता लेखापरीक्षित राज्यों में विविध थी। छः राज्यों<sup>1</sup> में नमूना जाँच किए आं.के. के एक-तिहाई से कम के पास अपना स्वयं का भवन था। इसके विपरीत, चार राज्यों<sup>2</sup> में, दो तिहाई से अधिक आं.के. अपने स्वयं के समर्पित स.बा.वि.से. भवन में स्थित थे। ओड़ीशा में फूलबानी में एक आं.के. एक बरगद के पेड़ के नीचे कार्य कर रहा था। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में, 17 नमूना जाँच किए आं.के. प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे थे। चूँकि इन आं.के. को उस खुले स्थान पर कार्य करना था इसलिए इन विद्यालयों ने ग्रीष्म दिवसों के दौरान शाम से सुबह में अपना कार्य समय बदला था इन आं.के. को उस समय खुले स्थान में कार्य करना था। झारखण्ड में, आं.के. ओरान टोला पथरिया, नगर उत्तरी, गढ़वा तथा आं.के. बैलियाद, धनबाद में निरसा, में बच्चे अपनी शिक्षा बाहर प्राप्त करते पाए गए थे क्योंकि अध्ययन स्थानों को भवन मालिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा था।

नमूना जाँच किए आं.के. के आश्रय की प्रवृत्ति की राज्यवार सूची अनुबंध 4.1 में दी गई है।

<sup>1</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल

<sup>2</sup> छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक एवं मेघालय





**प्रदर्शन 4.1**  
कियोझर जिला,  
ओडिशा में एक  
लघु आंगनवाड़ी  
केन्द्र विद्यालय के  
बरामदे मे कार्य  
कर रहे हैं

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास



**प्रदर्शन 4.2**  
कंधमाल जिला,  
ओडिशा का  
उजामुंडा आं.के.  
एक पेड़ के नीचे  
कार्य कर रहा है



**प्रदर्शन 4.3**  
ओडिशा में एक  
आंगनवाड़ी केन्द्र  
खुले स्थान में कार्य  
कर रहा है


अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास



प्रदर्शन 4.4 तथा 4.5  
आं.के. ओरान टोला पथरिया नगर उत्तरी, गढ़वा तथा आं.के. बेलियाद, धनबाद जिले में निरसा, झारखण्ड भवन के बाहर कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनका स्थान भवन मालिकों द्वारा अतिक्रमित था

4.1.2 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवनों की भौतिक अवस्था

एक आं.के. को एक अच्छी अवस्था में भवन की आवश्यकता होती है। 2639 नमूना जांच किए आं.के. भवनों की भौतिक अवस्था की स्थिति को नीचे चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है:





इसके अतिरिक्त, अधिकांश आं.के. टूटे फूटे/अधूरे भवनों में कार्य कर रहे थे। 364 (14 प्रतिशत) नमूना जांच किए आं.के. में दरवाजे नहीं थे/टूटे थे, 374 (14 प्रतिशत) नमूना जांच किए आं.के. में खिड़कियाँ नहीं थी/टूटी थी तथा 354 (13 प्रतिशत) आं.के. भवनों में फर्श अपूर्ण/टूटा हुआ था।

छः राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में 81 से 97 प्रतिशत आं.के. पक्के भवन में स्थित थे। तथापि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में नमूना जांच किए गए आधे से कम आं.के. पक्के भवन में स्थित थे।

**सकारात्मक निष्कर्ष**  
हरियाणा में नमूना जांच किए सभी 160 आं.के. के पास पक्का भवन था।

नमूना जांच किए गए आं.के. की भौतिक अवस्था पर राज्य वार ब्यौरे अनुबंध 4.2 में दिए गए हैं।

इस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन के तीन दशकों के पश्चात भी कई आं.के. हेतु अच्छी अवस्था के भवन उपलब्ध नहीं थे। आं.के. में असंरचनात्मक कमियाँ इनके द्वारा प्रदान सेवाओं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे थे। एक अच्छा भवन माता-पिता के लिए प्राथमिक आकर्षण के रूप में कार्य कर सकता है जो उन्हें आ.के. पर अपने बच्चों को भोजन तथा विद्यालय पूर्व शिक्षा हेतु भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आं.के. की विद्यमान अवसंरचना, केन्द्रों में प्रत्याशित लाभभोगियों को आकर्षित करने योग्य नहीं होगी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों के दौरान आं.के. की भौतिक अवसंरचना के सुधार पर जोर देने से कुछ सुधार हुआ तथा नवीनतम स्थिति के अनुसार 16 प्रतिशत आं.के. कच्चे भवन में कार्य कर रहे थे।




**प्रदर्शन 4.6**  
पार्वतीपुरम  
परियोजना,  
विजयानगरम  
जिला, आन्ध्र  
प्रदेश में टूटा फूटा  
आं.के. भवन

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास



**प्रदर्शन 4.7**  
गुजरात में एक  
आं.के. भवन में  
फर्श की खराब  
स्थिति



**प्रदर्शन 4.8**  
एक कच्चे भवन  
में स्थित हमबड़-1  
आं.के.  
परियोजना,  
कामराज जिला,  
सूरत, गुजरात



**प्रदर्शन 4.9**  
क्योनझार जिला,  
ओडिशा में एक  
आं.के. छप्पर वाले  
घर में कार्य कर  
रहा है जो सूर्य,  
बौछार तथा ठण्ड  
से प्रभावित है





प्रदर्शन 4.10

आं.के.  
जोदीथीमापुरा,  
कर्नाटक

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास

#### 4.1.3 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवनों में स्थान तथा फर्नीचर की पर्याप्तता

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आं.के. को अनुपूरक आहार (अ.आ.) के अंतर्गत गरम बना खाना प्रदान करना अपेक्षित है। अ.आ. के अतिरिक्त, आं.के. को तीन से छः वर्षों के आयु-वर्ग के बीच के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना भी अपेक्षित है।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित (2011) आं.के. भवन के निर्माण हेतु प्रतिमानों के अनुसार एक आं.के. के पास बच्चों /महिलाओं के बैठने हेतु अलग कमरा, अलग रसोई, खाद्य वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदाम तथा बच्चों के खेलने हेतु अलग स्थान (इंडोर एवं आउटडोर गतिविधियाँ) होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को आधारभूत एवं आवश्यक उपकरण तथा फर्नीचर प्रदान करने हेतु प्रत्येक आं.के. के लिए ₹5000 का व्यय करने की अनुमति थी।

लेखापरीक्षा ने 2716 नमूना आं.के. में स्थान तथा फर्नीचर की उपलब्धता के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रतिमानों की अनुपालना की नमूना जाँच की तथा निम्नलिखित पाया (राज्यवार डाटा अनुबन्ध 4.3 में दिया गया है):

- 1752 नमूना जाँच किए गए आं.के. (64.51 प्रतिशत) में खाना बनाने हेतु अलग स्थान (रसोई) उपलब्ध नहीं था।
- 1505 नमूना जाँच किए गए आं.के. (55.41 प्रतिशत) में खाद्य वस्तुओं के भण्डारण हेतु स्थान नहीं था।
- 1082 नमूना जाँच किए गए आं.के. (39.84 प्रतिशत) में बच्चों की इंडोर गतिविधियों हेतु अलग स्थान नहीं था।
- 1202 नमूना जाँच किए गए आं.के. (44.26 प्रतिशत) में आउटडोर गतिविधियों हेतु स्थान नहीं था।
- 1405 नमूना जाँच किए गए आं.के. (51.73 प्रतिशत) में टेबल तथा कुर्सी जैसा आधारभूत फर्नीचर उपलब्ध नहीं था।

- 1071 नमूना जाँच किए गए आं.के. (39.43 प्रतिशत) में चटाईयाँ/दरी उपलब्ध नहीं थे।
- 1262 नमूना जाँच किए गए आं.के. (46.47 प्रतिशत) में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध नहीं थे।

**अध्याय-IV**  
**अवसंरचना विकास**

शेष नमूना आं.के. में उपरोक्त पैरामीटरों पर कमियाँ नहीं पाई गई थी।

झारखण्ड में, 15 नमूना जाँच किए गए आं.के. सभी कार्य एक ही कमरे में करते पाए गए थे जहाँ कोई अलग शौचालय सुविधा, रसोई तथा भण्डारण नहीं है। तीन आं.के. में एक ही कमरे में खुला शौचालय बनाया गया था।



**प्रदर्शन 4.11**  
झारखण्ड के आं.के. में कोई अलग रसोई नहीं



**प्रदर्शन 4.12**  
झारखण्ड के एक आं.के. में सभी गतिविधियाँ एक ही कमरे में की जाती हैं।

आं.के. हेतु आधारभूत अवसंरचना में ध्यान देने योग्य अभाव प्रदान करने के प्रभावकारिता को योजना के अंतर्गत सेवाएं गम्भीर चुनौती प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा ने आं.के. में अपर्याप्त स्थान तथा फर्नीचर की दृष्टि से अभिप्रेत लाभभोगियों को प्रदान सेवाओं की गुणवत्ता पर आश्वासन नहीं पाया।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि आं.के. के निर्माण हेतु दिशानिर्देश 10 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। पहले इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं थे। भविष्य में आं.के. की भौतिक अवसंरचना में सुधार होना संभव है परंतु इसमें कुछ समय लगेगा।



#### 4.1.4 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) के भवनों का निर्माण

मंत्रालय ने राज्य मंत्रियों / महिला एवं बाल विकास के प्रभारी सचिवों की विभिन्न बैठकों में आं.के. हेतु उपयुक्त अवसररचना की आवश्यकता पर बल दिया था। स.बा.वि.से. भवनों का अभाव तथा विद्यमान अवसररचना में कमियों को ध्यान में रखते हुए (इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4.1.1 से 4.1.3 के संदर्भ में) आं.के. भवनों का निर्माण राज्य सरकारों हेतु प्राथमिकता का क्षेत्र रहना प्रत्याशित था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने राज्यों को विभिन्न योजनाओं जैसे पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि (पि.व.अ.नि.), ग्रामीण अवसररचना विकास निधि (ग्रा.अ.वि.नि.), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मा.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो.), पंचायती राज तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि.यो.) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग द्वारा निर्माण प्रारम्भ कराने की सलाह दी थी।

अध्याय-IV  
अवसररचना विकास

##### 4.1.4.1 ग्रा.अ. वि.नि. योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) के भवन निर्माण में विलम्ब

चार राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान) में, 8700 आं.के. को ₹316.06 करोड़ की संस्वीकृत लागत को शामिल करते हुए 2006-11 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा निर्माण हेतु लिया गया था। पचासी प्रतिशत लागत को ग्रा.अ.वि.नि. के अंतर्गत जमा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) से प्रदान किया गया था तथा शेष 15 प्रतिशत को राज्य सरकारों के संसाधनों से प्रदान किया गया था। शेष राज्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 8700 संस्वीकृत निर्माण कार्यों में से केवल 3070 आं.के. (35 प्रतिशत) भवन पूर्ण थे। 1831 भवनों (21 प्रतिशत) के संबंध में संस्वीकृति के एक से चार वर्षों के पश्चात भी कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना था। रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ऋण से आं.के. के निर्माण के राज्यवार ब्यौरे नीचे तालिका 4.1 में दिए गए हैं।

तालिका 4.1 : रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ऋण से आं.के. के निर्माण में विलम्ब

राज्य	संस्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	आं.के. की संख्या				संस्वीकृति का वर्ष	समाप्ति की निर्धारित तिथि	निम्न को स्थिति
		निर्माण हेतु संस्वीकृति	वास्तव में निर्मित	प्रगति में निर्माण कार्य	अभी प्रारंभ किए जाने वाले निर्माण कार्य			
ब्रेकेट में संस्वीकृत संख्या का प्रतिशतता								
आन्ध्र प्रदेश	56.32	1,976	665 (34)	684 (35)	627 (32)	2008-09	उपलब्ध नहीं	मार्च -2012
बिहार	149.75	3,011	911 (30)	1,495 (50)	605 (20)	2006-07	मार्च-2008	नवम्बर-2011
गुजरात	100.00	3,333	1,486 (45)	1,248 (37)	599 (18)	2009-10	मार्च -2012	दिसंबर -2011
राजस्थान	9.99	380	8 (2)	372 (98) <sup>3</sup>	उ.न.	2009-10	मार्च -2011	सितंबर-2011
<b>कुल</b>	<b>316.06</b>	<b>8,700</b>	<b>3,070 (35)</b>	<b>3,799 (44)</b>	<b>1,831 (21)</b>			

<sup>3</sup> प्रगति में निर्माण कार्य तथा अभी प्रारम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु अलग डाटा उपलब्ध नहीं है।

**अध्याय-IV**  
**अवसंरचना विकास**

बिहार में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आं.के. के निर्माण कार्य हेतु संस्वीकृत ₹149.75 करोड़ में से ₹116.64 करोड़ कार्यकारी अभिकरणों (भवन निर्माण विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना) सितम्बर 2010 तक जारी किए गए थे। इनमें से नवम्बर 2011 तक केवल ₹46.76 करोड़ व्यय किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रा.अ.वि.नि. योजना के अंतर्गत रा.कृ.ग्रा.वि.बैं ऋण के प्रति ₹102.99 करोड़ की अव्ययित निधियों पर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर ₹6.69 करोड़ की ब्याज देयता हो गई थी।

इसी प्रकार, राजस्थान में ₹9.99 करोड़ की राशि मार्च 2010 में 16 जिला परिषदों के निजी जमा खातों में रखी गई थी। इसमें से सितंबर 2011 तक केवल ₹0.22 करोड़ का व्यय किया गया था तथा ₹9.77 करोड़ की शेष राशि जिला परिषद के पास पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.कृ.ग्रा.वि.बैं ₹8.30 करोड़ (₹9.77 करोड़ का 85 प्रतिशत) की ऋण राशि पर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹53.93 लाख का ब्याज प्रभारित कर रहा था।

उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2008-09 में 1644 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के निर्माण हेतु जारी की गई ₹48.33 करोड़ की राशि का, सरकार द्वारा निधियों को देरी से जारी करने (02 मार्च 2009) के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरकार को अभ्यर्ण कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने कार्यों की धीमी प्रगति के विभिन्न कारण पाए; सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं:

- आं.के. हेतु स्थलों को अंतिम रूप न दिया जाना (गुजरात)
- स्थल विवाद, स्थानीय स्तरीय समस्याएं तथा उपयुक्त स्थलों की गैर-उपलब्धता (आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा गुजरात)
- निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब (आन्ध्र प्रदेश) तथा
- कम इकाई लागत (आन्ध्र प्रदेश ₹2.85 लाख प्रति इकाई)

**4.1.4.2 विभिन्न राज्य सरकार योजनाओं (राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियों) के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) भवनों के निर्माण में विलम्ब**

2006-11<sup>4</sup> के दौरान सात लेखापरीक्षित राज्यों में 68,272 आं.के. का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 39,606 आं.के. भवनों (58.01 प्रतिशत) का निर्माण पूरा किया गया था। शेष आं.के. भवनों से संबंधित कार्य या तो प्रगति में या फिर उनकी संस्वीकृति के एक से पाँच वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी अभी प्रारम्भ किया जाना था। आं.के. भवनों के निर्माण की स्थिति पर राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं:

<sup>4</sup> छत्तीसगढ़ के मामले में 2001-02 से 2010-11 अर्थात् राज्य के निर्माण से



तालिका 4.2: आं.के. भवनों के निर्माण की स्थिति

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
आन्ध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सुनामी राहत के अंतर्गत, विश्व बैंक ने सितंबर 2005 तक निर्मित किए जाने वाले 400 आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) हेतु राज्य को ₹5.00 करोड़ आबंटित किए। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 2012 को 239 आं.के. (60 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था, 141 आं.के. (35 प्रतिशत) के संबंध में कार्य प्रगति में था तथा 20 आं.के. (5 प्रतिशत) का निर्माण अभी आरंभ किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्ण किए जाने वाले कथित किसी भी 239 आं.के. के संबंध में समापन रिपोर्ट अभिलेख में नहीं थी।</li> <li>● मंत्रालय ने 90 मॉडल आं.के. के निर्माण हेतु आई.जी.ए. योजना के अंतर्गत मई 2008 में ₹0.38 करोड़ संस्वीकृत किए। इनमें से मार्च 2012 को 55 मॉडल आं.के. का निर्माण किया गया था, 30 आं.के. का निर्माण कार्य प्रगति में थे जबकि पाँच आं.के. का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना था।</li> <li>● पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) के अंतर्गत, 31 मार्च 2011 तक समाप्ति की निर्धारित तिथि सहित 2006-11 के दौरान 2569 आं.के. को निर्माण हेतु लिया गया था। इनमें से मार्च 2012 तक 1445 आं.के. (56 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था। 209 आं.के. (9 प्रतिशत) का निर्माण कार्य अभी भी प्रारंभ किया जाना था तथा 915 आं.के. (35 प्रतिशत) हेतु कार्य प्रगति में था।</li> <li>● 2006-11 के दौरान, राज्य सरकार ने जिला परिषदों के माध्यम से 1333 आं.के. के निर्माण हेतु ₹19.49 करोड़ संस्वीकृत किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्यों की समाप्ति की निर्धारित तिथि को संस्वीकृति आदेश में दर्शाया नहीं गया था। व्यय विवरणियों, निधि उपयोगिता की स्थिति तथा परियोजना निदेशक द्वारा जारी समाप्ति रिपोर्ट अभिलेख में नहीं पाए गए थे।</li> </ul>
छत्तीसगढ़	2001-02 से 2010-11 के दौरान (राज्य के गठन से) निर्माण किए जाने वाले 12,012 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में से 8,705 आं.के. (72 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था। 1904 आं.के. (16 प्रतिशत) हेतु निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था तथा कार्यान्वयन अभिकरणों (ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएं तथा जनपद पंचायतों) के पास निधियों को जमा कराने के तीन से आठ वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी 1403 आं.के. (12) हेतु कार्य प्रगति में था।
झारखंड	2008-09 तथा 2009-10 के दौरान, 10 आं.के. का एक नमूना जांच किए जिले (दुमका) के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निर्माण किया जाना था। केन्द्रों का क्रमशः सितम्बर 2009 तथा जनवरी 2010 तक ₹2.32 लाख की इकाई लागत पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.) के अंतर्गत निर्माण किया जाना था। तथापि, जनवरी 2012 तक केवल एक आं.के. का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्माण में विलम्ब तथा आं.के. के डिजाइन में बीचों बीच संशोधन के कारण कार्यान्वयन अभिकरण ने ₹4.32 लाख प्रति इकाई की संशोधित दर पर माँग को बढ़ाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹19.97 लाख की लागत में वृद्धि हुई जबकि आं.के. अपूर्ण रहे।
मध्य प्रदेश	2006-11 के दौरान, राज्य योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा जिला परिषदों तथा जनपद पंचायतों के माध्यम से 5695 आं.के. भवनों का निर्माण संस्वीकृत किया गया था। इनमें से, दिसम्बर 2011 को 2049 आं.के. (36 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास



अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
	गया था तथा शेष अपूर्ण थे। ₹116.66 करोड़ की राशि एक से 5 वर्षों <sup>5</sup> की अवधि तक कार्यकारी अभिकरणों के पास अव्ययित रही। विभाग ने बताया (जनवरी 2012) की भूमि की अनुपलब्धता तथा/ अथवा ग्राम पंचायत सरपंच की मृत्यु/ बदलाव के कारण आं.के. का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका।
ओडिशा	राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण हेतु लिए गए 31824 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) भवनों में से 16720 आं.के. (53 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था तथा शेष 15104 भवनों (53 प्रतिशत) को अभी भी पूरा किया जाना था।
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006-08 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्माण हेतु लिए गए 3,577 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) भवनों में से, केवल 749 (21 प्रतिशत) भवन पूर्ण किए गए थे।</li> <li>• देवनारायण योजना के अंतर्गत 132 आं.के. के निर्माण हेतु 2009-11 के दौरान तीन जिला परिषदों (करोली, स्वाई माधोपुर तथा अलवर) को ₹3.80 करोड़ का अंतरण किया गया था। तथापि, नवम्बर 2011 को केवल एक आं.के. को पूरा किया गया था।</li> </ul>
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जुलाई 2006 में, राज्य सरकार ने 5000 आं.के. भवनों के निर्माण हेतु ₹75 करोड़ संस्वीकृत किए। निर्माण कार्य को निधियों की निर्मुक्ति से तीन महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। इनमें से, मार्च 2012 को 4751 आं.के. (95 प्रतिशत) भवनों को पूरा किया गया था जबकि 21 भवन पाँच वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी अपूर्ण था। शेष 228 भवनों (5 प्रतिशत) के निर्माण कार्य को निधियों की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। इन भवनों हेतु आवंटित ₹3.42 करोड़ की राशि राज्य खजाने में जमा रही थी।</li> <li>• 2007-08 में 416 आं.के. भवनों के निर्माण हेतु जारी ₹15 करोड़ को वास्तव में व्यक्तिगत बही खाते (व्य.ब.खा.) में रखा गया था तथा अंत में मार्च 2010 में प्राप्ति शीर्ष में जमा कराया गया था।</li> </ul>

#### 4.1.4.3 उत्तरपूर्वी राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) का निर्माण

विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने, आं.के. के निर्माण हेतु आठ उत्तरपूर्वी राज्यों को 2001-02 से 100 प्रतिशत वित्तपोषण सहायता प्रदान की है। राज्य सरकार/स्थानीय समुदाय को निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करानी थी।

मंत्रालय ने 2001-11 की अवधि के दौरान आठ उत्तरपूर्वी राज्यों में 68,504 आं.के. के निर्माण हेतु इन राज्यों को ₹966.54 करोड़ जारी किए। इसके प्रति फरवरी 2012 को 23780 आं.के. (35 प्रतिशत) की कमी को छोड़ते हुए वास्तव में 44724 आं.के. का निर्माण किया गया था। इन राज्यों के पास अप्रयुक्त के रूप में ₹229.27 करोड़ (कुल निर्मुक्ति का 24 प्रतिशत) को छोड़ते हुए इस उद्देश्य हेतु ₹737.27 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था। राज्यवार विवरण अनुबंध 4.4 में दिए गए हैं।

<sup>5</sup> कार्यकारी अभिकरणों के पास बकाया पड़ी अग्रिमों के वर्षवार विवरण (₹करोड़ में): 2006-07 - 1.20, 2007-08 - 6.72, 2008-09 - 20.50, 2009-10 - 38.28, 2010-11 - 49.96



लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय, आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के निर्माण की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की मानीटरिंग में विफल रहा। राज्यों को जारी संस्वीकृति पत्र में निर्माण कार्य की समाप्ति तथा निधियों के उपयोग की निर्धारित तिथि का उल्लेख नहीं था।

मंत्रालय द्वारा की गई जाँच केवल सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार निधियों की प्रथम किश्त के उपयोग के साथ राज्यों को निधियों की दूसरी किश्त (संस्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत) की निर्मुक्ति को जोड़ना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों को निधियों की दूसरी किश्त जारी करने के 44 नमूना जाँच किए मामलों में से 16 में इस मूल पूर्व-शर्त का भी पालन नहीं किया गया था।

#### मामला अध्ययन: मेघालय

2006-07 के दौरान, मंत्रालय ने ₹16.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर 961 संस्वीकृत आं.के. भवनों के प्रति 480 आं.के. के निर्माण हेतु अनुदान की 50 प्रतिशत राशि ₹8.41 करोड़ जारी किए थे। राज्य विभाग ने चरण V के अंतर्गत 178 आं.के. के निर्माण हेतु फरवरी 2010 और मार्च 2011 के बीच अर्थात् तीन से चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात, जिला कार्यक्रम कार्यालयों को ₹3.12 करोड़ जारी किए। इनमें से, 31 मार्च 2011 तक 69 आं.के. का निर्माण किया गया तथा कार्य करना आरंभ कर दिया था, 13 आं.के. का निर्माण कार्य प्रगति में था तथा 96 आं.के. का निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था।

राज्य विभाग ने आगे चरण VI के अंतर्गत नवम्बर 2011 तथा मार्च 2012 के बीच 302 आं.के. के निर्माण हेतु जिला कार्यक्रम कार्यालयों को ₹3.21 करोड़ जारी किए। चरण VI के अंतर्गत कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था।

इस प्रकार, आं.के. के निर्माण हेतु मंत्रालय से निधियों की प्राप्ति के पाँच वर्षों के पश्चात भी 398 आं.के. (83 प्रतिशत) के संबंध में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। यह ₹6.97 करोड़ की सीमा तक निधियों के अवरोधन को दर्शाता है आगे जिसका परिणाम शेष 50 प्रतिशत अनुदान, जिसे अनुदान की प्रथम किश्त के साथ जोड़ा जाना था, का दावा करने हेतु राज्य की विफलता में हुआ।

राज्य विभाग ने बताया (अप्रैल 2012) कि आं.के. के निर्माण में विलम्ब उचित समय के भीतर इस उद्देश्य हेतु दान की गई भूमि का पंजीकरण पूरा करने में उनकी विफलता के कारण हुआ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) भवनों के निर्माण की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कई राज्यों में आं.के. चलाने हेतु स.बा.वि.से. भवनों की भारी कमी के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई थी। यद्यपि राज्यों द्वारा प्रारम्भ निर्माण कार्य विलम्बों का वर्णन करते हैं जिसका परिणाम कार्यान्वयन अभिकरणों के पास निधियों के अवरोधन में हुआ। इसके अतिरिक्त, सरकारी निवेश के लाभों को अभिप्रेत लाभभोगियों तक समय पर नहीं पहुंचाया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि भौतिक प्रगति तथा वित्तीय उपयोग में विलम्ब से संबंधित मामले को समीक्षा बैठकों तथा निरीक्षण दौरों के समय उ.पू. राज्यों के साथ उठाया गया था। मंत्रालय विलम्ब की जांच करने हेतु एक नया फार्मेट तैयार कर रहा था। 30 जून 2012 को, संस्वीकृत 68504 आं.के. में से 32.37 प्रतिशत की कमी को छोड़ते हुए 46,330 का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार, जारी ₹966.54 करोड़ में से अप्रयुक्त निधियों के रूम में 18.36 प्रतिशत को छोड़ते हुए ₹789.05 करोड़ का उपयोग किया गया है।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय को राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ आं.के. के निर्माण को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करना चाहिए जिससे कि निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले आं.के. हेतु अच्छे गुणवत्ता वाले भवनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

#### 4.2 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर (आं.के.) स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता

आं.के. की स्वास्थ्यकर दशा इस तथ्य की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है कि लाभभोगियों को दिन के दौरान पर्याप्त समय हेतु आं.के. पर रहना अपेक्षित था। मंत्रालय के निर्देशों (2011) के अनुसार, बच्चों के अनुकूल शौचालय तथा पेयजल सुविधा एक आं.के. के प्रभावी कार्य हेतु आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं थीं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश आं.के. में स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता के अनुरक्षण हेतु आवश्यक अवसंरचना की कमी थी जैसाकि नीचे चर्चा की गई है (राज्यवार विवरण अनुबंध 4.5 में दिए गए हैं):

- 1415 आं.के. (नमूना जाँच किए गए के 52.10 प्रतिशत आं.के.) में कोई शौचालय नहीं था।
- 880 आं.के. (नमूना जाँच किए गए के 32.40 प्रतिशत आं.के.) में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

- इस तथ्य कि आं.के. में हैण्ड

पम्प/ट्यूब वैल पेयजल का मुख्य स्रोत थे के बावजूद लेखापरीक्षा ने पाया कि पानी की आमतौर पर जाँच नहीं की गई थी। केवल छत्तीसगढ़ मेघालय, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के 242 आं.के. के मामले में इसकी जाँच की गई थी।

- 2160 आं.के. (नमूना जाँच किए आं.के. के 79.53 प्रतिशत) में कूड़े के निपटान हेतु अपेक्षित, स्वच्छता ब्लाक का अभाव था।

#### अच्छे कार्य

- छत्तीसगढ़ तथा गुजरात में सभी आं.के. में पेयजल उपलब्ध था।
- कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक आं.के. के पास पेयजल सुविधाएं थीं।
- गुजरात, मेघालय तथा उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक आं.के. में शौचालय थे।



छः राज्यों<sup>6</sup> में लगभग दो-तिहाई अथवा अधिक आं.के. में शौचालय सुविधाएं नहीं थी। इसी प्रकार, पाँच राज्यों<sup>7</sup> में लगभग आधे अथवा अधिक नमूना जाँच किए आं.के. पेय जल सुविधाओं से वंचित थे।

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास

### राज्य - विनिर्दिष्ट मामले

**छत्तीसगढ़:** पेयजल के स्रोत के रूप में हैण्डपम्प/ट्यूब वाले 89 आं.के. में से 65 आं.के. में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पानी की अनुपलब्धता के कारण 2006-11 की अवधि के दौरान 1000 दिनों से अधिक के लिए जल आपूर्ति बाधित रही।

**मध्यप्रदेश:** लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 28 आं.के. में हैण्डपम्प 500 दिनों तक खराब रहे तथा नौ आं.के. में यह 500 से 1000 दिनों तक खराब रहे। इन आं.के. में पेयजल हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया गया था।

आं.के. को अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सहायता, जो स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता बनाए रखने हेतु अपेक्षित है, ने योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। कई आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में मूल सुविधाओं जैसे कि शौचालय तथा पेयजल के अभाव ने युवा बच्चों को अस्वास्थ्यकर स्थिति में डाला।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि आं.के. के निर्माण तथा अनुरक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। अतः स्वास्थ्यकर दशा तथा स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं को आवश्यक संसाधनों की अनुपस्थिति में अनदेखा किया जा रहा था। तथापि, सभी राज्यों को एक संयुक्त पत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने, आं.के. में पेयजल एवं शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध करवा कर अभिसरण पहल को अर्थपूर्ण बनाने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, स.बा.वि.से. के पुनर्संरचना तथा सुदृढीकरण की योजना के अंतर्गत लगभग 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण तथा विद्यमान किराया प्रतिमानों हेतु निधियां स्वीकृत की गई थीं। इस पहल के अंतर्गत लगभग दो लाख आं.के. को लाभ पहुंचाया जाना था। इसके अतिरिक्त, नवीनतम स्थिति के अनुसार 69 प्रतिशत आं.के. में पेयजल सुविधा थी तथा 50 प्रतिशत आं.के. में शौचालय की सुविधा थी।

<sup>6</sup> आन्ध्र प्रदेश - 82 प्रतिशत, बिहार - 71 प्रतिशत, झारखण्ड - 74 प्रतिशत, उड़ीसा - 70 प्रतिशत, राजस्थान - 64 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल - 69 प्रतिशत

<sup>7</sup> आन्ध्र प्रदेश - 91 प्रतिशत, बिहार - 46 प्रतिशत, हरियाणा - 71 प्रतिशत, उड़ीसा - 49 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल - 48 प्रतिशत

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास



**प्रदर्शन 4.13**  
मेहबूब नगर जिला,  
आन्ध्र प्रदेश में बिना  
शौचालय के कार्य  
कर रहा आंगनवाड़ी  
केन्द्र



**प्रदर्शन 4.14**  
क्योनझार जिला,  
ओडिशा में  
सार्वजनिक नाली  
तथा कूड़ा क्षेपण  
यार्ड के निकट स्थित  
एक आंगनवाड़ी केन्द्र



**प्रदर्शन 4.15**  
कर्नाटक में  
आंगनवाड़ी केन्द्र  
अजमपुर VI की गंदी  
स्थिति



**प्रदर्शन 4.16**  
गुजरात में पशुशाला  
में कार्य कर रहा  
आंगनवाड़ी केन्द्र



### 4.3 उपकरण की उपलब्धता


स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत पोषण तथा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम वृद्धि मानीटरिंग तथा पोषण निगरानी हेतु प्रदान करता है। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का महीने में एक बार वजन किया जाना है तथा 3-6 वर्षों की आयु के बच्चों का तीन महीने में वजन किया जाना है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य जाँच घटक में छः वर्षों से कम की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती माताओं को प्रसव-पूर्व देखभाल तथा स्तन्यदा माताओं को प्रसवोत्तर देखभाल अपेक्षित है।

26 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में उपलब्ध शिशु वजन मशीनें कार्य करती नहीं पाई गई थीं तथा व्यस्क वजन मशीनें 58.17 प्रतिशत आं.के. में उपलब्ध नहीं थी जैसाकि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है (राज्य वार ब्यौरे अनुबंध 4.6 में दिए गए हैं):

#### सकारात्मक निष्कर्ष

चार लेखापरीक्षित राज्यों (गुजरात: 100 प्रतिशत, कर्नाटक: 99 प्रतिशत, मध्यप्रदेश: 95 प्रतिशत तथा ओडिशा: 93 प्रतिशत) में 90 प्रतिशत से अधिक आं.के. में क्रियागत शिशु वजन मशीन थी।

चार्ट 4.3: आं.के. पर वजन मशीनों की उपलब्धता  
नमूना जाँच आं.के. की सं.: 2716



आन्ध्र प्रदेश में केवल पांच प्रतिशत नमूना जाँच किए आं.के. तथा झारखण्ड में 40 प्रतिशत नमूना जाँच किए आं.के. में शिशु वजन करने की मशीन क्रियागत थी। छः राज्यों<sup>8</sup> में 50 प्रतिशत से कम आं.के. में व्यस्क वजन मशीनें क्रियागत थी।

आं.के. में वजन करने की मशीन के अभाव में, परिणाम संकेतक के रूप में योजना के अनुपूरक पोषण घटक की मॉनीटरिंग असंभावित थी जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 6.3.1 में चर्चा की गई है।

<sup>8</sup> आन्ध्र प्रदेश - 6 प्रतिशत, गुजरात - 0 प्रतिशत, झारखण्ड - 34 प्रतिशत, कर्नाटक - 13 प्रतिशत, ओडिशा - 40 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश - 0 प्रतिशत


#### 4.4 अनुपूरक आहार (अ.आ.) प्रदान करने हेतु बर्तनों की अनुपलब्धता

स.बा.वि.से. के अंतर्गत, तीन से छः वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) तथा छोटे आं.के. में गर्म बना खाना दिया जाना निर्धारित था। राज्यों/सं.शा.क्षे. को योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषण घटक के भाग के रूप में इसके लिए प्रबंध करने अपेक्षित थे। मंत्रालय के अनुदेशों (अक्टूबर 2009) के अनुसार प्रत्येक आं.के. को आधारभूत एवं आवश्यक उपकरण तथा फर्नीचर हेतु ₹5000 का व्यय करना स्वीकृत था।

2716 आं.के. के नमूनों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आं.के. में खाना पकाने तथा उसको लाभभोगियों को प्रदान करने हेतु अपेक्षित बर्तन कई आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में उपलब्ध नहीं थे जैसा कि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है (राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 4.7 में दिए गए हैं):

#### गुजरात में अच्छे अभ्यास

- राज्य सरकार ने अपने 49,926 आं.के. को ₹33.40 करोड़ की लागत पर गैस स्टोव, गैस सिलेंडर तथा इडली कूकर प्रदान किए।
- 2009-10 से आगे, राज्य सरकार, बिजली के बिल के प्रति ₹200 प्रति आं.के. अदा करती है।



इस प्रकार, नमूना जाँच किए आं.के. में आधारभूत बर्तनों की अनुपलब्धता ने दर्शाया कि लाभभोगियों को प्रदान किए गए अनुपूरक पोषण की गुणवत्ता, योजना की आवश्यकताओं के अनुसूच नहीं थी।

#### अनुशंसाएं

- मंत्रालय आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) हेतु अनिवार्य न्यूनतम आवश्यक उपकरण, फर्नीचर, बर्तन आदि की एक सूची तैयार करे तथा राज्य को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इनको बढ़ाने की स्वतंत्रता सहित इनके लिए वित्तपोषण सहायता प्रदान करें।
- विद्यमान आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) को अपर्याप्त तथा खराब बर्तनों एवं उपकरण को बदलने हेतु भी वित्तपोषण सहायता दी जाए।



मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इस संबंध में लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को पर्याप्त कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया था।

#### 4.5 औषधि किट पर व्यय में कमी

मार्च 2000 की स.बा.वि.से. के दिशानिर्देशों ने औषधि किटों का राज्य/सं.शा.क्षे. स्तरीय प्रापण तथा आं.के. को इनका संवितरण निर्धारित किया। आं.के. हेतु औषधि किटों के प्रापण का संकेद्रीकरण प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने तथा आं.के. को समय पर किट उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। भारत सरकार ने औषधि किटों का प्रापण करने हेतु राज्य/सं.शा.क्षे. को ₹600 प्रति क्रियाशील आं.के. की दर पर निधियाँ प्रदान की।

औषधि किटों के प्रापण हेतु मंत्रालय द्वारा राज्य/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों तथा इनके द्वारा अपने व्य.वि. में सूचित व्यय के विश्लेषण ने व्यय में भारी कमी को प्रकट किया। राज्यों, जिन्होंने औषधि किटों के प्रापण पर कोई व्यय नहीं किया था तथा जहाँ व्यय में कमी 30 प्रतिशत से अधिक थी, को नीचे सूचीबद्ध किया गया है (राज्यवार विवरण अनुबंध 4.8 में दिए गए हैं):

तालिका 4.3: औषधि किटों के प्रापण पर व्यय में कमी

वर्ष	राज्य जहाँ औषधि किटों के प्रापण पर निधि का व्यय नहीं किया गया था	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 प्रतिशत थी
2006-07	गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड (3)	दिल्ली - 99 प्रतिशत, कर्नाटक - 95 प्रतिशत, बिहार - 83 प्रतिशत, पंजाब - 79 प्रतिशत, केरल - 45 प्रतिशत (5)
2007-08	असम, हरियाणा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश (4)	कर्नाटक - 85 प्रतिशत, पंजाब - 75 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश - 40 प्रतिशत, महाराष्ट्र - 35 प्रतिशत (4)
2008-09	दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड (7)	उत्तर प्रदेश - 61 प्रतिशत, कर्नाटक - 31 प्रतिशत (2)
2009-10	बिहार, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, मणिपुर, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल (10)	पंजाब - 35 प्रतिशत (1)
2010-11	मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा, पंजाब (4)	उत्तर प्रदेश - 50 प्रतिशत, उत्तराखण्ड - 39 प्रतिशत (2)

राज्यों में नमूना जाँच ने आगे आं.के. हेतु औषधि किटों के प्रापण में कमियों तथा विलम्बों को प्रकट किया, जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 4.4: औषधि किटों के प्रापण पर अन्य राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)
बिहार	तीन नमूना जांच किए जि.का.का. में मार्च 2011 को, औषधि किटों की खरीद हेतु जारी ₹58.17 लाख को अप्रयुक्त रखा गया था।	0.58
छत्तीसगढ़	2007-08 से 2009-10 के दौरान विभाग ने कोई औषधि किट नहीं खरीदी थी जिसका परिणाम निधियों के उपयोग न करने में हुआ।	5.96
गुजरात	2009-10 तथा 2010-11 के दौरान औषधि किटों की खरीद हेतु जिला पंचायतों को जारी क्रमशः ₹2.59 करोड़ तथा ₹2.87 करोड़ पंचायतों के निजी बही खातों में पड़े रहे।	5.46
हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधि किटों का प्रापण करने के बजाए राज्य सरकार ने खुली दवाईयां खरीदी तथा इसकी थोड़ा-थोड़ा करके आं.के. को आपूर्ति की। नमूना जांच किए किसी भी आं.के. ने निर्धारित औषधि सेट को पूरा नहीं किया था। उदाहरण हेतु, दो नमूना जांच किए जिलों में 18.31 लाख मेबेडाजोल गोलियों की कुल आवश्यकता में से 2006-07 के दौरान केवल चार लाख गोलियों की आपूर्ति की गई थी। दोषी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।</li> <li>वर्ष 2010-11 के लिए आठ दवाईयों, जिनके लिए मार्च 2011 में तीन आपूर्ति आदेश दिए गए थे, में से अगस्त 2011 से फरवरी 2012 के दौरान केवल पाँच प्रकार की दवाईयों की आपूर्ति की गई थी। शेष दवाईयों हेतु विक्रेता ने मार्च 2011 में उत्पादन नियंत्रण के कारण आपूर्ति हेतु अपनी असमर्थता को सूचित किया। विभाग मार्च 2012 को वैकल्पिक प्रबंधनों हेतु ठोस उपाय करने में विफल रहा तथा ₹53.51 लाख की अव्ययित राशि को सावधि जमा प्राप्तियों में रखा।</li> </ul>	0.54
झारखण्ड	मार्च 2011 में, औषधि किटों की खरीद हेतु ₹2.15 करोड़ आवंटित किए गए थे। तीन नमूना जाँच किए गए जिलों में से फरवरी 2012 को गर्वा में आं.के. तथा दुमका के सात परियोजना क्षेत्रों में किसी औषधि किट की आपूर्ति नहीं की गई थी। वर्ष 2003-04 में औषधि किट की खरीद हेतु जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, दुमका को प्रदान किए ₹4.57 लाख व्यर्थ पड़े थे। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग के मानदण्डों के अनुसार दवाईयों का शेल्फ जीवन 18 महीनों से कम नहीं होना चाहिए। तथापि, फरवरी 2012 में प्रदान औषधि किटों की अंतिम तिथि जनवरी 2013, इस प्रकार 11 महीनों का शेल्फ जीवन बचा।	2.15
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान, क्रियाशील आं.के. की संख्या क्रमशः 1,19,538 तथा 1,19,595 थी। तथापि, राज्य सरकार ने इन वर्षों के दौरान क्रमशः 1,25,030 तथा</li> </ul>	1.17




राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)
	<p>1,34,956 किटों का प्रापण का परिणाम 1.17 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पर्याप्त प्रापण के बावजूद, 2010-11 के दौरान क्रियाशील 58,686 आं.के. तथा 14,686 छोटे आं.के. को किसी औषधी किट की आपूर्ति नहीं की गई थी।</li> </ul>	

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकारें निधियों की उपलब्धता के बावजूद औषधि किटों के प्रापण में विफल रहीं। मंत्रालय ने औषधि किटों सहित स.बा.वि.से. (सामान्य) के सभी घटकों हेतु राज्यों को वार्षिक रूप से निधियां जारी की। परंतु यह राज्यों द्वारा निधियों के घटक-वार उपयोग विशेष रूप से औषधि किटों का प्रापण तथा आं.के. को उनकी आपूर्ति की समीक्षा करने में विफल रहा।

#### 4.5.1 औषधि किटों की अनुपलब्धता

वार्षिक आधार पर औषधि किटों के प्रापण में राज्यों की विफलता का आं.के. में इनकी उपलब्धता से सीधा संबंध है। 11 नमूना जाँच किए राज्यों<sup>9</sup> के नमूना जांच किए आं.के. में औषधि किटों की वर्षवार उपलब्धता नीचे दी गई है (राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 4.9 में हैं):



लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड में 2006-11 के दौरान नमूना जाँच में किसी भी आं.के. में औषधि किट उपलब्ध नहीं थी। गुजरात तथा छत्तीसगढ़ में लेखापरीक्षा की पाँच वर्षों की अवधि में से क्रमशः चार तथा तीन वर्षों की अवधि के दौरान नमूना जांच किए गए किसी भी आं.के. में किट उपलब्ध नहीं थी।

<sup>9</sup> आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हेतु वर्ष वार डाटा उपलब्ध नहीं था जहाँ लेखापरीक्षा के समय सभी नमूना जांच किए आं.के. औषधि किट उपलब्ध थी।

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद औषधि किटों के प्रापण तथा आं.के. की आपूर्ति में राज्य सरकारों की विफलता ने योजना के युवा लाभभोगियों को आम बीमारियों की दोषपूर्णता की ओर अग्रसर किया।

**अध्याय-IV**

**अवसंरचना विकास**

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. को औषधि किटों के प्रापण पर व्यय न करने के कारणों को प्रस्तुत करने हेतु बार-बार कहा गया था। मामले को समीक्षा बैठकों तथा राज्य दौरै/निरीक्षण के दौरान भी उठाया गया था। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से औषधि किटों सहित कार्यक्रम घटकों की पूर्ण लागत को विचलित प्रकार से इन मदों का प्रापण करने के बजाए राज्य को तदनुसार प्रापण करने में समर्थ बनाने हेतु अनुदान की दूसरी किश्त में शामिल कर दिया गया था।

**अनुशंसा**

- औषधि किटों के प्रापण हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को निधियाँ जारी करने के अतिरिक्त मंत्रालय को निधियों के सामयिक उपयोग पर प्रगति तथा आं.के. को प्रापण किटों की अंतिम आपूर्ति को मानीटर करना चाहिए।

**4.6 आं.के. हेतु फ्लैक्सी निधि पर व्यय में कमी**

मंत्रालय ने (मई 2009) वर्ष 2009-10 से लागू फ्लैक्सी निधि के रूप में ₹1000 प्रति वर्ष प्रति आं.के. प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए। लक्ष्य क्रियाशील आवश्यकताओं तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों से उजागर व्यय को पूरा करने हेतु नम्यता प्रदान करके योजना के क्षेत्र को बढ़ाना था। राज्य सरकार/सं.शा.क्षे. प्रशासन को इस निधि के उपयोग हेतु राज्य विनिर्दिष्ट रीतियाँ तैयार करनी थी जिससे की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। निधि को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपनी स्वयं की समझदारी से संचालित किया जाना था।

आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों तथा इनके द्वारा व्य.वि. में मंत्रालय को सूचित व्यय के विश्लेषण ने इस संबंध में व्यय में सार्थक कमी प्रकट की। राज्य, जो किसी भी आं.के. को फ्लैक्सी निधि का संवितरण नहीं कर रहे थे तथा जहाँ फ्लैक्सी निधि प्रदान करने पर व्यय में कमी 30 प्रतिशत से अधिक थी, को नीचे सूचीबद्ध किया गया है (राज्य वार ब्यौरे अनुबंध 4.10 में दिए गए हैं):

**तालिका 4.5: आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु निधियों का असंवितरण**

वर्ष	राज्य जिन्होंने आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु कोई राशि संवितरित नहीं की थी	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 प्रतिशत थी
2009-10	असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड (14)	पश्चिम बंगाल - 53 प्रतिशत, मध्य प्रदेश - 39 प्रतिशत (2)
2010-11	बिहार, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु तथा	पश्चिम बंगाल - 97 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश - 79 प्रतिशत, पंजाब



वर्ष	राज्य जिन्होंने आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने हेतु कोई राशि संवितरित नहीं की थी	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 प्रतिशत थी
	उत्तर प्रदेश (10)	- 43 प्रतिशत (3)

अध्याय-IV  
अवसंरचना विकास

2689 आं.के. की नमूना जांच ने आगे प्रकट किया कि वर्ष 2009-11 के दौरान, फ्लैक्सी निधि 1274 आं.के. (47 प्रतिशत) को प्रदान की गई थी। इसे शेष 1415 आं.के. (53 प्रतिशत) हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

- चार राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा हरियाणा) में फ्लैक्सी निधि सभी 750 नमूना जांच किए आं.के. को प्रदान की गई थी।
- छत्तीसगढ़, गुजरात तथा हरियाणा में नमूना जांच किए आं.के. द्वारा फ्लैक्सी निधि हेतु उपयुक्त लेखे का अनुरक्षण किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में फ्लैक्सी निधि हेतु उपयुक्त लेखे का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- छः राज्यों (बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में किसी भी नमूना जांच किए 1245 आं.के. को फ्लैक्सी निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
- तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान) में 694 नमूना जांच आं.के. में से 524 को फ्लैक्सी निधि प्रदान की गई थी। तथापि, 448 नमूना जांच किए आं.के. ने फ्लैक्सी निधि हेतु उपयुक्त लेखे का अनुरक्षण नहीं किया था।

इस प्रकार, सभी आं.के. को फ्लैक्सी निधि प्रदान करने में राज्य सरकारों की विफलता न केवल योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी बल्कि इसने उन आं.के. को अप्रत्याशित परिस्थितियों से संलग्न जोखिमों, जिनकी फ्लैक्सी निधि प्रदान करके ध्यान रखे जाने की योजना की गई थी, को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने, अपनी ओर से, प्रदत्त अनुदान उद्देश्य जिसके लिए यह जारी की गई थी के उपयोग को मॉनीटर करने में विफल रहा।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्य/सं.शा.क्षे. को आं.के. को फ्लैक्सी निधि के संवितरण पर व्यय न करने हेतु कारणों को प्रस्तुत करने के लिए बार-बार कहा गया था। मामले को समीक्षा बैठकों तथा राज्य दौरों/निरीक्षण के दौरान भी उठाया गया था। इसने बाद में बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से फ्लैक्सी निधियों को राज्यों को उनके संवितरण हेतु अनुदान की दूसरी किश्त में शामिल कर लिया गया है।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय राज्य सरकारों से अनुपालना की मांग करें कि आं.के. को फ्लैक्सी निधियों के संवितरण हेतु जारी निधियां वास्तव में उनको वितरित की गई है।

## 4.7 प्रापण पर राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष

### 4.7.1 उत्तर प्रदेश में आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान

#### अध्याय-IV अवसंरचना विकास

राज्य सरकार के निर्देश (सितम्बर 2001) के अनुसार, विभागों को यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन अथवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं निगम (रा.सू.वि.के.से.नि.) के माध्यम से कम्प्यूटर तथा परिधियों की खरीद अनुमत थी। राज्य सरकार ने (अगस्त 2004) मेसर्स श्रीटोर्न इंडिया लि. को इनके द्वारा उदृत दरों पर कम्प्यूटरों की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत किया।

राज्य स.बा.वि.से. निदेशालय ने (अक्टूबर 2009) परियोजना कार्यालय हेतु ₹6.08 करोड़ की लागत पर 820 कम्प्यूटरों, प्रिंटरों तथा यू.पी.एस. की खरीद संस्वीकृत की। मदों की आपूर्ति नवम्बर-दिसम्बर 2009 के दौरान की गई थी। सकल दर (करों, भाड़ा, आपूर्तिकर्ता की अभिकरण कमीशन सहित) प्रति कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. क्रमशः ₹49,932, ₹16,315 तथा ₹7,884 थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि आपूर्ति आदेश 14 अक्टूबर 2009 को आपूर्तिकर्ता को दिया गया था तथा नवम्बर-दिसम्बर 2009 के दौरान सामान की आपूर्ति की गई थी फिर भी फर्म के साथ करार 26 अप्रैल 2010 को किया गया था। इसके अतिरिक्त, दरों को निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना निर्धारित किया गया था। विभाग के अभिलेखों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया से समय की कमी तथा कार्य के महत्व के कारण बचा गया था।

सुपुदगी चालानों तथा वास्तविक उपकरण निर्माता, मेसर्स एच.सी.एल. इंफोसिस्टम, की नमूना जांच ने प्रकट किया कि इन मदों की मेसर्स श्रीटोर्न द्वारा प्रभारित मूल्यों से काफी कम लागत पर आपूर्ति की गई थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया है:

तालिका 4.6: कम्प्यूटर्स तथा परिधीय की दरों में अंतराल के ब्यौरे

मद	मेसर्स श्रीटोर्न को अनुमत मूल मूल्य	मेसर्स एच.सी.एल. द्वारा प्रभारित मूल्य	मूल्यों में अंतराल
एचसीएल प्रो बी एल 1280 कम्प्यूटर	49,932	31,000	18,932
सेमसंग लेसर प्रिंटर	16,315	6,867	9,448
न्योपावर 800 वी ए यूपीएस	7,884	2,670.50	5,213.50

इस प्रकार यह सुस्पष्ट था कि ₹3.33 करोड़<sup>10</sup>, कर एवं शुल्कों सहित, के कुल क्रय मूल्य के प्रति निदेशालय ने आपूर्तिकर्ता को ₹6.08 करोड़ अदा किए, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹2.75 करोड़ के अधिक भुगतान हुआ।

<sup>10</sup> एक कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. हेतु मेसर्स एचसीएल द्वारा प्रभारित सकल मूल्य: ₹40,537.50  
820 कम्प्यूटरों, प्रिंटरों तथा यू.पी.एस. की खरीद की कुल लागत: ₹3,32,40,750  
प्रापण का सकल मूल्य: ₹3,32,81,288



लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि समय की कमी के कारण कम्प्यूटरों की खरीद हेतु निविदा आमंत्रित न करने के लिए निदेशालय का दावा भी निराधार था। नमूना जिलों में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया था कि 32 में से 31 परियोजनाओं में कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. बिजली के कनेक्शन की कमी के कारण व्यर्थ पड़े थे।

#### 4.7.2 उत्तर प्रदेश में फ़ैक्स तथा फोटोस्टेट मशीन की खरीद पर व्यर्थ व्यय

विभाग ने तहसील स्तरों पर बा.वि.प.अ. कार्यालयों को आपूर्ति हेतु जनवरी 2007 में ₹7,770 प्रति मशीन की दर पर 337 फ़ैक्स मशीनों तथा ₹49,782 प्रति मशीन की दर पर 338 फोटोस्टेट मशीनों का प्रापण किया। प्रापण की कुल लागत ₹1.94 करोड़ थी।

नमूना जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि बा.वि.प.अ. कार्यालयों को प्रदान की गई 41 फ़ैक्स मशीने तथा 41 फोटोस्टेट मशीने बिजली अथवा टेलीफोन कनेक्शन अथवा दोनों की कमी के कारण अभी तक व्यर्थ पड़े थे।

बा.वि.प.अ. कार्यालयों में बिजली तथा टेलीफोन कनेक्शन की उपलब्धता का निर्धारण किए बिना फ़ैक्स तथा फोटोस्टेट मशीनों की आपूर्ति करने से ₹23.59 लाख का व्यय हुआ।

#### 4.7.3 कर्नाटक में गैस स्टोव की अविवेकपूर्ण खरीद


महिला एवं बाल विकास विभाग, कर्नाटक ने मार्च 2011 में आं.के. हेतु गैस स्टोव तथा प्रेशर कूकरों की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं की सूची को संस्वीकृति प्रदान की तथा अंतिम रूप दिया। साथ-साथ, इसने परियोजना कार्यालयों को 38,997 गैस स्टोव तथा प्रेशर कूकरों के प्रापण का निर्देश दिया जिनकी आपूर्ति ₹11.24 करोड़ की लागत पर अप्रैल तथा मई 2011 के दौरान की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन गैस स्टोव तथा प्रेशर कूकरों को गैस कनेक्शनों की माँग के कारण किसी भी नमूना जांच किए आं.के. में उपयोग में नहीं लाया जा सका। राज्य सरकार ने अपेक्षित गैस कनेक्शनों को सुनिश्चित किए बिना इन मदों का प्रापण किया जिसके कारण निष्फल व्यय हुआ।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय को आं.के. तथा परियोजना कार्यालयों हेतु भारी प्रापण से पहले मदों की आवश्यकता तथा अवसंरचना की उपलब्धता का उचित रूप से निर्धारण करने हेतु राज्य सरकारों पर बल देना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को संबंधित राज्यों के साथ उचित रूप से उठाने हेतु नोट कर लिया गया है।





## मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण

### 5.1 स.बा.वि.से. परियोजना का स्टाफ स्वरूप

एक स.बा.वि.से. परियोजना क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास प्रखंड तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख की आबादी वाले वार्ड/झुग्गी के समानार्थी योजना के क्रियान्वयन की निम्नतम प्रशासनिक इकाई है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक स.बा.वि.से. परियोजना के अंतर्गत 100 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) को कार्य करना था (50 आं.के. अनुसूचित जनजाति सहित)। परियोजना का नेतृत्व बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) द्वारा किया जाना था। बा.वि.प.अ. द्वारा पूरी परियोजना के अंतर्गत आं.के. के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, समन्वय स्थापित करना तथा मार्गदर्शन करना था। इस उद्देश्य में एक बा.वि.प.अ. की सहायता हेतु पांच-छः पर्यवेक्षक थे। ये पर्यवेक्षक लगातार कार्य पर मार्गदर्शन के साथ-साथ आं.के. के पर्यवेक्षण के प्रति उत्तरदायी थे। यह उत्तरदायित्व इनके द्वारा प्रत्येक आं.के. को एक माह में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष देखकर तथा ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य कार्य करने वाले आं.के.का. के साथ मासिक बैठकों का आयोजन करके पूरा करना था।

लाभार्थियों को सेवाएं, आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.), जिसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (आ.का.) तथा एक आंगनवाड़ी सहायक (आं.स.) शामिल है, के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

#### 5.1.1 स्टाफ उपलब्धता

मंत्रालय द्वारा स्टाफ उपलब्धता पर दिये गये आंकड़ों ने सभी कैडरों के मुख्य पदाधिकारियों की 2006-11 में अनुमोदित संख्या की तुलना में तैनात पदाधिकारियों की कमी को उद्घाटित किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.1: अनुमोदित संख्या के समक्ष स्टाफ उपलब्धता

पद तथा श्रेणी	31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011
बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.					
अनुमोदित संख्या	8,214	8,214	9,003	9,003	9,006
तैनात कर्मचारी	5,395	5,379	5,419	5,658	5,856
रिक्ति	2,819	2,835	3,584	3,345	3,150
रिक्ति का प्रतिशत	34.32	34.51	39.81	37.15	34.98

अध्याय-V  
मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण

पर्यवेक्षक					
अनुमोदित संख्या	45,951	45,951	53,529	53,529	51,522
तैनात कर्मचारी	26,052	28,065	29,309	31,703	32,391
रिक्ति	19,899	17,886	24,220	21,826	19,131
रिक्ति का प्रतिशत	<b>43.30</b>	<b>38.92</b>	<b>45.24</b>	<b>40.77</b>	<b>37.13</b>
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता					
अनुमोदित संख्या	10,52,638	10,52,638	13,56,027	13,56,027	13,66,776
तैनात कर्मचारी	8,14,817	9,65,617	9,98,216	10,80,586	11,74,388
रिक्ति	2,37,821	87,021	3,57,811	2,75,441	1,92,388
रिक्ति का प्रतिशत	<b>22.59</b>	<b>8.27</b>	<b>26.39</b>	<b>20.31</b>	<b>14.08</b>
आंगनवाड़ी सहायक					
अनुमोदित संख्या	10,52,638	10,52,638	12,42,096	12,42,096	12,49,776
तैनात कर्मचारी	8,05,753	9,57,416	9,84,792	10,52,907	11,04,098
रिक्ति	2,46,885	95,222	2,57,304	1,89,189	1,45,678
रिक्ति का प्रतिशत	<b>23.45</b>	<b>9.05</b>	<b>20.72</b>	<b>15.23</b>	<b>11.66</b>

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की तुलना में अनुमोदित पदों की रिक्ति के कारण परिचालित परियोजनाओं की कुल संख्या तथा बा.वि.प.अ. के रूप में तैनात अधिकारियों की संख्या में लेखापरीक्षा की पूरी अवधि में असंतुलन बना रहा। इसी प्रकार, आं.के. तथा आं.का./आं.स. के संबंध में भी कमियाँ पायी गयीं विवरण नीचे की तालिका में दिए गये हैं:

तालिका 5.2: बा.वि.प.अ. के बगैर परियोजनाएं, आं.का अथवा आं.स. के बगैर आं.के.

को स्थिति	परिचालित स.बा.वि.से. परियोजनाओं की संख्या	उपलब्ध बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. की संख्या	बा.वि.प.अ. <sup>1</sup> के बगैर परियोजनाओं की संख्या	परिचालित आं.के. की संख्या	आं.का. की उपलब्ध संख्या	आं.का. के बगैर आं.के. की संख्या	उपलब्ध आं.स. की संख्या	आं.स. के बगैर आं.के. की संख्या
31-03-07	5,829	5,395	434	8,44,743	8,14,817	29,926	8,05,753	38,990
31-03-08	6,070	5,379	691	10,13,337	9,65,617	47,720	9,57,416	55,921
31-03-09	6,120	5,419	701	10,44,269	9,98,216	46,053	9,84,792	59,477
31-03-10	6,509	5,658	851	11,42,029	10,80,586	61,443	10,52,907	89,122
31-03-11	6,722	5,856	866	12,62,267	11,74,388	87,879	11,04,098	1,58,169

तालिका यह दर्शाती है कि 2006-07 से 2010-11 के दौरान कम से कम 7.45 से 13.07 प्रतिशत परियोजनाएं बगैर किसी बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. के कार्य कर रही थीं। इसी प्रकार, 3.54 से 6.96 प्रतिशत के पास कोई आं.का. नहीं थे तथा 4.62 से 12.53 प्रतिशत आं.स. के बगैर थे।

<sup>1</sup> आंकड़े कम से कम परियोजनाओं की संख्याओं को दर्शाते हैं जो बिना बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. के थे। स.बा.वि.से. के अधीन ऐसी भी परियोजनाएं थीं जिनमें एक से अधिक बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. थे। अंततः बिना बा.वि.प.अ./स.बा.वि.अ. के बगैर कार्य करने वाली परियोजनाओं की संख्या अधिक थी।



फील्ड स्तर के नमूना-परीक्षण ने मंत्रालय के आंकड़ों से परिकलित प्रमुख स.बा.वि.से. कार्यकर्ताओं/स्टाफ की रिक्ति स्थिति की पुष्टि की थी। 31 मार्च 2011 तक:

- 269 नमूना परीक्षित परियोजनाओं में से 45 बगैर किसी बा.वि.प.अ. के कार्य कर रही थीं (16.73 प्रतिशत),
- 269 नमूना-परीक्षित परियोजनाओं में 59,565 आं.के. में से 2,446 बगैर किसी आं.का. के कार्य कर रही थी (4.44 प्रतिशत), तथा
- 3,405 आं.के. बगैर किसी आं.स. के कार्य कर रहे थे (5.72 प्रतिशत)।

राज्यवार विवरण **अनुबंध 5.1** में दिये गये हैं।

राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारें योजना के विस्तार के साथ सम-सामयिक रूप से स.बा.वि.से. कर्मचारियों की भर्ती करने में असफल रहीं। 31 मार्च 2011 तक अनुमोदित संख्या के समक्ष रिक्ति स्थिति कुछ कम हुई तथापि सभी चारों कैडरों में स.बा.वि.से. कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की भर्ती/नियुक्ति अभी भी आवश्यक थी। परिचालित परियोजनाओं में अति आवश्यक कर्मचारियों के लगातार अभाव के कारण स.बा.वि.से. का अधिकाधिक नवीन क्षेत्रों में विस्तार अप्रभावी रहा था। योजना के तहत सेवाओं की आपूर्ति महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं की समकक्ष उपलब्धता पर आधारित है। तथापि, मंत्रालय द्वारा सभी परिचालित परियोजनाओं तथा आं.के. पर इसे सुनिश्चित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वह स.बा.वि.से. के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों की भर्ती से संबंधित मामलों को राज्यों की समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से उठाता आ रहा था। म.बा.वि. मंत्री ने सभी राज्य मुख्य मंत्रियों के समक्ष इन रिक्तियों को जल्दी भरने के मुद्दे को पत्र दिनांक 18 जुलाई 2012 के द्वारा उठाया था। देश भर में लागू एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना होने के कारण, केन्द्र स्तर पर सूक्ष्म प्रबंधन संभव नहीं है। तथापि, सरकार ने जिला तथा राज्य स्तरों को सम्मिलित करते हुए सभी स्तरों पर, योजना के अंतर्गत रिक्त पदों की समीक्षा तथा सुधारात्मक कदम उठाने के विशिष्ट दायित्व के साथ एक पॉच सूत्री निगरानी तथा पर्यवेक्षक तंत्र का आरंभ किया था। मंत्रालय स.बा.वि.से. हेतु अलग केडर बनाने के लिए राज्यों पर लगातार दबाव बनाता रहा था। तथापि, प्रत्युत्तर उत्साहजनक नहीं था।

मंत्रालय के उत्तर को इन तथ्यों के आलोक में देखा जा सकता है कि यह योजना के विस्तारण के पूर्व आवश्यक जन संसाधन जैसे कि बा.वि.प.अ. तथा आं.का की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में असफल रहा था। परिचालित परियोजनाओं तथा आं.के. में कर्मचारियों की तैनाती 2006-11 की अवधि में कम रही थी।

### 5.1.2 जिला कार्यक्रम कार्यालयों तथा परियोजना कार्यालयों में स्टाफ की कमी

आं.के. को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने तथा उनके कार्य की निगरानी हेतु, प्रखंड स्तर पर स.बा.वि.से. परियोजनाओं तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम कार्यालयों

(जि.का.का.) का गठन किया गया था। स.बा.वि.से. दिशानिर्देशों के अनुसार, जि.का.का. अन्य बातों के साथ-साथ, एक जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक तथा लिपिकों द्वारा चलाया जाना था। इसी प्रकार से, एक परियोजना को बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ., सांख्यिकी सहायक/सहायक, लिपिक तथा एक ड्राइवर द्वारा चलाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला कार्यक्रम कार्यालयों तथा परियोजनाओं में कर्मचारियों की भर्ती के स्वरूप में अंतर्राज्यीय विविधता के साथ-साथ राज्यान्तरिक विविधता भी थी। मंत्रालयी कैडर में अनुमोदित पदों की संख्या में तथा जिला कार्यक्रम कार्यालयों एवं परियोजनाओं में पदों की संख्या में अंतर था।

आगे, 65 जि.का.का. तथा 254 परियोजनाओं के नमूना-परीक्षण ने उद्घटित किया कि 2006-11 की अवधि में बहुत सारे जि.का.का. एवं परियोजनाएं अनुमोदित पद होने के बावजूद, आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारियों के बगैर कार्य कर रही थी, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है (राज्यवार आंकड़े अनुबंध 5.2 'क' तथा 'ख' में दिए गए हैं):

- 3 से 10 मामलों में (5 से 15 प्रतिशत) जि.का.का. बगैर किसी जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्य कर रहे थे;
- 14 से 21 मामलों में (22 से 32 प्रतिशत) जि.का.का. में कोई कार्यालय पर्यवेक्षक नहीं था;
- 16 से 23 मामलों में (25 से 35 प्रतिशत) जि.का.का. में सांख्यिकी सहायक का अनुमोदित पद रिक्त पड़ा था।
- 33 से 46 परियोजनाएं (13 से 18 प्रतिशत) बगैर किसी बा.वि.प.अ./स.बा.वि.अ. के कार्य कर रही थीं;
- 50 से 61 मामलों (20 से 24 प्रतिशत) में परियोजनाओं में कोई सांख्यिकी सहायक/सहायक नहीं था;
- 21 से 30 परियोजनाएं (8 से 12 प्रतिशत) बगैर किसी लिपिक (नि.श्रे.लि./उ.श्रे.लि./टंकक) के कार्य कर रही थीं; तथा;
- 50 से 62 परियोजनाएं (20 से 24 प्रतिशत) के पास कोई चालक चालक नहीं था (जो बा.वि.प.अ./स.बा.वि.अ. को ए.बा.वि.सं. परियोजना क्षेत्र में फँसे हुए आं.के. का दौरा कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था)।

इस प्रकार, जि.का.का. तथा स.बा.वि.से. परियोजनाओं की उल्लेखनीय संख्या, योजना के परिचालन के लिए आवश्यक श्रम शक्ति से वंचित थीं। आवश्यक कर्मचारियों की अनुपस्थिति ने योजना के प्रशासन, निगरानी तथा पर्यवेक्षण को प्रतिकूल प्रभावित किया



था। परिणामस्वरूप अभिलेखों के अनुरक्षण, आंकड़ों के प्रतिवेदन तथा आं.के. के पर्यवेक्षण में कमी को देखा गया जिस पर आगे आने वाले अध्यायों में विवेचन किया गया है।

अध्याय-V  
मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण

#### अनुशांसा

- मंत्रालय को जि.का.का. तथा स.बा.वि.से. परियोजनाओं के स्तर पर अनुमोदित पदों का जहाँ तक संभव हो मानकीकरण करना चाहिए तथा योजना के अंतर्गत आं.के. के कुशल प्रशासन एवं पर्यवेक्षण हेतु जरूरी कार्य-बल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।

#### 5.1.3 आंकड़ा अंतर

लेखापरीक्षा ने, मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित पदासीन कर्मचारियों संबंधी आंकड़े एवं राज्य सरकारों द्वारा उनके व्यय विवरणों (व्य.वि.) में दिये गये समान आंकड़ों में अंतर पाया था। 31 मार्च 2011 तक पदासीन कर्मचारियों संबंधी 18 राज्यों के व्य.वि. में दिखाये गये आंकड़ों तथा मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित समान आंकड़ों के मध्य तुलना ने आंकड़ों के दोनों सेटों में अंतर को उद्घटित किया, जिसे नीचे दिया गया है (राज्यवार विवरण अनुबंध 5.3 में दिये गये हैं):

- 31 मार्च 2011 को मंत्रालय द्वारा बताए गये पदासीन बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. के राज्यवार आंकड़े नौ राज्यों के उनके व्य.वि. में दर्शाये गये आंकड़ों से 11 प्रतिशत से अधिक थे। आठ राज्यों के मामले में आंकड़े 8 प्रतिशत कम थे।
- मंत्रालय द्वारा दिये गये पदासीन पर्यवेक्षकों के आंकड़े, सात राज्यों के व्य.वि. में दिखाये गये आंकड़ों से 8 प्रतिशत से अधिक थे, आठ राज्यों के मामले में आंकड़े सात प्रतिशत से कम थे।
- मंत्रालय द्वारा पदासीन आं.का. पर दिये गये आंकड़े चार राज्यों द्वारा उनके व्य.वि. में दिखाये गये आंकड़ों से एक प्रतिशत से अधिक थे। 14 राज्यों के मामले में आंकड़ा 5 प्रतिशत कम था।

31 मार्च 2011 तक पदासीन आं.का. के आंकड़ों ने, नौ राज्यों के 35 जिला कार्यक्रम कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित आंकड़े तथा उन्हीं जिलों के संबंध में राज्य स.बा.वि.से. प्रकोष्ठों द्वारा प्रदान किये गये आंकड़ों के मध्य इसी प्रकार का अंतर देखा गया था, जैसा कि अनुबंध 5.4 में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित स.बा.वि.से. परियोजना से संबंधित वास्तविक बल के आंकड़ों एवं राज्य ए.आ.वि.से. प्रकोष्ठ तथा जि.का.का. के आंकड़ों में अधिक अंतर होना प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सुमेलन के अभाव को दर्शाता है। जिसके कारण अनुरक्षित आंकड़ों की दक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।

### अनुशंसा

- मंत्रालय को योजना के भौतिक तथा वित्तीय मानकों के सूचनार्थ प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) का विकास करना चाहिए ताकि योजना क्रियान्वयन के स्तरों पर डेटाबेस का उचित रूप से अनुरक्षण तथा अद्यतन हो।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा की सिफारिश को अभिज्ञान में लिया गया था। इसने प्र.सू.प्र. का भौतिक तथा वित्तीय मानकों में, श्रम-शक्ति स्थिति को सम्मिलित करते हुए, सूचना देने के लिए सभी स्तरों पर संशोधन किया था।

#### 5.1.4 स्टाफ उपलब्धता पर राज्य-विशिष्ट निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के तीन राज्य विशिष्ट निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- मध्य प्रदेश में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2006-11 की अवधि में, यद्यपि स.बा.वि.से. कर्मचारी राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, उदाहणार्थ लाडली लक्ष्मी योजना, उषा किरण योजना, अटल बाल मिशन तथा अन्य सर्वेक्षण कार्यों में रत थे, स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत स.बा.वि.से. कर्मचारियों के वेतन तथा मानद्यों पर ₹ 1127.86 करोड़ का सकल व्यय लेखाबद्ध किया गया था।
- उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा ने देखा कि बा.वि.प.अ. तथा पर्यवेक्षक, नमूना जिलों में राशन की दुकानों के सत्यापन, जनगणना, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे अन्य सरकारी कार्यों में लगे हुए थे।
- पश्चिम बंगाल के तीन नमूना परीक्षित जिलों में, आवश्यकता से अधिक 12 चालक (बर्दवान-9, जलपाईगुड़ी-1 तथा मालदा-2) नियुक्त थे। संबंधित कार्यालयों में कोई वाहन नहीं था। परिणामतः अप्रैल 1995 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि में ₹ 0.96 करोड़ के निष्क्रिय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की उपलब्धता से संबंधित उठाये गये विषयों को संबंधित राज्यों के समक्ष समुचित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 5.2 आं.का./आं.स. को लाभ

मंत्रालय ने आं.का./आं.स. को उनके काम की परिस्थितियों के सुधारने के लिए कुछ लाभ प्रदान किये। नमूना परीक्षण ने, तथापि, यह उद्घटित किया कि राज्य सरकारों द्वारा आं.का./आं.स. तक कुछ लाभों की विस्तारित नहीं किया गया था, जिसका विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।



### 5.2.1 शिकायत निवारण समिति का गठन न होना

मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार (अगस्त 2000), जिला तथा राज्य स्तर पर आं.का. तथा आं.स. के प्रतिनिधित्व के साथ एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना था। समिति को अपने तिमाही बैठकों में आं.का./आं.स. के शिकायतों तथा दैनंदिन कठिनाइयों का नियमित रूप से तथा शीघ्र निवारण करना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2011 तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात<sup>2</sup> तथा झारखण्ड में शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में समिति के कार्यों पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। कथित समिति के स्थापना की कोई सूचना कर्नाटक, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी।

#### मामला अध्ययन: गुजरात की शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाईयां

नमूना-परीक्षण ने उद्घाटित किया कि स.बा.वि.से. निदेशक ने 2006-11 के दौरान आं.का./आ.सं. से बा.वि.प.अ. द्वारा कथित भ्रष्टाचार, भोजन के निम्न स्तर, आं.का./आं.स./वि./सामान्य जनता में से भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित 348 शिकायतें प्राप्त की थीं। लेखापरीक्षा, इन शिकायतों के निपटारे संबंधी स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी अनुवर्ती कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कोई नियंत्रण पंजिका अनुरक्षित नहीं की गयी थी। नमूना परीक्षण ने, तथापि, उद्घाटित किया कि मानसिक यातना पर आं.का./आं.स. द्वारा प्राप्त 55 शिकायतों में से केवल छः का निपटान किया गया तथा शेष 49 शिकायतें संबंधित जिला विकास अधिकारी (जि.वि.अ.) के पास लंबित थीं। इसी प्रकार, 46 में से 37 तथा 10 में से छः क्रमशः भ्रष्टाचार तथा भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें जि.वि.अ. के पास लंबित थीं।

निदेशक ने बताया (जनवरी 2012) कि उसके कार्यालय में नियंत्रण रजिस्टर अनुरक्षित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। सूचित अनियमितताओं के निपटान में भारी देरी तथा निदेशक द्वारा दिया गया उत्तर स.वा.वि.पो. के अग्रणी कार्यकर्ताओं की शिकायतों के निपटाने में सरकारी भूमिका की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि आं.का./आं.स. लाभों के गैर-विस्तारण से संबंधित मुद्दे को राज्यों के समक्ष, शिकायत निवारण समितियों के गठन के विशेष संदर्भ के साथ रखा जाएगा।

<sup>2</sup> निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2012) के दौरान गुजरात सरकार ने बताया कि ऐसी समितियां जिला स्तर पर गठित की गयी थीं तथा सूत्र के जि.वि.अ. द्वारा मई एवं नवम्बर 2011 में दो बैठकें बुलाई गयीं थीं।

### 5.2.2 स.बा.वि.से. कर्मचारियों को पुरस्कार

स.बा.वि.से. के दिशानिर्देशों के अनुसार, आं.के. सराहनीय सेवाओं को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2000-01 से वार्षिक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर, प्रशस्ति-पत्र के साथ नकद पुरस्कार<sup>3</sup> का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर अनुकरणीय सेवाएं देने वाले आं.का. को पुरस्कृत करने में विलंब पाया था। मंत्रालय स्तर पर, 2006-09 की अवधि हेतु पुरस्कार देने के लिए नामांकनों को 2012 में अंतिम रूप दिया गया था। तथापि, पुरस्कार देना अभी (नवम्बर 2012) तक शेष था। 2009-11 की अवधि के लिए 19 राज्यों/सं.शा.क्षे. से नामांकन जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित थे। यह स्पष्ट है कि अंतिम बार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार फरवरी 2009 में दिये गये थे, जो वर्ष 2004-06 से संबंधित थे।

#### सकारात्मक विकास

- हरियाणा तथा मेघालय ने 2006-11 की पूरी अवधि में आं.का.के. अभीष्ट संख्या को पुरस्कार दिया था।
- 2007-08 में, गुजरात सरकार ने एक आं.का. तथा आं.स. को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः ₹51,000 तथा ₹31,000 की माता यशोदा पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी।

नमूना-परीक्षित राज्यों में राज्य स्तरीय पुरस्कारों की स्थिति नीचे दी गयी है:

- 2006-11 के दौरान छः राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था।
- 2008-09 तक की अवधि के लिए पुरस्कार वितरित किये गये थे परंतु 2009-11 के लिए तीन राज्यों (कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान) में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था।
- गुजरात में 2006-07 तथा 2009-11 के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया तथा छत्तीसगढ़ में 2006-07 तथा 2010-11 के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था।

मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के आं.का. को समय पर पुरस्कार वितरित कर पाने में असफलता ने स.बा.वि.से. के अग्रणी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के मूल उद्देश्य को ही निष्फल कर दिया।

मंत्रालय ने बताया कि (नवम्बर 2012) कि सभी राज्यों से, योजना के अनुसार आं.का. को पुरस्कार देने तथा उनके स्वैच्छिक सेवाओं को मान्यता प्रदान करने का, उत्प्रेरक कारक के रूप में, अनुरोध किया जाएगा।

<sup>3</sup> राष्ट्रीय स्तर पर ₹25,000 तथा राज्य स्तर पर ₹5,000



### 5.2.3 विविध निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में राज्य सरकारों की भारत सरकार के आं.का./आं.स. के कार्य परिस्थितियों को उन्नत करने की दिशा वाली नीतियों को लागू करने में असफलता की निम्नलिखित अन्य घटनाओं को देखा गया था।

अध्याय-V  
मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण

- आं.का./आं.स. कल्याण निधि का गठन आं.का./आं.सं. तथा राज्य सरकारों के योगदान के द्वारा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के अंतर्गत लाना था। तथापि, 10 नमूना-परीक्षित राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश मेघालय, कर्नाटक, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल) में ऐसी कोई निधि नहीं बनायी गयी थी।
- मंत्रालय ने (दिसम्बर 2008) सभी आं.का./आं.स. को वार्षिक रूप से ₹200 प्रति साड़ी की दर पर दो साड़ियां तथा ₹25 प्रति बैज की दर से दो नाम पट्ट प्रदान करने की एक नयी योजना की शुरुआत की थी। नमूना-परीक्षित राज्यों में से, योजना का आरंभ मध्य प्रदेश, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। राजस्थान में 2010-11 के दौरान दो साड़ियों के मानदण्ड के स्थान एक साड़ी प्रदान की गयी थी।
- आं.का./आं.स. के लिए मानदेयों का संवितरण छः राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडीशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में नियमित नहीं था। कभी इसका दोमाही, तिमाही और अर्द्धवार्षिक रूप से भी संवितरण किया गया था। इसका कारण स.बा.वि.से. परियोजनाओं पर सचिवालयी कैंडर की कमी होना था।
- आं.का./आं.स. के लिए मानदेयों का संशोधन अप्रैल 2008 से किया गया था। यह देखा गया कि चयनित परियोजना मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जबेरा में बड़े मानदेयों पर बकाया का आंशिक रूप से भुगतान 196 आं.का./आं.स. को किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि राज्य सरकारों आं.का./आं.स. तक लाभ का विस्तार करने में निष्फल रहीं जैसा कि मंत्रालयों के विविध निर्देशों द्वारा अपेक्षित था। मंत्रालय अपनी ओर से अग्रणी बा.वि.यो. कर्मचारियों की कार्य-परिस्थितियों को उन्नत करने हेतु निदानात्मक कदमों को उठाने में असफल रहा।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वह लाभों को आं.का./आं.स.के प्रारंभिक स्तर तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मामले को लगातार, उठाता रहा था।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय को आं.का. तथा आं.स. की कार्य-परिस्थितियों की बेहतरी से संबंधित विभिन्न आदेशों की सतर्कतापूर्वक निगरानी तथा राज्यों द्वारा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करना चाहिए।

### 5.3 स.बा.वि.से. के अंतर्गत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण स.बा.वि.से. का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, चूंकि कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति काफी हद तक अग्र-पंक्ति कर्मचारियों की सेवा वितरण को सुधारने की कुशलता पर निर्भर करती है। स.बा.वि.से. के अंतर्गत प्रशिक्षण का क्रियान्वयन राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान (रा.सा.बा.वि.स.) तथा राज्य भर के फैले गौ.स.सं./राज्य सरकारों द्वारा संचालित मध्यम स्तर प्रशिक्षण केन्द्रों (मं.स्त.प्र.के. एवं आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों (आ.प्र.के.) के द्वारा मंत्रालय के वित्तीय सहायता से होता है। स.बा.वि.से. कर्मचारी का प्रशिक्षण स्वरूप तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: प्रशिक्षण का स्वरूप

प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण प्रदाता	अवधि (दिन)
अनुगम प्रशिक्षण (आरंभिक नियोजन/नियुक्ति पर)	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	स.सा.स.बा.वि.स.	7
	पर्यवेक्षक	म.स्त.प्र.के.	7
	आ.का.	आं.प्र.के.	8
	आ.स.	आं.प्र.के.	5
कार्य/अभिविन्यास प्रशिक्षण (सेवा अवधि के दौरान एक बार)	बा.वि.प.अ./स.आ.वि.प.अ.	स.सा.स.बा.वि.स.	32
	पर्यवेक्षक	म.स्त.प्र.के.	32
	आ.का.	आं.प्र.के.	32
	आ.स.	आं.प्र.के.	8
पुनश्चर्चा प्रशिक्षण (सेवा में, प्रत्येक दो वर्ष में एक बार)	बा.वि.प.अ./स.आ.वि.प.अ.	स.सा.स.बा.वि.स.	7
	पर्यवेक्षक	म.स्त.प्र.के.	7
	आ.का.	आं.प्र.के.	7
	आ.स.	आं.प्र.के.	5

#### 5.3.1 राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (रा.प्र.का.यो.)

प्रशिक्षण, एक निरंतर कार्यक्रम है। मंत्रालय के निर्देशों (अप्रैल 2009) तथा प्रशिक्षण पर पूर्व संदर्भों के अनुसार, सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को उनका वार्षिक राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (रा.प्र.का.यो.) प्रस्तुत करना अपेक्षित था मंत्रालय को इसके द्वारा अनुमोदित रा.प्र.का.यो. के आधार पर राज्यों को निधि जारी करना था। इस प्रकार, सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. के रा.प्र.का.यो. को वित्त वर्ष के आरंभ होने से पूर्व मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बहुत कम ही अवसरों पर राज्यों/सं.शा.क्षे. ने वित्त वर्ष आरंभ होने से पूर्व अपने रा.प्र.का.यो. मंत्रालय को भेजा था। परिणामस्वरूप, मंत्रालय 2006-11 के दौरान वित्त वर्ष के आरंभ होने से पूर्व उनके रा.प्र.का.यो. को मंजूरी नहीं दे पाया था, जैसाकि तालिका 5.4 में दिया गया है:



तालिका 5.4: रा.प्र.का.यो. की प्राप्तियों तथा अनुमोदनों की स्थिति<sup>4</sup>

वर्ष	रा.प्र.का.यो. की प्राप्ति			रा.प्र.का.यो. का अनुमोदन		राज्य जिन्होंने अपना रा.प्र.का.यो. प्रेषित नहीं किया
	वित्त वर्ष के शुरु होने से पहले प्राप्ति	पहली तिमाही के दौरान प्राप्ति	पहली तिमाही के बाद प्राप्ति	पहली तिमाही के दौरान अनुमोदित	पहली तिमाही के बाद अनुमोदित	
	रा.प्र.का.यो. की संख्या					
2006-07	3	26	3	25	7	3
2007-08	1	27	5	24	9	3
2008-09	1	25	7	10	22	3
2009-10	0	10	23	0	33	3
2010-11	0	25	6	18	13	4
कुल	5	113	44	77	84	16

अध्याय-V  
मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण

इस प्रकार 52 प्रतिशत मामलों में, रा.प्र.का.यो. को मंत्रालय द्वारा मंजूरी वित्त-वर्ष की पहली तिमाही की समाप्ति के बाद मिली। छः मामलों (3 प्रतिशत) में रा.प्र.का.यो. को अंतिम तिमाही में मंजूरी मिली, जिसने उन्हें प्रशिक्षण गतिविधियों के नियोजन हेतु निष्प्रोजनीय कर दिया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों द्वारा रा.प्र.का.यो. के भेजने में विलंब, प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षण में पिछले बकायों से संबंधित आंकड़ों के विलंबित प्रमाणन के कारण हुआ। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. पर नये वित्त वर्ष की शुरुआत के पहले रा.प्र.का.यो. को प्रस्तुत करने के लिए बार-बार दबाव बनाये गये थे। इसके अलावा, रा.प्र.का.यो. को अंतिम रूप देने में विलंब, प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करता है। कुछ राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा रा.प्र.का.यो. की लक्ष्यों की प्राप्त में कमी, उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना के कम उपयोग के कारण हुई थी।

मंत्रालय का उत्तर, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्रशिक्षण के अपर्याप्त डेटाबेस तथा तिमाही प्रगति प्रतिवेदनों द्वारा प्रशिक्षण की प्रगति की निगरानी में अपर्याप्तताओं को दर्शाता है। आगे, मंत्रालय का तर्क कि रा.प्र.का.यो को अंतिम रूप देने में विलंब प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करते, स्वीकार्य नहीं है। रा.प्र.का.यो. में देशी, प्रशिक्षण के लिए धनराशि के निर्गम तथा व्यय नहीं किये गये शेष के पुनः अनुसमर्थन के विलंब का कारण बनती है। आगे, रा.प्र.का.यो. को तैयार करने का मूल प्रयोजन, उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना है।

<sup>4</sup> क) 2007-08 से 2009-10 के दौरान जम्मू व कश्मीर ने जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश के लिए अलग-अलग रा.प्र.का.यो. प्रेषित किया।

ख) दादरा तथा नगर हवेली का 2008-09 के लिए रा.प्र.का.यो. के अनुमोदन की तिथि उपलब्ध नहीं थीं।

### 5.3.2 प्रशिक्षण अवसंरचना

देश भर में कार्य कर रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति निम्नलिखित थी:

#### अध्याय-V

मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण

तालिका 5.5: स.बा.वि.से. के अंतर्गत प्रशिक्षण अवसंरचना की स्थिति

को स्थिति	आं.प्र.के.				म.स्त.प्र.के.			
	अनुमोदित	परिचालित			अनुमोदित	परिचालित		
		गै.स.सं. द्वारा परिचालित	सरकार द्वारा परिचालित	कुल		गै.स.सं. द्वारा परिचालित	सरकार द्वारा परिचालित	कुल
31 मार्च 2007	661	389	113	502	43	23	6	29
30 सितम्बर 2009	663	403	107	510	64	21	10	31
31 मार्च 2011	उ.न.	386	112	498	उ.न.	17	11	28

[उ.न. मंत्रालय द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये]

तालिका 5.5 यह दर्शाती है कि परिचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या योजना के अंतर्गत अनुमोदित संख्या से कम थी, जिसने स.बा.वि.से. कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रतिकूलतः प्रभावित किया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने प्रशिक्षण अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित राज्य-विशिष्ट कमियां पायीं:

- आंध्र प्रदेश में 12 नमूना परीक्षित में से 6 आं.प्र.के./म.स्त.प्र.के. श्वेत पटों, फ्लिप चार्टों, प्रदर्शन पटों तथा मुद्रक एवं जेरोक्स मशीनों जैसे सहायक उपकरणों से लैस नहीं थे। आगे, नोडल अधिकारी, जि.का.अ., बा.वि.प.अ. तथा अन्य अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के विवरण पाँच नमूना परीक्षित आं.प्र.के. अभिलेखों में नहीं पाये गये।
- छत्तीसगढ़ में, प्रादेशिक महिला प्रशिक्षण केन्द्र (प्रा.म.प्र.के.) बिलासपुर द्वारा 2006-07 से 2009-10 के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। प्रा.म.प्र. के जगदलपुर द्वारा प्रशिक्षण की कोई सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। राज्य संसाधन केन्द्र (रा.सं.के.) रायपुर में 33 से 50 प्रतिशत पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
- झारखण्ड में कोई म.स्त.के. नहीं था। 2006-11 के दौरान पर्यवेक्षकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य में नियुक्त 694 पर्यवेक्षकों में से, 365 पर्यवेक्षक (52.94 प्रतिशत) ने आरंभिक कार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था।



मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि अपर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना, कुछ अकुशल प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद करने तथा स.बा.वि.से. प्रशिक्षण के लिए इच्छुक गै.स.स. का उपलब्ध न होने के कारण थी। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012), कि राज्य सरकारें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए उत्तरदायी थीं। आगे, राज्य विशिष्ट अभ्यक्तियां संबंधित राज्यों के समक्ष समुचित निदानात्मक उपायों के लिए रखी गयीं थीं।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि स.बा.वि.से. के अंतर्गत प्रशिक्षण एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। योजना का कुशल क्रियान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकारों की बराबर की जिम्मेदारी है। मंत्रालय अपनी ओर से पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

### 5.3.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन


योजना के अंतर्गत, सभी राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारें स.बा.वि.से. कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण लक्ष्यों को नियत करती हैं। यह लक्ष्य, परिचालित प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा तैयार किए गये वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर पर आधारित होते हैं।

लेखापरीक्षा ने, 2006-11 के दौरान पर्यवेक्षकों, आं.का. तथा आं.स. के प्रशिक्षण के लिए नियत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों में लगातार गिरावट दर्ज की जैसाकि आगे की तालिका (वर्षवार स्थिति अनुबंध 5.5 में दी गयी है) में दिखाया गया है:

तालिका 5.6: विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों की तुलना में गिरावट

प्रशिक्षण प्रकार	स.बा.वि.से. कर्मचारी	लक्ष्य	उपलब्धि	गिरावट	गिरावट का प्रतिशत
कार्य/अभिवन्यास	पर्यवेक्षक	20,308	8,493	11,815	58.18
	आं.का.	5,65,986	3,83,711	1,82,275	32.20
	आं.स.	6,82,748	3,46,795	3,35,953	49.21
पुनश्चर्या	पर्यवेक्षक	48,146	26,089	22,057	45.81
	आं.का.	8,23,698	6,63,635	1,60,063	19.43
	आं.स.	7,33,054	5,38,117	1,94,937	26.59

लक्ष्य के समक्ष संपूर्ण उपलब्धि 2006-11 के दौरान राज्यों/सं.शा.क्षे. में अलग-अलग थी। नीचे दिया गया चार्ट राज्यों/सं.शा.क्षे. प्रतिशतता के चार अलग-अलग स्तरों पर, प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियत लक्ष्यों के समक्ष प्रदर्शन को दर्शाता है (राज्यवार विवरण अनुबंध 5.6 में दिया गया है)।



मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि कार्य प्रशिक्षण के अंतर्गत लक्ष्यों की निम्न उपलब्धि स.बा.वि.से. कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति में देरी के कारण हुई। आगे, 2012-13 से इसने वास्तविक बकायों के आधार पर कार्य प्रशिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण शुरू कर दिया था।

#### 5.3.4 राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) तथा खाद्य एवं पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.) के द्वारा प्रशिक्षण

रा.सा.स.बा.वि.सं. तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्र, बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. तथा म.स्त.प्र.के. के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। रा.सा.स.बा.वि.सं., अन्य कुशलता विकास के कार्यक्रम भी संचालित करता है। इसके अलावा, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.), जो मंत्रालय का एक तकनीकी अंग है, फील्ड कर्मचारियों के विभिन्न राज्यों/के.शा.प्र. में स्थित 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाइयों (सा.खा.पो.वि.इ.) के माध्यम से पोषक अभिविन्यास प्रशिक्षण में भी लगा हुआ था।

2006-07 से 2010-11 के दौरान रा.सा.स.बा.वि.सं. तथा खा.पो.बो. की प्रशिक्षण प्रदान करने में उपलब्धि इस प्रकार थी (वर्षवार विवरण अनुबंध 5.7 में)

तालिका 5.7: रा.सा.स.बा.वि.सं. की प्रशिक्षण के अंतर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धि

प्रशिक्षण का प्रकार	लक्ष्य	उपलब्धि	गिरावट	गिरावट का प्रतिशत
रा.सा.स.बा.वि.सं.				
बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	2,075	1,938	137	6.60
म.स्त.प्र.के./आं.प्र.के. प्रशिक्षकों के अभिविन्यास/पुनश्चर्या प्रशिक्षण	380	298	82	21.58
पर्यवेक्षकों का कार्य/पुनश्चर्या प्रशिक्षण	175	86	89	50.86



प्रशिक्षण का प्रकार	लक्ष्य	उपलब्धि	गिरावट	गिरावट का प्रतिशत
खा.पो.बो.				
बा.वि.प.अ./पर्यवेक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	12940	11060	1880	14.53
आं.का., आं.स. तथा आशा के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	81000	74746	6254	7.72

अध्याय-V  
मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण

तालिका 5.7 दर्शाती है कि रा.सा.स.बा.वि.सं. ने, स.बा.वि.से. कर्मचारियों द्वारा सभी प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत नियत लक्ष्यों को म.स्त.प्र.के. तथा आं.प्र.के. के प्रशिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों<sup>5</sup> के प्रशिक्षण को छोड़कर, लगभग प्राप्त कर लिया था। खा.पो.बो. ने भी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, जहाँ लक्ष्यों को विगत तीन वर्षों 2009-10 की अवधि की तुलना में लक्ष्य आधे तथा 2010-11 के दौरान एक चौथाई कर दिया गया था, के अलावा प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था।

#### सकारात्मक विकास

- रा.सा.स.बा.वि.सं. द्वारा बा.वि.प.अ./ स.बा.वि.प.अ. के कार्य प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में कोई कमी नहीं थी।
- खा.पो.बो. ने, आं.का. तथा आं.स. हेतु पोषण शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में अपने लक्ष्य को पार कर लिया।

#### 5.3.5 प्रशिक्षण के लिए लक्ष्यों का नियतन

रा.प्र.का.यो. के अंतर्गत पर्यवेक्षकों, आं.का. और आं.सं. के प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यों के निर्धारण के लिए मंत्रालय तथा बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. के प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रा.सा.स.बा.वि.सं. उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स.बा.वि.से. कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के अनुसार लक्ष्यों के निर्धारण हेतु कोई तंत्र नहीं था।

**(क) कार्य प्रशिक्षण:** मंत्रालय तथा रा.सा.स.बा.वि.सं., कार्य प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से संबंधित वार्षिक लक्ष्यों को सत्यापित करने स्थिति में नहीं थे। तथापि, उन्होंने स.बा.वि.से. कर्मचारियों की संख्या को राज्यवार आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया था, जिन्हें एक विशेष वर्ष की समाप्ति पर कार्य प्रशिक्षण अभी प्राप्त करना था। राज्यो/सं.शा.क्षे. को अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (ति.प्र.रि.) के माध्यम से प्रत्येक कैंडिडेट के अंतर्गत अप्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या तथा नयी नियुक्तियों की संख्या के आंकड़े भेजने थे। मंत्रालय ने तथापि, इन आंकड़ों का संकलन नहीं किया था जिससे रा.प्र.का.यो. के

<sup>5</sup> रा.सा.स.बा.वि.सं. पर्यवेक्षकों की प्रशिक्षण केवल अपने गुवाहाटी प्रादेशिक केन्द्र में ही देता है। पर्यवेक्षक सामान्यतः म.स्त.प्र.क.पर ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

अंतर्गत प्रशिक्षण<sup>6</sup> आवश्यकता से लक्ष्यों को जोड़ा जा सके। रा.सा.स.बा.वि.सं. ने अपनी ओर से न तो राज्यों से स.बा.वि.प.अ. के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए किसी तंत्र का विकास किया और न ही ति.प्र.रि. आंकड़े मंत्रालय से प्राप्त किये थे।

(ख) पुनश्चर्या प्रशिक्षण: प्रत्येक दो वर्षों में एक बार प्रत्येक स.बा.वि. यो. कर्मचारी को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। इसलिए, प्रति वर्ष कम से कम आधे पदासीन कार्यबल को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पुनश्चर्या प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्ष-वार लक्ष्य, आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम थे जैसा कि नीचे दिया गया है (वर्ष-वार विवरण अनुबंध 5.8 में):

तालिका 5.8: 2006-11 के दौरान आवश्यकताओं के समक्ष पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लक्ष्य

स.बा.वि.से. कर्मचारी	पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता	पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य	प्रदान किया गया वास्तविक प्रशिक्षण	आवश्यकताओं के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	आवश्यकताओं के प्रतिशत के रूप में वास्तविक प्रशिक्षण
बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	13,810	2,075	1,938	15.03	14.03
पर्यवेक्षक	73,760	48,146	26,089	65.27	35.37
आं.का.	25,16,812	8,23,698	6,63,635	32.73	26.37
आं.स.	24,52,483	7,33,054	5,38,117	29.89	21.94

इस प्रकार पुनश्चर्या प्रशिक्षण के अंतर्गत लक्ष्य ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की तुलना में अनुपातहीन रूप से कम थे। परिणामस्वरूप, ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता की तुलना में लक्ष्य की कमी बहुत ज्यादा थी। इस गति से, बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ., पर्यवेक्षक, आं.का. तथा आं.स., प्रशिक्षण को प्रति दो वर्षों में एक बार की आवश्यकता के समक्ष, पुनश्चर्या प्रशिक्षण क्रमशः 14 वर्ष, छः वर्ष, आठ वर्ष तथा नौ वर्षों में एक बार ही प्राप्त करेंगे।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि 2012-13 से, इसने वास्तविक गिरावट के आधार पर कार्य प्रशिक्षण के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण आरंभ किया था। आगे इसने बताया (नवम्बर 2012) कि विषय को बारहवीं योजना में उठाया गया था जहाँ राज्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था।

<sup>6</sup> नमूना परीक्षित राज्यों के मध्य एक उदाहरण के रूप में, लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्यालय में 1473 आं.के. तथा 1215 आं.से. को 2010-11 के दौरान प्रशिक्षण देना अपेक्षित था। इसके विपरीत, रा.प्र.का.यो. के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 525 आं.का. तथा 450 आ.स. का नियत किया गया था।



### 5.3.6 प्रशिक्षण की निगरानी

स.बा.वि.से. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत, राज्य/सं.शा.क्षे. का अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (ति.प्र.रि.) द्वारा प्रत्येक कैडर के अंतर्गत अप्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या तथा नयी नियुक्तियों की संख्या पर आंकड़े भेजना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने अपने उपयोग हेतु राज्यवार डेटा संकलन, राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा भेजे गये रा.प्र.का.यो. के अनुमोदन में नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा 2009-10 तथा 2010-11 के अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए उनके ति.प्र.रि. द्वारा प्रदान किये गये पर्यवेक्षकों आं.का. तथा आं.स.<sup>7</sup> के कार्य प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े का नमूना परीक्षण किया था, नमूना परीक्षण के परिणाम की नीचे चर्चा की गई है:

- 66 में से 42 मामलों में जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध थे, एक विशेष वर्ष की समाप्ति पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या से मेल नहीं खा रहे थे।
- 136 में से 86 मामले में वर्ष के दौरान प्रशिक्षण किए गये तथा वर्ष की समाप्ति पर अप्रशिक्षित कुल व्यक्तियों की संख्या तथा वर्ष की शुरुआत में कुल अप्रशिक्षित व्यक्ति तथा वर्ष के दौरान नयी भर्तियों की कुल संख्या से मेल नहीं खा रहे थे।
- 161 में से 23 मामलों में वर्ष के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, वर्ष की शुरुआत में अप्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या के कुल जोड़ तथा वर्ष के दौरान नयी भर्तियों की संख्या से अधिक थी, जो संभव नहीं लगा चूंकि एक कर्मचारी को उसके पूरे कार्य-काल के दौरान केवल एक बार ही कार्य-प्रशिक्षण प्रदान करना था।

प्रशिक्षण के अंतर्गत वित्तीय प्रगति की निगरानी भी अपर्याप्त थी। मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा भेजे गये प्रतिवेदनों से प्राप्त किया था। तथापि, लेखापरीक्षा राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) से सूचित किये गये आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं कर सका था। मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. से उ.प्र.प. की प्राप्ति की निगरानी के लिए अभिलेखों का अनुक्षण नहीं किया था। उ.प्र.प. को साधारण रूप से अभिलिखित कर दिया गया था और राज्यों/सं.शा.क्षे. के पास व्यय नहीं हुई धनराशि की उपलब्धता की निगरानी के लिए विश्लेषण नहीं किया गया था।

<sup>7</sup> 77 मामलों में आंकड़ों की असंगति की जाँच नहीं हो सकी थी, चूंकि नमूना परीक्षित ति.प्र.रि. में एकाधिक अपेक्षित आंकड़ा क्षेत्र खाली छोड़ दिये गये थे। 2009-10 के अंतिम तिमाही के लिए सात राज्यों/सं.शा.क्षे. (गोवा, जम्मू तथा कश्मीर, चंडीगढ़, दमन तथा द्वीप, दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी) ने उनकी ति.प्र.रि. नहीं भेजी थी। इसी प्रकार, 2010-11 के अंतिम तिमाही के लिए छः राज्यों/सं.शा.क्षे. (गोवा, जम्मू तथा कश्मीर, दमन तथा दीव, दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी) ने अपनी ति.प्र.रि. नहीं भेजी थी।

### 5.3.7 'यूडीसा' के अंतर्गत व्यय नहीं किये गये शेष की गैर-वापसी

अध्याय-V  
मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण

मंत्रालय ने 'यूडीसा' परियोजना को 1999-2006 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से, पूर्व सेवा कार्य प्रशिक्षणों के बकायों को निस्तारण के लिए, लागू किया था। परियोजना 31 मार्च 2006 को समाप्त हो गयी थी।

2006-07 के दौरान, मंत्रालय ने निर्णय लिया कि 'यूडीसा' के अंतर्गत राज्यों/सं.शा.क्षे. के पास व्यय नहीं किये गये उपलब्ध शेष की उसके द्वारा भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के लिए डेबिट सूचना के माध्यम से वापस कर दिया जाएगा। विश्व बैंक की बंद हो चुकी परियोजना के अंतर्गत व्यय नहीं किया गया शेष स.बा.वि.से. प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपयोग के लिए 2006-07 के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 25 राज्यों/सं.शा.क्षे. ने उनके पास उपलब्ध 'यूडीसा' परियोजना के अंतर्गत ₹19.12 करोड़ को फरवरी 2009<sup>8</sup> तक वापस नहीं किया था। राज्यवार विवरण अनुबंध 5.9 में दिया गया है।

मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. को व्यय नहीं किये गये शेष वापस करने का अनुरोध अप्रैल 2006 तथा जनवरी 2009 के बीच अपने विविध पत्रों द्वारा विशेष सफलता प्राप्त किये बगैर किया था। यह हालांकि, प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. को सहायता-अनुदान के निर्गम को परियोजना के अंतर्गत व्यय नहीं किये गये शेष की वापसी के साथ जोड़ने के अपने समेकित वित्त प्रभाग के अनुदेशों का पालन करने में असफल रहा था। मंत्रालय, राज्यों/सं.शा.क्षे. के साथ मामले को उठाने में लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी 2009 में बताए जाने के बावजूद असफल रहा था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. को व्यय नहीं किये गये को शीघ्र लौटाने का स्पष्टतः निर्देश दिया गया था। जिसमें असफल रहने पर उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य के निर्गमों के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।

स.बा.वि.से. के अंतर्गत, लाभार्थियों को सेवाओं को प्रदान करने वाले अधिकतर क्षेत्रीय कर्मचारी समुचित रूप से प्रशिक्षित नहीं थे क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपर्युक्त विवेचित अवरोधों से ग्रसित था। क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवधिक रूप से प्रशिक्षित करने में असफलता का परिणाम योजना का मूल स्तर पर अधूरे क्रियान्वयन तथा अभिलेखों के निम्न अनुरक्षण के रूप में परिणत हो सकता है (इस प्रतिवेदन के आगे आने वाले अध्यायों में विवेचित)

#### अनुशांसाएं

- मंत्रालय को प्रशिक्षण पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अप्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को स्पष्टतः दर्शाते हुए डेटाबेस का अनुरक्षण करना चाहिए।

<sup>8</sup> मंत्रालय के पास अद्यतित स्थिति उपलब्ध नहीं थी।



- राज्यों को अपने रा.प्र.का.यो. वित्त वर्ष के आरंभ होने से पूर्व भेजने के लिए सख्ती से निर्देश दिया जाना चाहिए।
- राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (रा.प्र.का.यो.)के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के संदर्भ में विश्लेषित किया जाना चाहिए। मंत्रालय को प्रशिक्षण के अंतर्गत उपलब्धियों को उनके अंतर्गत आने वाली आवश्यकताओं के साथ-साथ रा.प्र.का.यो. के अंतर्गत नियत लक्ष्यों के साथ विश्लेषण करना चाहिए।
- प्रशिक्षण अवसंचना की क्षमता को, निरंतर चलने वाले पुनश्चर्या प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृद्धि करना होगा। रा.सा.स.बा.वि.सं., म.स्त.प्र. के तथा आं.के. के नये क्षेत्रीय केन्द्रों को, जहाँ आवश्यक हो, खोला जाना चाहिए।

अध्याय-V  
मानव संसाधन  
तथा प्रशिक्षण





## अनुपूरक आहार

### 6.1 अनुपूरक आहार - प्रस्तावना

स.बा.वि.से. योजना बाल कुपोषण हेतु भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया है। अनुपूरक पोषण प्रदान कर यह योजना बच्चों व गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं की अनुशांसित आहार भत्ता (अ.आ.भ.) और औसत आहार सेवन (औ.आ.से) के प्रोटीन ऊर्जा के अन्तराल को भरना का कार्य करता है। अ.आ. के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एक वर्ष में 300 दिन के लिए अनुपूरक आहार प्रदान किया जाएगा। स.बा.वि.से. योजना पर 2006-11 की अवधि के दौरान व्यय किए गए ₹50,587 करोड़ में से ₹30,861 करोड़ (61 प्रतिशत) आहार प्रदान करने में व्यय किए गए।

### 6.2 अनुपूरक आहार (अ.आ.) पर व्यय में कमी

अ.आ. प्रदान करने हेतु वित्तीय नियम निम्नवत थे:

तालिका 6.1: अ.आ. के अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रति दिन व्यय वित्तीय नियम


वर्ग	अक्टूबर 2004 से लागू	नवम्बर 2008 से लागू
6-72 महीनों तक के उम्र के बच्चे	₹ 2.00	₹ 4.00
अत्यधिक कुपोषित बच्चे (6-72 महीने)	₹ 2.70	₹ 6.00
गर्भवती महिलाएं व सतन्यदा माताएं	₹ 2.30	₹ 5.00

इन नियमों के आधार पर, मंत्रालय ने निर्धारित किया कि अक्टूबर 2008 तक राज्य सरकारों को प्रति लाभार्थी प्रति दिन ₹2.06 (भार औसत) खर्च करना चाहिए। नियमों को संशोधित कर नवम्बर 2008 से लागू कर प्रति लाभार्थी प्रति दिन ₹4.21 कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-11 के दौरान देशभर में सभी लाभार्थियों के लिए अ.आ. प्रदान करने हेतु आवश्यक लागत ₹40,604 करोड़<sup>1</sup> हुई, जिसके विपरीत केन्द्र व राज्य सरकारों का संचयी व्यय ₹30,861 करोड़ (76 प्रतिशत) था। वर्ष-वार कमी 15 प्रतिशत से 36 प्रतिशत<sup>2</sup> के बीच थी, पूर्ण संख्याएं चार्ट 6.1 में दर्शायी गयी हैं:

<sup>1</sup> योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत निधि प्रदान की गई, शेष 50 प्रतिशत गैर-उत्तरपूर्वी राज्य सरकारों द्वारा वहन-किया जाता है। उत्तरपूर्वी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009-10 से 90 प्रतिशत निधियां प्रदान करती है।

<sup>2</sup> 2006-07: 29 प्रतिशत, 2007-08: 15 प्रतिशत, 2008-09: 36 प्रतिशत, 2009-10: 26 प्रतिशत और 2010-11: 16 प्रतिशत



[निधियों की आवश्यकता उस वर्ष के लाभार्थियों की संख्या एवं वित्तीय मानदंडों के आधार पर निर्धारित की गयी।]

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित नियमों के सामने अनुपूरक आहार (अ.आ.) पर किए गया खर्च में वर्षवार अंतर कमी राज्यों (दिल्ली सहित) में भिन्न-भिन्न थी जैसाकि अनुबंध 6.1 में वर्णित है:

तालिका 6.2: वित्तीय नियमों के विपरीत किए गए व्यय में अत्यधिक कमी वाले राज्य

वर्ष	राज्य जहां कमी 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच थी	राज्य जहां कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी
2006-07	हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखण्ड और दिल्ली (10)	ओडिशा और असम (2)
2007-08	बिहार, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब और असम (5)	शून्य
2008-09	त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मणिपुर (9)	गोवा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और असम (5)
2009-10	छत्तीसगढ़, नागालैण्ड, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, और पंजाब (11)	मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड (3)
2010-11	हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, बिहार और महाराष्ट्र (5)	पंजाब और असम (2)

कई राज्यों में अ.आ. पर व्यय में कमी के परिणामस्वरूप प्रति लाभार्थी किए गए व्यय में कमी आ गई। 2006-07 से 2010-11 के दौरान प्रति लाभार्थी प्रतिदिन अ.आ. पर व्यय 12 से 23 राज्यों में निर्धारित भारित औसत से कम था (राज्यवार वर्षवार स्थिति अनुबंध 6.2 में दी गई है)। राष्ट्रीय स्तर पर अनुपूरक आहार (अ.आ.) पर प्रति लाभार्थी औसत



दैनिक व्यय 2006-09 के दौरान ₹1.52 से ₹2.01 और 2009-11 के दौरान ₹3.08 से ₹3.64 था।

अ.आ. पर प्रति लाभार्थी व्यय में महत्वपूर्ण कमी वाले राज्यों की सूची तालिका 6.3 में दी गई है।

अध्याय-VI  
अनुपूरक आहार

तालिका 6.3: अ.आ.<sup>3</sup> पर प्रति व्यक्ति व्यय में काफी कमी वाले राज्य

राज्य	₹ 1.00 से कम	₹ 1.00 और ₹ 1.50 के बीच
2006-07	ओडिशा (1)	आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल (11)
2007-08	शून्य	असम, बिहार, दिल्ली, ओडिशा और पंजाब (5)
2008-09	उत्तराखण्ड (1)	अरुणा प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब (3)
	₹ 2.00 से कम	₹ 2.00 और ₹ 3.00 के बीच
2009-10	अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, और उत्तराखण्ड (3)	छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (9)
2010-11	महाराष्ट्र, पंजाब, और उत्तराखण्ड (3)	बिहार (1)

अ.आ. पर व्यय में कमी यह संकेत करती है कि लाभार्थियों को अपर्याप्त पोषण मिल रहा था। इसके अतिरिक्त अ.आ. प्रदान करने में अल्पकालिक अन्तराल थे (जैसा कि प्रतिवेदन के पैराग्राफ 6.5.2 में दिया गया है।

नमूना जांच किए गए राज्यों में व्यय में कमी के कारण निधियों की आवश्यकता का आकलन न होना, बजट में निधियों का कम मात्रा में प्रावधान, मंत्रालय द्वारा निधियों को कम मात्रा में जारी करना, राज्य के भाग का अपर्याप्त, आवंटन, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधियों को जारी करना, स.बा.वि.से. निदेशालय द्वारा निधियों के स्थानांतरण में देरी, खाद्य सामग्री के प्रापण हेतु निविदाएं निश्चित न हो पाना और आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में लक्ष्य संख्या में बच्चों का उपलब्ध न होना थे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि स.बा.वि.से. योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों/सं.शा.क्षे. पर है। इसने यह भी कहा (नवम्बर 2012) कि लागत मानदण्ड नवम्बर 2008 में संशोधित कर दिए गए और कुछ राज्यों ने संशोधित वित्तीय नियमों को लागू करने में अधिक समय लिया जा औसत दैनिक व्यय में गिरावट का कारण हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स.बा.वि.से. एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है और इसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना मंत्रालय का साझा उत्तरदायित्व है। मंत्रालय नीति निर्धारित करता है, निधियां जारी करता है, अतः यह मानीटरिंग हेतु उत्तरदायी है।

<sup>3</sup> कोष्ठक में संख्या राज्यों की संख्या दर्शाती है। संशोधित दरों की 2009-10 से गणना की गई है।

**अनुशंसा**

- मंत्रालय को अ.आ. में कमी के कारणों को सुनिश्चित करना चाहिए और निर्धारित मानदण्ड को प्राप्त करना चाहिए।


## अध्याय-VI

## अनुपूरक आहार

**6.3 वृद्धि मानीटरिंग****6.3.1 वृद्धि मानीटरिंग में कमी**

यह योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) पर प्रत्येक आयु सापेक्ष भार को एक संकेतक के रूप में प्रयोग करते हुए उनकी वृद्धि के आकलन हेतु बच्चे के वृद्धि चार्ट /कार्ड बनाने की अनुशंसा करती है। तीन वर्ष तक के बच्चों को महीने में एक बार तीन से छः वर्ष के मध्य के बच्चों को प्रत्येक तिमाही में भारित किया जाना चाहिए। इन वृद्धि चार्टों को बाल विकास परियोजना कार्यालयों/स्वास्थ्य कार्मिकों के द्वारा उपचारात्मक कदम उठाने हेतु कुपोषित बच्चों की पहचान करने हेतु विश्लेषित किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अन्तर्गत वृद्धि मानीटरिंग में उल्लेखनीय कमी पाई। 2006-07 से 2010-11 के दौरान 33 से 47 प्रतिशत<sup>4</sup> तक बच्चों का भार नहीं किया गया जैसा कि निम्न चार्ट में प्रदर्शित है:



मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच से 11 राज्यों/सं.शा.क्षे. (अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली व पुडुचेरी) के पात्र लाभार्थियों के 50 प्रतिशत से अधिक की कमी पाई गई। छः राज्यों जिन्होंने 25 प्रतिशत से कम की कमी के साथ बेहतर कार्य किया, वे हैं आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु। राज्यवार विवरण अनुबंध 6.3 में दिये गये हैं।

<sup>4</sup> 2006-07: 47 प्रतिशत, 2007-08: 47 प्रतिशत, 2008-09: 44 प्रतिशत, 2009-10: 33 प्रतिशत तथा 2010-11: 35 प्रतिशत।



लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए आं.के. पर निम्न खामियां पाई जो कमी के परिणामस्वरूप हो सकती हैं:

- 2006-11 के दौरान उत्तर प्रदेश के 309 नमूना जांच किए गए आ.वा.के. में और मध्य प्रदेश में 57 से 201 तक (208 में से) आं.के. के वृद्धि चार्ट प्रदान नहीं किए गए।
- चार राज्यों में, जबकि वृद्धि चार्ट उपलब्ध थे, उनका प्रयोग आ.वा.के. द्वारा 2006-11 के दौरान नहीं किया गया (झारखण्ड: 76 से 119, राजस्थान: 124 से 131, ओडिशा: 10 से 11 और पश्चिम बंगाल: 3 से 4)।
- सात राज्यों (झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 2006-11 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (आं.का.) के पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में वृद्धि मानीटरिंग प्रभावित हुई।
- 25.70 प्रतिशत आं.के. पर कारगर शिशु तराजू के उपलब्ध न होने को योजना के अंतर्गत वृद्धि मानीटरिंग में कमी हेतु एक बड़ा कारण माना जा सकता है (आन्ध्र प्रदेश, मेघालय) विवरण इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4.3 में)।
- गुजरात और झारखण्ड में नमूना जांच किए गए किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) में, मध्य प्रदेश में 162 से 222 आं.के. में, राजस्थान में 46 से 50 में और पश्चिम बंगाल में 41 से 46 आं.के. में आं.के. पर रखे गए वृद्धि चार्टों की पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) द्वारा जांच नहीं की गई। इसी प्रकार, इसे गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल के किसी भी नमूना जांच किए गए आं.के. में ओडिशा के 76 से 102 नमूना जांच किए गए आं.के. में, कर्नाटक के 85 और राजस्थान के 211 से 212 में इसे अतिथि चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँचा नहीं गया।

#### सकारात्मक विकास

- गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक प्रत्येक नमूना जांच किए गए आं.के. में आं.का. को वृद्धि चार्ट के विश्लेषण हेतु प्रशिक्षित किया गया। इन राज्यों में सभी नमूना जांच किए गए आं.के. में वृद्धि चार्टों का रखरखाव आ.का. द्वारा किया जा रहा था
- छत्तीसगढ़, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश में सभी नमूना जांच किए गए आं.के. में वृद्धि चार्टों को पर्यवेक्षकों/बा.वि.प.अ. द्वारा जांचा गया था।

बच्चों की वृद्धि की मानीटरिंग में कमी संकेत करती है कि बच्चों में कुपोषण की घटनाओं को कम करने हेतु मध्यस्थता हेतु लक्ष्यों की पहचान के लिए प्रणाली पर्याप्त नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि वृद्धि मानीटरिंग में कमी आं.के. पर बच्चे के प्रवेश न लेने और उनकी उपस्थिति में कमियों के कारण था, क्योंकि स.बा.वि.से. एक स्वचयन

योजना है। इसने यह भी बताया (नवम्बर 2012) कि लाभार्थियों को सम्मिलित करने को अनुकूल बनाने हेतु राज्य /सं.शा.क्षे. से सतत रूप से समीक्षा कर रही थी।

#### अध्याय-VI

#### अनुपूरक आहार

मंत्रालय का उत्तर स.बा.वि.से. योजना की निम्न पहुंच को दर्शाता है। यह योजना के अंतर्गत समुदाय संग्रहण के लिए अपर्याप्त सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यक्रम की ओर भी संकेत करता है। जैसाकि इस प्रतिवेदन के अध्याय 8 में चर्चा की गई है।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय को लाभार्थियों की वृद्धि मानकों की मानीटरिंग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और आ.वा.का. को पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए आवश्यक डाटाबेस का रखरखाव की अनुशंसित व मानीटरिंग करनी चाहिए।

#### 6.3.2 बच्चों की पोषण स्थिति

यह योजना बच्चों की उनकी आयु-वजन स्थिति के अनुसार बच्चों का पांच श्रेणी वर्गीकरण की अनुशंसा करता है, जो है: सामान्य, ग्रेड-I, ग्रेड- II, ग्रेड-III, और ग्रेड-IV हैं। ग्रेड-III और IV में आने वाले बच्चों को अत्यधिक कुपोषित कहा जाएगा और अतिरिक्त अ.आ., नियमित स्वास्थ्य जांच व स्वास्थ्य केन्द्रों को विचारार्थ प्रेषण प्रदान किया जाना चाहिए।

जो बच्चे स.बा.वि.से. लाभार्थी थे, उनकी पोषण स्थिति का वर्षवार ब्यौरा नीचे तालिका 6.4 में दर्शाया गया है (राज्य-वार विवरण अनुबन्ध 6.4 में है):

तालिका 6.4: बच्चों की पोषण स्थिति (मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार)

(आंकड़े करोड़ में)

निम्न को स्थिति	वजन किए गए कुल बालक	सामान्य		ग्रेड-I और II (सामान्य रूप से कुपोषित)		ग्रेड III और IV (गंभीर रूप से कुपोषित)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
31 मार्च 2007	5.69	2.84	49.90	2.82	49.54	0.03	0.55
31 मार्च 2008	6.21	3.21	51.64	2.97	47.84	0.03	0.52
31 मार्च 2009	6.64	3.55	53.43	3.06	46.08	0.03	0.49
31 मार्च 2010	7.99	3.89	48.74	3.21	40.18	0.89	11.08
31 मार्च 2011	7.82	4.60	58.84	2.96	37.84	0.26	3.33

[नोट: पहले तीन वर्षों में बिहार के सम्बन्ध में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं]

बच्चों की पोषण स्थिति के राज्य-वार आंकड़ों के विश्लेषण से निम्न तथ्य की ओर संकेत मिलता है:

- बच्चों की पोषण स्थिति के सम्बन्ध में उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रदर्शन बेहतर था, जहां 31 मार्च 2011 में सामान्य बच्चों का प्रतिशतता कुल भार किए गए बच्चों की तुलना में संतोषजनक था (अरुणाचल प्रदेश: 98 प्रतिशत, असम: 69



प्रतिशत, मणिपुर: 86 प्रतिशत, मेघालय: 71 प्रतिशत, मिजोरम: 77 प्रतिशत, नागालैण्ड: 92 प्रतिशत, सिक्किम: 89 प्रतिशत और त्रिपुरा: 63 प्रतिशत)।

- पांच अन्य राज्यों/सं.शा.क्षे. में 31 मार्च 2011 में सामान्य बच्चों का प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक था, जो हैं मध्य प्रदेश: 72 प्रतिशत, महाराष्ट्र: 77 प्रतिशत, उत्तराखण्ड: 75 प्रतिशत अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह: 82 प्रतिशत, और दादरा और नगर हवेली: 75 प्रतिशत।
- 10 राज्यों/सं.शा.क्षे. में कुपोषित बच्चों (ग्रेड I, II, III तथा IV) की कुल संख्या 40 प्रतिशत के चिन्ह को पार कर गयी (आन्ध्र प्रदेश: 49 प्रतिशत, बिहार: 82 प्रतिशत, हरियाणा: 43 प्रतिशत, झारखण्ड: 40 प्रतिशत, ओडिशा: 50 प्रतिशत, राजस्थान: 43 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश: 41 प्रतिशत, दिल्ली: 50 प्रतिशत, दमन और द्वीप: 50 प्रतिशत और लक्षद्वीप: 40 प्रतिशत)।
- अत्यधिक कुपोषित बच्चों की संख्या आठ राज्यों में कुल भार किए गए बच्चों के एक प्रतिशत अधिक हो गई (बिहार: 26 प्रतिशत, छत्तीसगढ़: 2 प्रतिशत, गुजरात: 5 प्रतिशत, कर्नाटक: 3 प्रतिशत, मध्य प्रदेश: 2 प्रतिशत, महाराष्ट्र: 3 प्रतिशत, उत्तराखण्ड: 1 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल: 4 प्रतिशत)।
- छः राज्यों (गुजरात): 71 से 39 प्रतिशत तक, कर्नाटक: 53 से 41 प्रतिशत, महाराष्ट्र: 45 से 23 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश: 53 से 41 प्रतिशत, उत्तराखण्ड: 46 से 25 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल: 53 से 37 प्रतिशत) में कुपोषित बच्चों में पर्याप्त कमी थी।

### 6.3.3 पोषण स्थिति पर असंगत आंकड़े

लेखापरीक्षा ने 2009-10 और 2010-11 के लिए मंत्रालय द्वारा बताई गई गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या पर आंकड़ों की जांच की और गंभीर कमियों के निम्न दृष्टान्त पाए:

- मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2009 को वजन किये गये 66.57 लाख बच्चों में से, 29,750 बच्चे (0.44 प्रतिशत) गंभीर रूप से कुपोषित थे। वजन किये गये बच्चों की संख्या तथा गंभीर कुपोषण की घटना वर्ष बाद अचानक बढ़ गयी। 31 मार्च 2010 को, 139.19 लाख बच्चे कथित रूप से तौले गये थे, जिनमें से 69.59 लाख (50 प्रतिशत) गंभीर रूप से कुपोषित बताये गये थे। फिर 31 मार्च 2011 को, 73.97 लाख बच्चे कथित रूप से तौले गये थे, जिनमें से 1.39 लाख (1.88 प्रतिशत) बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित बताये गये थे।
- बिहार, के मामले में दो क्रमिक वर्षों 2010 और 2011<sup>5</sup> में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या बिल्कुल वही 16.64 लाख बनी रही, जबकि कुल भार किए गए

<sup>5</sup> बिहार के सम्बन्ध में 2006-09 हेतु सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थी।

बच्चों की संख्या 31 मार्च 2010 में 46.22 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2011 में 64.16 लाख हो गई थी।

**अध्याय-VI**  
**अनुपूरक आहार**

मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों और राज्यों द्वारा उनके व्यय के विवरणों (व्य.वि.) के माध्यम से प्रदान किए गए आंकड़ों के बीच उल्लेखनीय अन्तर था। जिन मामलों में यह अंतर अत्यधिक था (10,000 से अधिक) उन पर विवरण तालिका 6.5 में दिया गया है:

**तालिका 6.5: अत्यधिक कुपोषित बच्चों की संख्या पर आंकड़ों में खामियां**

राज्य	2009-10			2010-11		
	मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को दिए गए आंकड़े	व्य.वि. में उल्लिखित आंकड़े	अन्तर	मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को दिए गए आंकड़	व्य.वि. में उल्लिखित आंकड़े	अन्तर
असम	10,504	1,11,246	1,00,742	8,789	4,62,725	4,53,927
बिहार	16,64,418	9,62,532	(-) 7,01,886	16,64,418	9,62,532	(-) 7,01,886
मध्य प्रदेश	69,59,462	34,302	(-)69,25,160	1,38,748	32,28,000	30,89,252
महाराष्ट्र	अधिक अन्तर नहीं था			1,59,969	82,26,289	80,66,320
पश्चिम बंगाल				2,11,593	2,49,161	37,568

उपरोक्त तथ्य संकेत करते हैं कि मंत्रालय के पास देश में कुपोषित व अत्यधिक कुपोषित बच्चों की संख्या पर पूर्णतः विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे। विश्वसनीय आंकड़ों के संग्रह के अभाव में कुपोषित और अत्यधिक कुपोषित बच्चों का लक्ष्य बनाना प्रभावशाली नहीं माना जा सकता।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के कुछ बच्चों की पोषण स्थिति पर आंकड़े पुराने वृद्धि मानकों पर आधारित हैं और शेष नए विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) बाल वृद्धि मानकों के अनुसार हैं जिससे अवधि के दौरान आंकड़ों में वृद्धि /कमी आ गई है। बच्चों की पोषण स्थिति पर आंकड़ों में खामी का मुद्दा पर मध्य प्रदेश व बिहार की राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर दर्शाता था कि यह एक ही डाटाबेस के लिए दो भिन्न विधियों को अपनाकर बाल कुपोषण पर आंकड़ों को संकलित कर रहा था। बच्चों में कुपोषण का विस्तार मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं था।

**अनुशंसा**

- मंत्रालय स्वतंत्र परामर्शदाओं की नियुक्ति द्वारा बच्चों की पोषण स्थिति पर आवधिक सर्वेक्षण का आयोजन कराना चाहिए जिससे मध्यस्थताओं के बेहतर लक्ष्यीकरण द्वारा कुपोषण के खतरे को रोका जा सके।



### 6.3.4 विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) वृद्धि मानकों को लागू न किया जाना

स.बा.वि.से. अपनी स्थापना काल से बच्चों में वृद्धि की मानीटरिंग के प्रयोजन से हार्वर्ड मापदण्ड<sup>6</sup> का प्रयोग कर रहा था। मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत नई विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) वृद्धि मानकों<sup>7</sup> को आरंभ करने का निर्णय किया (2008) पहले कदम के रूप में मंत्रालय ने राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) को सम्बद्ध अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित करने को कहा। मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (आं.का.) व आंगनवाड़ी सहायकों (आ.स.) सहित अधिकारियों हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने का भी अनुरोध किया। जो बच्चे खतरे पर हैं, उनकी पहचान हेतु नया वि.स्वा.स. मानक वृद्धि संबंधी समस्याओं को संदर्भ मूल्य प्रदान करते हैं। इन नए मानकों से पणधारी अर्थात् माता-पिता, समुदाय, बाल विकास कार्यकर्ता, कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य सुरक्षा समर्थक इत्यादि यह जान पाते हैं कि बालक की पोषण व देखभाल आवश्यकताओं में कमी आ रही है। इस साधन का प्रयोग उन्हें विभिन्न स्तरों पर सामयिक दोष निवारक कार्यवाही करने में समर्थ बनाता है।

नए वृद्धि मानकों के निहितार्थ में अन्य बातों के साथ जिन्हें अतिरिक्त अ.आ., चिकित्सकीय देखभाल और सतत मानीटरिंग चाहिए, अत्यधिक कुपोषित बच्चों की संख्या में प्रबल वृद्धि शामिल है।

मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नए वृद्धि मानक चार्ट परियोजना स्तर तक प्रकाशित व हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली व जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को छोड़कर सभी राज्यों में वितरित किए जा चुके थे। नमूना राज्यों में नमूना जांच से पता चला कि वृद्धि मानीटरिंग हेतु वि.स्वा.सं. मानकों के कार्यान्वयन के आदेश 2008-09 और 2010-11 में जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पोषण स्थिति पर राज्य-वार आंकड़ों की तुलना 28 राज्यों और दिल्ली हेतु राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (रा.प.स्वा.स.-3) के डाटा के साथ तुलना की थी। रा.प.स्वा.सं.3 स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह वि.स्वा.सं. वृद्धि मानकों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2005-06 हेतु शून्य

<sup>6</sup> हार्वर्ड मानक के अनुसार अपनी आयु सीमा हेतु माध्यमिक भार के 80 प्रतिशत या अधिक भार वाले बच्चे को सामान्य माना जाता है। यह चार प्रकार के कुपोषण निर्धारित करता है, जो है मन्द (ग्रेड I: माध्यिक का 70 से 79.999 प्रतिशत), सामान्य (ग्रेड II: माध्यिक का 60 से 69.999 प्रतिशत), तीव्र (ग्रेड III: माध्यिक का 50 से 59.999 प्रतिशत) और अत्यधिक तीव्र (ग्रेड IV: माध्यिक का 50 प्रतिशत से कम)

<sup>7</sup> वि.स्वा.से. मानक यह बताते हुए कि स्वस्थ बच्चों की वृद्धि किस प्रकार होनी चाहिए, एक निर्देशात्मक अभिगम अपनाता है। इसका पौषणिक स्थिति संकेतक संदर्भ जनसंख्या के माध्यिक से मानक विचलन इकाई (जेड-मूल्यों) के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। जिन बच्चों की आयु सापेक्ष भार संदर्भ जनसंख्या से ऋण दो मानक (-2 मा.वि.) नीचे हो, कम वजन होते हैं। जिन बच्चों की आयु सापेक्ष भार संदर्भ जनसंख्या से ऋण तीन मानक विचलन (-3 मा.वि.) नीचे हो, अत्यधिक कम वजन माने जाते हैं।

से पांच वर्ष की आयु की आयु सीमा में बच्चों के कुपोषण के आंकड़े प्रदान करता है। इस संबंध में राज्यवार विवरण तालिका 6.6 में दिया गया है:

तालिका 6.6: कुपोषित व अत्यधिक कुपोषित बच्चों का प्रतिशत

अध्याय-VI

अनुपूरक आहार

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	रा.प.स्वा.स.-3 के अनुसार (2005-06 के लिए स्थिति)		मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े (निम्न को स्थिति)			
	कुपोषित	गंभीर रूप से कुपोषित	31 मार्च 2007		31 मार्च 2011	
			कुपोषित	गंभीर रूप से कुपोषित	कुपोषित	गंभीर रूप से कुपोषित
आन्ध्र प्रदेश	32.5	9.9	53.23	0.13	48.72	0.08
अरुणाचल प्रदेश	32.5	11.1	9.13	0.01	2.00	0.00
असम	36.4	11.4	40.12	1.40	31.32	0.46
बिहार	55.9	24.1	उ.न.	उ.न.	82.12	25.94
छत्तीसगढ़	47.1	16.4	54.14	1.18	38.47	1.97
गोवा	25.0	6.7	41.41	0.15	34.11	0.04
गुजरात	44.6	16.3	70.69	0.85	38.77	4.56
हरियाणा	39.6	14.2	45.34	0.11	42.95	0.05
हिमाचल प्रदेश	36.5	11.4	38.86	0.15	34.24	0.06
जम्मू एवं कश्मीर	25.6	8.2	32.61	0.78	31.12	0.06
झारखण्ड	56.5	26.1	47.36	1.74	40.00	0.70
कर्नाटक	37.6	12.8	53.39	0.31	39.50	2.84
केरल	22.9	4.7	38.80	0.07	36.92	0.08
मध्य प्रदेश	60.0	27.3	49.61	0.75	28.49	1.88
महाराष्ट्र	37.0	11.9	45.47	0.21	23.32	2.61
मणिपुर	22.1	4.7	10.06	0.19	13.83	0.24
मेघालय	48.8	27.7	36.74	0.14	29.13	0.18
मिजोरम	19.9	5.4	22.67	0.48	23.26	0.20
नागालैण्ड	25.2	7.1	13.79	0.31	8.36	0.07
ओडिशा	40.7	13.4	56.54	0.82	50.43	0.72
पंजाब	24.9	8.0	35.36	0.37	33.63	0.05
राजस्थान	39.9	15.3	54.09	0.27	43.13	0.33
सिक्किम	19.7	4.9	27.17	0.08	10.72	0.86
तमिलनाडु	29.8	6.4	39.10	0.04	35.22	0.02
त्रिपुरा	39.6	15.7	14.83	0.19	36.89	0.35
उत्तर प्रदेश	42.4	16.4	53.36	1.09	40.93	0.21
उत्तराखण्ड	38.0	15.7	45.71	0.23	24.93	1.19
पश्चिम बंगाल	38.7	11.1	52.75	0.68	36.92	4.08
दिल्ली	26.1	8.7	54.36	0.07	49.91	0.03
समग्र भारत	42.5	15.8	50.10	0.55	41.16	3.33

[कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में अत्यधिक कुपोषित बच्चों सहित सभी कुपोषित बच्चों को सम्मिलित किया गया है]



तालिका 6.6 दर्शाया कि रा.प.स्वा.स.-3 की जांच परिणामों की तुलना में मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार अत्यधिक कुपोषित बच्चों के प्रतिशत बहुत निम्न रहा। अत्यधिक कुपोषित बच्चों की प्रतिशत में 2006-07 में 0.55 प्रतिशत से 2010-11 में 3.33 प्रतिशत की बहुत कम वृद्धि हुई है। यद्यपि यह वृद्धि बिहार में अत्यधिक कुपोषित बच्चों के अपवादात्मक उच्च प्रतिशत के कारण था। सात राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल) में अत्यधिक कुपोषित बच्चों की प्रतिशतता में सामान्य वृद्धि हुई।

इसने दिखाया कि वि.स्वा.सं. वृद्धि मानकों के कार्यान्वयन के बावजूद, आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) स्तर पर वृद्धि मानीटरिंग के प्रयोग में वास्तविक रूप में इनका प्रयोग आरंभ नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए, लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड में 4462 की आवश्यकता के विपरीत धनबाद में केवल 2450 चार्ट प्रदान किए गए, जबकि दुमका जिले में लड़कियों के लिए प्रदान किये गये 760 चार्ट कम थे, जो मंत्रालय के इस कथन कि झारखण्ड ने सभी परियोजनाओं के लिए वृद्धि चार्ट मुद्रित व वितरित कर दिए थे, मेल नहीं खाता था। अपनी और से मंत्रालय द्वारा इसकी प्रभावशाली ढंग से मानीटरिंग नहीं की गई।

इस प्रकार, वि.स्वा.सं. वृद्धि मानकों के प्रवर्तन के माध्यम से पूर्व अवस्था में अत्यधिक कुपोषण की पहचान कर स.बा.वि.से. को केन्द्रित करने की मंत्रालय की पहल अपूर्ण रह गई।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012 और नवम्बर 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) पर नए वि.स्वा.सं. वृद्धि चार्ट के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थे। यह राज्यों /सं.शा.क्षे. से नवीन वि.स्वा.सं. वृद्धि चार्ट के कार्यान्वयन को गति प्रदान हेतु लगा हुआ था। ये चार्ट मार्च 2012 तक 6,305 परियोजनाओं और 7.67 लाख आं.के. में लागू कर दिये गये थे। मार्च 2012 से लागू होने वाला संशोधित प्र.सू.प्र. फार्मेट नए वृद्धि चार्टों पर आधार पर सूचना संग्रह करेंगे।

मंत्रालय का उत्तर यह दर्शाता था कि वि.स्वा.सं. वृद्धि मानकों के लागू होने के चार वर्षों के बाद भी इन्हें 41 प्रतिशत क्रियाशील आं.के. में आरंभ किया जाना शेष था। यह उत्तर दर्शाता है कि हरियाणा और चंडीगढ़ में चार्टों का मुद्रण प्रगति पर था, जबकि नौ राज्यों/सं.शा.क्षे.<sup>8</sup> के सम्बन्ध में, आं.के. में इन चार्टों के लागू किये जाने की स्थिति की मंत्रालय को जानकारी नहीं थी। इन परिस्थितियों में, मंत्रालय जिन आं.के. पर ये चार्ट आरंभ किए गए हैं बच्चों की पोषण स्थिति नए मानकों के आधार पर जबकि शेष आं.के. से पुराने मानकों के आधार पर प्राप्त करेगा। परिणामस्वरूप, कुपोषण के विस्तार के सम्बन्ध में एक विश्वसनीय डाटाबेस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं था।

<sup>8</sup> बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड व पश्चिम बंगाल

**अनुशंसा**

- मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र देश भर में नए वृद्धि मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आवश्यक मध्यस्थता हेतु असुरक्षित बच्चों की सामायिक पहचान संभव हो सके।

**मामला अध्ययन: झारखण्ड के नमूना जांच किए गए जिलों में अत्यधिक कुपोषित बच्चों हेतु विशेष देखभाल का अभाव**

- 12 में से 10 परियोजनाएं जिलों और निदेशालय को अपने मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मा.प्र.प्र.) में अत्यधिक कुपोषित बच्चों की संख्या नियमित रूप से बताते थे। हॉलांकि 120 नमूना जांच किए गए आं.के. में वितरण पंजिकाओं में उन्हें अतिरिक्त राशन का विवरण पाया नहीं गया।
- गढ़वा जिले की नगरस्तारी परियोजना ने मार्च 2011 के महीने में 27 अत्यधिक कुपोषित बच्चे सूचित किये। यद्यपि कुपोषण उपचार केन्द्र (कु.उ.के.) नगरस्तारी के रिकार्ड नौ कुपोषित बच्चों का प्रवेश सूचित किया। इनमें से कोई भी बच्चा आं.का./आं.स. द्वारा विचारार्थ भेजा नहीं गया था। जून 2009 से नवम्बर 2011 के दौरान कु.उ.के. में 193 कुपोषित बच्चे प्रविष्ट किए गए जिनमें से 11 आं.का./आं.स. द्वारा विचारार्थ भेजे गए थे।
- 12 नमूना जांच की गई परियोजनाओं ने मार्च 2011 में अपने मा.प्र.प्र. में 742 अत्यधिक कुपोषित बच्चों को दर्शाया। यद्यपि आं.के. पर अपने स्वास्थ्य जांच हेतु डॉक्टरों का कोई दौरा अभिलेख में नहीं था।

**6.4 लागत व पोषण मानक****6.4.1 संशोधित पोषण मानकों के कार्यान्वयन में कमी**

फरवरी 2009 में मंत्रालय ने अनुशंसित पोषाहार भत्ता (अ.आ.भ.) और औसत पोषाहार आहार (औ.अ.आ.) के बीच अंतर को भरने हेतु अ.आ. अंतर्गत पोषण मानकों को संशोधित कर दिया जैसा कि नीचे दिया है:

तालिका 6.7: अ.आ. हेतु पोषण मानक

लाभार्थी	फरवरी 2009 से पूर्व		फरवरी 2009 के बाद	
बालक (6- 72 महीने)	300 कैलोरी	8-10 ग्रा.	500 कैलोरी	12 - 15 ग्रा.
अत्यधिक कुपोषित बच्चे (6- 72 महीने)	600 कैलोरी	16-20 ग्रा.	800 कैलोरी	20 - 25 ग्रा.
गर्भवती व स्तन्यदा माताएं	500 कैलोरी	15-20 ग्रा.	600 कैलोरी	18 - 20 ग्रा.



चार राज्यों की नमूना जांच से निम्न तथ्य ज्ञात हुए:

**पश्चिम बंगाल:** लाभार्थियों को दिए जाने वाले अनुपूरक आहार की मात्रा खाद्य पदार्थ की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कम की जानी थी, जबकि प्रति लाभार्थी प्रति दिन व्यय वही बना रहा। अक्टूबर 2010 में 60 ग्रा. चावल और 25 ग्रा. दाल अत्यधिक कुपोषित बच्चों को प्रदान किया, जो जनवरी में कम होकर क्रमशः 45 ग्रा. और 20 ग्रा. हो गया।

लाभार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में पोषण मात्रा में कमी अप्रैल 2011 में 102 से 344 कैलोरी थी जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 6.8: पश्चिम बंगाल में कैलोरियों की कमी

लाभार्थियों की श्रेणी	ऊर्जा की निर्धारित मात्रा	ऊर्जा की वास्तविक मात्रा जो प्रदान की गई	कमी
6 से 72 महीने के बच्चे	500 कै.	384 कै.	116 कै.
अत्यधिक कुपोषित बच्चे	800 कै.	456 कै.	344 कै.
गर्भवती व स्तन्यदा माताएं	600 कै.	498 कै.	102 कै.

**झारखण्ड:** नए पोषण नियमों के अंतर्गत निवल राशन (नि.रा.)<sup>9</sup> के अनुसार छः माह से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 कै. की आवश्यकता के विपरीत केवल 484 कै. प्रदान किया गया था। इसी प्रकार कुपोषित बच्चों के लिए 800 कै. के मान के विपरीत 760.20 कै. का नि.रा. प्रदान किया गया।

**मध्य प्रदेश:** फरवरी 2009 से संशोधित मानकों के अनुसार सभी चिन्हित आं.के. में 1138 कुपोषित बच्चों (3-6 वर्ष) को कोई अतिरिक्त भोजन नहीं दिया गया।

**गुजरात:** 160 चयनित आं.के. में विभाग ने कुपोषित लाभार्थियों को अनुमत पोषण नियमों के विपरीत प्रोटीन की केवल 500 कै. और 20 ग्रा. प्रदान किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के पास राज्य सरकारों द्वारा संशोधित पोषण मानदण्डों के क्रियान्वयन से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में संशोधित पोषण व वित्तीय नियमों के कार्यान्वयन पर शपथ पत्र दाखिल किए गए थे। इस पहलू पर न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों द्वारा मानीटरिंग किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकारों ने नए नियमों के कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय को सूचित कर दिया था, मंत्रालय के पास संशोधित नियमों के वास्तविकता में कार्यान्वयन पर कोई सूचना नहीं थी।

<sup>9</sup> छः माह से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, अ.आ. निवल राशन (नि.रा.) के रूप में, जहां या तो सूखा अथवा कच्चा राशन (गेहूं तथा चावल) जो बच्चे के ग्रहण योग्य हो, प्रदान किया जाता है।

#### 6.4.2 संशोधित पोषण नियमों के कार्यान्वयन में कमी

फरवरी 2009 से प्रभावी संशोधित नियम में (तालिका 6.7 में दिखाये गये पुराने मानदण्डों के अनुसार), अन्य बातों के साथ, आं.के. पर तीन से छः वर्ष की आयु सीमा के बच्चों के लिए एक भोजन, जिसमें प्रातः काल के जलपान और गर्म पका भोजन सम्मिलित है, परोसा जाना सम्मिलित था। चूंकि इस आयु वर्ग के बच्चे एक बार में 500 कैलोरी ग्रहण नहीं कर पायेंगे। आगे, लाभार्थियों को गर्म पके हुए भोजन के स्थान पर सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध भोजन मुख्य रूप से प्रदान किया था। केवल छः माह से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को ही अ.आ. निवल राशन (नि.रा.) के रूप में प्रदान करना था।

13 राज्यों में नमूना जांच में पाया गया कि संशोधित नियम केवल गुजरात में लागू किए गए थे जबकि बाकी 12 राज्यों में मार्च 2011 के अंत में नए नियमों के कार्यान्वयन में निम्न कमियां पाई गई (राज्य-वार विवरण अनुबंध 6.5 में दिया गया है):

- 420 नमूना जांच किए गए आं.के. (17 प्रतिशत) में संशोधित नियमों का कार्यान्वयन किया जाना शेष था।
- 2,192 नमूना जांच किए गए आं.के. (86 प्रतिशत) में आयुसीमा के अंतर्गत तीन से छः वर्ष के लाभार्थियों को एक भोजन से अधिक प्रदान किए जाने की व्यवस्था नहीं की गई थी।
- 735 आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) (31 प्रतिशत) में प्रातःकाल के जलपान की व्यवस्था नहीं थी। 160 आं.के. (6 प्रतिशत) में लाभार्थियों को गर्म पकाया हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया।
- 260 आं.के. (10 प्रतिशत) में, तीन से छः वर्ष की आयु सीमा के लाभार्थियों को नि.रा. के रूप में अ.आ. दिया गया।
- 240 आं.के. (10 प्रतिशत) में छः महीनों से तीन वर्ष आयु के बच्चों को नि.रा. पैटर्न के बजाय अ.आ. प्रदान करने के मामले थे।

#### मामला अध्ययन: उत्तर प्रदेश में गर्म पके भोजन हेतु निधि का वापिस किया जाना

सभी आं.के. पर गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु 2006-11 के दौरान ₹1981.73 करोड़ की आवश्यकता के विपरीत राज्य ने जिलों को केवल ₹1060.79 करोड़ जारी किए। इस पर वास्तव में किया गया व्यय ₹861.86 करोड़ आवश्यकता का (44 प्रतिशत) था, जबकि निदेशालय स्तर पर निधियों के जारी में देरी व जिला स्तर पर निधियों के आहरण में देरी के कारण भी ₹198.93 करोड़ की राशि वापिस कर दी गई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय के पास राज्य सरकारों द्वारा संशोधित नियमों के कार्यान्वयन पर कोई सूचना नहीं थी।




ये मामले दर्शाते थे कि संशोधित पोषित नियम जिन्हें कुपोषण अनुत में कमी की धीमी गति को ध्यान में रख कर आरंभ किया गया, उनके आरंभ के दो वर्ष के बाद भी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित नहीं हुए थे।

अध्याय-VI  
अनुपूरक आहार

## 6.5 अनुपूरक आहार (अ.आ.) का सीमा क्षेत्र व गुणवत्ता

### 6.5.1 लाभार्थियों को सम्मिलित करने में कमियां

स.बा.वि.से. का सार्वभौमिकरण वर्षभर में सभी योग्य लाभार्थियों की आवृत्ति का विचार करता है। यद्यपि लेखपरीक्षा ने 2006-07 से 2010-11 के दौरान वर्षभर में पहचान करने चिन्हित योग्य लाभार्थियों की संख्या और अ.आ. प्राप्त करने वालों के मध्य 33 से 45 प्रतिशत का अन्तर पाया, जैसाकि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



संबद्ध वर्ष के लिए राज्य-वार विवरण अनुबंध 6.6 में दिया गया है निम्न तालिका उन राज्यों की सूची प्रदान करती है जहां साल भर में योग्य लाभार्थियों के 50 प्रतिशत से अधिक को अ.आ. प्राप्त नहीं हुआ :

तालिका 6.9: राज्य जहां योग्य लाभार्थियों व वास्तविक लाभार्थियों के मध्य कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी

वर्ष	राज्य
2006-07	असम, बिहार, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (9)
2007-08	बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखण्ड (8)
2008-09	बिहार, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल और राजस्थान (5)
2009-10	असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल राजस्थान, उत्तराखण्ड (8)
2010-11	बिहार, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल राजस्थान और सिक्किम (7)

इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अभिलेखों से मंत्रालयों द्वारा प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या के राज्यवार आंकड़ों व राज्यों द्वारा उनके व्यय विवरणों (व्य.वि.) के माध्यम से प्रदत्त आंकड़ों

में विसंगतियां पाई गई, जैसाकि निम्नवत बताया गया है (राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 6.7 में दिए गए हैं):

अध्याय-VI  
अनुपूरक आहार

तालिका 6.10: लाभार्थियों की संख्या पर डाटा में कमी

को स्थिति	व्य.वि.से प्राप्त आंकड़े	मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़े	अन्तर
31 मार्च 2007	7,17,56,851	7,04,08,586	13,48,265
31 मार्च 2008	8,39,22,327	8,41,87,887	-2,65,560
31 मार्च 2009	8,83,86,726	8,72,04,872	11,81,854
31 मार्च 2010	9,59,28,025	8,82,96,000	76,32,025
31 मार्च 2011	10,65,29,746	9,58,06,000	1,07,23,746

राज्यों द्वारा उनके व्य.वि. में बताये गए लाभार्थियों की संख्या पर आंकड़े जिनके द्वारा निधियों हेतु उनकी पात्रता का निर्धारण पर निर्णय किया गया, 2009-10 और 2010-11 के दौरान मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों से पर्याप्त रूप से अधिक थे (क्रमशः 9 प्रतिशत व 11 प्रतिशत)। मंत्रालय इन दो डाटा सेटों का समाधान करने में असफल रहा।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि स.बा.वि.से. एक स्व-चयनकर्ता योजना है और एक अनिच्छुक लक्ष्य समूह तक पहुंचना बाध्यकारी नहीं था। यद्यपि आं.के. हेतु संशोधित जनसंख्या नियमों को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों की आवृत्ति का इष्ट स्तर तक बढ़ाने हेतु समय-समय पर राज्यों/सं.शा.क्षे. से अनुरोध किया जा रहा था। जहां तक लाभार्थियों की संख्या के आंकड़ों में विसंगतियों का समबन्ध है, मंत्रालय ने बताया कि उसके द्वारा सूचित आंकड़े उस वर्ष विशेष के 31 मार्च पर स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि व्य.वि. में दर्शाए गए आंकड़े 31 मार्च को समाप्त तिमाही में अ.आ. लाभार्थियों की औसत संख्या दर्शाती थी।

योजना के अंतर्गत कम आवृत्ति पर मंत्रालय का उत्तर, योजना के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं के प्रति लक्ष्य लाभार्थियों की अल्प प्रतिक्रिया को दर्शाता था। मंत्रालय योजना के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठाने में लक्ष्य लाभार्थियों के 33 से 45 प्रतिशत की अनिच्छा हेतु कारण नहीं बता पाया। इसने योजना की आवृत्ति में सुधार हेतु आवश्यक कदमों का भी संकेत नहीं किया था, जो इसके सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने सू.शि.सं. गतिविधियां योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमी पाई, जिस पर प्रतिवेदन के अध्याय 8 में चर्चा की गई है। जहां तक डाटा के विसंगति का सम्बन्ध है, मंत्रालय का उत्तर सही नहीं था। अ.आ. हेतु केन्द्रीय सहायता हेतु दिशा-निर्देशों (दिसम्बर 2005) के अनुसार, राज्य/सं.शा.क्षे. को अपने व्य.वि. में एक तिथि विशेष पर अ.आ. के लाभार्थियों की संख्या दर्शाती है। लेखापरीक्षा ने वर्ष के 31 मार्च को लाभार्थियों की संख्या जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया गया और व्य.वि. में दिखाए गए आंकड़ों के बीच विसंगति की पहचान की थी।



### 6.5.2 सेवाओं के वितरण में रुकावटें

योजना दिशानिर्देशों ने आं.के. पर एक वर्ष में 300 दिन (महीने में 25 दिन) के लिए अनुपूरक आहार (अ.आ.) प्रदान किए जाने का विचार किया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को बताया वर्ष 2008-09 और 2010-11<sup>10</sup> के दौरान 26 राज्यों/सं.शा.क्षे. में पोषण के दिनों में कोई रुकावट नहीं आई। पांच प्रदेशों (असम: 108 से 168 दिन, पश्चिम बंगाल: 18 से 53 दिन, हिमाचल प्रदेश 24 से 40 दिन, ओडिशा 12 से 24 दिन और केरल 12 दिन)। तीन राज्य/ सं.शा.क्षे. (छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर और लक्षद्वीप) ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी।

यद्यपि, मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ा लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के निष्कर्षों से मेल नहीं खाते। आठ राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) में अ.आ. प्रदान करने में रुकावटों की सीमा नीचे दर्शाई गई है (राज्य वार विवरण अनुबंध 6.8 में)

तालिका 6.11: आं.के. में अ.आ. प्रदान करने में रुकावट, जैसाकि क्षेत्र लेखापरीक्षा में पाई गई

वर्ष	नमूना जांच किए गए आं.के.	आं.के. की संख्या जहां अ.आ. प्रदान नहीं किए गए	आं.के. की संख्या जहां अ.आ. के प्रावधान में रुकावट आई			
			31-75 दिन	76-150 दिन	151-225 दिन	226-300 दिन
2006-07	1690	11	342	138	16	8
2007-08	1727	5	364	123	19	0
2008-09	1733	4	308	145	22	2
2009-10	1758	3	319	107	17	3
2010-11	1766	3	295	73	6	0

आन्ध्र प्रदेश में आं.के. पर पोषण दिनों की संख्या जैसाकि राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा को बताई गई, 2006-11 के दौरान 180 से 252 दिन के बीच था। सात से दस प्रतिशत आं.के. में औसत मासिक पोषण दिवस 2006-07 से 2010-11 के दौरान 21 दिन से कम रहा।

झारखण्ड में 120 नमूना जांच किए गए आं.के. में से 40 में 12 से 251 दिनों की कमी पाई गई।

इसी प्रकार बिहार में राज्य सरकार द्वारा आं.के. में औसत पोषण दिवसों में कमी

#### अच्छा अभ्यास

- ओडिशा में रुकावटों के बावजूद कुछ आं.के. ने अस्थायी तौर पर खाद्य भण्डार की अनुपलब्धता /अपर्याप्तता के कारण समीपस्थ आं.के. से उधार लेकर बच्चों को, जहाँ तक संभव हो, अनुपूरक आहार प्रदान करने हेतु परस्पर निर्भरता विकसित की।

#### सकारात्मक निष्कर्ष

- हरियाणा में पू.आ. प्रदान करने में किसी आं.के. में कोई रुकावट नहीं पाई गई।

<sup>10</sup> मंत्रालय 2006-07 और 2007-08 हेतु आँकड़े प्रदान नहीं कर सका

सूचित की गई। यद्यपि 2008-09 में कोई कमी नहीं थी, शेष वर्षों में कमी 38 से 138 दिनों के बीच रही (13 से 46 प्रतिशत)।

#### अध्याय-VI

#### अनुपूरक आहार

अ.आ. प्रदान करने में रूकावटों के कारण थे:

- अनाज/खाने के लिए तैयार (खा.तै.) की आपूर्ति की न होना/कमी;
- अनुपूरक आहार की आपूर्ति में विलम्ब;
- बाल विकास परियोजना कार्यालय गोदाम से आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) पोषण के परिवहन में विलम्ब;
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (आं.का.) द्वारा अल्पांतर पर छुट्टी लिया जाना;
- आं.का. के पास अनाज क्रय करने हेतु निधियों का उपलब्ध न होना।

कई आं.के. पर अ.आ. प्रदान करने में रूकावटें और मंत्रालय द्वारा इसके विपरीत दावा किया जाना इसकी योजना के कार्यान्वयन में कमजोर असावधानी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों के दो सेटों में महत्वपूर्ण अन्तर ने मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किए आंकड़ों की विश्वसनीयता को घटा दिया था।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय राज्यों द्वारा सूचना प्रदान करने में गुणवत्ता के सुधार हेतु कदम उठा सकती है। आं.के. पर अ.आ. प्रदान करने में रूकावटें हेतु उत्तरदायी कारणों का कम करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि उसने लेखापरीक्षा की अनुशंसा को ध्यान में रख लिया है। यह भौतिक मापदण्डों पर सूचना हेतु सभी स्तरों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) में संशोधन की प्रक्रिया में था। प्र.सू.प्र. के संशोधन और स.बा.वि.से. की प्रस्तावित पुनर्संरचना से सेवाओं के वितरण में रूकावटें समाप्त होंगी।

#### 6.5.3 अनुपूरक आहार की गुणवत्ता की जाँच

योजना यह सुनिश्चित करने हेतु कि खाद्य सामग्री आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त है, अनुपूरक आहार (अ.आ.) प्रदान करने हेतु प्रयोग किए जा रहे भोजन सामग्री की अनिवार्य प्रयोगशाला जाँच की अनुशंसा करती है। अनुपूरक आहार की गुणवत्ता की नमूना जाँच खाद्य व पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.)<sup>11</sup> द्वारा इसकी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (गु.नि.प्र.) के संजाल के माध्यम से, और राज्य/सं.शा.क्षे. में अवस्थित सामुदायिक खाद्य व पोषण विस्तारण इकाईयों (सा.खा.पो.वि.इ.) द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन से नमूनों का आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) के निरीक्षण के दौरान खा.पो.बो. की क्षेत्र इकाईयों द्वारा

<sup>11</sup> खा.पो.बो. केन्द्र में एक तकनीकी शाखा, चार क्षेत्रीय कार्यालयों और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चैन्नई में चार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और 29 राज्यों/सं.शा.क्षे. में अवस्थित सामुदायिक खाद्य व पोषण विस्तारण इकाईयों से निर्मित हैं।



संग्रह किया जाता है। स.बा.वि.से. कर्मचारियों द्वारा भी गु.नि.प्र. को नमूने भेजे जाने आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा ने 13 नमूना जांच किए गए राज्यों में लाभार्थियों द्वारा उपभोग हेतु खा.पो.बो. द्वारा आपूर्त खाद्य वस्तुओं की जांच में निम्न कमियाँ पाईं:

अध्याय-VI  
अनुपूरक आहार

- 11 राज्यों में (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल) लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स.बा.वि.से. कर्मचारियों द्वारा गु.नि.प्र. को अनुपूरक आहारों के नमूने कभी नहीं भेजे गए। सामुदायिक खाद्य पोषण विस्तारण इकाइयों (सा.खा.पो.वि.इ.) भी इन राज्यों में गुणवत्ता जांच हेतु कोई नमूना एकत्र नहीं कर पाई। गुजरात के नमूना जांच किए गए जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने बताया कि वहन की अनुपलब्धता और राज्य में गु.नि.प्र. की स्थापना न होने के कारण अनुपूरक आहार के नमूने की जांच नहीं हो सकी। ओडिशा में परियोजना अधिकारियों ने बताया कि जिला प्राधिकारी से इस आशय से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे।
- मेघालय में 2006-11 के दौरान जांच हेतु 87 से 108 नमूना जांच किए आं.के. से 196 से 590 खाद्य नमूने संग्रह किए गए या उनके द्वारा भेजे गए। यद्यपि लेखापरीक्षा के दौरान केवल 15 से 404 नमूनों की संतोषजनक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।
- छत्तीसगढ़ में, 2009-11 के दौरान तीन नमूना जांच किए गए जिलों/परियोजना कार्यालयों द्वारा 1270 नमूनों की आवश्यकता के विपरीत जांच के लिए 912 नमूने भेजे गए। प्राप्त हुई जांच रिपोर्टों में से बस्तर, रायपुर व बिलासपुर जिलों से क्रमशः 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत व 85 प्रतिशत जांच किए गए नमूने निम्न कोटि के पाए गए। नियमों के अनुसार खाने हेतु तैयार (खा.तै.) की आपूर्ति न करने के कारण स्वयं सहायता समूह (स्व.स.स.) पर दण्ड लगाया गया।

यद्यपि, मंत्रालय ने अ.आ. के अंतर्गत आपूर्ति किए गए भोजन की जांच की प्रणाली का संस्थानीकरण कर दिया गया था, वह इसका वास्तविक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रहा। अनुशंसित जांचों के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा पाया कि लाभार्थियों को प्रदान की गई खाद्य वस्तुएं अनुशंसित मानकों के अनुस्र थीं या नहीं।

#### 6.5.4 अनुपूरक आहार (अ.आ.) के वितरण का पर्यवेक्षण

(अ) केन्द्रीय दल द्वारा पर्यवेक्षण: खाद्य तथा पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.) के सामुदायिक खाद्य तथा पोषण विस्तारण इकाइयों (सा.खा.पो.वि.इ.) को उनके परिचालन क्षेत्र में अनुपूरक आहार के पर्यवेक्षण हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) का दौरा करना चाहिए। 2006-07 से

2010-2011 के दौरान आं.के. के 21,088 दौरों के विपरीत सा.खा.पो.वि.इ. द्वारा आं.के. के 21,513 दौरे किए गए।

#### अध्याय-VI

#### अनुपूरक आहार

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सा.खा.पो.वि.ई. ने आं.के. के कुल दौरे इस अवधि के दौरान परिचालित आं.के. के केवल 0.41 प्रतिशत थे। लेखापरीक्षा ने राज्यों के 2605 नमूना जाँच किए गए आं.के. में निम्न कमियाँ पाई:

- आठ राज्यों (बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के नमूना जाँच किए गए किसी भी आं.के. में सा.खा.पो.वि.ई. का कोई दौरा नहीं किया गया था।
- मेघालय में सा.खा.पो.वि.इ. द्वारा पांच वर्ष की अवधि में 141 दौरे किए गए। जबकि तीन राज्यों में केवल कुल 33 दौरे संचालित किए गए। जबकि तीन राज्यों में केवल कुल 33 दौरे किए गए (आंध्र प्रदेश: 14, गुजरात: 9 और कर्नाटक: 10)।

**(ब) परियोजना कार्यालयों द्वारा पर्यवेक्षण:** योजना के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.)/पर्यवेक्षकों द्वारा आं.के. पर अपने दौरों के दौरान अ.आ. के वितरण की जाँच की जानी चाहिए और पर्यवेक्षण रिपोर्ट को अपनी अभ्युक्तियों के साथ उच्चतर प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी चाहिए। यह योजना अ.आ. के वितरण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी की भी अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-07 से 2010-11 के दौरान नमूना-जाँच किए गए 2605 आं.के. में 13,379 से 15,180 दौरे प्रतिवर्ष किए गए (राज्यवार विवरण अनुबंध 6.9 में)। यद्यपि इन मामलों में से आधे में पर्यवेक्षण रिपोर्टें उच्चतर प्राधिकारियों को नहीं सौंपी गई थी।

#### अच्छा अभ्यास

- छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय में पर्यवेक्षक/बा.वि.प.अ. की दौरा रिपोर्टें सभी नमूना जाँच किए गए मामलों में उच्चतम प्राधिकारियों को सौंपी गई थी।
- छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय और ओडिशा में पू.आ. के वितरण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सभी नमूना जाँच किए गए आं.के. में पाई गई।

इसके अतिरिक्त, अ.आ. के वितरण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी 2006-07 से 2010-11 के दौरान नमूना जाँच किए गए आं.के. में से केवल आधे में पाई गई। गुजरात, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नमूना जाँच किए गए आं.के. में अ.आ. के वितरण में स्थानीय समुदाय की कोई भागीदारी नहीं पाई गई।



### 6.5.5 निम्न गुणवत्तायुक्त और संक्रमित भोजन का वितरण

लेखापरीक्षा से निम्न राज्यों में अनुपूरक आहार (अ.आ.) के अन्तर्गत आं.के. में निम्न गुणवत्तायुक्त भोजन का वितरण पाया गया:

अध्याय-VI  
अनुपूरक आहार

- **आन्ध्र प्रदेश:** सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा सितम्बर-नवम्बर 2008 के दौरान अनंतपुर जिले के 154 आं.के. आयोजित एक सामाजिक लेखापरीक्षा में पाया कि 'पकाने हेतु तैयार मिश्रण' खाने योग्य नहीं थे। लेखापरीक्षा ने भौतिक निरीक्षण भी किया और पाया कि इनमें से कुछ सामग्रियों की चिपचिपी प्रकृति थी, जो तैयार किए जाने के कुछ मिनटों बाद खाने योग्य नहीं रह गया। 18 नमूना जाँच किए गए आं.के. में इसे खाने के बाद बच्चों का बीमार पड़ना सूचित किया गया। आपूर्तिकर्ता, मैसर्स ए.पी. फूड्स<sup>12</sup> इन सूचनाओं के बाद भी दो नमूना जाँच किए गए परियोजनाओं में लाभार्थियों ने इसे नापसंद किया, नवम्बर 2011 तक इन मिश्रणों की आपूर्ति करता रहा।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि खाद्य सामग्रियों की समाप्ति की मानीटरिंग की कोई प्रणाली नहीं थी। मदवार निर्माण की तिथि व समाप्ति की तिथि बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (आं.का.), किसी के भी द्वारा उनके खाद्य भण्डार पंजिका में प्रविष्ट नहीं किए गए थे।

- **गुजरात:** आटे की रखने की अवधि की समाप्ति के बाद आपूर्ति के मामले पाए गए। वापिस किए जाने पर आपूर्तिकर्ता ने उसकी पुनः प्रक्रिया करके, बोरे बदल दिए और दोबारा सप्लाई कर दिया। इसे आं.के. को उनके वितरण के बाद प्राप्ति के 20-22 दिनों के भीतर जाँच के लिए भेज दिया गया। प्रति 100 ग्राम में 15 ग्रा. कीड़ों वाले निम्न कोटि के आटे की आपूर्ति की घटनाएं भी देखी गयी थीं। इन सभी ने अ.आ. के विघटन में सहयोग किया।
- **हरियाणा:** ₹2.69 करोड़ के लिए दो आर्डर खाने हेतु तैयार (खा.तै.) बहु-अनाज ऊर्जा मिश्र भोजन की आपूर्ति हेतु एक फर्म को प्रदान किए गए (अप्रैल से जून 2006)। आपूर्तियों को आं.के. को भेजने से पूर्व दो चरणों पर जाँच की जानी थी, जो है सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा प्रेषण-पूर्व जाँच और जिला कलेक्टर जिला स्तर समितियों द्वारा पश्च-प्रेषण जाँच।

19 में से दो परियोजनाओं ने जिन्हें तै.खा. की आपूर्ति की गई थी, यह कहते हुए कि वह आपूर्ति आदेश में अनुमोदित मानकों के अनुरूप नहीं थी, सामग्री को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस तथ्य को राज्य स.बा.वि.से. निदेशालय के ध्यान में लाया गया। यद्यपि शेष 17 परियोजनाओं द्वारा स्वीकृत खाद्य सामग्री की आगे कोई

<sup>12</sup> स.बा.वि.से. परियोजनाओं को सुरक्षित पोषक भोजन के निर्माण और आपूर्ति में लगा हुआ आन्ध्र प्रदेश का एक उद्यम है।

जाँच नहीं की गई। यह इन परियोजनाओं में ₹2.69 करोड़ की लागत के 14,516.20 क्विंटल भोजन प्रदान करने के स्तर पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। राज्य स.बा.वि.से. निदेशालय दो परियोजनाओं द्वारा खाद्य सामग्री की अस्वीकृति को उपचारात्मक कदम उठाने हेतु ध्यान में रखने में असफल रही।

अ.आ. के अंतर्गत निम्न कोटि के भोजन के वितरण के मामले दर्शाते हैं कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट नियंत्रण व संतुलन मौजूद नहीं थे।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय को लाभार्थियों को प्रदत्त भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय खाद्य व पोषण बोर्डों का गठन करना चाहिए।

#### 6.5.6 सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु अनुशंसित आहार भत्ता (अ.आ.भ.) प्रदान करने में कमी

अ.आ. के लिए मानक केवल ऊर्जा (कैलोरी) व प्रोटीन सेवन के लिए निर्धारित किए गए हैं। बच्चों के विकास, प्रतिरोधक क्षमता और वृद्धि पर सूक्ष्म पोषक तत्वों<sup>13</sup> की कमी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अ.आ.भ. के 50 प्रतिशत को 80 ग्राम खाने को तैयार (तै.खा.) ऊर्जा भोजन/कच्चा भोजन के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया (जनवरी 2006) दिशा-निर्देशों ने निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक संरचना से युक्त विटामिन-खनिज पूर्वमिश्रण से सूक्ष्म पोषक तत्वों से पूष्ट किए गए तै.खा. ऊर्जा भोजन/तत्काल भोजन को आवश्यक किया है। इसने भोजन देने में हरी पत्तेदार सब्जियों, अन्य सब्जियों, मौसमी फलों, दूध और अण्डों को सम्मिलित करने और आयोडीनयुक्त नमक अथवा दोबारा पुष्ट किया हुआ नमक (लौह व आयोडीन से) प्रयोग किए जाने का भी आदेश दिया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन दिशा-निर्देशों का नमूना जाँच किए गए केवल तीन राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा) के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में ही कार्यान्वयन किया गया। इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में दस राज्यों में निम्न कमियाँ पाई गईं (राज्यवार विवरण अनुबंध 6.10 में दिया गया है):

- 579 से 650 आं.के. (28 से 30 प्रतिशत) में तै.खा. ऊर्जा

#### सकारात्मक विकास

- छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के सभी नमूना जांच किए गए आं.के. में अ.आ.भ. के अंश रूप में 80 ग्रा. तै.खा. ऊर्जा भोजन आरंभ किये गये।
- छत्तीसगढ़, मेघालय, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तै.खा. ऊर्जा भोजनों को सूक्ष्म पोषक तत्वों से पुष्ट किया गया।
- गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय, हरियाणा, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हरी पत्तेदार सब्जियों, अन्य सब्जियों, मौसमी फलों, दूध और अण्डों को सभी आं.के. पर अ.आ. में शामिल किया गया।

<sup>13</sup> कैल्शियम, लौह, आयोडीन, जस्ता, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड और विटामिन बी-12



भोजन/कच्चा भोजन अ.आ.भ. के अंतर्गत 2006-07 से 2010-11 के दौरान का आरंभ नहीं किया गया।

- 754 से 905 आं.के. (32 से 34 प्रतिशत) में तै.खा. ऊर्जा भोजन/तत्काल भोजन सूक्ष्म पोषक तत्वों से पुष्ट नहीं किए जा रहे थे।
- तीन राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल) में तै.खा. ऊर्जा भोजन नमूना जाँच किए गए आं.के. पर आरंभ नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश में तै.खा. तीन से छः वर्ष तक के लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों से पुष्ट नहीं किए गए।
- 1233 से 1263 आं.के. (57 से 59 प्रतिशत) में 2008-11 के दौरान लक्ष्य समूह के अनुपूरक पोषण में हरी पत्तेदार सब्जियों, अन्य सब्जियां, मौसमी फलों, दूध और अण्डे सम्मिलित नहीं किए गए।
- 268 में से 146 नमूना जाँच की गई परियोजनाओं ने 31 मार्च 2011 तक अनुमोदित आहार भत्ता (अ.आ.भ.) के मानकों की प्राप्ति हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों से पुष्ट किया गया भोजन प्रदान करने का प्रयत्न नहीं किया। इसके अतिरिक्त नमूना जाँच की गई 250 परियोजनाओं ने विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए अ.आ.भ. में अनुमोदित स्तर के लिए गुणवत्ता जाँच नहीं कराई।

अध्याय-VI  
अनुपूरक आहार

#### मामला अध्ययन

##### बिहार में पौष्टिक कैण्डी पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आं.के. पर 0.20 (औसत) प्रति कैण्डी की दर से 40 बच्चों (3-6 वर्ष की आयु के), 16 गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाओं और तीन किशोरास्था की लड़कियों को प्रति केन्द्र प्रति दिन वर्ष में 300 दिन पौष्टिक कैण्डी की आपूर्ति का प्रावधान था। यह पाया गया कि निदेशालय के पास इसके लिए 2.68 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद छः नमूना जाँच किए गए जिलों के किसी भी आं.के. में पौष्टिक कैण्डियाँ नहीं पहुँचाई गई।

##### झारखण्ड में बजट प्रावधान के बावजूद सूक्ष्म पोषकतत्व नहीं प्रदान किए गए

लेखापरीक्षा ने पाया कि नए भोजन मॉड्यूल में बच्चों, गर्भवती महिलाओं/सतन्यदा माताओं और किशोर लड़कियों के लिए सूक्ष्म पोषकतत्वों का प्रावधान क्रमशः छः पैसे, आठ पैसे और चार पैसे की दर से किया गया (दिसम्बर 2009)। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली मदों के संबंध में विभाग के निर्देशों के अभाव में आं.के. ने लाभार्थियों को कोई सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान नहीं किए (फरवरी 2012)।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों के नियंत्रण हेतु मंत्रालय की पहल का सभी राज्यों में समान रूप से कार्यान्वयन नहीं किया गया। मंत्रालय अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने में विफल रहा।

#### अनुशांसा

- मंत्रालय अनुशांसित आहार भत्ता के भाग के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्वों से पुष्ट किया हुआ खाने को तैयार भोजन के सार्वभौमीकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है।

#### 6.5.7 अनुपूरक भोजनों की आपूर्ति में कमी

लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों को अ.आ. प्रदान करने हेतु खाद्य सामग्री की आपूर्ति में कमी के निम्न राज्य-विशिष्ट मामले पाए:

**आन्ध्र प्रदेश:** 3.73 लाख मे.ट. की आवश्यकता के विपरीत ए.पी.फूड्स ने 2006-11 के दौरान 3.23 लाख मे.ट. तै.खा. भोजनों की आपूर्ति की। जो 0.50 लाख मे.ट. खाद्य सामग्री की कमी में परिणत हुआ (आवश्यकता का 13.40 प्रतिशत)।

**उत्तर प्रदेश:** 06 महीनों से 03 वर्ष की आयु सीमा में लाभार्थियों को नि.रा. के रूप में प्रदान किए जाने वाले दूध छुड़ाने वाले भोजन की 14.13 लाख मे.ट. की आवश्यकता के विपरीत 1.18 लाख (आवश्यकता का 8.35 प्रतिशत) की कमी रखते हुए 2006-11 के दौरान भोजन के 12.96 लाख मे.ट. हेतु वितरण के निर्देश दिए गए। नमूना जाँच से यह भी पता चला कि 2010-11 के दौरान तीन जिलों में अधिक आपूर्ति की गयी थी, जबकि पाँच जिलों में आवश्यकता से कम आपूर्ति थी।

#### मामला अध्ययन: उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या और आपूर्ति में सम्बन्ध न होना

अनुपूरक आहार (अ.आ.) भोजन की आपूर्ति परियोजनाओं को, सेवाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों की संख्या का ध्यान रखे बिना प्रति परिचालित आं.के.<sup>14</sup> में समान रूप से निर्धारित औसत लाभार्थी संख्या के आधार पर थी। इसके अतिरिक्त, आं.के. को अ.आ. के जारी हेतु उत्तरदायी बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.)/पर्यवेक्षकों पिछले माह के बकाया भण्डार की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना समान आधार पर अ.आ. भोजन के बोरे जारी कर रहे थे। नमूना जाँच की गई परियोजनाओं में लेखापरीक्षा ने 2010-11 के दौरान 11 परियोजनाओं में 1.99 लाख बोरों की आवश्यकता पर दूध छुड़ाने वाले आहार के 0.34 लाख बोरों की अधिकता में आपूर्ति की गई, जबकि 21 परियोजनाओं में 4.78 लाख बोरों की आवश्यकता के विपरीत 0.36 लाख बोरों की कम आपूर्ति थी।

<sup>14</sup> सितम्बर 2009 तक दूध छुड़ाने वाले भोजन और अमाइलेज से पूर्ण ऊर्जा आहार (अ.ऊ.आ.) के नौ बोरों और अक्टूबर 2009 से बच्चों के लिए अ.पू.आ. के सात बोरे प्रति माह।



## 6.6 गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (गे.आ.पो.का.)

गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (गे.आ.पो.का.) जनवरी 1986 में आरम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत, अनाज (गेहूँ/चावल) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) दरों पर मंत्रालय को केन्द्रीय भण्डारों से वार्षिक तौर पर आबंटन किया जाता है। इसे इसके बाद अ.आ. में प्रयोग के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. को आबंटित किए जाते हैं इसका प्रयोजन अ.आ. की प्रापण लागत कम करना और लाभार्थियों के लिए अधिक अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

### 6.6.1 गे.आ.पो.का. के अन्तर्गत नियोजन व सामंजस्य में कमियाँ

मंत्रालय अ.आ. की अबाध आपूर्ति हेतु खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्यों के मध्य समन्वय करने हेतु उत्तरदायी था। इसके द्वारा खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग को निश्चित वार्षिक आवश्यकता प्रदान की जानी होती थी, जो अतंतः राज्यों से प्राप्त वार्षिक आवश्यकताओं पर निर्भर था।

लेखापरीक्षा ने गे.आ.पो.का. के अन्तर्गत नियोजन और समन्वय में निम्न कमियाँ पाईं:

- मंत्रालय ने खाद्य एवं पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.) की अनुशंसा पर 2010-11 से प्रति लाभार्थी प्रति दिन 100 ग्रा. की औसत मात्रा का नियम अपनाया। इस नियम के अंतर्गत मंत्रालय ने 2010-11 के लिए 26.26 लाख मे.ट. की आवश्यकता परिकल्पित की। यद्यपि राज्यों से प्राप्त वास्तविक माँग 16.75 लाख मे.ट. थी।
- मंत्रालय ने अ.आ. के अंतर्गत भोजन के उपभोग के स्वरूप का विश्लेषण नहीं किया जिससे गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (गे.आ.पो.का.) पर उसकी निर्भरता बढ़ गई जो अ.आ. की लागत में कमी से सीधे जुड़ा हुआ है। 2006-11 के लिए गे.आ.पो.का. अनाज का प्रति लाभार्थी प्रतिदिन उपयोग पर राज्यवार आंकड़े अत्यधिक भिन्न हैं, जैसा कि अनुबंध 6.11 में दिया गया है।
- मंत्रालय राज्यों से अपेक्षित सूचना के अभाव में खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग को निश्चित वार्षिक आवश्यकता प्रेषित नहीं कर पाया। यह विभाग को केवल आरंभिक आवश्यकता भेज पाया। 2006-11 के दौरान, मंत्रालय ने अनाज की 52.94 लाख की आवश्यकता भेजी जिसके प्रति 42.17 लाख मे.ट. अनाज आवंटित किये गये थे।
- मंत्रालय 2009-10 से गे.आ.पो.का. के अन्तर्गत बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी आदि मोटे अनाजों को उनके उच्च पोषण मूल्य के कारण आरंभ करने के सुझाव पर राज्यों द्वारा 2010-11 तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। 2011-12 में दो राज्यों ने मोटे अनाजों के लिए उनके अनुरोध को अग्रेषित किया।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि मंत्रालय गे.आ.पो.का. के कार्यान्वयन को समुचित रूप में समन्वित करने में असफल रहा जिससे स.बा.वि.से. के अंतर्गत अ.आ. प्रदान करने हेतु बी.पी.एल. दरों पर उपलब्ध अनाजों का प्रयोग अनुकूलतम स्तर तक बढ़ाया जा सके।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि गे.आ.पो.का. के अंतर्गत आवश्यक अनाजों के आंकलन को धारारेखित करने हेतु सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को 2010-11 से अ.आ. प्रदान किए जाने वाले दिनों की संख्या, अ.आ. प्रदान की जाने वाली मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दर्शाते हुए अपनी आवश्यकताओं के आधार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त एक नीति निर्णय भी किया गया था जिसके तहत राज्य/सं.शा.क्षे. को अनाजों का आबंटन तभी किया जाएगा यदि आवंटित खाद्य का कम से कम 70 प्रतिशत राज्यों द्वारा उठा लिया गया हो।

### 6.6.2 आबंटन में कमी और कुल खरीद

राज्यों द्वारा अनाजों की माँग, मंत्रालय द्वारा उनका आबंटन और राज्यों द्वारा वास्तविकता में उठाई गई मात्रा तालिका 6.12 में प्रदर्शित है:

तालिका 6.12: गे.आ.पो.का. के अंतर्गत अनाजों का आबंटन और कुल खरीद

वर्ष	राज्यों द्वारा माँगा गया खाद्यान्न	राज्यों को किया गया आबंटन (लाख मे.ट. में)			कुल आबंटन में से राज्यों द्वारा उपयोग की गई मात्रा
		वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा किया गया आबंटन	पिछले वर्ष के आबंटन में से पुनः वैध मात्रा	वर्ष के लिए कुल उपलब्ध मात्रा	
2006-07	आँकड़े	5.23	0.25	5.48	4.77
2007-08	उपलब्ध नहीं	5.44	0.55	5.99	5.02
2008-09	9.86	7.17	0.89	8.06	6.29
2009-10	11.69	9.26	0.03	9.29	8.28
2010-11	16.70	13.56	0.35	13.91	10.64
कुल	38.25	40.66	2.07	42.73	35.00

तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय 2008-09 से 2010-11 के दौरान, राज्यों द्वारा की गई माँग के समक्ष खाद्यान्न की 78 प्रतिशत मात्रा आबंटित कर सकती है। कम आबंटन के बावजूद राज्य, 2008-09 से 2010-11 के दौरान उपलब्ध खाद्यान्न कुल खरीद का केवल 81 प्रतिशत उठा सके। अतः राज्यों द्वारा वास्तविक कुल खरीद उनके द्वारा प्रस्तुत माँग का केवल 66 प्रतिशत थी।<sup>15</sup>

खाद्यान्न की निम्न कुल खरीद के कारणों में, मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों का विलम्ब से जारी करना<sup>16</sup>, भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) (मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) के मालगोदाम में

<sup>15</sup> प्रतिशत की गणना 2008-11 के आँकड़ों पर आधारित हैं।

<sup>16</sup> गे.आ.पो.का. के अंतर्गत राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के तिमाही आबंटन को तिमाही के अंतिम माह की 25वीं तिथि तक उठा लेना चाहिए था। मंत्रालय ने खाद्यान्न 2007-08 की अंतिम तिमाही हेतु 31 मार्च 2008 को 50,522 मे.ट. गेहूँ व 38,181 मे.ट. चावल जारी किए जिन्हें अंततः राज्यों द्वारा उठाया नहीं गया। फिर 30,274 मे.ट. खाद्यान्न का आबंटन 23 मार्च 2010 को भी किया गया।



माल की अनुपलब्धता और राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के प्रापण हेतु निधियों की अनुपलब्धता (कर्नाटक) शामिल है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि केवल 19 से 26 राज्यों/सं.शा.क्षे. ने ही गे.आ.पो.का. के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यान्नों की कुल खरीद की। राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत भागीदारी न करने का विवरण तालिका 6.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.13: गे.आ.पो.का. में राज्यों/सं.शा.क्षे. की भागीदारी का न होना

अवधि	राज्य/सं.शा.क्षे. जिन्होंने गे.आ.पो.का. के अंतर्गत खाद्यान्नों की कुल खरीद नहीं की
लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (2006-11)	असम, बिहार, चण्डीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी
पाँच में से चार वर्ष	2006-10: गोवा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल; 2007-11: मेघालय
पाँच में से तीन वर्ष	2006-09: केरल, अ व नि द्वीपसमूह, मणिपुर, 2006-08 और 2009-10: झारखण्ड,
पाँच में से दो वर्ष	2006-07 और 2010-11: अरुणाचल प्रदेश
पाँच में से एक वर्ष	2006-07: जम्मू और कश्मीर; 2007-08: दा. व न. हवेली

लेखापरीक्षा, मंत्रालय के अभिलेखों से गे.आ.पो.का. के अन्तर्गत इन राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा भागीदारी न किए जाने के कारणों को ज्ञात नहीं कर पाई।

#### मामला अध्ययन: गे.आ.पो.का. के अन्तर्गत खाद्यान्नों के न उठाए जाने के प्रभाव

**पश्चिम बंगाल:** राज्य सरकार ने गे.आ.पो.का. के अंतर्गत बी.पी.एल. दर पर मंत्रालय द्वारा आबंटित चावल हेतु चुनाव नहीं किया। राज्य सरकार ने खुले बाजार से, बी.पी.एल दर<sup>17</sup>, की तुलना में बहुत ऊँची दर पर चावल का क्रय जारी रखा। 2006-11 के दौरान, कोलकाता और अन्य 18 जिलों के लिए, राज्य सरकार ने ₹10.60 प्रति कि.ग्रा. से ₹19.20 प्रति कि.ग्रा. तक विभिन्न दरों पर ₹2.94 लाख मे.ट. चावल खरीदा जबकि चावल की बी.पी.एल. दर ₹5.65 प्रति कि.ग्रा. थी। इसके परिणामस्वरूप ₹262.17 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिससे बचा जा सकता था।

**छत्तीसगढ़:** मंत्रालय के, 2007-08 के दौरान गे.आ.पो.का. के अंतर्गत चावल की आपूर्ति, सुनिश्चित कर पाने में समर्थ न होने के कारण राज्य सरकार ने ₹5.65 प्रति कि.ग्रा. की बी.पी.एल. दर के विपरीत ₹14.94 प्रति कि.ग्रा. की लागत पर 0.34 लाख मे.ट. चावल का प्रापण किया। इससे ₹31.59 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिससे बचा जा सकता था।

गेहूँ आधारित पोषक कार्यक्रम (गे.आ.पो.का.) का लक्ष्य स.बा.वि.से. के अंतर्गत लाभार्थियों को बी.पी.एल. दरों पर अ.आ. प्रदान कर कैलोरी और प्रोटीन की कमी की पूर्ति करना है। यद्यपि इसके कार्यान्वयन में कमियों, अर्थात् खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग से

<sup>17</sup> मंत्रालय ने 2010-11 में 1,15,576 मे.ट. चावल आबंटित किए। यद्यपि राज्य सरकार इसे जिला स्तर पर उठाई ठेकेदारों के निश्चित न होने के कारण उसे उठा न सकी।

## अध्याय-VI

## अनुपूरक आहार

खाद्यान्नों के साथ समय से व पर्याप्त आबंटन हेतु समन्वय में कमी, मंत्रालय द्वारा राज्यों को आबंटन में कमी और राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का उपयोग कम/न किये जाने के कारण लक्ष्य लाभार्थियों को पूर्ण लाभ सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जैसा कि योजना में परिकल्पित था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा गे.आ.पो.का. के अंतर्गत रियायती खाद्यान्नों का लाभ लेने हेतु तैयार करने हेतु प्रयत्न किए जा रहे थे। कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों का लाभ लेने वाले राज्यों/सं.शा.क्षे. की संख्या 2006-07 के 19 से 2011-12 में 28 तक बढ़ गई थी।

## अनुशंसा

- मंत्रालय को खाद्यान्नों की आवश्यकता को निश्चित करने हेतु तर्कपूर्ण मानक प्रदान करके और आबंटन हेतु स्वीकृतियां समय से जारी करके गे.आ.पो.का. के कार्यान्वयन को धारारेखित करना चाहिए। राज्यों/सं.शा.क्षे. को उनके तिमाही खाद्यान्न आबंटन की बिना चूक और समय से कुल खरीद करने हेतु दबाव बनाना चाहिए।

## 6.7 वित्तीय अनियमितताओं पर राज्य-विशिष्ट निष्कर्ष

## 6.7.1 उत्तर प्रदेश में अमाइलेज़ से पूर्ण ऊर्जा आहार (अ.पू.ऊआ.) की आपूर्ति हेतु संविदा में संदिग्ध मिलीभगत

राज्य सरकार ने सूक्ष्म पोषक तत्वों से पुष्ट किया गया ए.स.उ.खा., पाँच ज़ोनों (ए,बी,सी, डी,ई) में विभाजित सभी परियोजनाओं को तीन वर्ष तक आपूर्ति करने हेतु बोलियाँ आमंत्रित कीं (अगस्त 2009)। इसने एक माह की छोटी समयावधि अर्थात् सितम्बर 2009 तक संविदा को अंतिम रूप दे दिया। राज्य में 2009-10 और 2010-11 वर्षों के दौरान ए.स.उ.खा. की आपूर्ति हेतु ₹1993.56 करोड़ की धनराशि व्यय की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संविदा निश्चित करने हेतु बोलियों का मूल्यांकन उचित ढंग से नहीं किया गया और सरकार द्वारा निम्न सुस्पष्ट तथ्यों को नज़रअंदाज़ किया गया:

- पाँच ज़ोनों में से प्रत्येक में निम्न पाँच फर्मों को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया:
  - i. मैसर्स ग्रेट वैल्यू फूड्स
  - ii. मैसर्स हैल्थ केयर एनर्जी फूड प्राइवेट लिमिटेड
  - iii. मैसर्स क्रिस्टी फ्राइडग्राम इंडस्ट्री
  - iv. मैसर्स त्रिकाल फूड्स एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
  - v. मैसर्स पी बी एस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
- इन पाँच फर्मों को एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध पाया गया। एकाधिक फर्म में निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा संभाला जा रहा था। उदाहरणस्वरूप, श्री राजेन्द्र सिंह चड्ढा दो फर्मों (क्र. सं. i और ii); श्री अजय रस्तोगी और श्री प्रशांत कुमार अन्य दो फर्मों (क्र. सं. iii और iv). में निदेशक थे। श्री प्रशांत कुमार



क्र.सं. ii पर दी गई फर्म के भी संस्थापक थे। इसी प्रकार श्री सुधीर अग्रवाल, 510, तूख नगर, गाज़ियाबाद, के निवासी क्र. सं. v पर दी गई फर्म में निदेशक थे, जबकि श्रीमती प्रीति अग्रवाल, समान पते की निवासिनी क्र.सं. iv में दी गई फर्म की निदेशक थीं।

- क्र.सं. i और iii पर दी गई फर्मों ने जोन बी हेतु अपनी तकनीकी बोलियों में समान वैट रजिस्ट्रेशन संख्या दी।
- क्र.सं. I, iii और v पर दी गई फर्मों के दिल्ली और गुड़गाँव में तीन भिन्न-भिन्न पते थे, परन्तु जालन्धर की एक ही शाखा में खाते थे।
- पिछले दो वर्षों के दौरान इसी प्रकार की संविदा को क्रियान्वित करने के अनुभव प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में क्र.सं. ii पर दी गई फर्म जिसने 2007-08 में लागू होकर जून 2009 में निर्माण गतिविधियों को आरंभ किया, ने क्र. सं. i पर दी गई फर्म का प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया।

इस प्रकार, स.बा.वि.से. निदेशालय एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक प्रापण सुनिश्चित करने में असफल रही। सुस्पष्ट तथ्य, जो ऊपर सामने लाए गए हैं, नज़रअंदाज़ कर दिए गए। इसने निदेशालय द्वारा अपनाई गई बोली मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व कम कर दिया जिसके कारण संभावित मिलीभगत हुई।

### 6.7.2 आन्ध्र प्रदेश में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) पर ₹68.98 करोड़ की अतिरिक्त अदायगी

नमूना जांच से पता चला कि खाने को तैयार खाना (तै.खा.) और गर्म खाद्य मिश्रणों की आपूर्ति हेतु ए.पी. फूड्स को खाद्य आपूर्तियों पर चार प्रतिशत की दर से वैट की अदायगी करने के बजाय सरकार ने 2009-10 तक 12.5 प्रतिशत की दर पर और 2010-2011 से 14.5 प्रतिशत पर कर अदा किया। आपूर्तिकर्ता संग्रहित कर को बिक्री कर विभाग को लौटा रहा था। इसके परिणामस्वरूप 2007-2011 के दौरान वैट के पक्ष में ₹68.98<sup>18</sup> करोड़ की अधिक अदायगी हुई। निदेशक ने अप्रैल 2012 में उत्तर दिया कि इस मामले को ए.पी. फूड्स के साथ उठाया जाएगा।

### 6.7.3 राजस्थान में मात्रा समितियों से अग्रिम की वसूली न होना

स.बा.वि.से. विभाग के आदेशों (नवम्बर 2005) के अनुसार स्थानीय स्तर पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म आहार प्रदान करने हेतु कच्चे माल की खरीद हेतु मात्रा समितियों को प्रति आं.के. ₹4000 का अग्रिम स्वीकृत किया गया। यद्यपि, समितियों द्वारा गर्म आहार निर्मित करने में असमर्थता व्यक्त करने पर विभाग ने उन्हें अदा किए गए अग्रिम को सिविल शीर्ष में जमा करने के लिए वसूली हेतु आदेश दिए (जनवरी 2009)।

<sup>18</sup> 2007-2008: ₹ 11.33 करोड़; 2008-2009: ₹14.24 करोड़ 2009-2010: ₹18.08 करोड़  
2010-2011: ₹25.33 करोड़

## अध्याय-VI

## अनुपूरक आहार

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन समितियों को अदा किए गए ₹93.00 लाख अग्रिम में से ₹38.08 लाख वसूले जाने अभी भी शेष थे। विभाग द्वारा कार्य का उत्तरदायित्व लेने हेतु समितियों की इच्छा को जाने बिना निधियों को जारी करने से निधियों का अवरोधन हुआ।

**6.7.4 मेघालय में जलाने की लकड़ी/ईंधन की संदेहास्पद खरीद**

मंत्रालय ने गर्म पके हुए भोजन को तैयार करने हेतु 2006-07 से 2008-08 के दौरान ₹0.10 प्रति दिन और 2009-10 से ₹0.45 की दर से जलाने की लकड़ी/ईंधन के प्रापण हेतु प्रति लाभार्थी प्रापण के नियम जारी किए।

मेघालय वित्तीय नियम, 1981 के नियम 194 और 209 के अनुसार 'सभी सामग्रियों को एक उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी द्वारा माल लेते समय जाँचना या गिनना, या मापा जाना, जैसा भी हो, और स्टॉक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए।'

नमूना जाँच में पता चला कि 2006-11 के दौरान तीन जिलों के 12 चयनित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) ने ₹4.67 करोड़ के मूल्य की जलाने की लकड़ी/ईंधन खरीदा। जाँच में पाया गया कि जलाने की लकड़ी/ईंधन की दर, मात्रा और प्रकार दर्शाते हुए जलाने की लकड़ी/ईंधन के वास्तविक क्रय के प्रमाण में कोई बिल, वाञ्छर या नकद पर्ची और क्रय पर वास्तविक व्यय को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार वास्तविक क्रय संदेहास्पद रहा।

**6.7.5 ओडिशा में आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) में खाद्य सामग्री का संदिग्ध अपयोजन**

कालाहाण्डी जिले की कारलामुण्डा परियोजना की नमूना जाँच से पता चला कि 2009-11 के दौरान सात आं.के. को जारी किए गए अनुपूरक आहार (अ.आ.) भोजन के 64.08 क्विंटलों (क्वि.) में से केवल 26.75 क्वि. खाद्य सामग्री का प्राप्तकर्ता आं.के. द्वारा हिसाब दिया गया। यह ₹86.420 के लगभग मूल्य के 37.33 (क्वि.) खाद्य सामग्री (30.70 (क्वि.) चावल, 5.68 (क्वि.) दाल और 0.95 (क्वि.) सोयाबीन) के संदेहास्पद अपयोजन होने को दर्शाता है।

विभाग ने बताया कि स्टॉक रजिस्ट्रों में खाद्य सामग्री का हिसाब न रखना पर्यवेक्षक की गलती के कारण हो सकता है। इस प्रकार विभाग ने खाद्य सामग्री के हिसाब की विसंगतियों हेतु निश्चित कारणों को सुनिश्चित करने हेतु पूछताछ भी किए बिना लापरवाह तरीके से उत्तर दे दिया।

**अनुशंसा**

- मंत्रालय को स.बा.वि.से. हेतु इसके सभी घटकों को सम्मिलित करते हुए एक प्रापण मैनुअल तैयार करना चाहिए और केन्द्रीय अनुदान के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रापणों हेतु सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा इसको अपनाया जाना अनिवार्य करना चाहिए।
- अनियमितताओं, संदिग्ध अपयोजन और संदिग्ध मिलीभगत के राज्य-विशिष्ट मामलों की जाँच की जानी चाहिए और उत्तरदायित्व निर्धारित करने चाहिए।



## स्कूल-पूर्व शिक्षा


### 7.1 स्कूल-पूर्व शिक्षा -परिचय

स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.), स.बा.वि.से. योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका लक्ष्य तीन से छह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को आं.के. में अनौपचारिक और आनंदमय गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में स्कूली शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और स्कूल जाने की इच्छा में विकास करना है। स्कू.पू.शि. का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को सुदृढ़ बनाना है।

### 7.2 व्याप्ति

इस योजना ने सभी पात्र बच्चों का स्कू.पू.शि. के लिए नामांकन को अधिदेश किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (दिसम्बर 2006) स.बा.वि.से. के अंतर्गत प्रदान की गई अन्य सेवाओं के साथ स्कू.पू.शि. को भी सार्वभौमिक किए जाने के निर्देश दिए।

2006-11 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर स्कू.पू.शि. के लाभार्थियों की वास्तविक संख्या को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:



तथापि, लेखापरीक्षा व्याप्ति की सीमा का पता नहीं लगा पाई क्योंकि मंत्रालय के पास पात्र लाभार्थियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। यह मंत्रालय द्वारा इस घटक की अपर्याप्त मॉनीटरिंग दर्शाता है।

मंत्रालय (जुलाई 2012) ने बताया कि स्कू.पू.शि. के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों के आंकड़े राज्य, जिला, परियोजना और आं.के.के स्तरों पर अनुरक्षित किए जा रहे थे।

यह मार्च 2012 से लागू संशोधित प्रबंधन सूचना प्रणाली फॉर्मेट के अंतर्गत 2012-13 से मंत्रालय में अनुरक्षित किए जाने चाहिए।

**अध्याय-VII**  
**स्कूल-पूर्व शिक्षा**

**7.2.1 चयनित राज्यों में व्याप्ति**

राज्य सरकारें योजना के अंतर्गत परिकल्पित स्कू.पू.शि. सहित विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित राज्यों में स्कू.पू.शि. के लाभार्थियों की व्याप्ति में लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कमी पाई गई। चयनित राज्यों में से चार के लाभार्थियों की व्याप्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 7.1 राज्यों में स्कू.पू.शि. के लाभार्थियों का विवरण**

(आंकड़े लाखों में)

राज्य का नाम	पात्र लाभार्थियों की संख्या <sup>1</sup>	वास्तविक लाभार्थियों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
आन्ध्र प्रदेश	98.65	93.38	5.27 (6)
गुजरात	17.67	13.46	4.21 (24)
हरियाणा	32.95	21.22	11.73 (36)
मेघालय	8.46	6.98	1.48 (18)

ओड़ीशा में, 2006-11 के दौरान कमी की प्रतिशतता बढ़ कर 13.64 प्रतिशत हो गई। हालांकि, राज्य में कुल रूप से 2007-08 में 13.64 प्रतिशत से 2010-11 में 8.56 प्रतिशत होने से कमी में समग्र गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई। राजस्थान में, 28 से 39 प्रतिशत तक की कमी पाई गई। छत्तीसगढ़ में 36,103 संचालित आं.के. में से 1,003 में लाभार्थियों को स्कू.पू.शि. उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल में, 1,09,888 आं.के. में से 7,460 केन्द्रों में एक महीने में से कम से कम 21 दिनों के लिए स्कू.पू.शि. प्रदान नहीं की जाती।

**7.2.2 नमूना जाँच किए गए आं.के. के लाभार्थियों की व्याप्ति**

झारखंड को छोड़कर चयनित राज्यों के नमूना जाँच किए आं.के. लाभार्थियों की व्याप्ति की स्थिति को तालिका 7.2 में दिया गया है:

**तालिका 7.2 आं.के. के लाभार्थियों की व्याप्ति**

राज्य का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक लाभार्थियों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
गुजरात	31,379	22,578	8,801 (28)
हरियाणा	22,726	18,242	4,484 (20)
मेघालय	25,357	21,811	3,546 (14)
ओडीसा	28,326	23,281	5,045 (19)

<sup>1</sup> पूरा राज्य



राजस्थान	40,689	31,505	9,184 (23)
उत्तर प्रदेश	1,04,044	71,664	32, 380(31)
पश्चिम बंगाल	36, 782	30,647	5,635 (16)

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं कर्नाटक, में संपूर्ण नमूना जाँच किए गए आं.के. में स्कू.पू.शि. प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश में, 280 नमूना जांच किए गए आं.के. में किसी में भी स्कू.पू.शि. प्रदान नहीं की गई थी।

### 7.2.3 अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (आं.का.) से स्कू.पू.शि. लाभार्थियों तथा आवश्यक संबंधित अभिलेखों के डाटाबेस का अनुरक्षण करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह राज्यों (बिहार, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा गुजरात) में संपूर्ण नमूना जांच किए गए आं.के. के लाभार्थियों का डाटाबेस अनुरक्षित था। तथापि, शेष राज्यों में 80 से 83 प्रतिशत आं.के. में स्कू.पू.शि. लाभार्थियों का डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, 10 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में संपूर्ण नमूना जांच किए गए आं.के. में स्कू.पू.शि. से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित थे। शेष राज्यों में 2006-11 के दौरान 22 प्रतिशत आं.के. में इस संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसका विवरण अनुबंध 7.1 में दिया गया है।

डाटाबेस और अभिलेखों की अनुपस्थिति में, स्कू.पू.शि. में प्रदत्त सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। यह मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग के अभाव को दर्शाता है।

### 7.3 स्कूल पूर्व शिक्षा किटों पर व्यय में कमी

वार्षिक आधार पर राज्य/सं.शा.क्षे. के स्तर पर आं.के. के लिए स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति तथा वितरण के लिए स.बा.वि.से. ने दिशानिर्देश (जुलाई 2000) निर्धारित किए। आं.के. को समय पर किट उपलब्ध कराने में तथा प्रक्रिया को कारगर बनाने के उद्देश्य से अधिप्राप्ति का विकेन्द्रीकरण आवश्यक था। मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. को किटों की अधिप्राप्ति के लिए धनराशि ₹500 प्रति क्रियाशील आं.के. की दर (2009-10 से प्रभावी 1000 प्रति किट पर वर्धित) किया था।

मंत्रालय के पास उपलब्ध 20 राज्यों के व्यय विवरण से 2006-11 की अवधि के दौरान स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की अधिप्राप्ति में धनराशि के खर्च में उल्लेखनीय कमी पाई गई।

विवरण नीचे दिया गया है राज्यवार विवरण (अनुबंध 7.2) में दिया गया है:

तालिका 7.3: स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की अधिप्राप्ति पर हुए व्यय में कमी

वर्ष	राज्य जहाँ कमी 100 प्रतिशत थी	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 प्रतिशत थी
2006-07	गुजरात, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल (4)	दिल्ली-98 प्रतिशत, कर्नाटक-49 प्रतिशत, बिहार-83 प्रतिशत, पंजाब-73 प्रतिशत, केरल-31 प्रतिशत (5)
2007-08	दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब (6)	मणिपुर, -36 प्रतिशत (1)
2008-09	दिल्ली गोवा हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (8)	कर्नाटक-42 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल-95 प्रतिशत (2)
2009-10	बिहार, दिल्ली, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडीशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश (9)	असम-32 प्रतिशत, पंजाब-56 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल-99 प्रतिशत (3)
2010-11	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, झारखंड, और ओडीशा (5)	पंजाब-74 प्रतिशत, उत्तराखंड-47 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल-41 प्रतिशत (3)

अध्याय-VII  
स्कूल-पूर्व शिक्षा

ऊपर दिए गए विवरण से यह देखा जा सकता है कि झारखंड, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गोवा और उत्तराखंड ने इस अवधि के दौरान स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की अधिप्राप्ति पर लगातार धनराशि व्यय नहीं की थी।

नमूना राज्यों की लेखापरीक्षा नमूना जांच से आं.के. में स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति में कमियाँ और विलम्ब दर्शाता है, जैसा कि नीचे तालिका 7.4 में विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका 7.4: स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति पर राज्य-विशिष्ट निष्कर्ष

(करोड़ रु. में)

राज्य	लेखापरीक्षा अवलोकन	राशि
आन्ध्र प्रदेश	विभाग द्वारा स्कू.पू. किटों की अधिप्राप्ति क्रियाशील आं.के. की बजाय सभी स्वीकृत आं.के. के लिए तथा वर्ष की शुरुआत में शेष स्टॉक पर ध्यान दिए बिना की जा रही है। प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अधिक अधिप्राप्ति अनुपयोगी सिद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹48.38 लाख की कीमत की 9,263 किट की आधिक्य भंडारण में पड़ा हुआ है (मार्च 2012)।  विभाग ने बताया (मार्च 2012) कि स्कूल पूर्व किटों की अधिप्राप्ति सभी स्वीकृत आं.के. के लिए यह मानते हुए की गई थी कि सभी स्वीकृत आं.के. का पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रियाशील होंगे। उत्तर यह स्थापित करता है कि अधिप्राप्तियां बिना उचित आंकलन के ही की गई थी।	0.48
गुजरात	2008-11 के दौरान चयनित जिलों को आं.के. में स्कू.पू.शि. किट के क्रय के लिए ₹2.36 करोड़ की दर पर धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। 16 परियोजनाओं में नमूना जांच से पता लगा कि स्कू.पू.शि. किट की अधिप्राप्ति दो से पांच वर्षों में केवल एक ही बार की गई। दो परियोजनाओं में कोई अधिप्राप्ति नहीं की गई थी। जबकि पांच परियोजना कार्यालयों ने स्कू.पू.शि. किट की	11.38



राज्य	लेखापरीक्षा अवलोकन	राशि
	अधिप्राप्ति का व्यय विवरण प्रदान नहीं किया था। किटों की गैर-अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹11.38 करोड़ (2008-11) की सरकारी धनराशि जिला/प्रखंड पंचायतों के व्यक्तिगत बही खातों (व्य.ब.खा.) में पड़ी रही।	
हरियाणा	2006-11 के दौरान स्कू.पू.शि. किट की अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम धनराशि के आहरण के बावजूद, आं.के. में किटों की आपूर्ति में 11 से 28 महीनों का अत्यधिक विलंब पाया गया। इन विलंबों के लिए निदेशालय द्वारा मामलों की विलंबित प्रसंस्करण और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किटों की छपाई में विलंब को जिम्मेदार ठहराया गया था। निदेशालय द्वारा किटों के विषय वस्तुओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण 2008-09 के दौरान कोई भी किट की अधिप्राप्ति नहीं हो पाई।	
झारखंड	2006-11 के दौरान स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति के लिए ₹7.65 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2012) तक कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया गया था तथा 2006-11 के दौरान कोई स्कू.पू.शि. किट आं.के. में वितरित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप योजना के स्कू.पू.शि. घटकों का अपरिदान हुआ।	7.65
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2006-07 और 2007-08 वर्षों के दौरान क्रियाशील आं.के.<sup>2</sup> के लिए किटों की आपूर्ति के आदेश अधिकता में दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान 2297 और 6026 किटों की क्रमशः अत्यधिक अधिप्राप्ति ₹38.57 लाख परिहार्य व्यय का कारण बनी।</li> <li>● अत्यधिक अधिप्राप्ति के बावजूद, वर्ष 2010-11 के दौरान क्रियाशील 50726 आं.के. तथा 14686 लघु आं.के. की कोई किट की आपूर्ति नहीं की गई थी।</li> <li>● स्कूल-पूर्व किटों की आपूर्ति के समझौते ज्यादातर वर्ष के अंत में अर्थात् 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान क्रमशः जनवरी 2007 और जनवरी 2008 में निष्पादित किए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप उपयोग में नहीं लाई गई धनराशि का स्थानांतरण उ.प्र. समाज कल्याण निगम के व्य.ब.खा. में हो गया।</li> <li>● सभी वर्षों में (2006-11) तीन से नौ महीनों तक आपूर्ति विलंबित की गई थी।</li> </ul>	0.39
मेघालय	निदेशालय द्वारा स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति के लिए मार्च 2010 में ₹68.94 लाख की राशि निकाली गई थी परन्तु उसका '8443-सिविल जमा में' स्थानान्तरण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 महीनों के विलंब के पश्चात अगस्त 2011 में किटों की अधिप्राप्ति की गई थी। इसी प्रकार से, 2010-11 में स्कू.पू.शि. किटों की खरीदारी के लिए ₹71.97 लाख चिन्हित थे परन्तु मार्च 2012 तक किटों की अधिप्राप्ति नहीं की गई थी।	
मध्य प्रदेश	मंत्रालय द्वारा स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित धनराशि का प्रावधान होने के बावजूद 2007-10 के दौरान आं.के. को स्कू.पू.शि. किट प्रदान नहीं की गई।	
ओडीशा	2.45 लाख स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति हेतु ₹18.52 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध 2006-11 के दौरान ₹6.04 करोड़ प्रदान किए गए थे। यह राशि केवल 1.21 लाख किटों की अधिप्राप्ति के लिए पर्याप्त थी जिसके बचाव से	

<sup>2</sup> परिचालित आं.के. 2006-07 119538 और 2007-08 119595



अध्याय-VII  
स्कूल-पूर्व शिक्षा

राज्य	लेखापरीक्षा अवलोकन	राशि
	1.24 लाख किटों की कमी हो गई।	
राजस्थान	2008-09 के दौरान 32 जिलों में आ.के. में वितरण हेतु 48,363 स्कू.पू.शि. किटों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश (फरवरी 2009) जारी किया गया था। तथापि, मार्च 2009 में फर्म द्वारा केवल 42,838 किटों की आपूर्ति की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 5525 आं.के. में किटों की आपूर्ति नहीं हुई। अलवर जिले में 2575 आं.के. में कोई भी किट उपलब्ध नहीं करवाई गई।	

यह तथ्य कि राज्य सरकारों का निधि की उपलब्धता होने के बावजूद स्कू.पू.शि. किटों की आवश्यक संख्या को अधिप्राप्त करने में निष्फल होना यह दर्शाता है कि इस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ तथा लाभार्थी अभिप्रेत उपयोग से वंचित रह गए।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. से बार-बार स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति पर खर्च न हुए व्यय के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस मुद्दे को समीक्षा बैठकों तथा राज्य दौरा/निरीक्षण के दौरान उठाया गया था। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से, स्कू.पू.शि. किट सहित कार्यक्रम घटकों की संपूर्ण लागत को अनुदान की दूसरी किस्त में सम्मिलित कर दिया गया था ताकि राज्य इन मदों की अधिप्राप्ति अव्यस्थित तरीके से करने के बजाय तदनुसार अधिप्राप्ति कर पाए।

#### 7.4 चयनित आं.के. में स्कू.पू.शि. किटों का उपलब्ध न होना

राज्यों का स्कू.पू.शि. किटों की वार्षिक आधार पर अधिप्राप्ति में निष्फलता का सीधा असर आं.के. में इसकी उपलब्धता पर पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखंड और गुजरात में लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी नमूना जांच किए आं.के. में स्कू.पू.शि. किट उपलब्ध नहीं थीं। आगे मध्य प्रदेश में, 280 नमूना जांच किए आं.के.

में 40 से 217, ओडीशा में, 200 नमूना जांचित आं.के. में 97 से 160 आं.के., राजस्थान में, 240 नमूना जांच किए आं.के. में 11 से 30 तथा उत्तर प्रदेश में, 309 नमूना जांच किए आं.के. में 29 से 130 में लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्कू.पू.शि. किट उपलब्ध नहीं थीं। नमूना जांच किए आं.के. में स्कूल-पूर्व किटों की उपलब्धता का राज्यवार विवरण अनुबंध 7.3 में दिया गया है।

#### सकारात्मक विकास

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय और पश्चिम बंगाल में, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सभी नमूना जांचित आ.के. में स्कू.पू.शि. किट उपलब्ध कराई गई तथा उनका उपयोग किया गया था।



**अनुशंसा**

राज्यों/सं.शा.क्षे. के स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों के अधिप्राप्ति के लिए जारी निधि के अतिरिक्त, मंत्रालय को इस धनराशि के समय पर उपयोग और आं.के. को इन किटों की पर्याप्त आपूर्ति की प्रगति की मॉनीटरिंग करनी चाहिए।

अध्याय-VII  
स्कूल-पूर्व शिक्षा

**7.5 स्कू.पू.शि. के अंतर्गत गतिविधियां**

योजना ने आं.का. के लिए कर्तव्यों की सूची निर्धारित की जिसमें अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लाभार्थियों का विभिन्न गतिविधियों में लगाना शामिल है:

- शारीरिक और गत्यात्मक विकास के लिए अभ्यास, भाषा विकास जैसे कि वार्तालाप-पूर्व, कहानी सुनाना, शब्दावली निर्माण,
- रचनात्मकता और कल्पना का विकास, समूह गतिविधियां, लेखन-पूर्व गतिविधियां जैसे कि चित्रकला और स्वरूप-बनाना, पूर्व-संख्या धारणाएं जैसे ज्यादा और कम, मोटा और पतला, दूर और पास के बीच का अंतर, और
- गुडिया/खिलौनों से खेलना, भूमिका का निर्वाह और उसके/ उसकी वस्तुओं का अन्य सहपाठियों के साथ सहभाजन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता, वस्तुओं की पहचान इत्यादि।

2699 आं.के. की नमूना जांच से स्कू.पू.शि. के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां उजागर हुईं:

- 575 से 819 आं.के. ने लाभार्थियों को स्कू.पू.शि. प्रदान करते समय अधिदेशित गतिविधियों को आयोजित नहीं किया था। इन गतिविधियों की अनुपस्थिति झारखंड और मध्य प्रदेश (सभी नमूना जांच किए आं.के.) में प्रबल थी जबकि, उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा नमूना जांच किए आं.के. में यह गतिविधियां कभी हुई ही नहीं थी।
- 787 आं.के. के पास स्कू.पू.शि. के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं था। आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सभी नमूना जांच किए आं.के. में पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था। हरियाणा, मेघालय, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात के राज्यों में पाठ्यक्रम निर्धारित था।
- झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में स्थित 467 आं.के. के आं.का. को स्कूल-पूर्व के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

राज्यवार विवरण अनुबंध 7.4 में दिया गया है।

**7.6 औपचारिक शिक्षा के लिए लाभार्थियों को मुख्यधारा में लाना**

स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्कू.पू.शि. प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक-स्कू.पू.शि. के पूर्ण होने पर बच्चों को मुख्यधारा में लाना था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (आं.का.) से यह अपेक्षित था कि वह यह सुनिश्चित करें कि स्कू.पू.शि. के

पूरा होने पर आं.के. के सभी बच्चे औपचारिक शिक्षा से जुड़े आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) से यह भी अपेक्षित था कि वह स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से समन्वय स्थापित करें ताकि आंगनवाड़ी स्कूल-पूर्व के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में पारगमन एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो।

आं.का से यह भी अपेक्षित था कि वह विद्यालय जाने योग्य बच्चे जो कि औपचारिक शिक्षा से जुड़ने वाले हैं, उनसे संबंधित डाटा/अभिलेखों का अनुक्षण करें।

तथापि, चयनित राज्यों में योग्य स्कू.पू.शि. के औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी पाई गई जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में समझाया गया है:

- 2006-11 के दौरान पांच राज्यों में जिन बच्चों ने औपचारिक शिक्षा में वास्तविक रूप से प्रवेश लिया उनकी संख्या में कमी सात और 25 प्रतिशत के बीच में रही। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7.5 नमूना जांच किए गए आं.के. में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों में कमी

राज्य	औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने योग्य	औपचारिक शिक्षा से जुड़े हुए	कमी (प्रतिशत)
आन्ध्र प्रदेश	45119	38184	6935(15)
छत्तीसगढ़	8932	6705	2227(25)
ओड़ीशा	7063	5610	1453(21)
राजस्थान	7909	5500	2409(30)
कर्नाटक	16977	15728	1249(7)
कुल	86000	71727	14273(17)

राज्यवार डाटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि अधिकतर कमी राजस्थान (30 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (25 प्रतिशत) और ओडिशा (21 प्रतिशत) में थी। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों की स्थिति कर्नाटक में थोड़ी बेहतर थी जिसने केवल सात प्रतिशत की कमी रिपोर्ट की थी।

चार राज्यों (छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और कर्नाटक) में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों की जानकारी आ.के.या परियोजना स्तर पर उपलब्ध थी। तथापि, सूचना इन राज्यों में जिला कार्यक्रम कार्यालय (जि.का.का.) या राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

#### सकारात्मक विकास

मेघालय और गुजरात में सभी योग्य बच्चों ने औपचारिक शिक्षा में प्रवेश ले लिया था।




**मामला अध्ययन: कर्नाटक में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले स्कू.पू.शि.  
लाभार्थियों की संख्या में अंतर**

राज्य नोडल विभाग साथ ही जि.का.का. ने बैलारी, चिकमगलूर, मंडया और उत्तर कन्नड़ में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले आं.के. के योग्य बच्चों के डाटा का अनुरक्षण नहीं किया था। मंडया, चमराजनगर तथा उत्तर कन्नड़ जिलों के आं.के. ने औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र बच्चों में 100 प्रतिशत उपलब्धि रिपोर्ट की, जबकि बेलगाम, चिकमगलूर और रायचूर के आं.के. द्वारा प्रस्तुत सूचना में पात्र बच्चों की संख्या तथा वास्तविकता में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लिए जाने वालों के बीच में भारी अंतर पाया गया। इन जिलों में, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र बच्चों की संख्या बच्चों से या तो बहुत अधिक थी या फिर बहुत कम थी। स्कूल-पूर्व शिक्षा घटक के लाभों का आंकलन आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों के बीच की कड़ी की अनुपस्थिति तथा इस घटक के अंतर्गत आधारभूत अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण नहीं हो पाया।

बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के शेष राज्यों में आंगनवाड़ी में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र और वास्तविक लाभार्थियों से संबंधित अभिलेख या डाटा, आंगनवाड़ी, परियोजना, जिला और राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। इन अभिलेखों या डाटा की अनुपस्थिति में, अनौपचारिक स्कू.पू.शि. के पूरा होने के पश्चात बच्चों का मुख्यधारा में आना, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

**अनुशंसा**

- औपचारिक शिक्षा में स्कूल पूर्व शिक्षा लाभार्थियों को मुख्यधारा में लाने में कमी के कारणों को मंत्रालय को तर्कसंगतता से जांचना तथा संबोधित करना चाहिए। इसे निर्धारित प्रतिमान जिसमें लगातार कमी थी उसके व्यय में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए और स्कूल-पूर्व बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में पारगमन सुनिश्चित करना चाहिए।





## सामुदायिक गतिशीलता

### 8.1 सूचना, शिक्षा और संचार

सूचना, शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पो.स्वा.शि.) स.बा.वि.से. के दो घटक हैं जिनका उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के व्यवहार में निरन्तरता एवं अभिरूचि-परिवर्तन लाना है। सू.शि.सं का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना तथा स.बा.वि.से. की छवि का निर्माण, इसकी सेवाओं की मांग को उत्प्रेरित करना, बाल-देखभाल में अभिरूचि-परिवर्तन एवं व्यवहार की आदतों का निर्माण, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल तथा निरन्तर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार को एक विशेष समूदाय/क्षेत्र की संचार सेवाओं की आवश्यकता का आकलन करके वार्षिक कार्यन्वयन योजना तैयार करनी थी और तदनुसार, सू.शि.स. योजना का निर्माण करना था।

#### 8.1.1 सू.शि.सं. पर व्यय

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सू.शि.सं. कार्यकलापों को किए जाने हेतु ₹25000 प्रति क्रियाशील परियोजना प्रतिवर्ष की राशि की दर पर वर्ष 2008-09 तक प्रावधान था जो वर्ष 2009-10<sup>1</sup> से ₹1000 प्रति क्रियाशील आं.के. प्रति वर्ष के रूप में संशोधित की गई थी।

मंत्रालयों में उपलब्ध व्यय विवरणों (व्य.वि.) की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इस मद में राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को जारी निधियों की तुलना सू.शि.सं. कार्यकलापों पर किए गए व्यय में महत्वपूर्ण कमी हुई थी। उन राज्यों जिन्होंने सू.शि.स. पर निधियों का व्यय नहीं किया था तथा जहां 40 प्रतिशत से अधिक की कमी थी को तालिका 8.1 में सूचीबद्ध किया गया है (राज्यवार विवरण अनुबंध 8.1 में दिया गया है)

<sup>1</sup> एक परियोजना में लगभग 100 से 200 आं.के. थे।

## तालिका 8.1 सू.शि.सं. कार्यकलापों के लिए निधियां का उपयोग न किया जाना

अध्याय-VIII  
सामुदायिक  
गतिशिलता

वर्ष	राज्य/सं.शा.क्षे. जिन्होंने सू.शि.सं. पर कोई राशि खर्च नहीं की	राज्य/सं.शा.क्षे. जहां 40 से 99 प्रतिशत की कमी थी
2006-07	असम, गुजरात, झारखण्ड तथा मणिपुर (4)	पश्चिम बंगाल: 83 प्रतिशत, तमिलनाडु: 63 प्रतिशत, दिल्ली: 52 प्रतिशत तथा पंजाब: 45 प्रतिशत (4)
2007-08	गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल (4)	कर्नाटक: 93 प्रतिशत, तमिलनाडु: 62 प्रतिशत, मध्य प्रदेश: 51 प्रतिशत तथा पंजाब: 46 प्रतिशत (4)
2008-09	दिल्ली, गोवा, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल (4)	कर्नाटक: 95 प्रतिशत, पंजाब: 56 प्रतिशत उत्तर प्रदेश: 54 प्रतिशत (3)
2009-10	दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, ओडीशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (8)	कर्नाटक: 94 प्रतिशत, पंजाब: 93 प्रतिशत, हरियाणा: 80 प्रतिशत, उत्तराखण्ड: 57 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश: 55 प्रतिशत (5)
2010-11	दिल्ली, गोवा, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल (4)	पंजाब: 96 प्रतिशत, ओडीशा: 89 प्रतिशत, हरियाणा: 83 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश: 63 प्रतिशत, कर्नाटक: 62 प्रतिशत, केरल: 47 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश: 42 प्रतिशत (7)

प्रतिशत राज्यों में नमूना जांच में आगे प्रकट हुआ कि राज्यों के सू.शि.सं. बजट के अंतर्गत व्यय में कमी आई थी। 2006-11 के दौरान 12 नमूना जांच किए गए राज्यों<sup>2</sup> में वास्तविक व्यय ₹71.24 करोड़ था और परिणामतः व्यय में 52 प्रतिशत की कमी थी (राज्यवार ब्यौरा अनुबंध 8.2 में दिया गया है)। पांच राज्यों (बिहार: 13 प्रतिशत, गुजरात: 30 प्रतिशत, हरियाणा: 35 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश: 42 प्रतिशत तथा आन्ध्र प्रदेश: 44 प्रतिशत) में सू.शि.सं. के अंतर्गत निधियों का उपयोग 2006-11 की अवधि में किए गए कुल प्रावधान के आधे से भी कम था।

आगे, चार नमूना जांच किए गए राज्यों (बिहार: 81 प्रतिशत, गुजरात: 100 प्रतिशत, कर्नाटक: 77 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश: 89 प्रतिशत) में सू.शि.सं. पर व्यय राज्य स्तर पर सर्वाधिक था। यह दर्शाता था कि सू.शि.सं. नीति की संभावना का परियोजना तथा आं.के. स्तर पर पूर्ण स्थापित नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. को सू.शि.सं. के अंतर्गत व्यय न करने के कारणों को बताने के लिए बार-बार कहा गया था। इस मामले को समीक्षा बैठक तथा राज्य दौरे/निरीक्षण के दौरान उठाया गया था। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से सू.शि.सं. को शामिल करते हुए कार्यक्रम के घटकों की पूरी लागत को अनुदान की दूसरी किश्त में शामिल कर लिया गया था जिससे राज्य सू.शि.सं. कार्यकलापों के लिए निर्धारित निधियों को समय पर व्यय कर सकें।

<sup>2</sup> पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सभी नमूना जांचित राज्यों में



**मामला अध्ययन: उत्तर प्रदेश में सू.शि.सं. निधियों का अनुचित उपयोग**

- 2006-09 की अवधि के दौरान, सू.शि.सं. के लिए निर्धारित ₹3.89 करोड़ की राशि को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम के व्यक्तिगत बही खाते में रखा गया था। इस जमा राशि में से ₹1.77 करोड़ आगामी वर्षों में व्यय किया गया था जबकि ₹2.12 करोड़ के शेष को मार्च 2010 में वापस कर दिया गया था। निधियों को जारी किए जाने में देरी, मुद्रण आदेश को निदेशालय स्तर से विलम्ब से जारी होना आदि, को उपयोग न हो पाने के कारण के रूप में बताय गया।
- 2006-07 में ₹0.50 करोड़ तथा 2010-11 में ₹13.33 करोड़ निदेशालय स्तर पर कम्प्यूटरों प्रिन्टरों, यू.पी.एस. की खरीद तथा मातृ-शिशु कार्ड की छपाई/पूर्ति, वृद्धि चार्ट, प्रतिदिन गृह दौरा डायरी, मैत्री समिति के लिए दिशानिर्देश तथा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं (आं.का) के लिए दिशानिर्देश के लिए खर्च किए गए थे। ये सारी मदें, तथापि, सू.शि.सं. के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यकलापों की सूची के अंतर्गत शामिल नहीं थी। आगे, 2008-09 के दौरान, ₹0.29 करोड़ राज्य सरकार की एक योजना के लिए विज्ञापन एवं आवेदन पत्रों की छपाई तथा आपूर्ति के लिए प्रयोग किए गए थे।

**अनुशांसा**

- **मंत्रालय को इस बात पर बल देना चाहिए कि राज्य अपने वार्षिक सू.शि.सं. कार्ययोजना को वित्तीय मानकों के अनुरूप तैयार करें। सू.शि.सं. पर हुए व्यय का मॉनीटर होना चाहिए जिससे इसकी कमियों के कारणों की जांच हो सके।**

**8.1.2 सूचना शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमी**

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सू.शि.सं. कार्यकलापों को जिला एवं परियोजना स्तर पर सेमीनारों, दृश्य-श्रव्य माध्यमों, लोक संचार, ग्राम कैम्प, महिला मंडल/मातृ समूह बैठक, गृह दौरा तथा अन्य स्थानीय संचार माध्यम यथा पोस्टर, स्लाइड, फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट, आवधिक समाचार पत्र आदि के माध्यम से पूरा करना था। राज्यों के सू.शि.सं. अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं:-

- **आन्ध्र प्रदेश:** नमूना जांच किए गए स.बा.वि.से. परियोजनाओं<sup>3</sup> में 2009-10 के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर कोई सेमीनार/वर्कशाप आयोजित नहीं किए गए थे यद्यपि सू.शि.सं. कार्यकलापों के लिए बजट आबंटित था। फिल्म/स्लाइड/ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि की, राज्य की किसी भी परियोजना के लिए, आपूर्ति नहीं की गई थी। 2006-11 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान शो की प्रदर्शनी के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। 300 नमूना जांच किए गए आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) में, मार्च 2012 तक महिला मंडल का गठन नहीं हो पाया था।
- **बिहार:** निदेशालय स्तर पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के बावजूद, राज्य तथा परियोजना स्तर पर इन्हें जारी नहीं किया गया इसलिए आं.के. पर सू.शि.सं.

<sup>3</sup> स.बा.वि.से. परियोजनाएं मखताल एवं भद्रा गिरि

कार्यक्रमों को नहीं चलाया जा सका।

- **मध्य प्रदेश:** जिला एवं परियोजना स्तर पर कोई संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गई तथा सात नमूना जांच किए गए जिलों के किसी भी आं.के. को किसी प्रकार की सू.शि.सं./प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
- **ओडिशा:** 2009-11 की अवधि के दौरान, सू.शि.सं. के अंतर्गत सेवाओं को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया था। इसके कारणों का कोई अभिलेख नहीं पाया गया था।
- **उत्तर प्रदेश:** 2006-07 तथा 2009-10 के वर्षों में संस्वीकृत सू.शि.सं. कार्य योजना में लोक मीडिया, कठपुतली प्रदर्शनी, गायन, यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेमीनार आदि को शामिल करने तथा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के साथ बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह (जून एवं दिसम्बर), स.बा.वि.से. दिवस, स्तन सप्ताह मनाने के बावजूद भी जिलों को सू.शि.सं. कार्यकलापों को चलाने के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई। 2008-09 तथा 2009-10 में, राज्य सरकार द्वारा सू.शि.सं. कार्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण सू.शि.सं. कार्यकलापों की क्षति हुई।
- **पश्चिम बंगाल:** विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों की संचार जरूरतों का आकलन करने के पश्चात सू.शि.सं. के लिए कोई वार्षिक गतिविधि/कार्यान्वयन योजना तैयार नहीं की। सू.शि.सं. सामग्री, फिल्म का प्रापण विभाग द्वारा नहीं किया गया। 2006-11 की अवधि में केवल एक बार (2006-07) में ₹15.60 लाख का वितरण सू.शि.सं. कार्यकलापों को चलाने के लिए किया गया था। इस राशि का उपयोग लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं हो पाया क्योंकि उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

### 8.1.3 सूचना शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) के लिए उपकरणों तथा सामग्री का उपयोग

आठ राज्यों<sup>4</sup> के 40 जिलों में सू.शि.सं. सामग्री नमूना जांच किए गए 1,637 के किसी भी आं.के. ने प्राप्त नहीं की थी। चार राज्यों<sup>5</sup> में 12 जिलों के 480 आं.के. पर सू.शि.सं. सामग्री की प्राप्ति तथा उपयोग संबंधी कोई सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। गुजरात में, 2007-08 तथा 2010-11 के दौरान चार नमूना जिलों में से एक में तथा 2008-09 के दौरान तीन जिलों में सू.शि.सं. सामग्री प्राप्त हुई थी। शेष अवधि में सू.शि.सं.सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी। राजस्थान में, 240 आं.के. में से 40 पर सू.शि.सं. सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी।

<sup>4</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश

<sup>5</sup> झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल



**8.1.4 सूचना शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.)की प्रभावशीलता का मूल्यांकन**

योजना के दिशा निर्देशों में सू.शि.सं. के अंतर्गत होने वाले क्रिया कलापों के आवधिक निरीक्षण का प्रावधान है जिससे समाज में जागरूकता ज्ञान तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव का आकलन हो सके। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान 10 चयनित राज्यों<sup>6</sup> में सू.शि.सं. का स.बा.वि.से. योजना पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। शेष तीन राज्यों<sup>7</sup> के संबंध में, अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

**अनुशासण**

- सू.शि.सं. कार्यकलापों के प्रभाव का आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- राज्यों द्वारा की गई सू.शि.सं. गतिविधियों की पुस्तिका, जिसमें अनुसंधानात्मक एवं सकारात्मक उपायों तथा बेहतरी के लिए क्षेत्रों तथा कमियों का भी उल्लेख हो, को राज्यों में समय-समय पर प्रेषित किया जाना चाहिए।

**8.2 पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा**

पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पो.स्वा.शि) आंगनवाडी कार्यकर्ता (आ.का.) के कार्यों का आधार है। पो.स्वा.शि का दीर्घकालीन उद्देश्य महिलाओं की क्षमता का निर्माण है जिससे वे स्वयं के स्वास्थ्य की तथा साथ ही साथ अपने बच्चों एवं परिवार की पोषण आवश्यकताओं एवं विकास की भी देख-रेख कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आ.का. द्वारा परामर्श सत्र, गृह यात्रा तथा निदर्शन किया जाता है। पो.स्वा.शि. के क्रियान्वयन तथा अनुशरण की पूर्व जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर निर्भर है।

योजना के दिशा-निर्देशों में आ.का. द्वारा एक दिन में कम से कम दो या तीन घरों के दौड़ों का प्रावधान था आगे प्रत्येक आं.के. में प्रत्येक माह मातृ-समूह की एक बैठक आयोजित करनी थी। राज्यों की नमूना जांच में पो.स्वा.शि. के कार्यान्वयन में निम्न कमियां पाई गई:-

**8.2.1 घरों के दौरे**

लेखापरीक्षा ने पाया कि आं.का. निर्धारित लक्ष्यों के अनुसूच्य लाभार्थियों के गृहों पर यात्रा नहीं कर रही थी। आठ राज्यों के चयनित जिलों में 2006-07 से 2010-11 के दौरान 23 से 70 प्रतिशत की कमी देखी गई। आ.का. द्वारा की गई गृह यात्राओं का विवरण तालिका 8.2 में दर्शाया गया है

**अच्छा-अभ्यास**

पश्चिम बंगाल में आ.का. ने 1.67 लाख लक्ष्य की तुलना में 5.37 लाख यात्राएं की जो निर्धारित लक्ष्य से तीन गुना अधिक थी।

<sup>6</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा

<sup>7</sup> झारखण्ड, मेघालय तथा ओडिशा

तालिका 8.2. नमूना जांचित आं.के. में आ.का. द्वारा गृह यात्रा का राज्यवार विवरण

(आंकड़े लाख में)

राज्य	चयनित आं.के. में लक्षित गृह यात्रा	वास्तव में की गई गृह यात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	25.58	8.25	17.33	67.74
छत्तीसगढ़	9.00	3.64	5.36	59.55
गुजरात	12.00	9.22	2.78	23.16
कर्नाटक	7.47	4.75	2.72	36.41
मेघालय	0.58	0.36	0.22	37.93
ओडीशा	3.46	1.04	2.42	69.94
राजस्थान	17.90	9.29	8.61	48.10
उत्तर प्रदेश	12.17	6.77	5.4	44.37
योग	88.16	43.32	44.84	50.86

अध्याय-VIII  
सामुदायिक  
गतिशीलता

गुजरात में नमूना जांचित परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) ने जल्दी-जल्दी बैठको, छुट्टी तथा प्रशिक्षण को आ.का. द्वारा किए जाने वाले घरों के दौरों में कमी के कारणों के रूप में बताया। छत्तीसगढ़ में संबंधित परियोजना अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार यात्रा के बाद में निर्देशों को जारी किया जाएगा।

### 8.2.2 फिल्में एवं स्लाइड शो:

- ओडिशा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने किसी भी फिल्म/स्लाइड शो का लक्ष्य नहीं बनाया था। तथापि पो.स्वा.शि. देने के लिए इन राज्यों में 146 शो आयोजित किए गए थे।
- आन्ध्र प्रदेश ने लक्षित 1190 शो की तुलना में एक भी शो आयोजित करने में विफल रहा।
- अन्य आठ राज्यों<sup>8</sup> में फिल्म/स्लाइड शो की न ही कोई योजना बनाई गई और न ही इनका आयोजित किया गया।

### 8.2.3 प्रदर्शन/अभिमुखी पाठ्यक्रम

- इस तथ्य के बावजूद कि राजस्थान ने किसी अभिमुखी पाठ्यक्रम की योजना नहीं बनाई थी, इसने 2006-11 की अवधि में वस्तुतः 104 पाठ्यक्रम चलाया।
- पश्चिम बंगाल ने अपनी योजना के अनुसार पाठ्यक्रम चलाया तथा कर्नाटक, मेघालय तथा ओडिशा ने अपने लक्ष्य की 80 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की।

#### अच्छा अभ्यास

छः राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल) में माताओं/गर्भवती माताओं को शिशु देखभाल की शिक्षा के उद्देश्य से मातृ बैठकें निर्धारित लक्ष्य या उससे अधिक की गई थीं।

<sup>8</sup> बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश



- आन्ध्र प्रदेश में 1488 अभिमुखी पाठ्यक्रमों को चलाने का लक्ष्य रखा था। तथापि कोई पाठ्यक्रम नहीं चलाया गया।
- छ: राज्यों<sup>9</sup> लघु प्रदर्शन अभिमुख पाठ्यक्रम न ही लक्षित थे और न चलाए गए।

#### 8.2.4 मातृ-बैठक

- छ: राज्य <sup>10</sup> अपने यहां मातृ बैठकों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे तथा उनके मामले में यह कमी 3 से 43 प्रतिशत थी।
- मध्य प्रदेश में न तो कोई लक्ष्य निर्धारित था न ही माताओं की शिक्षा के लिए कोई बैठक आयोजित की गई।

#### 8.2.5 पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा (पो.स्वा.शि.) के अन्य पहलू

- 12 राज्यों<sup>11</sup> में पो.स्वा.शि. आन्दोलन चलाए गए जिनका उद्देश्य शिशु एवं बाल आहार अभ्यास (शि.बा.आ.) की महत्ता तथा पू.पो. में सब्जियों, फलों, दूध तथा अण्डों की महत्ता पर सामुदायिक शिक्षण प्रदान करना था। इनमें प्रतिरोधात्मक टीकों के लाभ सुक्ष्म पोषकों की विकास हेतु आवश्यकता, बच्चों का विकास एवं प्रतिरोधन की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त, माताओं को निवल राशन, (नि.रा.) से थोड़ी देर में बच्चों को भोजन कराने की सलाह दी गई।
- पो.स्वा.शि. आन्दोलन से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण आठ राज्यों<sup>12</sup> में सन्तोषजनक था लेकिन पांच राज्यों<sup>13</sup> ने पो.स्वा.शि. कार्यकलापों से संबंधित कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।
- गुजरात में बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) ने बताया कि जिला/परियोजना/आं.के. स्तर पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी लेकिन पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को महिला मंडल बैठकों, भोजन पकवान प्रतियोगिताओं, पोषण सप्ताह आदि के माध्यम से चलाया जा रहा था। इसी प्रकार, हरियाणा में पो.स्वा.शि. कार्यकलापों को मातृ बैठकों के माध्यम से 2006-11 की अवधि में चलाया गया था।
- झारखण्ड में महीने में एक बार पोषाहार दिवस निवल राशन (नि.रा.) बांटने वाले दिन आयोजित किया जाता था जब राशन प्राप्त करने आने वाली महिलाएं सूखा राशन प्राप्त करने आं.के. पर आती थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी पात्र महिलाएं (15 से 45 वर्ष) आं.के. में नामांकित नहीं थी। पो.स्वा.शि. का कार्यान्वयन घरों के दौरों या सहायक नर्सिंग मिड वाइफ के साथ संयुक्त दौरों के

<sup>9</sup> बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश

<sup>10</sup> छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

<sup>11</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

<sup>12</sup> गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

<sup>13</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश

माध्यम से नहीं हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप आच्छादन अपर्याप्त था क्योंकि पात्र महिलाओं जिनकी पहचान नहीं की गई थी पो.स्वा.शि. के लाभो से वंचित थी।

- नमूना जांच में शामिल पांच राज्यों<sup>14</sup> की परियोजनाओं में चयनित आं.के. में से किसी में भी अन्य क्रियाकलाप जैसे विशेष कैम्प भोजन पकाने एवं आहार प्रदान करने का तरीका आदि नहीं दर्शाया गया था।

पो.स्वा.शि. पहल ने उपरोक्त बताई गई कमियां के बावजूद, लक्षित लाभभोगियों को पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करने में एक दर्शनीय भूमिका निभाई। इसमें बच्चों के विकास तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने में सूक्ष्म पोषकों की महत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायता प्रदान की।

### 8.3 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (ग्रा.स्वा.पो.दि.) महीने में एक बार प्रत्येक आं.के. पर आयोजित किया जाना है। ग्रा.स्वा.पो.दि. यदि नियमित रूप से प्रभावी ढंग से आयोजित हो तो यह समुदाय में व्यावहारिक परिवर्तन ला सकता है जो नितान्त आवश्यक है। यह समुदाय में स्वास्थ्य-अन्वेषण व्यवहार का उत्प्रेरक बनकर बेहतर स्वास्थ्य परिणामों का कारक बन सकता है। इसकी योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के (प्रा.स्वा.के.) मेडिकल आफिसर तथा बा.वि.प.अ. द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। मेडिकल अफसर/स.न.मि., आं.के. तथा समेकित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यवती (आशा) को इस दिन उपस्थित रहना चाहिए जिससे बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिरोधक हो सके। प्राक प्रसव देखभाल (ए.एन.सी.) रजिस्टर प्रसवोपरांत देखभाल (पी.एन.सी.), स्वास्थ्य जांच आदि अभिलेख आ.का. तथा आशा की सहायता से अनुरक्षित किए जाने चाहिए।

विभिन्न परियोजना कार्यालयों तथा आं.के. की नमूना जांच से निम्न प्रकट हुआ।


- **पश्चिम बंगाल:** नमूना जांच में शामिल जिलों में 2006-10 की अवधि में ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस (ग्रा.स्वा.पो.दि.) आयोजित नहीं किया गया। 2010-11 में आवश्यक 4,75,152 की तुलना में नमूना जांच में शामिल जिलों में केवल 50,220 ग्रा.स्वा.पो.दि. (11 प्रतिशत) आयोजित किए गए।
- **राजस्थान:** 2006-11 के दौरान नमूना जांच में शामिल आं.के. (एक जिले में 40) में 2400 ग्रा.स्वा.पो.दि. में से 1209 ग्रा.स्वा.पो.दि. में चार जिलों में स.न.मि.वा. उपलब्ध नहीं थे।
- **ओडिशा:** 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए नमूना जांच में शामिल पांच जिलों के 198 नमूना जांच वाले आं.के. पर 4215 ग्रा.स्वा.पो.दि. की तुलना में केवल 2178 ग्रा.स्वा.पो.दि. आयोजित किए गए थे।

<sup>14</sup> आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा तथा मेघालय



- **कर्नाटक:** बेल्लारी तथा उत्तर कन्नड जिलों में नमूना जांच में शामिल आं.के. पर ग्रा.स्वा.पो.दि. आयोजित करने में 20 से 21 प्रतिशत की कमी पाई गई। आगे, चिकमगलूर तथा उत्तर कन्नड जिलों में ग्रा.स्वा.पो.दि. पर स.न.मि.वा. मौजूद नहीं थे।
- **गुजरात:** लक्षित तथा वास्तव में आयोजित ग्रा.स्वा.पो.दि. की संख्या, सहायक नर्सिंग मिडवाइफ (स.न.मि.वा.)/चिकित्सा अधिकारी और आंगनवाडी कार्यकर्ता (आं.का.) द्वारा ग्रा.स्वा.पो.दि. की योजना तथा कार्यवाही के प्रलेखन के बारे में राज्य नोडल निदेशालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने बताया कि ग्रा.स्वा.पो.दि. मनाने के लिए तथा अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नोडल विभाग था। विभाग का उत्तर इस आलोक में देखा जाना चाहिए कि ग्रा.स्वा.पो.दि., आं.के. पर आयोजित किए गए थे। यह स.बा.वि.यो.के. लाभार्थियों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के प्राथमिक स्तर पर एकीकरण का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, ग्रा.स्वा.पो.दि. के अभिलेखों का अनुरक्षण दोनों विभागों, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग, द्वारा वांछित है।

ग्रा.स्वा.पो.दि. की कमी, पर्यवेक्षक, महिला स्वास्थ्य परिदर्शन (म.स्वा.प.) मेडिकल अफसर प्रभारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी से समुचित सामंजस्य की कमी दर्शाता था। आगे, स.बा.वि.से. के लाभार्थियों में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए अवसर का पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया जा सका।





## वित्तीय प्रबंधन

### 9.1 निधीयन-स्वरूप

स.बा.वि.रो. योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/ सं.शा.क्षे. प्रशासन को निधियाँ दो शीर्षों अर्थात् स.बा.वि.से. (सामान्य (स)) तथा अनुपूरक पोषण (अ.पो.) के अंतर्गत प्रदान की जानी थी (निधीयन स्वरूप इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1.5 में दिए गए हैं)। मंत्रालय, राज्यों, द्वारा त्रैमासिक/वार्षिक व्यय विवरण (व्य.वि.) तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किए जाने के तहत वर्ष में चार अथवा अधिक किस्तों में अनुदान जारी करता है। प्रथम दो किस्ते संकेतिक आधार (मानदण्डों, लाभार्थियों की संख्या, परिचलनात्मक परियोजनाओं तथा परिचलनात्मक आं.के. पर अधारित) पर जारी की जाती है। अनुवर्ती किस्तें 30 जून तथा 30 सितंबर को व्य.वि. तथा पिछले वर्ष के व्य.वि. के आधार पर जारी की जाती है।

### 9.2 स.बा.वि.से. (अनुपूरक आहार)

#### 9.2.1 व्यय विवरणी (व्य.वि.) तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) का गैर-प्रस्तुतीकरण अथवा विलम्बित प्रस्तुतीकरण

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/स.शा.क्षे. को संबंधित वित्तीय वर्ष 31 जुलाई तथा 31 अक्टूबर तक अनुदानों की प्रथम तथा दूसरी किस्त (जो संकेतिक आधार पर जारी की गई है) के संबंध में व्य.वि./ उ.प्र. प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तीसरी तथा चौथी किस्तें पिछले निर्गमों के प्रति व्यय आंकड़ों को ध्यान में रखने के पश्चात जारी की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अ.आ. घटक के संबंध में व्य.वि./उ.प्र. की राज्यों/ सं.शा.क्षे. द्वारा मंत्रालय को नियमित रूप से नहीं भेजा जा रहा था। 28 राज्यों को निधियां जारी करने के संबंध में मंत्रालय में अभिलेखों के विश्लेषण ने प्रकट किया 2006-11 की अवधि के दौरान बकाया 560 त्रैमासिक व्य.वि./उ.प्र. में से 150 (27 प्रतिशत) व्य.वि./उ.प्र. मंत्रालय में प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार, योजना के भौतिक तथा वित्तीय संकेतको पर आवधिक प्रगति पर मंत्रालय के पास अधूरी सूचना थी जिसने मंत्रालय द्वारा मॉनीटारिंग को अप्रभावी प्रकट किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 410 त्रैमासिक व्य.वि./उ.प्र. जो मंत्रालय में प्राप्त किए गए थे, में से 360 को 10 दिनों से लेकर 200 दिनों के विलम्ब से प्राप्त किया गया था। राज्यों द्वारा व्य.वि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का परिणाम मंत्रालय द्वारा राज्यों को अ.आ. हेतु निधियों के विलम्बित निर्गम में हुआ।

यह पाया गया कि 2006-11 की अवधि के दौरान बकाया 140 वार्षिक व्य.वि. में से 55 (39 प्रतिशत) व्य.वि. मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, ऐसे मामलों में निधियों की

पात्रता को पिछले वर्ष की चौथी तिमाही के व्यय विवरण (व्य.वि.) के ब्यौरों के आधार पर परकलित किया गया था। व्य.वि. की अप्राप्ति अथवा व्य.वि. की देरी से प्राप्ति के ब्यौरे **अनुबंध 9.1** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय स्तर पर राज्यों को निधियाँ जारी करने में विलंब पाया। 2010-11 के दौरान 29 नमूना जाँच किए राज्यों के संस्वीकृति पत्रों का विश्लेषण व्य.वि. की प्राप्ति की तिथि तथा मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति पत्रों को जारी करने की तिथि के आधार पर किया गया था। 2010-11 के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी 36 संस्वीकृति पत्रों में से 10 को प्रथम दो किस्तों को जारी करने तथा शेष 26 को वर्ष की अंतिम दो किस्तों (अर्थात् III तथा IV) के निर्गम हेतु जारी किया गया था। यह देखा गया था कि राज्य सरकार से अनिवार्य व्य.वि./उ.प्र. की प्राप्ति के पश्चात् III तथा IV किस्तों के लिए निधियाँ जारी करने हेतु मंत्रालय द्वारा लिया गया समय 20 से 141 दिनों के बीच था। निधियों को जारी करने हेतु मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर लिये गये समय का ब्यौरा **अनुबंध 9.2** में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2012) कि निधियों को जारी करने में विलम्ब प्राथमिक रूप से राज्यों/ सं.शा.क्षे. से व्य.वि. की विलम्बित प्राप्तियों के कारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियों को जारी करने में विलम्ब केवल व्य.वि. की विलम्बित प्राप्ति को ही नहीं बल्कि तीसरी तथा चौथी किस्त जारी करने हेतु मंत्रालय द्वारा उनके संसाधन में विलम्बों को आरोपणीय था।

### 9.2.2 व्यय विवरण (व्य.वि./उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) जो यथार्थ तथा सही आंकड़े नहीं दर्शाते

2006-11 के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक व्य.वि./उ.प्र. की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि राज्य द्वारा प्राप्ति के रूप में दर्शायी राशि तथा वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा वास्तव में जारी राशि में मेल नहीं था। यह, मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष/अधिक व्यय से समायोजन के कारण हुआ, जिसे राज्यों को सूचित नहीं किया गया था। इसके कारण, समायोजित राशि को राज्य द्वारा उ.प्र. में दर्शाया नहीं गया था। पाए गए मामलों को **अनुबंध 9.3** में दिया गया है। तथापि, यह देखा गया था कि मंत्रालय ने वार्षिक व्य.वि./उ.प्र. की जाँच करते समय विसंगति पर ध्यान नहीं दिया था। यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने व्य.वि./उ.प्र. को जांच करने में लापरवाही की थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इसने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को निधियों को जारी करने हेतु पर्याप्त श्रमशक्ति के माध्यम से प्रणाली में सुधार लाने हेतु दर्ज कर लिया था।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों की वास्तविक निर्गम तथा वास्तविक व्यय हेतु राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।



**9.3 स.बा.वि.से. (सा.)**

योजना के अनुसार, मंत्रालय द्वारा राज्य प्रकोष्ठ, जिला प्रकोष्ठ तथा परियोजनाओं के कर्मचारियों के वेतनों हेतु निधियाँ वास्तविक आधार पर जारी की जानी थी तथा आ.का./आ.स. को मानदेय, अन्य घटकों जैसे कि पेट्रोल तेल एवं स्नेहकों, आकस्मिताओं, मॉनीटरिंग, किराया, औषधि किट, स्कूल पूर्व किट, सूचना शिक्षा एवं संचार, लचीली निधियों तथा वर्दियों हेतु स्वीकृत वित्तीय मानदण्डों के अनुसार प्रदान किया जाना था।

**9.3.1 वेतनों के भुगतान हेतु अवास्तविक बजटीकरण**

राज्य प्रकोष्ठ, जिला प्रकोष्ठ तथा परियोजनाओं की परिचलनात्मक लागत को पूरा करने हेतु निधियों की आवश्यकता को निम्नलिखित दर प्रतिवर्ष पर पूर्ण स्वीकृत कर्मचारी संख्या की कल्पना करते हुए परिचलनात्मक परियोजनाओं के स्टाफ हेतु निर्धारित दरो पर परकलित किया गया है:

राज्य स.बा.वि.से. प्रकोष्ठ :	₹ 9.6 लाख (अप्रैल 2009 से ₹ 34.08 लाख)
जिला कार्यक्रम कार्यालय:	₹ 9 लाख (अप्रैल 2009 से ₹7.8 लाख)
परियोजना कार्यालय :	₹ 13.14 लाख

2008-11 की अवधि के दौरान, राज्य प्रकोष्ठों, जिला प्रकोष्ठों तथा परियोजनाओं में स्टाफ के वेतनों हेतु ₹1,753 करोड़ जारी किए गए थे। जिसके प्रति, राज्यों ने ₹ 2,853 करोड़ का उपयोग सूचित किया। वर्ष-वार ब्यौरा तालिका 9.3 में दिया गया है (राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध 9.4 में दिए गए हैं)।

तालिका 9.3: स्टाफ वेतनों पर जारी निधियाँ तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शामिल राज्यों की सं.	जारी निधियां	वास्तविक व्यय	निधियाँ जारी करने में कमी	प्रतिशतता कमी
2008-09	13	516.53	748.61	232.08	44.93
2009-10	15	609.54	996.25	386.71	63.44
2010-11	15	626.45	1108.13	481.68	76.89
कुल		1752.52	2852.99	1100.47	62.79

इस प्रकार, वास्तविक व्यय राज्यों को वेतन घटक पर मंत्रालय द्वारा जारी निधियों से 45 से 77 प्रतिशत तक अधिक था। इस तथ्य के बावजूद कि परिचलनात्मक परियोजनाओं हेतु संस्वीकृत पदों में से 20 से 40 प्रतिशत पद रिक्त पड़े थे, वेतन पर अधिक व्यय किया गया था। यह दर्शाता है कि मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का निर्धारण वास्तविक ढग से नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि 2006-11 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में जनवरी 2006 से अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया। इसका परिणाम इन वर्षों हेतु बड़े बकायों के भुगतान में हुआ। वर्ष 2011-12 से, निर्देशात्मक आवश्यकताओं को लेते समय वेतन पर वास्तविक व्यय को

ध्यान में रखा गया है। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्टूबर 2012) कि वेतन के अंतर्गत निधियों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने अन्य घटकों जैसे कि औषधि किट का प्रापण, आं.के. को लचीली निधि प्रदान करना, स्कूल पूर्व शिक्षा किट का प्रापण तथा सूचना शिक्षा एवं संसार (सू.शि.सं.) हेतु उनको जारी निधियों का विपणन किया (उन घटकों पर व्यय में कमी को इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4.5, 4.6, 7.3 तथा 8.1.1 में इंगित किया गया है)।

इस प्रकार, मंत्रालय योजना के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण करते समय वेतन हेतु निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण करने तथा छटे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के प्रभाव को ध्यान में रखने में विफल रहा। इसका परिणाम योजना के अन्य घटकों पर व्यय में कमी में हुआ, जिसने योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपुर्दगी की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

### 9.3.2 निधियों का अधिक निर्गम

#### 9.3.2.1 अव्ययित शेष का लेखाबद्ध न किया जाना

2006-11 की अवधि के लिए निधियों को जारी करने से संबंधित फाइलों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि राज्यों के पास उपलब्ध पिछले वर्ष के अव्ययित शेष को अगले वर्ष हेतु निधियाँ जारी करते समय मंत्रालय द्वारा उचित रूप से ध्यान में नहीं रखा गया था। यह झारखण्ड को निधियों के अधिक निर्गम (2011-12 में ₹13.64 करोड़) का कारण बना। इसी प्रकार के मामले में, वर्ष 2008-09 के दौरान हरियाणा द्वारा किए गए ₹ 11.15 करोड़ के अधिक व्यय की मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2009-10 हेतु निधियाँ जारी करते समय अनुचित रूप से प्रतिपूर्ति की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2011-12 हेतु तथा 2012-13 की प्रथम तिमाही के लिए झारखण्ड के व्यय विवरण (व्य.वि.) की जाँच के पश्चात ₹96.19 करोड़ की राशि 01 अप्रैल 2012 को राज्य सरकार के पास अव्ययित शेष के रूप में पाई गई थी जिसे तीसरी तिमाही के निर्गम में समायोजित किया गया था।

हरियाणा के मामले में मंत्रालय ने बताया कि राज्य को तीसरी किस्त हेतु निर्गम का परिकलन करते समय ₹11.15 करोड़ के रूप में सूचित अधिक व्यय ₹720.90 लाख तक घट गया था तथा तदनुसार तीसरी तिमाही को निर्गम की गई थी। इस प्रकार, विसंगतियों का 2009-10 में तीसरी किस्त जारी करते समय निपटान किया गया था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इसने राज्य द्वारा सूचित अधिक व्यय का दो बार समायोजन किया था।



### 9.3.2.2 अतिरिक्त परियोजनाएं तथा आं.के. को प्रारम्भ करने हेतु राज्यों को ₹37.53 करोड़ के व्यय की अधिक प्रतिपूर्ति

स.बा.वि.से योजना के विस्तार के दौरान, सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को तीन चरणों में अतिरिक्त परियोजनाओं तथा आं.के. की संस्वीकृति दी गयी थी। अतिरिक्त परियोजनाएं तथा आं.के. को प्रारम्भ करने हेतु एक परियोजना तथा आंगनवाडी केन्द्र (आं.के.) की स्थापना के लिए क्रमशः ₹ 91,700 तथा ₹ 5,000 (1.4.2009 से ₹ 1,50,000 तक बढ़ा दी गई थी) की दर पर गैर-आवर्ती अनुदान सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया था।

मंत्रालय में उपलब्ध वर्ष 2006-11 हेतु वार्षिक व्यय विवरण (व्य.वि.) की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि चार राज्यों ने अतिरिक्त परियोजनाओं तथा आं.के. को स्थापित करने के कारण मानदण्डों से परे जाकर, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है, ₹ 37.53 करोड़ की राशि के अधिक व्यय का दावा किया:

तालिका 9.4: नए आं.के. की स्थापना पर अधिक प्रतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य	संस्वीकृत परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत आं.के. की सं.	मानदण्डों के अनुसार परियोजनाओं /आं.के. की स्थापना हेतु अपेक्षित निधियां	प्रतिपूर्ति की गई वास्तविक राशि	अधिक प्रतिपूर्ति
असम	12	36737	17.65	49.69	32.04
नागालैंड	5	685	0.41	4.65	4.24
मिजोरम	6	619	0.39	0.85	0.46
तमिलनाडु	शून्य	11762	4.89	5.68	0.79
कुल	23	49803	23.34	60.87	37.53

इस प्रकार, मंत्रालय वित्तीय मानदण्डों के अनुसार राज्यों द्वारा सूचित व्यय को सीमित करने में विफल रहा जो अधिक प्रतिपूर्ति का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि अभ्युक्तियों को राशि की प्रतिपूर्ति/ समायोजन सहित शोधन उपायों हेतु संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाएगा।

#### अनुशंसा

- मंत्रालय ने निधियों की आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण करे जिससे राज्यों के पास न्यूनतम अव्ययित शेष को सुनिश्चित किया जा सके तथा अधिक व्यय से बचा जा सके।

## 9.4 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

### 9.4.1 निधियों का विचलन

#### अध्याय-IX वित्तीय प्रबंधन

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने 2006-11 के दौरान कुल ₹57.82 करोड़ की निधियों के अनियमित विचलन के निम्नलिखित उदाहरणों को उजागर किया:

- हरियाणा में, अ.आ. हेतु प्राप्त ₹38.6 करोड़ को 2006-11 के दौरान लाडली योजना, आं.का/आं.स. को मानदेय का भुगतान तथा नए आं.के हेतु फर्नीचर की खरीद के लिए विपणन किया गया था।
- उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2008-09 के दौरान, सूचना शिक्षा तथा संचार (सू.शि.स.) कार्यों हेतु प्राप्त ₹1.00 करोड़ का प्रचार तथा पैम्फ्लेट एवं आवेदन पत्रों के मुद्रण हेतु राज्य प्रायोजित योजना "महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना" को विचलित किया गया था। अन्य मामले में, वर्ष 2010-11 के दौरान सू.शि.सं. कार्यों हेतु प्राप्त ₹6.08 करोड़ का जि.का.का/बा.वि.प.का. कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर्स की खरीद के लिए विचलन किया गया था।
- ओडिशा में 2006-10 की अवधि के दौरान ₹1.41 करोड़ की राशि का विभिन्न उद्देश्यों जैसे पेंशन का भुगतान, वाहन किराया प्रभारों तथा अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु विचलन किया गया था।
- कर्नाटक में, कुल ₹1.10 करोड़ की निधियों का फर्नीचर की खरीद तथा जिला पंचायत में कार्यरत स.बा.वि.से. स्टाफ के वेतन के भुगतान हेतु तीन जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) उप. निदेशको द्वारा 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान विचलन किया गया था।
- राजस्थान में मानदेय के बकायों के भुगतान हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त ₹43.07 करोड़ की राशि में से ₹9.63 करोड़ को स.बा.वि.से. (सा.) के अन्य मदों के लिए विचलन किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि अभ्युक्तियों को राशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन सहित शोधक उपायों हेतु संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाएगा।

#### अनुशंसा

- राज्यों/सं.शा.क्षे. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है तथा योजना निधियों के विचलन के कोई मामले नहीं हैं।

### 9.4.2 निधियों को रखना

पांच नमूना राज्यों में, ₹70.11 करोड़ को सिविल जमाओं/निजी बही खातों/बैंक खातों/सरकारी खातों में रखा गया था। इसका परिणाम न केवल निधियों के अवरोधन में



हुआ बल्कि इसने योजना कार्यान्वयन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मामलों का नीचे ब्यौरा दिया गया है:

अध्याय-IX  
वित्तीय प्रबंधन

- मध्य प्रदेश में, बजटीय प्रावधानों की कमी से बचने हेतु कुल ₹ 16.87 करोड़ की राशि की केन्द्रीय सहायता को 2006-11 के दौरान सिविल जमाओं के अंतर्गत रखा गया था। तथापि, ₹ 11.67 करोड़ मार्च 2011 तक कम था तथा मार्च 2011 को सिविल जमाओं में ₹5.20 करोड़ रखे रहे। औषधि किट, स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) किट तथा फर्नीचर पर व्यय किए जाने हेतु बकाया राशि राज्य स्तरीय क्रय समाप्ति पर इन मदों के प्रापण हेतु निर्णय के अभाव के कारण व्यपगत हुई।
- उत्तर प्रदेश में औषधि किटों, स्कूल पूर्व किटों, आ.के. हेतु फर्नीचर, सूचना शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) हेतु सामग्री, वजन करने वाली मशीनों, कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद, आं.के. तथा बा.वि.प.का. कार्यालयों सह-गोदामों के निर्माण हेतु ₹24.91 करोड़ की राशि को मार्च 2006-09 के दौरान उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम के निजी बही खाते में जमा कराया गया था तथा इसे अंत में इसके गैर-उपयोग के कारण मार्च 2010 में प्राप्ति शीर्ष में राजकोष में जमा कराया गया था।
- बिहार में, 16 नमूना जांच किए परियोजना कार्यालयों में 31 मार्च 2011 को ₹21.16 करोड़ की राशि को राजकोष से निकाला तथा बैंक खातों में रखा गया था।
- झारखण्ड में, जिला समाज कार्य अधिकारी (जि.स.का.अ.), धनबाद के अभिलेखों ने प्रकट किया कि 2006-11 के दौरान अनुपूरक आहार (अ.आ.) से संबंधित निधियों का प्रत्येक वर्ष कुल ₹3.63 करोड़ तक की बचत की जा रही थी तथा राजकोष में जमा कराया जा रहा था।
- आंध्र प्रदेश में, अंसवितरित वेतन रजिस्टर (अ.वे.र.) से यह देखा गया था कि ₹15.21 करोड़ की राशि संबंधित फर्मों को संवितरण किए बिना 2 महीने से 12 महीनों की बीच की अवधि तक महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, हैदराबाद के आहरण तथा संवितरण अधिकारी के खाते में पड़ी थी।

निधियों के विपणन के मामलों ने अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को दर्शाया जो कार्यक्रम उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति का कारण भी बने।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि अभ्युक्तियों को राशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन सहित शोधक उपायों हेतु संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाएगा।

### 9.4.3 जारी निधियों का गैर-समाधान

#### अध्याय-IX वित्तीय प्रबंधन

वेतन तथा लेखा कार्यालय महिला तथा बाल विकास मंत्रालय (म.बा.वि.) तथा मंत्रालय के बजट अनुभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 3601 तथा 2235 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज व्यय से संबंधित आकड़ों ने निम्नलिखित विभिन्नताओं को प्रकट किया जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 9.5: निधियों का गैर-समाधान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	बजट अनुभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े	व.ले. का. द्वारा प्रस्तुत आँकड़े	अंतराल
3601	2007-08	5166.12	5161.07	5.05
2235	2006-07	19.38	15.49	3.99
	2007-08	10.32	06.77	3.55
	2008-09	18.85	19.13	0.28

यह आहरण तथा संवितरण अधिकारी (आं.स.अ.) द्वारा जारी निधियों का वेतन तथा लेखा कार्यालय के अभिलेखों के साथ गैर-समाधान के कारण था, जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के तहत अपेक्षित है। मंत्रालय ने बताया कि आंकड़े विनियोग लेखे के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कारणों के कारण बाद में बदले गए।

इसके अतिरिक्त 2006-07 से 2010-11 की अवधि हेतु मंत्रालय की वैबसाइट पर निधियों की राज्य वार निर्गम के आंकड़ों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दर्ज आंकड़ों की तुलना ने निम्नलिखित मामलों में विभिन्नताओं को उजागर किया-

तालिका 9.6: राज्य सरकार के अभिलेखों तथा मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार निधियां

(₹ करोड़ में)

राज्य	अवधि	राज्य सरकार के अभिलेखों के अनुसार निधियाँ	मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त निधियाँ	अंतर (+) अधिक/ (-) कमी
स.बा.वि.से.(सा.) + अ.पो.				
छत्तीसगढ़	2006-11	901.78	893.6	8.17
हरियाणा	2006-11	653.45	684.76	-31.31
मेघालय	2006-11	233.85	240.56	-6.71
मध्यप्रदेश	2006-11	1947.41	2126.14	-178.73
	कुल	3736.49	3945.06	-208.58
स.बा.वि.से. (सा.)				
आन्ध्र प्रदेश	2006-11	1619.33	1448.15	171.18
कर्नाटक	2006-11	926.74	921.47	5.27
	कुल	2546.07	2369.62	176.45



इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में राज्य नोडल विभाग द्वारा जारी निधियों तथा जिला कार्यक्रम कार्यालयों जि.का.का. द्वारा प्राप्त निधियों में पर्याप्त अंतर था। 2006-11 के दौरान, तीन राज्यों में जि.का.अ. द्वारा प्राप्त निधियों के आंकड़े राज्य नोडल विभाग द्वारा जारी निधियों के आंकड़ों से क्रमशः ₹ 104.23 करोड़, ₹ 39.52 करोड़ तथा ₹ 1.92 करोड़ तक कम थे। इसके विपरीत, तीन अन्य राज्यों में जि.का.अ. द्वारा प्राप्त निधियाँ क्रमशः ₹ 72.18 करोड़, ₹ 55.88 करोड़ और ₹ 4.31 करोड़ तक अधिक थी (ब्यौरे अनुबंध 9.5 में दिए गए हैं)। इसने इन राज्यों में राज्य नोडल विभाग से जि.का.अ. को निधि प्रवाह के समाधान की प्रणाली के अभाव को दर्शाया।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वह मंत्रालय के बजट अनुभाग तथा वेतन तथा लेखा कार्यालय के साथ लेखाओं के उपयुक्त समाधान हेतु पर्याप्त उपाय करेगा।

#### 9.4.4 अभिलेखों का अनुपयुक्त/ गैर-अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि स.बा.वि.से. (सा.) निधियों को जारी करने हेतु 2006-11 की अवधि हेतु सहायता अनुदान के रजिस्टर का मंत्रालय में अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सात नमूना राज्यों में, यह पाया गया था कि यह कुछ नियंत्रण रजिस्ट्रों तथा लेखा की सहायक पुस्तकों जैसे कि रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, लॉग बुक आदि का बिल्कुल अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था। इन मामलों के ब्यौरे अनुबंध 9.6 में सूचीबद्ध किए गए हैं।

#### 9.4.5 प्रक्रिया संकेतकों पर रिपोर्टों की अप्राप्ति

मंत्रालय ने परियोजना स्तर तक निधियों के प्रवाह की मॉनीटरिंग हेतु राज्यों/ सं.शा.क्षे. द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रक्रिया संकेतकों पर एक तिमाही रिपोर्ट निर्धारित की थी। नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2006-11 के दौरान न तो राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा यह रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही थी न ही मंत्रालय द्वारा इन पर इसके लिए जोर डाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त, कुछ रिपोर्टें जो अवधि के दौरान मंत्रालय में प्राप्त की गई थी शोधक उपाय करने हेतु परीक्षित नहीं की जा रही थी।

#### अनुशंसा

- राज्यों/सं.शा.क्षे. को लेखाओं तथा निर्धारित अभिलेखों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।








## मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

### 10.1 मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

स.बा.वि.से. योजना उसके मानीटरिंग के लिए आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) से परियोजना मुख्यालय, जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और अंत में मंत्रालय नियमित रिपोर्टों और विवरणों के माध्यम से एक उर्ध्वगामी अन्तविहित प्रणाली पर बल देती है। योजना के मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण तीन-टियर व्यवस्था अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और समुदाय स्तर।

### 10.2 राष्ट्रीय स्तर पर अनुश्रवण

राष्ट्रीय स्तर पर स.बा.वि.से. के मॉनीटरिंग और मूल्यांकन की समग्र संरचना नीचे आरेख में दर्शाया गया है:



### 10.3 केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) द्वारा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

#### 10.3.1 के.मॉ.इ. की स्थापना

मंत्रालय की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (मॉ. एवं मू.) इकाई 2006-07 तक योजना का एकमात्र मॉनीटर था। योजना के विकास को ध्यान में रखते हुए, 2006-07 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) के माध्यम से स.बा.वि.से. योजना की नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षक क्रियाविधि स्थापित करने का निर्णय लिया। इसकी स्थापना का विद्यमान मा. एवं मू. इकाई के अतिरिक्त, केन्द्रीय

**अध्याय-X**  
**मॉनीटरिंग एवं**  
**मूल्यांकन**

मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) के रूप में की गई। के.मॉ.इ. की स्थापना एक परामर्श की नियुक्ति के साथ जनवरी 2007 में राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान रा.सा.स.बा.वि.स. में की गई।

योजना दिशानिर्देश के अनुसार, रा.सा.स.बा.वि.सं. केन्द्रीय स्तर पर वांछित कार्य की उपलब्धि के लिए संविदा आधार पर, लोक स्वास्थ्य, पोषण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प.), पूर्व बाल शिक्षा, सांख्यिकी तथा स.बा.वि.से. प्रशासन प्रत्येक में विशेषज्ञ, छः व्यावसाहिक परामर्शदाताओं के दल को के.मॉ.इ. के लिए किराए पर लेने के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-11 की अवधि के दौरान, अधिक समय तक केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) के कार्य, बिना व्यावसायिक परामर्शदाता के चल रहे रहे थे। जनवरी 2007 से मार्च 2009 के दौरान मंत्रालय का एक सेवानिवृत्त अधिकारी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा था। अप्रैल से अक्टूबर 2007 के दौरान के.मॉ.इ. में अन्य परामर्शदाता कार्य रहा था। अप्रैल 2009 से के.मॉ.इ. बिना किसी परामर्शदाता के कार्य कर रही थी।

राज्य स्तर पर रा.सा.स.बा.वि.सं. को स.बा.वि.से. परियोजनाओं तथा आं.के. पर उनके दौरे के माध्यम से पूर्व-निर्णयक पैरामीटरों पर के.मॉ.इ. के मॉनीटर इनपुट उपलब्ध करने के लिए शैक्षिक संस्था की पहचान एवं नियुक्ति की जानी अपेक्षित थी। तथापि, 2008-09 में 42 शैक्षिक संस्थानों को बाद में चयनित संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था। रा.सा.स.बा.वि.सं. के चार क्षेत्रीय केन्द्रों को मॉनीटरिंग करने के साथ सम्मिलित भी किया गया था। राज्यों में मॉनीटरिंग एवं परीवीक्षण परियोजना अंततः अक्टूबर 2008 में कार्यशील हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि यद्यपि के.मॉ.इ. की स्थापना के लिए वित्तीय संस्वीकृति दिसम्बर 2006 में प्रदान की गई थी, उसी के लिए प्रशासनिक अनुमोदन फरवरी 2008 में दिया गया था। परामर्शदाताओं की नियुक्ति के प्रयासों में विफलता, पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की कम प्रतिक्रिया के कारण तथा पद के लिए प्रस्तावित अपर्याप्त मानदेय के कारण दो चयनित उम्मीदवारों की कार्य ग्रहण की अनिच्छा के चलते हुई थी।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि के.मॉ.इ. की स्थापना के पाँच वर्षों से अधिक समय बाद, रा.सा.स.बा.वि.सं. ने परामर्शदाताओं के लिए मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव किया था। यह रा.सा.स.बा.वि.सं. के हिस्से पर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।

### 10.3.2 केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) द्वारा निधियों के उपयोग में कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.सा.स.बा.वि.सं., मंत्रालय द्वारा के.मॉ.इ. के लिए अनुमोदित निधियों का उपयोग करने में विफल रहा। नवम्बर 2006 में बारह महीनों की अवधि के



लिए अनुमोदित ₹1.40 करोड़ के बजट के प्रति, रा.सा.स.बा.वि.सं. 2009-10 तक ₹74.65 लाख उपयोग कर सका। के.मॉ.इ. के पहले 41 महीनों के कार्य के दौरान, रा.सा.स.बा.वि.सं. ने 12 महीनों के लिए चिन्हित बजट का केवल 53 प्रतिशत उपयोग किया था। इसी प्रकार, वर्ष 2010-11 के दौरान, रा.सा.स.बा.वि.सं. ₹24.27 लाख (₹1.38 करोड़ के बजट का 18 प्रतिशत) उपयोग कर सका। के.मॉ.इ. द्वारा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के अंतर्गत निधियां के उपयोग में कमी के परिणामस्वरूप कम भौतिक उपलब्धियों के रूप में परिलक्षित होता था। जिसकी अनुवर्ती टिप्पणियां में चर्चा की गई है।

### 10.3.3 समवर्ती मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) के मार्गदर्शन के अंतर्गत स.बा.वि.से. की बाहरी अभिकरणों/व्यावसायिक निकायों के माध्यम से प्रत्येक तीन से पांच वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर बच्चों के पौषाणिक स्थिति के परिणामों को दर्शाने के लिए एक समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.मॉ.इ. ने मार्च 2012 तक, योजना परिणामों और बच्चों की पौषाणिक स्थिति पर स.बा.वि.से. का कोई समवर्ती मूल्यांकन नहीं किया था। के.मॉ.इ. ने जबकि इनपुट संकेतकों पर समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की थी। जिसके लिए डाटा राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान रा.सा.स.बा.वि.सं. द्वारा चयनित 42 राज्य स्तर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भेजा गया था। रिपोर्ट अन्य मामलों जैसे आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) की अवसंरचना, स.बा.वि.से. कार्यकर्ताओं की विवरणी, आपूर्ति की स्थिति, बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.)/पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, समुदाय भागीदारी की स्थिति, स.बा.वि.से. सुपुर्दगी स्थिति आदि पर केन्द्रित थी। के.मॉ.इ. ने मुख्यतः समवर्ती मूल्यांकन के लिए चयनित संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए चिकित्सा कालेजों (34), गृह विज्ञान (5) तथा सामाजिक विज्ञान (3) के संकायों का चयन किया था। तथापि, यह योजना परिणामों तथा बच्चों की पौषाणिक स्थिति के समवर्ती मूल्यांकन को संचालित करने के लिए उनकी सेवाओं का प्रयोग करने में विफल रही।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्टों को तैयार करने के लिए प्रयोग किया गया डाटा समवर्ती नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2012 की मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित डाटा जुलाई 2010 की रिपोर्ट तैयार करने में पहले प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार, जुलाई 2010 की रिपोर्ट में मार्च 2009 की रिपोर्ट का डाटा सम्मिलित था। इस प्रकार, जनवरी 2012 में प्रकाशित मूल्यांकन रिपोर्ट में मार्च 2009 का पुराना डाटा सम्मिलित था।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2012 की मूल्यांकन रिपोर्ट, अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2010 के दौरान दौरा की गई 433 परियोजनाओं तथा 2353 आं.के. के दौरों से प्राप्त डाटा के आधार पर बनाई गई थी। तथापि, यह पाया गया कि 433 परियोजनाओं और 2353

आं.के. में से 18 चयनित संस्थानों से 153 परियोजना और 869 आं.के. के संबंध में कोई रिपोर्ट के.मॉ.इ. को प्राप्त नहीं हुई थी।

**अध्याय-X**  
**मॉनीटरिंग एवं**  
**मूल्यांकन**

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि योजना आयोग की पहल के साथ जिसने राष्ट्रीय स्तर पर स.बा.वि.से. योजना का मूल्यांकन आरंभ किया था, इसके दोहराव से बचने के लिए के.मॉ.इ. द्वारा समवर्ती मूल्यांकन नहीं किया था। इससे आगे, के.मॉ.इ. की जनवरी 2012 की रिपोर्ट में कुछ नये पैरामीटरों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) वृद्धि मानक, स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) तथा माता और बाल सुरक्षा कार्ड (मा.बा.सु.का.) कार्ड पर डाटा सम्मिलित थे तथा रिपोर्ट पुराने डाटा पर पूर्ण रूप से आधारित नहीं थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए के.मॉ.इ. द्वारा अपनी रिपोर्ट में पुराने डाटा का प्रयोग करने की परंपरा को बन्द कर दिया है।

उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए था कि के.मॉ.इ. की स्थापना का मुख्य लक्ष्य परिणाम संबंधी संकेतकों पर आंतरिक एवं समवर्ती मॉनीटरिंग के प्रति मंत्रालय को निरंतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना था, जबकि योजना आयोग ने योजना का बाहरी मूल्यांकन किया था। योजना के प्रभावी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए दोनों आवश्यक थे और मॉनीटरिंग प्रयासों की दोहराव की धारणा गलत थी। इसके अतिरिक्त, जबकि के.मॉ.इ. ने अपने प्रतिवेदन में कुछ प्रक्रिया संकेतकों जैसे दिए गए अनुपूरक आहार (अ.आ.) की किस्म, अ.आ. में बाधाएं, वि.स्वा.सं. के वृद्धि चार्टों की उपलब्धता तथा उनका प्रयोग, स्कू.पू.शि. की पद्धतियां, मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षक पद्धतियां आदि को शामिल किया था, फिर भी यह योजना के अंतर्गत किए गए हस्तक्षेप के प्रभाव तथा दक्षता पर सूचना प्रकट करने में विफल रहा। चिकित्सा, गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यावसायिकों की नियुक्ति द्वारा के.मॉ.इ. से यह आशा की गई थी कि यह पौषणिक दृष्टिकोण तथा परिणाम संकेतकों की उपलब्धि पर रिपोर्ट देगा।

**10.3.4 प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से मॉनीटरिंग**

मॉनीटरिंग पर दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) को स.बा.वि.से. इकाईयों और चयनित संस्थानों से आवधिक सूचना प्राप्त करनी थी। के.मॉ.इ. द्वारा नमूना जांच/फील्ड दौरों के माध्यम से प्राप्त डाटा की विश्वसनीयता को सत्यापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.मॉ.इ. ने राज्यों/सं.शा.क्षे. से मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि) तिमाही प्रगति रिपोर्ट (ति.प्र.रि) तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (वा.प्र.रि) प्राप्त नहीं की थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 35 राज्यों/सं.शा.क्षे. से प्रत्येक वर्ष में प्रायः 420 मा.प्र.रि. के प्रति, के.मॉ.इ. ने 2008-09 में 12 राज्यों से 110 मा.प्र.रि., 2009-10 में आठ राज्यों से 81 मा.प्र.रि. तथा 2010-11 में नौ राज्यों से 84 मा.प्र.रि. प्राप्त की थी।



- के.मॉ.इ. ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान किसी भी राज्य/सं.शा.क्षे. से ति.प्र.रि. प्राप्त नहीं की थी।
- के.मॉ.इ. ने 2008-09 में तीन राज्यों से वा.प्र.रि. प्राप्त की थी। 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान किसी भी राज्य/सं.शा.क्षे. से कोई भी वा.प्र.रि. प्राप्त नहीं हुई थी।

के.मॉ.इ. ने बताया कि परियोजनाओं के दौरों के दौरान मंत्रालय और राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) के परामर्शदाताओं/अधिकारियों द्वारा डाटा की हर तरह से जांच की जाती थी। तथापि, डाटा का हर तरह से जांच करने के संबंध में सत्यता सुनिश्चित करने का कोई दस्तावेज दर्ज नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कई राज्यों, द्वारा निरंतर प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इसके अतिरिक्त, उसने हर तरह से जांच करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया को अपनाने संबंधी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर विचार किया था।

### 10.3.5 केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) पर अनुवर्ती कार्रवाई

मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के एक भाग के रूप में, रा.सा.स.बा.वि.सं. संकाय सदस्यों ने अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 के बीच अपने अधीन 44 स.बा.वि.से. परियोजना, 228 आंगनवाडी केन्द्र (आं.के.) तथा 22 राज्यों/सं.शा.क्षे. के 22 आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (आ.का.प्र.के.) मध्यम स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (म.स्त.प्र.के.) का दौरा किया था। स.बा.वि.से. के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के विवरण और स्थिति को सुधारने के सुझाव की एक रिपोर्ट नवम्बर 2010 में मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के मूल निष्कर्ष में भवन की घटिया स्थिति को शामिल करते हुए अपर्याप्त अवसंरचना उपकरण और दवाई किटों की अनुपलब्धता, संदर्भ सामग्री और पुस्तिकाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, निपुण और अनुभवी प्रशिक्षकों का अभाव, अधिकारियों को प्रशिक्षण की कमी सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने उपचारी उपाय करने के लिए फरवरी 2011 में संबंध राज्यों/सं.शा.क्षे. को रिपोर्ट अग्रेषित की थी। तथापि, रिपोर्ट में उल्लेखित अनुशांसाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा किए गए कोई सुधारात्मक उपाय अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। मंत्रालय इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने में भी विफल रहा।

इसके अलावा, के.मॉ.इ. ने अपने मार्गदर्शन में बाहरी व्यावसायिकों द्वारा योजना के समवर्ती मूल्यांकन पर आधारित आं.के. और म.स्त.प्र.के. पर रिपोर्ट भी तैयार की थी। तथापि, निरंतर होने वाली कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय अभिलेखों में नहीं थे।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि पाँच टियर मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षक योजना को लागू करने तथा संशोधित प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) से, के.मॉ.इ. रिपोर्टों में प्रकट हुई कमियों की देखभाल हो सकेगी।

उपर्युक्त अभ्युक्तियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि के.मॉ.इ. अपने लिए निर्धारित स्टाफ संख्या के साथ कार्य नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त, चिन्हित निधियों का एक छोटा भाग ही उपयोग कर सकी, इससे प्रकट था कि वे अपने गठन के सभी मुख्य मोर्चों पर अल्प निष्पादन कर रही थीं।

#### अनुशंसाएं

- मंत्रालय को के.मॉ.इ. की क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि इसे योजना के मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए मंत्रालय के कार्य में सक्षम इकाई के रूप में विकसित किया जा सके। के.मॉ.इ. की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को सुस्पष्ट किया जाए ताकि योजना के मॉनीटरिंग में सम्मिलित अन्य एजेंसियों के साथ उसके प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।
- मंत्रालय को मॉनीटरिंग और मूल्यांकन रिपोर्टों से प्रकट हुई कमियों पर की गई कार्रवाई पर आवधिक मॉनीटर की पद्धति विकसित करनी चाहिए।

#### 10.4 मॉनीटरिंग और मूल्यांकन इकाई द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग

मंत्रालय में मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (मॉ एवं मू.) इकाई निर्धारित प्रपत्रों में राज्यों द्वारा तैयार की गई आवधिक कार्य रिपोर्टों के संकलन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इकाई, योजना के दो घटकों को अर्थात् अनुपूरक आहार (अ.आ.) तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) की मॉनीटरिंग कर रही थी। वह केवल इन दो सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या की मॉनीटरिंग कर रहा था। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की पौषणिक स्थिति का कोई मूल्यांकन नहीं किया था। प्रभाव-आकलन नहीं किया जा रहा था। पौषणिक स्थिति पर आकड़ों को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों से संकलित किया जा रहा था। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की पौषणिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया था। यह कार्य के.मॉ.इ. को सौंपा गया था। तथापि, के.मॉ.इ. की निष्फलता को ध्यान में रखकर, मंत्रालय योजना के परिणाम-संकेतकों की मॉनीटरिंग नहीं कर पा रहा था। तथापि, के.मॉ.इ. के प्रदान न किए जाने की विफलता को देखते हुए, मंत्रालय निष्कर्ष संकेतकों पर योजना को मॉनीटर नहीं कर सका था।

इन दो घटकों की मॉनीटरिंग इनपुट-आउटपुट संकेतकों अर्थात् आधारभूत संरचना सहायता, मानवशक्ति, लाभार्थियों की संख्या आदि पर ही एकाग्र रही। लेखापरीक्षा ने मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा भेजे गए डाटा (जैसे संस्वीकृत पदों/आं.के./पदाशीन व्यक्तियों/व्यय आंकड़े) तथा मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित डाटा के दो समूहों में लेखापरीक्षा ने अंतर के कई उदाहरण पाए (पैराग्राफ 3.3, 5.1.3, 6.2.1, 6.3.3 और 6.5.2 देखें)।



मंत्रालय योजना के अन्य चार घटकों को मॉनीटर नहीं कर रहा था। प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच और संबंधित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मॉनीटर किए जाने के बारे में बताया गया था। राज्य सरकारों द्वारा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा को मॉनीटरिंग अपेक्षित था। मंत्रालय को इन घटकों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो रही थी। इस प्रकार, मंत्रालय योजना के इन घटकों के अंतर्गत सेवाओं की सुपुर्दी की प्रभावकारिता का निर्धारण नहीं कर पा रहा था।

मंत्रालय द्वारा योजना की मॉनीटरिंग उसके संघात्मक पहलू तक सीमित रही। गुणात्मक मानकों पर मॉनीटरिंग जैसे बच्चों की पोषणिक स्थिति तथा योजना की प्रभावकारिता उसके शुरू होने के तीन तथा आधे दशक के बाद भी अपेक्षित रही।

### अनुशांसा

- मंत्रालय को योजना के अंतर्गत परिणाम संकेतकों का विकास और उसकी उपलब्धि का आवधिक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।

#### 10.4.1 आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) पर डाटा को रिपोर्ट करने में कमी

नमूना जांच से पता चला कि मंत्रालय के मॉ. एवं मूं. अनुभाग की योजना के दो घटकों अर्थात् अनुपूरक आहार (अ.आ.) तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.), की मॉनीटरिंग सभी कार्यशील आं.के. से प्राप्त डाटा के आधार पर नहीं थी। लेखापरीक्षा ने इन दो घटकों पर उपलब्ध डाटा के संबंध में आं.के. की संख्या की तुलना में कुल कार्यशील आं.के. कम पाए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटाबेस अनुपूरक आहार (अ.आ.) तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) की 21 दिन से अधिक सेवाएं प्रदान करने वाली आं.के. की संख्या पर वार्षिक ब्यौरे को दर्शाता था। मंत्रालय के पास शेष आं.के. द्वारा किस सीमा तक सेवाएं प्रदान की गईं, इससे संबंधित स्थिति उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2006-11 के दौरान मार्च माह में आं.के. की रिपोर्ट करने तथा 21 दिन से अधिक अ.आ. और स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के. की संख्या तालिका 10.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 10.1: आं.के. की संख्या जिनके संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं था (मार्च की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार)

वर्ष	कार्यशील आं.के. की सं.	आं.के. जिनके संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं था		आं.के. के संबंध में अ.आ. (महीने के 21 दिन) के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं था		आं.के. जिनके संबंध में स्कू.पू.शि. (महीने के 21 दिन) का डाटा उपलब्ध नहीं था	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2006-07	8,44,743	21,160	2.50	91,954	10.89	41,759	4.94
2007-08	10,13,337	42,685	4.21	97,896	9.66	40,441	3.99
2008-09	10,44,269	41,693	3.99	1,08,664	10.41	55,920	5.35
2009-10	11,42,029	59,372	5.20	1,27,486	11.16	99,538	8.72
2010-11	12,62,267	59,342	4.70	1,50,381	11.91	1,32,825	10.52

तालिका दर्शाती है कि 0.21 लाख से 0.59 लाख कार्यशील आं.के. (3 से 5 प्रतिशत) के संबंध में, मंत्रालय के पास डाटा उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 0.92 लाख से 1.50 लाख आं.के. के संबंध में अ.आ. पर डाटा उपलब्ध नहीं थे तथा 0.40 लाख से 1.33 लाख (4 से 11 प्रतिशत) आं.के. के संबंध में स्कू.पू.शि. पर डाटा में कमी थी। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 10.1 और 10.2 में दिए गये हैं।

स.बा.वि.से. के दो अति महत्वपूर्ण घटकों पर पूर्ण डाटाबेस का अभाव मंत्रालय द्वारा की गई योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन की कमियों को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई और नवम्बर 2012) कि आं.के. की अधिक संख्या तथा कुछ बाल विकास परियोजना अधिकारी/आंगनवाडी कार्यकर्ता (आ.का.) छुट्टी पर या प्रशिक्षण पर होने तथा अन्य कारकों जैसे डाक में देरी के कारण, बा.वि.प.अ. द्वारा कुछ आं.के. रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई थीं। इसके परिणामस्वरूप आं.के. पर डाटा संबंधी रिपोर्ट में कमी रही।

### 10.5 केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन

मंत्रालय ने योजना के विकास पर बल दिए जाने को विचारते हुए 2007-08 में स.बा.वि.से. के अंतर्गत दो केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशनों को आरंभ करने का निर्णय लिया। मिशन को मंत्रालय से दो अधिकारी, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता व बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) से दो संकाय सदस्य तथा बाहर से विशेषज्ञ के एक केन्द्रीय दल द्वारा फील्ड स्तर पर योजना के प्रभाव के विश्लेषण हेतु वर्ष में एक बार चयनित राज्यों का दौरा करना था। दल का राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सामाजिक दृष्टि दोनों से संबंधित क्षेत्रों में समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करनी थी। ऐसे क्षेत्रों की मॉनीटरिंग तब तक केन्द्रीकृत करनी थी जब तक भविष्य पर्यवेक्षण मिशन इनका आकलन कर इनकी कमियां दूर कर लें। मिशन से मॉनीटरिंग क्रियाविधि को मजबूत करने के लिए अनुशंसाएं तथा प्रतिवेदन देना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-11 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पर्यवेक्षण न होने के कारण मिशन को शुरू करने हेतु दिशानिर्देशों के तहत स्थापित महत्वपूर्ण उद्देश्य अप्राप्य रहे। दूसरी तरफ, केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई (के.मॉ.इ.) ने बताया कि मंत्रालय के सचिव एवं संयुक्त सचिव ने राज्यों के साथ स.बा.वि.से. के कार्यान्वयन पर थोड़े-थोड़े समय पर समीक्षा की थी। इसने, आगे सूचित किया कि इन बैठकों में के.मॉ.इ./रा.सा.स.बा.वि.सं. परामर्शदाताओं द्वारा संबंधित क्षेत्रों पर तैयार की गई रिपोर्टें तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई थी।

मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन पर समीक्षा तथा राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों का गठन, योजना की मॉनीटरिंग का एक अनिवार्य घटक था। तथापि, यह केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन का स्थानापन्न नहीं था जिससे उच्चतम स्तर पर



कार्यक्रम कार्यान्वयन की समस्याओं की पहचान तथा अपनी अनुशंसाओं की अनुपालना की मॉनीटरिंग करने की अपेक्षा थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि 2010-11 के दौरान चूंकि योजना के अंतर्गत मॉनीटरिंग कार्यविधि विचाराधीन थी, के.मॉ.इ. अपना केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन आरंभ नहीं कर सकी थी। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नोट कर ली गई है।

अध्याय-X  
मॉनीटरिंग एवं  
मूल्यांकन

### अनुशंसा

- मंत्रालय को यथासंभव शीघ्र प्रबंधन, शैक्षणिक बाल स्वास्थ्य व्यावसायिकों, सिविल समाज और अन्य पणधारियों से सदस्यों के अधिक प्रतिनिधित्व के साथ प्रधान केन्द्रीय पर्यवेक्षण मिशन आरंभ करना चाहिए।

### 10.6 राज्य दौरे

मंत्रालय तथा रा.सा.स.बा.वि.सं. से वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों तथा परियोजनाओं का दौरा तथा राज्य सरकार के समकक्ष अधिकारियों के साथ बैठकें करना अपेक्षित था यह आंकलन करने के लिए कि क्या निष्पादन संतोषजनक था। उन्हें स.बा.वि.से. कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे अनुपूरक आहार योजना का प्रावधान, लाभार्थियों की संख्या, मूलभूत संरचना सुविधा की उपलब्धता, वजन करने का कार्यात्मक स्केल, भोजन पकाने के बर्तन आदि की मॉनीटरिंग करनी थी। उन्हें यह भी देखना था कि बच्चों का वजन, प्रतिरोधी-टीकाकरण तथा उनकी पौषणिक स्थिति का वृद्धि चार्ट में नियमित रूप से अभिलेखन हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-07 से 2009-10 वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों का स.बा.वि.से. परियोजनाओं में संचालित दौरों का अभिलेख नहीं था। मंत्रालय ने इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

वर्ष 2010-11 के दौरान, मंत्रालय के अधिकारियों ने 16 राज्यों का दौरा किया। इसके अलावा, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.) के अधिकारियों ने भी 27 राज्यों/सं.शा.क्षे. में विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) का निरीक्षण किया। मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के दौरान उसके अधिकारियों के दौरों के आधार पर एक रिपोर्ट संकलित की थी। यह पाया गया कि खा.पो.बो. के अधिकारियों ने केवल आं.के. की इमारतों, पंजीकृत लाभार्थियों की तुलना में उपस्थित तथा आं.के. में उपलब्ध लाभार्थियों की औसत संख्या पर रिपोर्ट दी थी। स.बा.वि.से. कार्यान्वयन के अन्य पहलुओं की दौरा अधिकारियों ने मॉनीटरिंग नहीं की। इस प्रकार, स.बा.वि.से. के फील्ड कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क के माध्यम से योजना के गुणात्मक पहलुओं पर मॉनीटरिंग इनपुट प्राप्त करने का अवसर, जिससे योजना के अंतर्गत भविष्य में हस्तक्षेप का निर्धारण सुनिश्चित किए जाने के लिए बहुत कम उपयोग किया गया।

**अनुशंसा**

- मंत्रालय को उसके अधिकारियों द्वारा दौरे रिकार्ड के उचित अभिलेखों को सुनिश्चित करते हुए दौरों के माध्यम से स.बा.वि.से. परियोजना और आं.के. की मॉनीटरिंग को सरल और कारगर बना देना चाहिए। तत्पश्चात बाद में, अधिकारियों को दौरे के निष्कर्ष पर अनुपालना/कार्रवाई रिपोर्ट का भी प्रलेखन किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई को सुगम बनाया जा सके।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को नोट कर लिया गया है।

**10.7 राज्य स्तर मॉनीटरिंग****10.7.1 राज्य पर्यवेक्षण मिशन**

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.) द्वारा चयनित 42 शैक्षिक संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष एक या दो राज्य पर्यवेक्षण मिशन शुरू करने थे। राज्य पर्यवेक्षण मिशन को लाभार्थियों के कवरेज, सेवा सुपुर्दगी प्रणाली, अभिलेखों और रजिस्ट्रों का अनुरक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करना था। परामर्शदाताओं से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, राज्य पर्यवेक्षण मिशन दल को चयनित स.बा.वि.से. परियोजनाओं, आंगनवाडी केन्द्रों (आ.के.), मध्यम स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (म.स्त.प्र.के.) तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों (आं.का.प्र.के.) का दौरा करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित संस्थाओं ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान किसी भी राज्य पर्यवेक्षण मिशन की शुरुआत नहीं की गई थी। के.मॉ.इ. ने बताया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रा.सा.स.बा.वि.सं. के अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे थे। यह भी बताया गया कि चूंकि मंत्रालय के मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (मॉ. एवं मू.) इकाई पहले से ही राज्य पर्यवेक्षण मिशन शुरू कर चुका था, इसलिए दोहराव से बचने के लिए ऐसे मिशन, के.मॉ.इ., द्वारा, शुरू नहीं किए गए थे।

के.मॉ.इ. का तर्क स्वीकार्य नहीं था। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य पर्यवेक्षण मिशनों की शुरुआत चयनित संस्थाओं द्वारा अपने संबंधित राज्यों में की जानी थी तथा उन्हें अपनी रिपोर्ट के.मॉ.इ. को प्रस्तुत करनी थी। मंत्रालय के अधिकारियों/रा.सा.स.बा.वि.सं. द्वारा राज्यों के दौरों का के.मॉ.इ. द्वारा चयनित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा शुरू किए गये राज्य पर्यवेक्षण मिशन से कोई संबंध नहीं था।

**10.7.2 आंकड़ों में विसंगति**

जिला प्रकोष्ठों से प्राप्त सभी मासिक प्रगति रिपोर्टों (मा.प्र.रि.) को राज्य स्तर पर समेकित किया जाता है और एक समेकित मा.प्र.रि. (जिला प्रकोष्ठों की मा.प्र.रि. पर आधारित)



मंत्रालय को पेश की जाती है। रिपोर्टों के विभिन्न सेटों के आंकड़ों में पाए गए अंतरों की चर्चा नीचे की गई है:

**कर्नाटक:** 2008-09 से 2010-11 वर्षों के लिए योजना के अनुपूरक आहार घटक के अंतर्गत लाभार्थियों के बारे में राज्य नोडल विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए विवरण इसी अवधि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से भिन्न थे। विवरण नीचे दिया गया है:

अध्याय-X  
मॉनीटरिंग एवं  
मूल्यांकन

तालिका 10.2: कर्नाटक राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा में अंतर

वर्ष	बच्चों की संख्या (6 महीने से 72 महीने)		गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की संख्या	
	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार	भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार	महानिदेशक द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत उप.प्र. के अनुसार
2008-09	3230482	3245029	801226	803920
2009-10	3411481	3472324	847913	850754
2010-11	3559320	3235495	885406	885406

**पश्चिम बंगाल:** मार्च 2011 तक, नमूना जांच में शामिल पांच जिलों में परिचालित 39,088 आं.के. की अपेक्षा, राज्य अभिलेखों में 39,596 आं.के. दर्शाए गए थे अर्थात् 508 आं.के. की अधिकता। इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि नियमित स्टाफ की भर्ती लंबित होने के कारण कुछ नए आं.के., पास के आं.के. में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (आं.का.) और आंगनवाड़ी सहायक (आं.स.) की सहायता से खोले गए थे। परन्तु इन आं.के. को बिना नियमित स्टाफ के लंबे समय के लिए जारी नहीं रखा जा सका और राज्य के आंकड़े अपरिवर्तित रहे। यह उत्तर डाटा की अद्यतन प्रणाली में कमियां दर्शाता है, जिससे कि राज्य स्तरीय डाटा की विश्वसनीयता पर संदेह होता है।

रिपोर्टों के विभिन्न सेट में अंतर यह दर्शाता था कि वास्तविक आंकड़े मंत्रालय को सूचित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, स.बा.वि.से. के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति से मंत्रालय अनभिज्ञ था। इस समस्या को योजना आयोग द्वारा योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया था।

## 10.8 परियोजना तथा आंगनवाडी केन्द्र (आं.के.) स्तरों पर मॉनीटरिंग

### 10.8.1 बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) द्वारा पर्यवेक्षण

अध्याय-X  
मॉनीटरिंग एवं  
मूल्यांकन

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. से आं.के. के फील्ड दौरे एक महीने में कम से कम 18 दिन, मुख्यालय के बाहर 10 रात्रि-प्रवासों के साथ करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 राज्यों<sup>1</sup> में 47 जिलों की 193 नमूना जांच की गई परियोजनाओं में, 2006-07 से 2010-11 के दौरान बा.वि.प.अ. ने आं.के. के 4.61 लाख दिनों के अपेक्षित दौरों के स्थान पर केवल 1.96 लाख दिनों का दौरा किया था। इसके परिणामस्वरूप 58 प्रतिशत की कमी हुई। आगे, 9 राज्यों<sup>2</sup> के 37 जिलों में, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 153 बा.वि.प.अ. ने आं.के. पर कोई भी रात्रि-प्रवास नहीं किया था। पांच राज्यों<sup>3</sup> के 14 जिलों में, 56 बा.वि.प.अ. ने रात को आं.के. पर प्रवास किया था। परन्तु वह अपेक्षित प्रवास का केवल 13 प्रतिशत था।

### 10.8.2 पर्यवेक्षक की भूमिका

स.बा.वि.से. परियोजना का पर्यवेक्षक, कार्य-केन्द्र के मूल-स्तर पर कार्यचालन की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उससे आं.के. के नियमित दौरों की अपेक्षा की जाती है। ऐसे पर्यवेक्षक से महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक आं.के. का दौरा करना तथा महिला स्वास्थ्य आगंतुक (म.स्वा.आ.) को साथ मिलाकर एक आं.के. में सप्ताह में एक बार संयुक्त दौरा करना और अपने मुख्यालय के 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित गाँव में सप्ताह में कम से कम एकबार रात्रि-प्रवास करना अपेक्षित है।

13 राज्यों के 67 जिलों की 271 परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच की गयी। लेखापरीक्षा ने इस संदर्भ में निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ पाईं:

- नौ<sup>4</sup> राज्यों के 40 जिलों में 136 परियोजनाओं के 2099 पर्यवेक्षकों में से, 393 पर्यवेक्षकों ने एक महीने में 25 आं.के. के दौरे नहीं किए थे;
- 40 पर्यवेक्षक एक महीने में 10 आं.के. का दौरा करने में निष्फल हुए थे;
- 475 पर्यवेक्षकों ने किसी भी आं.के. पर साप्ताहिक रात्रि-प्रवास नहीं किया था;

<sup>1</sup> आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

<sup>2</sup> आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

<sup>3</sup> कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा तथा राजस्थान

<sup>4</sup> गुजरात-4, हरियाणा-4, मेघालय-3, मध्यप्रदेश-7, ओडिशा-5, राजस्थान-6, पश्चिम बंगाल-5, कर्नाटक-4 तथा उत्तर प्रदेश-2



- 123 पर्यवेक्षकों ने आं.के. में रात्रि-प्रवास तो किया था परन्तु वह साप्ताहिक आधार पर नहीं था।
- तीन राज्यों में पर्यवेक्षकों ने 1.38 लाख दौरों के दौरान औषधि के स्टॉक का निरीक्षण नहीं किया था; तथा
- दो राज्यों में, 180 पर्यवेक्षकों में से (7 जिलों में 28 परियोजनाओं में) 156 ने एक महीने में 25 आं.के.का दौरा नहीं किया था इस मामले में किसी भी पर्यवेक्षक ने किसी भी आं.के. पर साप्ताहिक रात्रि प्रवास नहीं किया था।

आठ राज्यों<sup>5</sup> के 34 जिलों में यह पाया गया था कि, 2006-07 से 2010-11 के दौरान पर्यवेक्षकों के दौरों में कमी 30 से 39 प्रतिशत के मध्य तक रही। आगे, लगभग 25 प्रतिशत दौरों के संबंध में पर्यवेक्षक क्षेत्रीय दौरा रिपोर्ट को, बा.वि.प.अ. को प्रस्तुत करने में विफल रहे। मध्य प्रदेश के पांच जिलों में, पर्यवेक्षकों आं.के. दौरों के लक्ष्य का केवल 55 प्रतिशत ही प्राप्त किया गया था परन्तु क्षेत्रीय दौरा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण से संबंधित डाटा को अभिलेखों में नहीं पाया गया था। बाकि शेष राज्यों में, या तो डाटा अपूर्ण थे या फिर उपलब्ध नहीं थे।

नियुक्त अधिकारियों द्वारा आं.के. के पर्यवेक्षण में कमी से आं.के. के कार्य में सुधार के लिए अपेक्षित दिशा निर्देशों तथा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता से आंगनवाडी कार्यकर्ता (आं.का.) वंचित हो गए।

तथापि, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बा.वि.प.अ. ने पर्यवेक्षक स्टाफ (बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ./पर्यवेक्षक) की अत्याधिक कमी को इस कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बिहार में भी, अधूरी मॉनीटरिंग के लिए मार्च 2011 तक पर्यवेक्षकों के 1428 पदों के रिक्त पड़े रहने को उत्तरदायी बताया गया।

### 10.8.3 लाभार्थियों का डाटाबेस

स.बा.वि.से. के अंतर्गत, सभी परिवारों, विशेष रूप से माताओं और शून्य से छह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का घरेलू सर्वेक्षण आं.का. द्वारा किया जाना था। आं.के. में इस उद्देश्य के लिए, अनुरक्षित घरेलू सर्वेक्षण रजिस्ट्रों, का मासिक अद्यतन आं.के. द्वारा किया जाना था। आगे, घरेलू सर्वेक्षण में आं.का. द्वारा एकत्रित जानकारी को पांच वर्षों में एकबार घर-घर जाकर सर्वेक्षण द्वारा संशोधित किया जाना था। लाभार्थियों का केन्द्रीय डाटाबेस परियोजना/जिला स्तरों पर अनुरक्षित किया जाना था।

आं.के. और परियोजनाओं में 1858 नमूनों की नमूना जाँच से इस संदर्भ में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुई -

<sup>5</sup> छत्तीसगढ़-2, गुजरात-4, कर्नाटक-5, मेघालय-3, ओडिशा-5, राजस्थान-6, हरियाणा-4 और पश्चिम बंगाल-5

- झारखण्ड में, नमूना जांच किए गए 94 आं.के. में से 26 आं.के. में सर्वेक्षण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

**अच्छा अभ्यास**

तीन राज्यों के 204 आं.के. (राजस्थान 125, ओडिशा: 79 और मध्य प्रदेश:2) में घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का हर महीने अद्यतन किया जाता था।

- 1459 आं.के.<sup>6</sup> में, घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का तीन महीने से एक वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाता था। चार आं.के.<sup>7</sup> में घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का प्रत्येक दो महीनों में अद्यतन किया जाता था।

- 56 आं.के.<sup>8</sup> में घरेलू सर्वेक्षण रजिस्टर का एक वर्ष में एकबार भी अद्यतन नहीं किया गया था।

- ओडिशा के 198 नमूना जांच किए गए आं.के. में से 156, मध्य प्रदेश के 280 नमूना जांच किए गए आं.के. में से 209 और राजस्थान के 240 नमूना जांच किए गए आं.के. में से 73 ने पिछले सर्वेक्षण के पांच वर्षों पश्चात घर-घर जाकर सर्वेक्षण को दोहराया नहीं था।

आगे, दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में लाभार्थियों के एक केन्द्रीय डाटाबेस का अनुरक्षण, नमूना जांच की गई परियोजनाओं द्वारा (आन्ध्र प्रदेश: 31, बिहार: 24, छत्तीसगढ़: 12, मध्य प्रदेश: 28 में से 27, ओडिशा: 20 में से 16, राजस्थान: 24 में से 2, उत्तर प्रदेश: 32 और पश्चिम बंगाल: 20) नहीं किया गया था।

मूल-स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा आवधिक घरेलू सर्वेक्षण तथा परियोजना द्वारा उसकी मॉनीटरिंग के माध्यम से लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका।

**10.8.4 आधारभूत सांख्यिकीय सूचना**

आं.के. को आधारभूत सांख्यिकीय सूचना का अनुरक्षण करना था जैसे कि जन्म, वजन, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव और स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के पश्चात औपचारिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन।

आं.के. की नमूना जांच से पता चला कि यह आधारभूत सांख्यिकीय सूचना बहुत से आं.के. में उपलब्ध नहीं थी जैसा कि नीचे दिया गया है:

- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संबंधित आं.के. के सर्वेक्षण रजिस्ट्रों का अनुरक्षण तथा बाल जनसंख्या, जीवित-जन्म, मृत-जन्म, किशोरियां, गर्भवती एवं स्तनपान

<sup>6</sup> आन्ध्र प्रदेश: 270, बिहार: 240, छत्तीसगढ़: 60, गुजरात: 160, मध्यप्रदेश: 250, ओडिशा: 77, राजस्थान: 77, राजस्थान: 105 तथा उत्तर प्रदेश: 297

<sup>7</sup> राजस्थान: 2 तथा मध्य प्रदेश: 2

<sup>8</sup> आन्ध्र प्रदेश:40, राजस्थान:5, उत्तर प्रदेश:2 और मध्य प्रदेश: 9



कराने वाली माताएं, इत्यादि का उल्लेख अनुरक्षण रजिस्टर में नहीं किया गया था।

- राजस्थान के 109 नमूना जांच किए गए आं.के. और ओडिशा के 17 नमूना जांच किए गए आं.के. में बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में नामांकन के डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

अध्याय-X  
मॉनीटरिंग एवं  
मूल्यांकन

इसलिए, योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आधारभूत डाटा आं.के. के पास उपलब्ध नहीं था।

### 10.8.5 रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आं.के. को प्रत्येक माह के अंत में प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.), तिमाही (ति.प्र.रि.), अर्द्ध-वार्षिक(अ.वा.प्र.रि.) और वार्षिक (वा.प्र.रि.) को परियोजना प्रभारी को नियत समय में प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

11 राज्यों<sup>9</sup> में 55 जिलों के 225 चयनित परियोजनाओं में यह देखा गया कि, लगभग 70 प्रतिशत आं.के. ने ति.प्र.रि., अ.वा.प्र.रि. उच्च प्राधिकरणों को प्रस्तुत नहीं किए थे। इसकी तुलना में, मा.प्र.रि. के प्रस्तुतीकरण की स्थिति संतोषजनक पाई गई क्योंकि 84 से 88 प्रतिशत आं.के. मा.प्र.रि. को नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहे थे।

मध्य प्रदेश में, 7 जिलों में 28 परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली 280 आं.के. ने कोई ति.प्र.रि., आ.वा.प्र.रि. और वा.प्र.रि. को कभी भी प्रस्तुत नहीं किया था। पांच जिलों, झारखण्ड (3) तथा उत्तर प्रदेश (2) में 20 चयनित परियोजनाओं की रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित जानकारी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। 55 जिलों का वर्ष-वार विवरण अनुबंध 10.3 में दिया गया है।

### 10.8.6 अभिलेखों का अनुरक्षण


आंगनवाडी कार्यकर्ता (आं.का.) को आं.के. पर प्रदत्त सेवाओं के अभिलेखों और रजिस्ट्रों का अनुरक्षण करना होता है। यह अभिलेख और रजिस्टर, सेवाओं के उपयोग और पहुंच का आकलन; महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों से संबंधित डाटा तक पहुंच; पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा; और स्वयं के कार्य का आकलन करने में सहायता करते हैं।

यह अभिलेख/रजिस्टर मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए अपेक्षित जानकारी और डाटा को उपलब्ध करवाते हैं।

13 राज्यों के 67 जिलों में 2713 नमूना जांच किए गए आं.के. में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चयनित आं.के. में अभिलेख अनुरक्षण संतोषजनक नहीं था। 2006-07 से

<sup>9</sup> आन्ध्र प्रदेश: 6, बिहार: 6, छत्तीसगढ़: 3, गुजरात: 4, हरियाणा: 4, कर्नाटक: 7, मेघालय: 3, ओडिशा: 5, राजस्थान: 6, उत्तर प्रदेश: 6 और पश्चिम बंगाल: 5

2010-11 की अवधि के दौरान, समुचित रूप से रजिस्टर/अभिलेखों को अनुरक्षण कर रहे आं.के. की सीमा 678 (25 प्रतिशत) और 1826 (67 प्रतिशत) के बीच रही। शेष आं.के. या तो अपेक्षित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रहे थे या फिर अनुरक्षण अनुचित था। आं.के. में अभिलेखों के अनुरक्षण की सीमा को नीचे दिए गये चित्र में दिशाया गया है:



अभिलेखों का अनुरक्षण गुजरात, झारखण्ड और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से खराब था, जहां पर कोई भी रजिस्टर समुचित रूप से अनुरक्षित नहीं था। बिहार में दौरा किए गए आं.के. में, आंगनवाडी खाद्य स्टॉक रजिस्टर के अलावा, और कोई भी अभिलेख समुचित रूप से अनुरक्षित नहीं था। आं.के. में रजिस्ट्रों के अनुरक्षण की स्थिति की विस्तृत सूची अनुबंध 10.4 में दी गई है।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि पांच-टियर मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण योजना की शुरुआत तथा संशोधित प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) की शुरुआत, राज्य, जिला, परियोजना और आं.के. के स्तरों पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) और पर्यवेक्षकों के फील्ड दौरों समेत सभी कमियों को दूर करेंगे।

**अनुशंसाएं**

- मंत्रालय को बा.वि.प.अ. और पर्यवेक्षकों के फील्ड दौरों की मॉनीटरिंग के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए।
- आं.के. स्तर पर अभिलेखीकरण में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।



## निष्कर्ष

समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.) योजना छः वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणिक तथा विकास आवश्यकताओं हेतु भारत की ध्वजपोत योजना है। तथापि, योजना का कार्यान्वयन विभिन्न अभावों तथा कमियों द्वारा चिन्हित था। बच्चों में कुपोषण तथा गंभीर कुपोषण के अत्याधिक मामलों तथा वर्ष 2008 तक स.बा.वि.से. के अंतर्गत सेवाओं का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद इसे अभी भी प्राप्त किया जाना था। मंत्रालय आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) की अपेक्षित संख्या को संस्वीकृत करने में विफल रहा तथा राज्य सरकारें संस्वीकृत योजना के अंतर्गत निवासस्थान, मुख्य रूप से उनका जहाँ प्रबलरूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य कमजोर की आबादी थी, के अभिकरण पर आश्वासन देने की स्थिति में नहीं था।

आं.के. की इमारतों के निर्माण में विलम्ब हुआ था जिसने इसके प्रारम्भ से तीन दशकों से अधिक के पश्चात भी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु अपेक्षित पर्याप्त अवसंरचना से वंचित रखा। कई परिचालनात्मक आं.के. ध्वस्त/आधा पक्के/कच्चे भवनों अथवा खुले/आंशिक रूप से ढके स्थान, जहाँ पर्याप्त स्थान नहीं था, से कार्य कर रहे थे। मूल सुविधाओं जैसे शौचालय तथा पेय जल सुविधाओं की अनुपस्थिति, बच्चों को अस्वच्छ स्थिति में डालती है। कई केन्द्रों में अनुपूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा वृद्धि मॉनीटरिंग, बच्चों में आम मौसमी रोगों के प्रकोप से बचने हेतु अपेक्षित औषधी किटों जैसी सेवाएं प्रदान करने हेतु अपेक्षित आवश्यक उपकरण, फर्नीचर तथा बर्तन उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक तार्किक सहायता के कारण लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को गंभीर रूप से संकट में डाला था।

इसके अतिरिक्त, फील्ड कार्यकर्ताओं की अपेक्षित संख्या को नियुक्त/प्रशिक्षित करने में सरकार की विफलता का परिणाम कई परियोजनाओं तथा आं.के. का बिना आवश्यक/प्रशिक्षित मानव संसाधन के कार्यात्मक रहने में हुआ। परिचालनात्मक परियोजनाओं तथा आं.के. में महत्वपूर्ण स्टाफ का निरंतर अभाव स.बा.वि.से. योजना के विस्तार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी। अपर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना तथा प्रशिक्षण में असंयोजित संचय छोड़े गए, जिनमें योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपुर्दगी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की क्षमता है।

योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपुर्दगी अपर्याप्त थी। राज्य सरकारों ने अनुपूरक आहार घटक के अंतर्गत निधियों की अपेक्षित राशि का व्यय नहीं किया था। निर्धारित मानदण्डों की तुलना में बच्चों को पोषण प्रदान करने में प्रति लाभार्थी प्रति दिन व्यय कम था। इसे

अध्याय-XI  
निष्कर्ष

आगे, योजना के अंतर्गत अनुशंसित तथा वास्तव में लाभार्थियों को प्रदत्त कैलोरी/सूक्ष्म पोषक तत्वों में अंतर सहित कई आं.के. में सेवाओं में विघटनों तथा पोषण की अपर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। मंत्रालय कुपोषण के परिणामों को कम करने हेतु समाजिक हस्तक्षेप के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) के वृद्धि मानकों पर देश में इसकी सीमा का निर्धारण करने में विफल रहा।

मंत्रालय के पास स्कूल-पूर्व शिक्षा के योग्य लाभार्थियों का डाटा नहीं था जिसने उसे इसके विस्तार की सीमा को निर्धारण करना असंभव बनाया। लेखापरीक्षा ने नमूना आं.के. में स्कू.पू.शि. प्रदान करते समय विस्तार में कमी, कई केन्द्रों में स्कूल-पूर्व (स्कू.पू.शि.) कितों की अनुपलब्धता तथा अनिवार्य कार्यों का अभाव पाया। इसके अतिरिक्त, फील्ड स्तरीय डाटा के गैर/अनुपयुक्त अनुसंधान के कारण स्कू.पू.शि. की समाप्ति के पश्चात औपचारिक शिक्षा हेतु बच्चों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका।

योजना के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) की निधियों के कम उपयोग, के साथ सेवाओं के प्रति समुदाय संघटन अपर्याप्त था। सू.शि.सं. तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में कमी तथा इसके प्रभाव मूल्यांकन का अभाव था। इसका प्रभाव योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सेवाओं के प्रति लक्षित लाभार्थियों की निम्न प्रतिक्रिया में देखा गया था।

योजना के अंतर्गत वित्तीय मॉनीटरिंग कमजोर थी। कई राज्यों ने अपनी व्यय विवरणों तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किये थे। मंत्रालय राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में विसंगतियों को ध्यान में लाने तथा उनके द्वारा किए व्यय को निर्धारित सीमा तक सीमित करने में विफल रहा जिसका परिणाम निधियों की अधिक प्रतिपूर्ति में हुआ। इसके अतिरिक्त, अवास्तविक बजटीकरण स.बा.वि.से. कार्यकर्ताओं के वेतन एवं भत्ते के संशोधन के अनुसार इनके वेतन हेतु निधियों को जारी करने में कमी का कारण बना जिसका परिणाम योजना के अन्य घटकों जैसे कि औषधी किट, आं.के. हेतु फ्लैक्सी निधियाँ, स्कू.पू.शि. किट तथा सू.शि.सं. हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों के विघटन में हुआ जिससे योजना के अंतर्गत प्रदान सेवाओं की पहुँच तथा गुणवत्ता से समझौता हुआ।

मंत्रालय द्वारा योजना की अपर्याप्त मॉनीटरिंग योजना कार्यान्वयन में मुख्य बाधा थी। नवीन स्थापित केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई योजना के सहगामी मूल्यांकन सहित कोई भी सौंपा गया कार्य पूरा करने में विफल थी। मंत्रालय की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन इकाई के पास योजना के अधिकांश संकेतकों अर्थात् परिचालनात्मक आं.के./परियोजना की संख्या, योजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या आदि पर पूर्ण रूप से विश्वसनीय डाटा नहीं था। अधिकारियों के राज्य दौरों तथा मॉनीटरिंग रिपोर्टों पर शोधक कार्रवाई उचित रूप से प्रलेखित नहीं थी। पर्यवेक्षक स्टाफ में रिक्ति का परिणाम फील्ड स्तर पर त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण में हुआ।




प्रतिवेदन में इंगित कई कमजोरियां योजना में निरंतर रही हैं तथा इससे भा.नि.म.ले.प. द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के माध्यम से मंत्रालय को अवगत कराया गया। हालांकि मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई, कमियों का निपटान करने हेतु अपर्याप्त थीं।

अंततः, बच्चों के कल्याण हेतु भारत के मुख्य संकेतकों की दी गई स्थिति के लिए, स.बा.वि.से योजना को देश के सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य निर्माण के लिए अपनी सेवाओं की प्रभावी सुपूर्दगी हेतु उपयुक्त सुदृढीकरण की आवश्यकता है।


अध्याय-XI  
निष्कर्ष

नई दिल्ली  
दिनांक: 16 जनवरी 2013

  
(रॉय मथरानी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रति हस्ताक्षर


नई दिल्ली  
दिनांक: 17 जनवरी 2013

  
(विनोद रॉय)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक





अनुबंध





अनुबंध 1.1  
(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में )

2006-11 के दौरान स.बा.वि.से. (सा) के अंतर्गत जारी निधियां तथा सूचित व्यय की राज्यवार स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय (राज्य के अंश सहित)	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय (राज्य के अंश सहित)
आन्ध्र प्रदेश	218.78	224.04	260.16	240.02	277.49	338.21	363.07	400.07	366.39	368.52
बिहार	209.76	155.54	219.09	172.94	180.02	212.83	297.64	327.1	251.85	296.5
छत्तीसगढ़	45.61	70.46	94.98	83.68	89.92	122.89	143.94	143.81	120.65	162.33
गोवा	3.98	4.27	5.07	4.6	4.07	6.33	8.39	8.28	8.03	8.02
गुजरात	127.33	114.88	110.51	115.56	166.97	158.68	159.87	210.82	189.33	222.5
हरियाणा	60.15	59.79	71.16	65.17	84.56	87.98	81.77	110.19	108.18	116.74
हिमाचल प्रदेश	28.82	39.16	38.02	45.7	82.32	71.6	70.89	83.36	87.27	87.02
जम्मू एवं कश्मीर	54.11	54.74	80.01	51.84	45.58	85.3	83.29	83.83	147.52	105.97
झारखण्ड	78.45	72.25	91.91	89.4	97.77	98.52	128.92	143.6	179.18	153.05
कर्नाटक	191.22	141.03	139.34	167.81	196.81	226.83	210.36	228.41	193.89	264.1
केरल	81.16	89.02	96.88	112.9	150.45	138.57	142.87	141.89	127.52	165.82
मध्य प्रदेश	130.02	168.4	264.58	215.68	295.35	246.18	205.18	343.47	311.73	382.11
महाराष्ट्र	204.33	233.75	251.06	300.9	323	282.81	322.38	474.33	425.03	476.59
ओडिशा	121.97	120.95	151.3	132.85	171.76	183.32	225.04	207.92	216.78	246.41
पंजाब	58.62	53.95	53.96	61.67	91.43	87.77	92.61	105.83	118.32	126.03
राजस्थान	138.09	121.77	128.85	137.08	195.78	203.4	225.5	204.67	170.14	245
तमिलनाडु	127.87	135.98	156.08	151.39	181.63	173.44	179.67	237.34	263.2	221.84
उत्तराखण्ड	16.76	23.54	26.91	28.26	46.28	32.99	37.18	52.81	38.58	52.42
उत्तर प्रदेश	247.68	315.64	371.89	347.74	546.56	485.69	515.43	559.5	486.31	628.01



(₹ करोड़ में)

राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय (राज्य के अंश सहित)	जारी निधि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय (राज्य के अंश सहित)
पश्चिम बंगाल	171.83	195.78	238.45	230.33	337.99	333.91	370.16	373.62	307.17	408.99
दिल्ली	13.8	14.47	15.69	21.28	39.17	32.83	32.82	30.15	36.44	35.26
पुदुचेरी	1.95	2.06	2.34	1.74	3.32	2.54	2.49	3.03	3.56	3.51
अण्डमान एवं निकोबार	1.74	1.86	2.42	2.37	2.99	2.96	2.92	2.92	3.25	3.29
चण्डीगढ़	1.63	1.61	1.89	1.89	2.52	2.34	2.55	2.52	2.44	2.44
दादरा एवं नागर हवेली	0.62	0.62	0.69	0.65	0.86	0.89	1.3	1.27	1.38	0.7
दमन एवं दीव	0.57	0.52	0.48	0.48	0.59	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58
लक्षद्वीप	0.38	0.4	0.65	0.44	0.63	0.76	1.21	0.76	0.27	0.97
अरुणाचल प्रदेश	31.46	24.84	33.03	21.57	34.09	27.59	31.79	35.21	63.92	47.21
असम	160.77	104.42	85.83	106.04	260.34	198.68	238.5	190.11	364.02	295.25
मणिपुर	36.31	17.57	32.03	21.03	29.17	30.01	33.88	24.65	37.08	37.84
मेघालय	21.15	13.14	12.89	13.23	18.73	16.12	21.02	25.61	24.83	24.48
मिजोरम	15.73	8.87	12.1	10.73	16.14	16.17	20.89	16.94	23.16	21.32
नागालैण्ड	24.71	14.56	16.98	14.89	25.4	25.14	50.25	25.3	22.64	45.78
सिक्किम	7.83	2.86	5.53	0	8.96	4.86	6.84	6.48	5.03	7.25
त्रिपुरा	44.75	15.6	34.06	21.08	30.43	28.65	73.98	33.29	81.32	43.06
एल.आई.सी.	12	0	2	0	6.7	0	6.92	0	7.42	0
कुल	2691.94	2618.34	3108.82	2992.94	4045.78	3967.37	4390.88	4839.66	4794.41	5306.91

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा]



अनुबन्ध 1.2  
(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

2006-11 वर्ष के दौरान अनुपूरक आहार के अंतर्गत सूचित राज्यवार और वर्षवार जारी निधियों और व्यय को दर्शाता हुआ विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	जारी निधियाँ	राज्य के अंश सहित	जारी निधियाँ	राज्य के अंश सहित	जारी निधियाँ	राज्य के अंश सहित	जारी निधियाँ	राज्य के अंश सहित	जारी निधियाँ	राज्य के अंश सहित
आन्ध्र प्रदेश	90.52	208.3	137.18	313.28	189.95	350.91	312.86	523.17	160.04	699.79
बिहार	118.29	246.82	191.93	303.96	153.46	530.27	406.95	922.64	483.36	570.53
छत्तीसगढ़	29.54	72.48	104.52	124.9	54.29	183.62	74.62	213.25	142.12	259.38
गोवा	1.75	3.04	1.7	4.14	1.24	3.15	3.76	9.19	4.18	7.79
गुजरात	42.97	77.82	38.55	121.73	74.65	130.84	86.96	185.45	119.86	420.47
हरियाणा	28.3	72.74	52.17	136.03	51.43	115.13	68.84	145.71	52.12	110.07
हिमाचल प्रदेश	6.3	19.47	10.18	25.86	22.83	45.43	29.39	59.39	24.66	49.78
जम्मू एवं कश्मीर	6.53	28.12	9.18	23.07	6.98	43.27	16.71	0	19.5	0
झारखण्ड	111.54	143.4	69.98	166.45	65.46	188.97	168.94	533.09	234.39	359.97
कर्नाटक	94.08	191.17	92.98	215.37	109.36	246.45	263.25	566.42	235.85	545.87
केरल	36.66	77.17	39.79	107.55	55.98	118.48	75.46	158.26	80.71	147.35
मध्य प्रदेश	57.71	171.6	182.63	303.29	82.9	271.56	223.39	519.91	389.18	897.36
महाराष्ट्र	84.43	287.14	167.7	361.3	206.46	388.37	203.5	486.61	203.5	735.09
ओडिशा	66.46	79.78	62.95	190.11	87.29	204.49	139.68	321.86	194.9	477.83
पंजाब	31.38	40.17	16.91	43.11	22.83	45.6	17.48	88.26	44.03	70.91
राजस्थान	85.72	157.19	110.67	202.1	109.58	236.94	110.14	304.65	204.49	451.39
तमिलनाडु	34.52	62.35	35.22	142.54	54.28	137.52	132.68	265.58	123.96	381.09
उत्तराखण्ड	13.48	25.1	23.68	46.28	12.02	10.63	7.4	14.88	13.04	29.61
उत्तर प्रदेश	419.02	794.21	479.69	1097.5	570.91	1087.8	867.78	1788.09	1382.67	2719.6



(₹ करोड़ में)

राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	जारी निधियां	राज्य के अंश सहित	जारी निधियां	राज्य के अंश सहित	जारी निधियां	राज्य के अंश सहित	जारी निधियां	राज्य के अंश सहित	जारी निधियां	राज्य के अंश सहित
पश्चिम बंगाल	59.16	168.3	143.92	257.15	168.11	302.08	135.77	551.01	352.74	670.97
अण्डमान एवं निकोबार	0.94	3.88	0.67	4.19	1.09	4.44	1.45	5.12	1.07	4.29
चण्डीगढ़	1.55	2.12	0.46	1.55	0.97	2.07	1.94	2.16	1.3	2.8
दादरा एवं नागर हवेली	0.23	0.88	0.96	1.17	0.47	1.22	0.92	0.55	0.63	0
दमन एवं दीव	0.14	0.63	0	0.72	0.27	0.02	0.5	1.16	0.34	0.67
लक्षद्वीप	0.4	0.78	0.27	0.83	0.51	1.14	0.42	0	0.3	0
दिल्ली	6.94	16.92	5.16	29.88	14.17	48.65	41.72	68.79	40.04	89.6
पुदुचेरी	0.55	3.44	2.01	3.96	0.83	4.46	1.4	4.62	3.96	6.43
अरुणाचल प्रदेश	8.8	6.8	4.61	13.08	3.27	8.8	8.56	9.56	30.48	28.34
असम	37.12	48	33.77	90.99	105.41	95.4	176.61	299.21	215.8	178.77
मणिपुर	9.14	17.78	9.26	22.95	11.29	23.72	14.78	24.22	44.5	44.5
मेघालय	10.23	20.93	10.08	25.48	13.63	31.52	53.01	69.72	56.5	64.08
मिजोरम	4.89	13.65	5.35	12.41	7.67	14.95	20.21	24.97	22.42	27.27
नागालैण्ड	11.89	17.99	9.92	21.92	13.03	25.03	26.59	33.05	47.82	52.82
सिक्किम	0.96	5.22	0.64	4.11	0.96	6.35	7.94	6.23	3.62	8.38
त्रिपुरा	7.08	17.12	7.6	14.87	7.74	19.06	28.52	36.18	34.64	40.89
कुल	1519.22	3102.51	2062.29	4433.83	2281.32	4928.34	3730.13	8242.96	4968.72	10153.69

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा]



अनुबन्ध 2.1  
(पैराग्राफ 2.1.3 के संदर्भ में)

नमूना चयन के विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	जिलों की संख्या	नमूना परियोजनाओं की संख्या	आं.के. की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद-उर्दू, कडापा, महबूबनगर, नीजामाबाद, सरीकाकुलम, वीजीनाग्राम	6	31	310
2.	बिहार	दरबंगा, जहानाबाद, कटीहार, मुंगेर, रोहतास, सारन	6	24	240
3.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, रायपुर	3	12	120
4.	गुजरात	अहमदाबाद, जुनागढ़, मैहसाना, सूरत	4	16	160
5.	हरियाणा	जींद, करनाल, रिवाड़ी, सोनीपत	4	16	160
6.	झारखण्ड	दुमका, धनबाद, गढ़वा	3	12	120
7.	कर्नाटक	बैलगांव, बैल्लारी, चमराजानगर, चिकमगलूर, मांड्या, रायचूर और उत्तरा कन्नड़	7	26	260
8.	मध्य प्रदेश	अनुपपुर, दामोह, डिन्डोरी, खण्डवा, मोरेना, रतलाम, सहाजापुर	7	28	280
9.	मेघालय	ईस्ट खासी हिल्स, वैस्ट गारो हिल्स, वैस्ट खासी हिल्स	3	12	120
10.	ओडिशा	कटक क्योनझार, कनढामल, कालाहांडी, नयागढ़	5	20	200
11.	राजस्थान	अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तोड़गढ़, दोसा, पाली	6	24	240
12.	उत्तर प्रदेश	बीजनौर, दिओरिया, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खेड़ी, महोबा	8	32	320
13.	पश्चिम बंगाल	वर्द्धमान, जलपाईगुड़ी, मालदा, पश्चिम मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना	5	20	200
कुल			67	273	2730

## अनुबन्ध 2.2

### (पैराग्राफ 2.3 के संदर्भ में)

अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में स.बा.वि.से. की निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

(क) जम्मू एवं कश्मीर - नि.म.ले.प. प्रतिवेदन 2009-10 में सूचित

#### 1 अनुपूरक आहार

- लक्षित लाभार्थियों को आवृत्त करने के लिए पर्याप्त निधियों के आवंटन के बावजूद सभी लाभार्थियों को पर्याप्त अनुपूरक आहार प्रदान नहीं किया गया।
- प्रांतीय स्तर क्रय समिति द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं से पोषक वस्तुओं की अपेक्षित मात्रा की गैर-प्राप्ति के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कमी।
- 2005-08 के दौरान अनुपूरक आहार के प्रावधान से संबंधित नमूना जांच किए जिलों में पूरे 300 दिनों के विपरीत पोषक वस्तुओं की गैर उपलब्धता 66 से 275 दिन थी।
- स्टॉक की गैर-उपलब्धता/दर-संविदा को अंतिम रूप न दे पाने के कारण कुछ नमूना जांच किए जिलों के आं.के. को कोई भी पोषण प्रदान नहीं किया गया था।
- 15 नमूना जांच किए बा.वि.प.अ. में से सात में, केन्द्रों में लाभार्थियों की औसत व्याप्ति 119 से 997 तक थी, जो निर्धारित व्याप्ति से बहुत कम थी।

#### 2 स्वास्थ्य जांच और रेफरेल सेवाएं

- छः वर्ष की आयु से कम के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती माताओं की प्रसव-पूर्व देखभाल और उपचर्यास्त माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, कुपोषण प्रबंधन से संबंधित मामलों की पहचान के लिए आवश्यक आधारभूत सर्वेक्षण डाटा का अनुरक्षण नमूना जांच किए कुछ बा.वि.प.अ./आं.के. में नहीं किया गया था।
- स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों इत्यादि में कुपोषित के रूप में या फिर सामान्य जांच के लिए भेजे गए अभिप्रेत लाभार्थियों के डाटा का आं.के. स्तर पर 2005-08 के दौरान अनुरक्षण नहीं किया गया था। केन्द्रों ने रेफरेल पर्चियों/कार्डों के अभिलेख का अनुरक्षण भी नहीं किया था।
- बच्चों के विकास की निगरानी प्रत्येक बच्चे के क्रमिक कद और वजन को दर्ज करके मॉनीटर की जानी थी। रोग के सबूत का पता लगाने के लिए, हर तीन से छः महीनों में की जाने वाली सामान्य जांच भी नहीं की गई थी।
- रेफरेल सेवाओं और आधारभूत विकास निगरानी से संबंधित डाटा की अनुपस्थिति में, योजना के उद्देश्य की प्राप्ति पर न तो विभाग द्वारा नजर रखी जा सकी और न ही लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया जा सका।



### 3 पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

- 2005-09 के दौरान जम्मू प्रभाग में विभाग द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों और घरेलू दौरे करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। हालांकि, 17 नमूना जांच किए आं.के. (जम्मू प्रभाग) में, उनकी मासिक प्रगति रिपोर्टों में दर्शाए गए आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित कर पाने में समर्थ बनाने हेतु आं.का. द्वारा किए गए घरेलू दौरों के आधारभूत अभिलेखों का अनुसंधान नहीं किया गया था।
- प्रोजेक्टों/स्लाईडों की अनुपलब्धता अथवा उपकरण के खराब होने के कारण कोई चलचित्र प्रदर्शिनियां नहीं की गई थी, जबकि कार्यक्रम दिशानिर्देशों में कल्पना की गई थी। तथापि, कश्मीर प्रभाग में सर्वेक्षण किया गया था।

### 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम

- विभाग के पास पर्याप्त निधियां होने के बावजूद उनका उपयोग विचार किए गए कार्यक्रमों पर नहीं किया जा सका।
- स.बा.वि.से. कार्यकलापों को प्रदान की जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में, 140 बा.वि.प.अ. में से केवल 64 प्रतिशत ने कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा केवल 31 प्रतिशत ने नवीकरण पाठ्यक्रमों में भाग लिया था। यह भी देखा गया कि 2005-09 के दौरान 974 की लक्षित संख्या में से केवल 38 प्रतिशत पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
- 2005-09 के दौरान आं.का. के संबंध में कार्य प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तथा कमी 33 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, लाभभोगियों की परिकल्पित समिति को सामाजिक परिवर्तन स्थापित करने में शामिल नहीं किया गया।
- स.बा.वि.से. दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले ग्राम परिषद सदस्यों हेतु अभिविन्यास को न तो लक्षित किया गया और न ही इसे किसी स्तर पर प्रारम्भ किया गया था।

5 **समन्वय:** यद्यपि ग्राम तथा परियोजना स्तरों पर समितियां स्थापित की गई थीं, फिर भी राज्य तथा जिला स्तर पर ऐसी कोई समितियां गठित नहीं की गई थीं। इसी प्रकार, ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परियोजना स्तरीय समन्वय समितियां गठित नहीं की गयी थी, और न ही राज्य पोषण परिषद की स्थापना की गई थी, जैसाकि परिकल्पना की गई थी।

### 6 फील्ड दौरे/पर्यवेक्षण

- पांच नमूना जांच की गई परियोजनाओं में, 2005-09 के दौरान बा.वि.प.अ. तथा पर्यवेक्षकों के अपेक्षित दौरों में कमी 29 से 94 प्रतिशत के बीच थी।
- स्वास्थ्य स्टाफ के साथ पर्यवेक्षकों द्वारा संयुक्त दौरे भी नहीं किए गए थे। प्रशासनिक विभाग से किसी भी अधिकारी द्वारा दौरे नहीं किए गए थे।

- दौरे में कमी, बा.वि.प.अ. द्वारा बा.वि.प.अ. एवं पर्यवेक्षकों की कमी, वाहनों की अनुपलब्धता आदि को आरोपित की गई थी।
  - तथापि, कश्मीर प्रभाग में दौरे अपेक्षित संख्या में किए गए थे। नमूना जांच किए कार्यालयों में फील्ड पर्यवेक्षण मानदण्डों के अनुसार किया गया था।
- 7 **अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा:** जम्मू प्रभाग में किसी भी नमूना जांच किए आं.के. ने यह दर्शाने हेतु कि केन्द्रों में अभिनिर्धारित/दाखिल (2005-08) बच्चों ने अपनी शिक्षा जारी रखी थी, तथा आ.के. ने यह निर्धारित करने हेतु, कि क्या केन्द्रों की स्थापना ने संचार निपुणताएँ बढ़ाने आदि में बच्चों की मदद की है, प्राथमिक विद्यालयों के साथ संयोजन स्थापित किए थे, इत्यादि से संबंधित किसी अभिलेख का अनुसंधान नहीं किया था।
- 8 **मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन:** राज्य तथा जिला स्तर दोनों पर योजना के लगभग सभी घटकों पर मॉनीटरिंग की कमी थी।
- (ख) **अरुणाचल प्रदेश - नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन 2009-10 में सूचित**
- 1 **जनसंख्या व्याप्ति:** जनजातीय परियोजना में छः महीने से छः वर्ष की आयु वर्ग में 5950 बच्चे तथा 1400 गर्भवती तथा नर्सिंग माताएं थीं। यह पाया गया था कि 2005-06 में 42 प्रतिशत तथा 2006-07 में 43 प्रतिशत योग्य बच्चे अनावृत रहे थे। गर्भवती तथा नर्सिंग माताओं की व्याप्ति 2005-06 में 61 प्रतिशत से 2009 में 47 प्रतिशत तक घटी।
- 2 **अ.आ. में रुकावट:** निर्धारित 300 के प्रति अनुपूरक आहार 2005-06 में 5 से 98 दिनों, 2006-07 में 18 से 106 दिनों, 2007-08 में 22 से 123 दिनों, 2008-09 में 30 से 108 दिनों तथा 2009-10 में 15 से 71 दिनों के लिए प्रदान किया गया था।
- 3 **गुणवत्ता नियंत्रण:** आहार समिति द्वारा निर्धारित मापक्रम के अनुसार खिचड़ी मर्दों हेतु चावल एवं दाल को 4:1 के अनुपात में मिलाया जाना था, फिर भी यह पाया गया था कि कुछ परियोजनाओं में चावल एवं दाल को 24:1 से 6:1 तक के अनुपात में तथा कुछ परियोजनाओं में 3:1 से 2:1 के अनुपात में मिलाया गया था। इस प्रकार, आहार समिति की सलाह का अनुपालन नहीं किया गया था जिसने प्रतिकूल रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।
- 4 **आं.के. का गैर-परिचालनात्मक होना:** पोषण कार्यक्रम को 2009-10 के दौरान कार्यान्वित किया गया था तथा संभाव्यतः सभी 190 केन्द्रों गैर-परिचालनात्मक रहे। केन्द्रों के गैर-परिचालनात्मक होने का परिणाम आं.का. तथा आं.स. को ₹21.38 लाख के व्यर्थ मानदेय के भुगतान में हुआ।
- 5 **अ.आ.खाद्य मर्दों की कम आपूर्ति:** 16 नमूना जांच की गई परियोजनाओं में 2006-09 के दौरान ₹2.16 करोड़ की कीमत की अ.आ. खाद्य मर्दों की कम आपूर्ति थी।



- 6 **प्रशिक्षण में कमी:** 3844 आं.का. तथा 2650 आं.स. को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति केवल 1260 आं.का. (33 प्रतिशत) तथा 300 आं.स. (11 प्रतिशत) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
- 7 **निधियों का परिव्यय तथा आवश्यकता:** ₹71.50 करोड़ की वास्तविक आवश्यकता के प्रति केवल ₹39.37 करोड़ जारी किए गए थे जिसने ₹32.13 करोड़ की कमी को दर्शाया।
- 8 **अनियमित व्यय:** जनसंख्या मानदण्डों के उल्लंघन में 54 परियोजनाओं तथा 1586 आं.के. के अधिक सृजन का परिणाम कार्यकर्ताओं को वेतन तथा मानदेयों के भुगतान के प्रति ₹28.09 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।
- 9 **आं.के. भवनों का निर्माण:** राज्य सरकार ने 2005-06 के दौरान आं.के. हेतु 1787 भवनों के निर्माण के लिए एक विशेष मामले के रूप में ₹29.75 करोड़ प्राप्त किए। 305 आं.के. का निर्माण 2005-06 के दौरान 1.25 लाख प्रति केन्द्र की दर पर ₹381.25 लाख की कुल लागत पर किया गया था। इनमें से, 10 आं.के. को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था तथा यह पाया गया था कि चार आं.के. के भवनों का निर्माण बांस के ढांचे, निम्न-कोटि तथा विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं था।

अनुबंध 3.1  
(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

स्वीकृत और परिचालित परियोजनाओं की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या को दर्शाता हुआ विवरण

राज्य/सं.शा.क्षे.	31 मार्च 2007		31 मार्च 2008		31 मार्च 2009		31 मार्च 2010		31 मार्च 2011	
	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित
आन्ध्र प्रदेश	385	376	385	385	387	385	387	385	387	387
अरुणाचल प्रदेश	85	79	85	85	93	85	98	93	98	93
असम	223	196	223	223	228	223	231	223	231	231
बिहार	545	394	545	394	545	394	545	544	545	544
छत्तीसगढ़	163	158	163	158	343	163	220	163	220	163
गोवा	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
गुजरात	260	256	260	260	336	260	336	336	336	336
हरियाणा	137	128	137	137	148	137	148	137	148	140
हिमाचल प्रदेश	76	72	76	76	76	76	78	76	78	78
जम्मू एवं कश्मीर	140	129	140	129	140	129	140	141	141	141
झारखंड	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
कर्नाटक	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
केरल	163	163	163	163	258	163	258	163	258	258
मध्य प्रदेश	367	347	367	367	453	367	453	453	453	453
महाराष्ट्र	451	397	451	416	553	451	553	495	553	553
मणिपुर	38	34	38	38	42	38	42	42	42	42
मेघालय	41	39	41	41	41	41	41	41	41	41
मिजोरम	23	23	23	23	27	23	27	23	27	27
नागालैण्ड	56	54	56	56	59	56	59	56	59	59
ओडिशा	326	326	326	326	326	326	338	326	338	326
पंजाब	148	142	148	148	154	148	154	148	154	154
राजस्थान	278	271	278	278	304	278	304	280	304	304
सिक्किम	11	10	11	11	13	11	13	11	13	13
तमिलनाडु	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434
त्रिपुरा	54	53	54	54	54	54	54	56	56	56



राज्य/सं.शा.क्षे.	31 मार्च 2007		31 मार्च 2008		31 मार्च 2009		31 मार्च 2010		31 मार्च 2011	
	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित
उत्तर प्रदेश	897	835	897	890	897	897	897	897	897	897
उत्तराखण्ड	99	99	99	99	105	99	105	99	105	105
पश्चिम बंगाल	416	363	416	411	576	414	576	414	576	414
अ. एवं नि. द्वीपसमूह	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
चण्डीगढ़	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
दिल्ली	50	34	50	50	55	50	95	55	95	55
दादरा एवं नागर हवेली	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
दमन एवं दीव	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
लक्षद्वीप	1	1	1	1	9	1	9	1	9	1
पुदुचेरी	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
कुल	6284	5829	6284	6070	7073	6120	7012	6509	7015	6722

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा]

अनुबंध 3.2  
(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

स्वीकृत और परिचालित आं.के. की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या को दर्शाता हुआ विवरण

राज्य/सं.शा.क्षे.	31 मार्च 2007		31 मार्च 2008		31 मार्च 2009		31 मार्च 2010		31 मार्च 2011	
	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित
आन्ध्र प्रदेश	73944	61761	73944	70534	91307	73022	91307	79546	91307	83483
अरुणाचल प्रदेश	4277	3037	4277	4277	6028	4277	6225	6028	6225	6028
असम	37082	25447	37082	36849	59695	36849	62153	52275	62153	55642
बिहार	81088	57767	81088	80211	91968	80211	91968	80211	91968	80211
छत्तीसगढ़	34937	26801	34937	29373	64390	34915	64390	36211	64390	39137
गोवा	1112	1012	1112	1112	1212	1112	1262	1212	1262	1258
गुजरात	44179	38391	44179	43195	48617	43761	50226	47726	50226	49697
हरियाणा	17192	16359	17192	17192	25699	17444	25699	17444	25699	21240
हिमाचल प्रदेश	18248	7354	18248	18248	18925	18248	18925	18248	18925	18356
जम्मू एवं कश्मीर	25483	16409	25483	16409	28577	18797	28577	23375	28577	25793
झारखण्ड	32097	22304	32097	31468	38186	32134	38186	38135	38296	38186
कर्नाटक	54260	51111	54260	54260	63377	54665	63377	62521	63377	63366
केरल	32115	27980	32115	32115	33115	32225	33115	32232	33115	33026
मध्य प्रदेश	69238	56737	69238	68367	90999	69155	90999	81610	90999	90999
महाराष्ट्र	84867	74528	84867	76198	110486	82625	110486	86187	110486	106231
मणिपुर	7621	4501	7621	7621	11510	7621	11510	9654	11510	9883
मेघालय	3388	3162	3388	3195	5115	3337	5115	3825	5115	5112
मिजोरम	1682	1592	1682	1682	1980	1682	1980	1980	1980	1980
नागालैण्ड	3194	2770	3194	3194	3455	3194	3455	3455	3455	3455
ओडिशा	41697	36527	41697	41697	71134	41785	72873	56498	72873	69572
पंजाब	20169	14730	20169	20169	26656	20169	26656	26648	26656	26656



राज्य/सं.शा.क्षे.	31 मार्च 2007		31 मार्च 2008		31 मार्च 2009		31 मार्च 2010		31 मार्च 2011	
	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित
राजस्थान	48372	41985	48372	48363	61119	50939	61119	50923	61119	57511
सिक्किम	988	886	988	984	1233	984	1233	1003	1233	1173
तमिलनाडु	47265	45726	47265	47265	54439	50433	54439	54439	54439	54439
त्रिपुरा	7351	6114	7351	7351	9878	7373	9878	8895	9906	9906
उत्तर प्रदेश	150727	128859	150727	146769	187517	150868	187517	150986	187517	173533
उत्तराखण्ड	9664	7747	9664	8909	23159	9151	23159	10713	23159	16003
पश्चिम बंगाल	92152	56774	92152	88086	117170	89015	117170	91247	117170	111404
अ. एवं नि. द्वीपसमूह	672	621	672	672	720	672	720	696	720	697
चण्डीगढ़	370	329	370	370	500	370	500	370	500	420
दिल्ली	6106	4425	6106	6106	6606	6106	11150	6606	11150	6606
दादरा एवं नागर हवेली	219	138	219	219	253	253	253	253	267	267
दमन एवं दीव	107	97	107	102	107	102	107	102	107	102
लक्षद्वीप	87	74	87	87	107	87	107	87	107	107
पुदुचेरी	688	688	688	688	788	688	788	688	788	788
<b>कुल</b>	<b>1052638</b>	<b>844743</b>	<b>1052638</b>	<b>1013337</b>	<b>1356027</b>	<b>1044269</b>	<b>1366624</b>	<b>1142029</b>	<b>1366776</b>	<b>1262267</b>

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा]

## अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.4 के संदर्भ में)

स्वीकृत परियोजनाओं और आं.के. की संख्या में विविधताएं

राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या			स्वीकृत आं.के. की संख्या		
	राज्यों के अनुसार	मंत्रालय के अनुसार	विसंगति	राज्यों के अनुसार	मंत्रालय के अनुसार	विसंगति
आन्ध्र प्रदेश	387	406	-19	कोई विसंगति नहीं		
बिहार	544	545	-1	91,677	91,968	-291
झारखण्ड	204	224	-20	38,432	38,296	136
कर्नाटक	185	204	-19	कोई विसंगति नहीं		
महाराष्ट्र	कोई विसंगति नहीं			108,363	110,486	-2123
मणिपुर	42	43	-1	11,531	11510	21
नागालैण्ड	59	60	-1	कोई विसंगति नहीं		
ओडिशा	कोई विसंगति नहीं			71,134	72873	-1739
पंजाब	154	155	-1	कोई विसंगति नहीं		
उत्तर प्रदेश	कोई विसंगति नहीं			188,259	187517	742
उत्तराखण्ड	कोई विसंगति नहीं			20,067	23159	-3092
पश्चिम बंगाल	416	576	-160	116,390	117170	-780
कुल	1991	2213	-222	645,853	652,979	(-)-8025 (+)-899

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान अभिलेखों के आधार पर तैयार सूचना]



अनुबंध 3.4  
(पैराग्राफ 3.4 के संदर्भ में)

परिचालित परियोजनाओं और आं.के. की संख्या में विविधताएं

राज्य	परिचालित परियोजनाओं की संख्या			परिचालित आं.के. की संख्या		
	राज्यों के अनुसार	मंत्रालय के अनुसार	विसंगति	राज्यों के अनुसार	मंत्रालय के अनुसार	विसंगति
आन्ध्र प्रदेश	385	387	-2	77341	86164	-8823
असम	कोई विसंगति नहीं			56681	57656	-975
दिल्ली	55	94	-39	6606	10570	-3964
गोवा	कोई विसंगति नहीं			1212	1262	-50
गुजरात				49335	50149	-814
हरियाणा				18458	25171	-6713
हिमाचल प्रदेश				18252	18651	-399
जम्मू एवं कश्मीर				26043	26400	-357
झारखण्ड				38432	38186	246
कर्नाटक				63346	63376	-30
केरल				33096	33082	14
महाराष्ट्र				101072	106231	-5159
मध्य प्रदेश				90869	90999	-130
ओडिशा				326	338	-12
उत्तर प्रदेश	कोई विसंगति नहीं			166073	186447	-20374
उत्तराखण्ड	कोई विसंगति नहीं			15441	17568	-2127
पश्चिम बंगाल	414	416	-2	111404	116390	-4986
कुल	1180	1235	-55	941227	997485	(-)56518 (+)260 =(-)56258

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान अभिलेखों के आधार पर तैयार सूचना]

अनुबंध 4.1  
(पैराग्राफ 4.1.1 के संदर्भ में)

आं.के. भवन के प्रकार पर राज्य-वार विवरण

राज्य	नमूना जांच किए आं.के. की संख्या	स.बा.वि.से. भवन		किराए पर लिया गया भवन		आं.के. जोकि न तो स.बा.वि.से. में और न ही किराए पर लिए गए भवन में स्थित थे	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हरियाणा	145	29	20.00	2	1.38	114	78.62
उत्तर प्रदेश	311	28	9.00	55	17.68	228	73.31
पश्चिम बंगाल	200	37	18.50	32	16.00	131	65.50
ओडिशा	200	69	34.50	16	8.00	115	57.50
राजस्थान	239	129	53.97	43	17.99	67	28.03
मध्य प्रदेश	280	121	43.21	87	31.07	72	25.71
बिहार	236	19	8.05	173	73.31	44	18.64
कर्नाटक	260	199	76.54	24	9.23	37	14.23
मेघालय	120	103	85.83	0	0.00	17	14.17
छत्तीसगढ़	120	83	69.17	26	21.67	11	9.17
आन्ध्र प्रदेश	310	71	22.90	220	70.97	19	6.13
झारखण्ड	120	36	30.00	79	65.83	5	4.17
गुजरात	160	119	74.38	35	21.88	6	3.75
<b>कुल</b>	<b>2701</b>	<b>1043</b>	<b>38.62</b>	<b>792</b>	<b>29.32</b>	<b>866</b>	<b>32.06</b>

[स्रोत: नमूना आं.के./परियोजनाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबन्ध 4.2  
(पैराग्राफ 4.1.2 के संदर्भ में)

आं.के. इमारत की भौतिक स्थिति का राज्यवार विवरण ब्यौरा

राज्य	नमूना-जांच किए आं.के. की संख्या	पक्की इमारत		आंशिक रूप से पक्की इमारत		कच्ची इमारत		खुली/आंशिक रूप से आवृत्त जगह		अधूरे/जीर्णशीर्ण इमारत वाले आं.के.					
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	दरवाजे		खिड़कियां		तल	
										संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	250	168	67	81	32	1	0	0	0	67	27	61	24	21	8
बिहार	236	170	72	14	6	52	22	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	120	103	86	1	1	16	13	0	0	5	4	9	8	11	9
गुजरात	160	143	89	12	8	5	3	0	0	0	0	0	0	3	2
हरियाणा	160	160	100	0	0	0	0	0	0	44	28	48	30	48	30
झारखण्ड	120	49	41	17	14	52	43	2	2	36	30	43	36	35	29
कर्नाटक	260	181	70	54	21	20	8	5	2	58	22	63	24	63	24
मध्य प्रदेश	280	230	82	2	1	48	17	0	0	78	28	67	24	74	26
मेघालय	103	91	88	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	200	107	54	54	27	22	11	17	9	13	7	12	6	12	6
राजस्थान	239	231	97	0	0	3	1	5	2	19	8	21	9	16	7
उत्तर प्रदेश	311	273	88	29	9	5	2	4	1	2	1	7	2	27	9
पश्चिम बंगाल	200	70	35	61	31	16	8	53	27	42	21	43	22	44	22
<b>कुल</b>	<b>2639</b>	<b>1976</b>	<b>75</b>	<b>337</b>	<b>13</b>	<b>240</b>	<b>9</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	<b>364</b>	<b>14</b>	<b>374</b>	<b>14</b>	<b>354</b>	<b>13</b>

[स्रोत: नमूना आं.के./परियोजनाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबन्ध 4.3  
(पैराग्राफ 4.1.3 के संदर्भ में)

आं.के. में स्थान और फर्नीचर की उपलब्धता का राज्यवार विवरण

राज्य	नमूना जांच किए आं.के. की संख्या	आ.के. जिनके पास निम्न के लिए अतिरिक्त स्थान नहीं था								आं.के. जिनके पास आधारभूत फर्नीचर उपलब्ध नहीं है					
		खाना पकाने		खाद्य वस्तुओं के लिए भंडारण		भीतरी गतिविधियां		बाह्य क्रीड़ा स्थल		कुर्सी/मेज		मैट/दरी		ब्लैकबोर्ड	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	310	271	87.42	222	71.61	120	38.71	274	88.39	105	33.87	230	74.19	240	77.42
बिहार	236	212	89.83	159	67.37	217	91.95	217	91.95	236	100.00	120	50.85	236	100.00
छत्तीसगढ़	120	2	1.67	50	41.67	0	0.00	1	0.83	62	51.67	54	45.00	68	56.67
गुजरात	160	34	21.25	95	59.38	41	25.63	63	39.38	160	100.00	160	100.00	0	0.00
हरियाणा	160	146	91.25	85	53.13	57	35.63	32	20.00	45	28.13	34	21.25	75	46.88
झारखण्ड	120	60	50.00	71	59.17	108	90.00	53	44.17	99	82.50	46	38.33	104	86.67
कर्नाटक	260	119	45.77	65	25.00	82	31.54	104	40.00	74	28.46	65	25.00	62	23.85
मध्य प्रदेश	280	275	98.21	150	53.57	60	21.42	108	38.57	84	30.00	95	33.93	123	43.93
मेघालय	120	18	15.00	17	14.17	22	18.33	26	21.67	7	5.83	47	39.17	12	10.00
ओडिशा	200	128	64.00	130	65.00	109	54.50	113	56.50	24	12.00	41	20.50	115	57.50
राजस्थान	239	103	43.10	75	31.38	32	13.39	33	13.81	64	26.67	139	57.92	114	47.50
उत्तर प्रदेश	311	261	83.92	255	81.99	137	44.05	69	22.19	310	100.00	10	3.23	16	5.16
पश्चिम बंगाल	200	123	61.50	131	65.50	97	48.50	109	54.50	135	67.50	30	15.00	97	48.50
कुल	2716	1752	64.51	1505	55.41	1082	39.84	1202	44.26	1405	51.73	1071	39.43	1262	46.47

[स्रोत: नमूना आं.के./परियोजनाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबन्ध 4.4  
(पैराग्राफ 4.1.4.3 के संदर्भ में)

उत्तर-पूर्वी राज्यों में आं.के. के निर्माण की स्थिति

राज्य	स्वीकृत आं.के.	वास्तव में निर्मित आं.के.	कमी	कमी की प्रतिशत	जारी राशि	उपयोग की गई राशि	अप्रयुक्त राशि	अप्रयुक्त निधियों का प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	6,225	3,002	3,223	51.78	73.14	44.94	28.20	39
असम	39,748	29,748	10,000	25.16	548.94	473.76	75.18	14
मणिपुर	3,524	1,401	2,123	60.24	51.82	30.00	21.82	42
मेघालय	2,985	1,624	1,361	45.59	30.21	23.05	7.16	24
मिजोरम	1,980	1,688	292	14.75	31.45	26.34	5.11	16
नागालैण्ड	3,455	2,370	1,085	31.4	55.36	36.38	18.98	34
सिक्किम	709	451	258	36.39	11.76	2.20	9.56	81
त्रिपुरा	9,878	4,440	5,438	55.05	163.86	100.60	63.26	39
<b>कुल</b>	<b>68,504</b>	<b>44,724</b>	<b>23,780</b>	<b>34.71</b>	<b>966.54</b>	<b>737.27</b>	<b>229.27</b>	<b>24</b>

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा]

अनुबन्ध 4.5  
(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

आं.के. में आधारभूत सुविधाओं की गैर-उपलब्धता पर राज्यवार विवरण

राज्य	नमूना जांच किए आं.के. की संख्या	आं.के. जिनमें निम्न आधारभूत सुविधाएं नहीं थी					
		शौचालय		स्वच्छता ब्लॉक		पेयजल की सुविधा	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	310	255	82.26	310	100.00	282	90.97
बिहार	236	167	70.76	216	91.53	109	46.19
छत्तीसगढ़	120	54	45.00	120	100.00	0	0.00
गुजरात	160	38	23.75	160	100.00	0	0.00
हरियाणा	160	77	48.13	99	61.88	114	71.25
झारखण्ड	120	89	74.17	120	100.00	40	33.33
कर्नाटक	260	88	33.85	221	85.00	20	7.69
मध्य प्रदेश	280	136	48.57	196	70.00	68	24.29
मेघालय	120	18	15.00	7	5.83	45	37.50
ओडिशा	200	140	70.00	154	77.00	98	49.00
राजस्थान	239	153	64.02	210	87.87	7	2.93
उत्तर प्रदेश	311	63	20.26	187	60.13	1	0.32
पश्चिम बंगाल	200	137	68.50	160	80.00	96	48.00
<b>कुल</b>	<b>2716</b>	<b>1415</b>	<b>52.10</b>	<b>2160</b>	<b>79.53</b>	<b>880</b>	<b>32.40</b>

[स्रोत: नमूना आं.के./परियोजनाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबन्ध 4.6  
(पैराग्राफ 4.3 के संदर्भ में)

आं.के. में आधारभूत उपकरणों की गैर-उपलब्धता पर राज्यवार विवरण

राज्य	नमूना जांच किए आं.के. की संख्या	बच्चे का वजन करने वाली मशीन				व्यस्क का वजन करने वाली मशीन			
		गैर-कार्यात्मक	अनुपलब्ध	कुल	प्रतिशत	गैर-कार्यात्मक	अनुपलब्ध	कुल	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	310	211	84	295	95.16	184	108	292	94.19
बिहार	236	27	12	39	16.53	32	10	42	17.80
छत्तीसगढ़	120	20	0	20	16.67	42	0	42	35.00
गुजरात	160	0	0	0	0.00	0	160	160	100.00
हरियाणा	160	20	2	22	13.75	61	18	79	49.38
झारखण्ड	120	63	8	71	59.17	36	43	79	65.83
कर्नाटक	260	0	2	2	0.77	3	222	225	86.54
मध्य प्रदेश	280	11	3	14	5.00	78	40	118	42.14
मेघालय	120	6	25	31	25.83	17	15	32	26.67
ओडिशा	200	6	9	15	7.50	23	97	120	60.00
राजस्थान	239	61	20	81	33.89	46	20	66	27.62
उत्तर प्रदेश	311	0	67	67	21.54	0	311	311	100.00
पश्चिम बंगाल	200	6	35	41	20.50	14	0	14	7.00
कुल	2716	431	267	698	25.70	536	1044	1580	58.17

[स्रोत: राज्यों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबन्ध 4.7  
(पैराग्राफ 4.4 के संदर्भ में)

आं.के. में अनुपूरक आहार प्रदान करने के लिए अपेक्षित बर्तनों की अनुपलब्धता का राज्यवार विवरण

राज्य	नमूना जांच किए आं.के. की संख्या	स्टोव	पानी के संग्रहण के लिए पात्र	खाना पकाने के बर्तन		प्लेट		गिलास		चम्मच	
		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अपर्याप्त	अनुपलब्ध	अपर्याप्त	अनुपलब्ध	अपर्याप्त	अनुपलब्ध	अपर्याप्त
आन्ध्र प्रदेश	310	157	12	12	15	6	54	83	60	51	67
बिहार	236	236	236	12	224	0	236	236	0	236	0
छत्तीसगढ़	120	98	32	34	47	21	62	32	45	75	44
गुजरात	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	160	155	16	27	3	32	0	22	0	25	0
झारखण्ड	120	120	46	10	94	10	26	8	34	120	0
कर्नाटक	260	158	11	3	2	8	3	24	1	170	1
मध्य प्रदेश	280	257	16	52	15	39	15	24	35	110	23
मेघालय	120	0	6	5	28	6	58	6	59	7	67
ओडिशा	200	196	36	5	6	50	45	66	1	143	20
राजस्थान	240	225	22	30	11	9	34	34	31	148	20
उत्तर प्रदेश	310	310	0	310	0	300	10	300	10	300	10
पश्चिम बंगाल	200	200	127	11	68	82	83	137	32	178	6
कुल	2716	2112	560	511	513	563	626	972	308	1563	258

[स्रोत: नमूना आं.के./परियोजनाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबन्ध 4.8  
(पैराग्राफ 4.5 के संदर्भ में)

औषधि किटों के क्रय के लिए जारी निधियों का गैर उपयोग

(₹ करोड़ में)

राज्य	मंत्रालय द्वारा जारी राशि	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशतता कमी
<b>2006-07</b>				
गुजरात	2.30	0.00	2.30	100
हरियाणा	0.86	0.00	0.86	100
झारखण्ड	1.62	0.00	1.62	100
दिल्ली	0.27	0.00	0.26	99
कर्नाटक	3.07	0.15	2.92	95
बिहरी	3.61	0.60	3.01	83
पंजाब	0.88	0.19	0.70	79
केरल	1.68	0.93	0.75	45
कुल	<b>14.29</b>	<b>1.87</b>	<b>12.43</b>	<b>87</b>
<b>2007-08</b>				
असम	2.21	0.00	2.21	100
हरियाणा	1.03	0.00	1.03	100
झारखण्ड	1.93	0.00	1.93	100
मध्य प्रदेश	3.46	0.00	3.46	100
कर्नाटक	3.21	0.47	2.74	85
पंजाब	1.21	0.31	0.90	75
हिमाचल प्रदेश	1.09	0.66	0.43	40
महाराष्ट्र	4.69	3.07	1.63	35
कुल	<b>18.84</b>	<b>4.50</b>	<b>14.34</b>	<b>76</b>
<b>2008-09</b>				
दिल्ली	0.37	0.00	0.37	100
गोवा	0.07	0.00	0.07	100
हरियाणा	1.04	0.00	1.04	100
झारखण्ड	1.94	0.00	1.94	100
मध्य प्रदेश	4.08	0.00	4.08	100
पंजाब	1.21	0.00	1.21	100
उत्तराखण्ड	0.66	0.00	0.66	100
उत्तर प्रदेश	9.08	3.56	5.52	61
कर्नाटक	3.27	2.26	1.01	31
कुल	<b>21.71</b>	<b>5.82</b>	<b>15.90</b>	<b>73</b>
<b>2009-10</b>				
बिहार	4.92	0.00	4.92	100
दिल्ली	0.40	0.00	0.40	100
गोवा	0.07	0.00	0.07	100

(₹ करोड़ में)

राज्य	मंत्रालय द्वारा जारी राशि	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशतता कमी
हरियाणा	1.04	0.00	1.04	100
झारखण्ड	2.29	0.00	2.29	100
मणिपुर	0.57	0.00	0.57	100
मध्य प्रदेश	4.45	0.00	4.45	100
ओडिशा	3.49	0.00	3.49	100
उत्तराखण्ड	0.79	0.00	0.79	100
पश्चिम बंगाल	6.54	0.00	6.54	100
पंजाब	1.56	1.01	0.55	35
<b>कुल</b>	<b>26.12</b>	<b>1.01</b>	<b>25.11</b>	<b>96</b>
<b>2010-11</b>				
मणिपुर	0.58	0.00	0.58	100
आन्ध्र प्रदेश	4.50	0.00	4.50	100
ओडिशा	3.82	0.00	3.82	100
पंजाब	1.56	0.01	1.55	99
उत्तर प्रदेश	9.96	5.01	4.95	50
असम	3.32	1.83	1.49	45
उत्तराखण्ड	0.85	0.51	0.33	39
<b>कुल</b>	<b>24.60</b>	<b>7.37</b>	<b>17.22</b>	<b>70</b>

[स्रोत: मंत्रालय में उपलब्ध राज्यवार व्यय विवरणी से निकाला गया डाटा]



**अनुबन्ध 4.9**  
(पैराग्राफ 4.5.1 के संदर्भ में)

**औषधि किटों की अनुपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा**

राज्य का नाम	नमूना आं.के. की संख्या	आं.के. की संख्या जहां औषधि किट उपलब्ध नहीं थी				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
बिहार	236	198	165	232	222	108
छत्तीसगढ़	120	0	120	120	120	0
गुजरात	160	160	160	160	0	160
हरियाणा	160 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
झारखण्ड	120	120	120	120	120	120 <sup>2</sup>
कर्नाटक	260	86	70	20	32	9
मध्य प्रदेश	280	123	213	252	130	84
मेघालय	120	4	0	14	13	26
ओडिशा	200	138	119	134	194	200
राजस्थान	238	22	11	20	9	11
उत्तर प्रदेश	311	63	53	2	0	0
<b>कुल</b>	<b>2205</b>	<b>914</b>	<b>1031</b>	<b>1074</b>	<b>840</b>	<b>718</b>

[स्रोत: नमूना आं.के./परियोजनाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा]

<sup>1</sup> सभी नमूना जांच किए आं.के. को अधूरी वस्तुओं की किट प्रदान की गई थी

<sup>2</sup> औषधि -किटों का 2010-11 में प्रापण किया गया था, परन्तु नमूना जांच किए आं.के. को उनकी आपूर्ति नवम्बर 2011 और फरवरी 2012 में की गई थी।

अनुबन्ध 4.10  
(पैराग्राफ 4.6 के संदर्भ में)

आं.के. को फलेक्सी निधि के संवितरण के लिए जारी निधियों का उपयोग न किए जाना

(₹ करोड़ में)

राज्य	राज्य में कुल परिचालित आं.के.	मंत्रालय द्वारा जारी राशि	वास्तविक व्यय	निधियों का गैर-उपयोग	गैर-उपयोग की प्रतिशतता
<b>2009-10</b>					
असम	55,642	5.56	0.00	5.56	100.00
बिहार	80,211	8.02	0.00	8.02	100.00
दिल्ली	6,606	0.66	0.00	0.66	100.00
गोवा	1,212	0.12	0.00	0.12	100.00
हिमाचल प्रदेश	18,248	1.82	0.00	1.82	100.00
झारखण्ड	38,130	3.81	0.00	3.81	100.00
कर्नाटक	62,381	6.24	0.00	6.24	100.00
केरल	32,230	3.22	0.00	3.22	100.00
मणिपुर	9,652	0.97	0.00	0.97	100.00
मिजोरम	1,980	0.20	0.00	0.20	100.00
पंजाब	26,656	2.67	0.00	2.67	100.00
तमिलनाडु	54,439	5.44	0.00	5.44	100.00
उत्तर प्रदेश	1,51,393	15.14	0.00	15.14	100.00
उत्तराखण्ड	10,663	1.07	0.00	1.07	100.00
पश्चिम बंगाल	1,08,961	10.90	5.08	5.82	53.38
मध्य प्रदेश	77,109	7.71	4.71	3.00	38.91
कुल		<b>73.55</b>	<b>9.79</b>	<b>63.76</b>	<b>86.69</b>
<b>2010-11</b>					
बिहार	80,211	8.02	0.00	8.02	100.00
दिल्ली	6,606	0.66	0.00	0.66	100.00
गोवा	1,212	0.12	0.00	0.12	100.00
हिमाचल प्रदेश	18,352	1.84	0.00	1.84	100.00
झारखण्ड	38,432	3.84	0.00	3.84	100.00
मणिपुर	9,883	0.99	0.00	0.99	100.00
मिजोरम	1,980	0.20	0.00	0.20	100.00
ओडिशा	67,566	6.76	0.00	6.76	100.00
तमिलनाडु	54,439	5.44	0.00	5.44	100.00
उत्तर प्रदेश	1,66,073	16.61	0.00	16.61	100.00
कर्नाटक	63,346	6.33	0.01	6.33	99.89
पश्चिम बंगाल	1,11,404	11.14	0.36	10.78	96.77
आन्ध्र प्रदेश	77,341	7.73	1.63	6.10	78.92
पंजाब	26,656	2.67	1.52	1.14	42.82
कुल		<b>72.35</b>	<b>3.52</b>	<b>68.83</b>	<b>95.13</b>

[स्रोत: मंत्रालय में उपलब्ध राज्यवार व्यय विवरणियों से निकाला गया डाटा]



अनुबन्ध 5.1  
(पैराग्राफ 5.1.1 के संदर्भ में)

स्टाफ की स्थिति: 31 मार्च 2011 को बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ., आं.का. और आं.स. की अनुपस्थिति

राज्य का नाम	नमूना परियोजनाओं की संख्या	बिना बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. वाली परियोजनाओं की संख्या	नमूना परियोजनाओं में आं.के. की संख्या	आं.के. जहां आं.का. नियुक्त नहीं थे	आं.के. जहां आं.स. नियुक्त नहीं थे
आन्ध्र प्रदेश	31	उ.न.	6718	476	595
बिहार	24	2	3696	29	45
छत्तीसगढ़	12	4	3148	396	454
गुजरात	16	3	2085	76	109
हरियाणा	16	4	2508	74	83
झारखण्ड	12	3	3028	76	95
कर्नाटक	26	2	9827	412	537
मध्य प्रदेश	24	9	5457	90	117
मेघालय	12	0	1448	1	40
ओडिशा	20	2	3238	130	164
राजस्थान	24	5	5245	267	137
उत्तर प्रदेश	32	6	6786	117	359
पश्चिम बंगाल	20	5	6381	302	670
कुल	269	45	59565	2446	3405

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबन्ध 5.2(क)  
(पैराग्राफ 5.1.2 के संदर्भ में )

जिला कार्यक्रम कार्यालय में स्टाफ की स्थिति:  
संबंधित वर्ष के 31 मार्च को स्वीकृत बल होने के बावजूद आवश्यक श्रमशक्ति की अनुपस्थिति

राज्य का नाम	नमूना जिलों की संख्या	जिला कार्यक्रम अधिकारी					कार्यालय अधीक्षक					सांख्यिकीय सहायक				
		31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011	31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011	31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011
आन्ध्र प्रदेश	5	0	0	0	0	उ.न.	0	0	0	0	उ.न.	0	0	0	0	उ.न.
बिहार	6	0	0	0	0	1	2	2	2	3	4	2	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	3	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
गुजराज	4	2	1	0	0	0	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0
हरियाणा	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
झारखण्ड	3	2	1	1	0	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2
कर्नाटक	7	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	1	1	1	2	2
मध्य प्रदेश	6	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	2	2	2	2
मेघालय	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	5	0	0	1	1	1	0	0	2	0	1	3	3	2	2	2
राजस्थान	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	4	4
उत्तर प्रदेश	8	5	3	2	1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	3
पश्चिम बंगाल	5	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	2	2	2
कुल	65	10	6	7	3	7	14	15	19	18	21	16	18	18	24	23

[स्रोत: नमूना जिला कार्यक्रम कार्यालयों के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 5.2 (ख)  
(पैराग्राफ 5.1.2 के संदर्भ में)

स.बा.वि.से. परियोजनाओं में स्टाफ की स्थिति:  
संबंधित वर्ष के 31 मार्च को स्वीकृत बल होने के बावजूद आवश्यक श्रमशक्ति की अनुपस्थिति

राज्य का नाम	नमूना परियोजनाओं की संख्या	बा.वि.प.क./स.बा.वि.प.अ.					सहायक/सांख्यिकीय सहायक					उ.श्रे.लि./नि.श्रे.लि./नि.श्रे.लि./टंकक					चालक				
		31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011	31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011	31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011	31 मार्च 2007	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011
आन्ध्र प्रदेश	16	5	5	0	उ.न.	उ.न.	0	0	0	उ.न.	उ.न.	5	5	5	उ.न.	उ.न.	3	3	4	उ.न.	उ.न.
बिहार	24	2	6	0	1	2	11	12	13	12	11	4	5	4	3	2	7	6	6	4	5
छत्तीसगढ़	12	5	3	1	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	6	6	5	4
गुजरात	16	3	4	3	2	3	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	4	4	5
हरियाणा	16	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	0	1	1	3	2	6	6	5	3	3
झारखण्ड	12	2	5	4	4	3	6	9	9	10	10	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0
कर्नाटक	26	3	2	3	1	2	6	7	8	7	7	1	1	2	3	1	1	1	2	3	3
मध्य प्रदेश	24	2	4	5	6	9	10	11	10	10	11	2	1	4	3	3	2	3	2	4	5
मेघालय	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	20	3	4	4	5	2	7	8	7	6	7	0	1	0	1	0	8	8	9	9	8
राजस्थान	24	4	4	5	6	5	3	5	5	5	7	0	0	0	0	1	3	4	5	4	3
उत्तर प्रदेश	32	2	5	3	6	6	0	0	0	0	0	16	11	12	9	7	15	15	15	15	11
पश्चिम बंगाल	20	2	3	4	4	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
कुल	254	34	46	33	39	45	50	59	59	58	61	30	28	30	26	21	57	60	62	55	50

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं से संकलित डाटा]



अनुबध 5.3  
(पैराग्राफ 5.1.3 के संदर्भ में)

31 मार्च 2011 को पदासीन व्यक्तियों पर डाटा में मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित तथा राज्यों द्वारा सूचित डाटा में विसंगति

राज्य	पदासीन बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. की सं.				पदासीन पर्यवेक्षकों की संख्या				पदासीन आं.का. की संख्या			
	मंत्रालय के अनुसार	व्य.वि. के अनुसार	अंतर	प्रतिशतता अंतर	मंत्रालय के अनुसार	व्य.वि. के अनुसार	अंतर	प्रतिशतता अंतर	मंत्रालय के अनुसार	व्य.वि. के अनुसार	अंतर	प्रतिशतता अंतर
आन्ध्र प्रदेश	408	399	9	2.26	2131	2202	-71	-3.22	77781	77540	241	0.31
असम	202	197	5	2.54	1294	1294	0	0.00	55642	56681	-1039	-1.83
गुजरात	285	283	2	0.71	1830	1181	649	54.95	46100	45450	650	1.43
हरियाणा	122	123	-1	-0.81	605	604	1	0.17	17445	21669	-4224	-19.49
हिमाचल प्रदेश	81	77	4	5.19	362	362	0	0.00	17912	18132	-220	-1.21
जम्मू एवं कश्मीर	140	147	-7	-4.76	747	856	-109	-12.73	25185	25954	-769	-2.96
झारखण्ड	128	132	-4	-3.03	698	758	-60	-7.92	36341	38310	-1969	-5.14
कर्नाटक	327	335	-8	-2.39	2028	2008	20	1.00	61336	61961	-625	-1.01
केरल	224	258	-34	-13.18	1198	1132	66	5.83	32981	33067	-86	-0.26
महाराष्ट्र	495	468	27	5.77	3263	3196	67	2.10	93632	96092	-2460	-2.56
मणिपुर	38	48	-10	-20.83	274	298	-24	-8.05	7621	9883	-2262	-22.89
मध्य प्रदेश	302	372	-70	-18.82	2528	2726	-198	-7.26	75994	85860	-9866	-11.49
ओडिशा	291	298	-7	-2.35	1883	1751	132	7.54	64742	64464	278	0.43
पंजाब	106	104	2	1.92	711	729	-18	-2.47	25921	26004	-83	-0.32
तमिलनाडु	412	256	156	60.94	1436	1634	-198	-12.12	48138	46021	2117	4.60
उत्तर प्रदेश	660	641	19	2.96	4224	4207	17	0.40	159985	166717	-6732	-4.04
उत्तराखण्ड	105	65	40	61.54	292	293	-1	-0.34	10521	14791	-4270	-28.87
पश्चिम बंगाल	398	398	0	0.00	2389	2383	6	0.25	104449	105305	-856	-0.81
सकल विसंगतियां	2754	2490	264	10.60	13196	12255	941	7.68	236761	233475	3286	1.41
	1572	1713	-141	-8.23	8817	9496	-679	-7.15	724965	760426	-35461	-4.66

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान अभिलेखों से निकाला गया डाटा]

(+) मंत्रालय के आंकड़ों को राज्य के आंकड़ों से अधिक दर्शाता है।

(-) राज्य के आंकड़ों को मंत्रालय के आंकड़ों से अधिक दर्शाता है।]



## अनुबंध 5.4

(पैराग्राफ 5.1.3 के संदर्भ में)

31 मार्च 2011 को राज्य स.बा.वि.से. सेल द्वारा अनुरक्षित और जि.का.अ. द्वारा सूचित पदासीन आं.का. से संबंधित डाटा में अंतर

राज्य का नाम	शामिल नमूना-जांच किए जिले	राज्य स.बा.वि.से. सेल के अनुसार आंकड़े	जि.का.अ. द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े	अंतर
बिहार	1	2,307	2,194	(+) 113
	3	5,140	5,663	(-) 523
छत्तीसगढ़	1	3,059	3,213	(-) 154
कर्नाटक	4	11,482	11,422	(+) 60
	2	4,569	4,664	(-) 95
मध्य प्रदेश	4	6,341	6,498	(-) 157
मेघालय	1	970	966	(+) 4
ओडिशा	2	4,238	4,170	(+) 68
	1	1,744	1,781	(-) 37
राजस्थान	4	7,735	8,149	(-) 414
उत्तर प्रदेश	7	21,789	19,196	(+) 2593
	1	881	1264	(-) 383
पश्चिम बंगाल	4	29,853	29,638	(+) 215

[स्रोत: नमूना जिला कार्यक्रम कार्यालयों के अभिलेखों से संकलित डाटा

(+)स.बा.वि.से. सेल के अंकड़ों को जि.का.अ. के आंकड़ों से अधिक दर्शाता है.

(-)जि.का.अ. के आंकड़ों को स.बा.वि.से. सेल के अंकड़ों से अधिक दर्शाता है।]

अनुबंध 5.5  
(पैराग्राफ 5.3.3 के संदर्भ में)

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य के प्रति कमी

वर्ष	प्रशिक्षण का प्रकार	स.बा.वि.से. पदाधिकारी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	प्रतिशतता कमी
2006-07	कार्य/अभिविन्यास	पर्यवेक्षक	5,231	1,605	3,626	69.32
		आ.का.	1,38,867	66,304	72,563	52.25
		आं.स.	1,85,968	58,167	1,27,801	68.72
	पुनश्चर्या	पर्यवेक्षक	8,373	4,370	4,003	47.81
		आ.का.	1,94,242	1,29,630	64,612	33.26
		आं.स.	1,89,129	83,380	1,05,749	55.91
2007-08	कार्य/अभिविन्यास	पर्यवेक्षक	3,696	1,893	1,803	48.78
		आ.का.	1,10,441	87,171	23,270	21.07
		आं.स.	1,97,097	1,36,490	60,607	30.75
	पुनश्चर्या	पर्यवेक्षक	8,352	4,811	3,541	42.40
		आ.का.	1,47,719	1,23,102	24,617	16.66
		आं.स.	98,933	64,580	34,353	34.72
2008-09	कार्य/अभिविन्यास	पर्यवेक्षक	3,361	1,109	2,252	67.00
		आ.का.	1,02,749	83,255	19,494	18.97
		आं.स.	1,18,767	59,044	59,723	50.29
	पुनश्चर्या	पर्यवेक्षक	8,864	6,602	2,262	25.52
		आ.का.	1,79,280	1,29,811	49,469	27.59
		आं.स.	1,30,903	1,29,553	1,350	1.03
2009-10	कार्य/अभिविन्यास	पर्यवेक्षक	3,659	1,850	1,809	49.44
		आ.का.	88,060	67,595	20,465	23.24
		आं.स.	89,220	40,593	48,627	54.50
	पुनश्चर्या	पर्यवेक्षक	14,760	5,949	8,811	59.70
		आ.का.	1,69,238	1,49,958	19,280	11.39
		आं.स.	1,63,102	1,05,798	57,304	35.13
2010-11	कार्य/अभिविन्यास	पर्यवेक्षक	4,361	2,036	2,325	53.31
		आ.का.	1,25,869	79,386	46,483	36.93
		आं.स.	91,696	52,501	39,195	42.74
	पुनश्चर्या	पर्यवेक्षक	7,797	4,357	3,440	44.12
		आ.का.	1,33,219	1,31,134	2,085	1.57
		आं.स.	1,50,987	1,54,806	शून्य	शून्य
2006-11 (कुल)	कार्य/अभिविन्यास	पर्यवेक्षक	20,308	8,493	11,815	58.18
		आ.का.	5,65,986	3,83,711	1,82,275	32.20
		आं.स.	6,82,748	3,46,795	3,35,953	49.21
	पुनश्चर्या	पर्यवेक्षक	48,146	26,089	22,057	45.81
		आ.का.	8,23,698	6,63,635	1,60,063	19.43
		आं.स.	7,33,054	5,38,117	1,94,937	26.59

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 5.6  
(पैराग्राफ 5.3.3 के संदर्भ में )

तालिका: 2006-11 के दौरान प्रशिक्षण के अंतर्गत राज्य/सं.शा.क्षे.-वार समग्र निष्पादन

राज्य/सं.शा.क्षे.	कार्य प्रशिक्षण								
	आ.का.			आं.स.			पर्यवेक्षक		
	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	39,146	30,282	77.36	35,114	24,208	68.94	2,070	886	42.80
अरुणा प्रदेश	4,894	2,135	43.62	5,112	0	0.00	100	50	50.00
असम	34,650	22,638	65.33	32,092	13,030	40.60	1,648	813	49.33
बिहार	65,884	31,799	48.27	45,245	27,734	61.30	1,295	122	9.42
छत्तीसगढ़	23,345	14,324	61.36	36,250	18,873	52.06	425	10	2.35
गोवा	600	160	26.67	40	0	0.00	25	0	0.00
गुजरात	20,440	11,096	54.29	19,650	13,067	66.50	925	755	81.62
हरियाणा	9,030	4,295	47.56	7,150	4,857	67.93	258	86	33.33
हिमाचल प्रदेश	15,073	3,703	24.57	24,413	0	0.00	651	53	8.14
जम्मू एवं कश्मीर	14,385	7,218	50.18	21,140	6,694	31.67	850	183	21.53
झारखण्ड	18,270	17,249	94.41	17,200	13,038	75.80	0	0	उ.न.
कर्नाटक	26,565	18,402	69.27	17,950	18,886	105.21	325	63	19.38
केरल	12,626	8,259	65.41	16,966	8,487	50.02	318	331	104.09
मध्य प्रदेश	21,210	20,200	95.24	32,560	32,152	98.75	1,881	430	22.86
महाराष्ट्र	31,570	30,320	96.04	73,250	39,373	53.75	2,500	2,099	83.96
मणिपुर	4,865	3,255	66.91	2,050	0	0.00	446	0	0.00
मेघालय	2,485	2,090	84.10	2,200	1,414	64.27	204	25	12.25
मिजोरम	1,225	1,055	86.12	950	590	62.11	17	0	0.00
नागालैण्ड	1,724	1,715	99.48	4,050	1,240	30.62	96	67	69.79
ओडिशा	22,713	16,724	73.63	17,097	7,543	44.12	800	723	90.38
पंजाब	12,495	8,876	71.04	4,050	4,123	101.80	250	104	41.60
राजस्थान	26,740	19,209	71.84	32,510	13,377	41.15	812	260	32.02
सिक्किम	790	740	93.67	1,250	801	64.08	53	18	33.96
तमिलनाडु	16,719	15,347	91.79	29,382	23,452	79.82	475	469	98.74
त्रिपुरा	4,270	2,630	61.59	4,600	2,562	55.70	325	9	2.77
उत्तर प्रदेश	92,011	54,601	59.34	1,45,129	29,998	20.67	2,845	853	29.98
उत्तराखण्ड	4,900	3,348	68.33	8,230	2,921	35.49	525	83	15.81
पश्चिमी बंगाल	33,600	29,605	88.11	43,500	36,787	84.57	0	0	उ.न.
अ. एवं नि. द्वीपसमूह	463	193	41.68	0	0	उ.न.	90	0	0.00
चण्डीगढ़	161	168	104.35	197	71	36.04	18	1	5.56
दमन एवं दीव	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.
दा. एवं न. हवेली	168	0	0.00	217	0	0.00	22	0	0.00
दिल्ली	2,836	2,075	73.17	2,991	1,517	50.72	59	0	0.00
लक्षद्वीप	13	0	0.00	63	0	0.00	0	0	उ.न.
पुदुचेरी	120	0	0.00	150	0	0.00	0	0	उ.न.
कुल	5,65,986	3,83,711	67.80	6,82,748	3,46,795	50.79	20,308	8,493	41.82



राज्य/सं. शा. क्षे.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण								
	आ. का.			आं. स.			पर्यवेक्षक		
	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	1,84,234	1,64,966	89.54	1,77,151	1,35,913	76.72	9,544	6,461	67.70
अरुणाचल प्रदेश	3,045	720	23.65	3,850	1,620	42.08	125	50	40.00
असम	31,460	12,995	41.31	19,800	0	0.00	400	0	0.00
बिहार	58,483	50,125	85.71	76,243	58,416	76.62	25	10	40.00
छत्तीसगढ़	14,480	11,593	80.06	32,500	17,337	53.34	1,700	1,228	72.24
गोवा	1,160	100	8.62	1,520	288	18.95	25	0	0.00
गुजरात	24,788	31,878	128.60	15,450	18,907	122.38	1,588	730	45.97
हरियाणा	19,440	23,005	118.34	20,470	23,112	112.91	2,225	1,237	55.60
हिमाचल प्रदेश	8,388	6,719	80.10	5,688	5,688	100.00	316	97	30.70
जम्मू एवं कश्मीर	12,600	4,212	33.43	12,213	5,283	43.26	900	139	15.44
झारखण्ड	9,600	8,121	84.59	8,800	2,953	33.56	0	0	उ.न.
कर्नाटक	20,060	23,516	117.23	11,473	19,100	166.48	3,250	2,163	66.55
केरल	21,920	22,884	104.40	19,625	22,391	114.09	3,631	1,526	42.03
मध्य प्रदेश	55,200	50,162	90.87	44,158	47,211	106.91	1,652	1,080	65.38
महाराष्ट्र	59,480	35,649	59.93	50,000	44,089	88.18	2,750	2,123	77.20
मणिपुर	4,600	2,246	48.83	400	300	75.00	351	10	2.85
मेघालय	1,480	940	63.51	1,450	732	50.48	325	279	85.85
मिजोरम	680	400	58.82	200	0	0.00	450	0	0.00
नागालैण्ड	4,220	3,760	89.10	3,500	2,650	75.71	185	4	2.16
ओडिशा	52,680	35,902	68.15	14,004	12,125	86.58	6,075	620	10.21
पंजाब	7,720	9,475	122.73	8,850	14,589	164.85	759	661	87.09
राजस्थान	49,824	18,057	36.24	8,075	0	0.00	3,272	1,846	56.42
सिक्किम	1,285	1,385	107.78	1,385	1,376	99.35	111	36	32.43
तमिलनाडु	69,293	65,207	94.10	86,521	83,972	97.05	1,175	1,064	90.55
त्रिपुरा	9,965	7,991	80.19	4,200	980	23.33	380	30	7.89
उत्तर प्रदेश	54,520	43,542	79.86	88,566	8,768	9.90	3,132	2,942	93.93
उत्तराखण्ड	5,600	6,615	118.13	9,082	7,674	84.50	475	0	0.00
पश्चिमी बंगाल	33,600	19,226	57.22	3,750	624	16.64	3,150	1,722	54.67
अ. एवं नि. द्वीपसमूह	666	95	14.26	830	156	18.80	21	0	0.00
चण्डीगढ़	560	520	92.86	500	400	80.00	24	14	58.33
दमन एवं दीव	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.
दा. एवं न. हवेली	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.
दिल्ली	2,600	1,629	62.65	2,800	1,463	52.25	130	17	13.08
लक्षद्वीप	67	0	0.00	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.
पुदुचेरी	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.
कुल	8,23,698	6,63,635	80.57	7,33,054	5,38,117	73.41	48,146	26,089	54.19

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



## अनुबंध 5.7

(पैराग्राफ 5.3.4 के संदर्भ में)

प्रशिक्षण के अंतर्गत रा.सा.स.बा.वि.सं. का लक्ष्य (ल) और उपलब्धि (उ)

प्रशिक्षण का प्रकार	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		कुल	
	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ
बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. हेतु का कार्य प्रशिक्षण	425	271	250	260	325	323	225	331	200	192	1425	1377
बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण	250	274	375	392	575	523	500	412	375	337	2075	1938
म.स्त.प्र.के./आं.प्र.के. के प्रशिक्षकों का अभिविन्यास/पुनश्चर्या प्रशिक्षण	100	26	120	87	60	15	40	109	60	61	380	298
पर्यवेक्षकों के लिए कार्य/पुनश्चर्या प्रशिक्षण	0	0	0	0	0	0	75	0	100	86	175	86
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	610	525	1035	952	715	1023	1335	2330	2505	1742	6200	6572

प्रशिक्षण के अधीन खाद्य एवं पोषण बोर्ड (खा.पो.बो.) का (ल) और उपलब्धि (उ)

प्रशिक्षण का प्रकार	संख्या	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		कुल	
		ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ
बा.वि.प.अ., स.बा.वि.प.अ., वरिष्ठ पर्यवेक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जो मूल स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत हैं उन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (प्र.का.प्र.)	पाठ्यक्रम	172	151	172	166	172	160	88	83	43	41	647	601
	प्रतिभागी	3,440	2,265	3,440	3,269	3,440	3,200	1,760	1,521	860	805	12,940	11,060
आं.का., आ.स. और स.सा.स्वा.का. जैसे मूल-स्तर कार्यकर्ताओं के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	516	492	516	496	516	490	552	545	600	530	2,700	2,553
	प्रतिभागी	15,480	13,991	15,480	14,056	15,480	14,700	16,560	16,082	18,000	15,917	81,000	74,746
आं.का., आं.स. के लिए पोषण शिक्षा कार्यक्रम	पाठ्यक्रम	4,620	4,888	4,620	4,652	4,620	4,520	3,672	3,702	4,000	4,071	21,532	21,833
	प्रतिभागी	उ.न.	उ.न.	1,38,600	1,38,600	1,38,600	1,35,600	1,10,160	1,28,794	1,20,000	1,42,132	5,07,360	5,45,126

[स्रोत: मंत्रालय/रा.सा.स.बा.वि.सं. के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 5.8  
(पैराग्राफ 5.3.5 के संदर्भ में)

आवश्यकताओं की तुलना में पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लक्ष्य

वर्ष	स.बा.वि.से. कार्यकता	वास्तविक बल	पुनश्चर्या प्रशिक्षण की आवश्यकता	पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लक्ष्य	वास्तव में प्रदान प्रशिक्षण	आवश्यकताओं के प्रति लक्ष्य की प्रतिशतता	आवश्यकताओं के प्रति वास्तविक प्रशिक्षण की प्रतिशतता
2006-07	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	5395	2698	250	274	9.27	10.16
	पर्यवेक्षक	26,052	13,026	8,373	4,370	64.28	33.55
	आं.का.	8,14,817	4,07,409	1,94,242	1,29,630	47.68	31.82
	आं.स.	8,05,753	4,02,877	1,89,129	83,380	46.94	20.70
2007-08	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	5379	2690	375	392	13.94	14.58
	पर्यवेक्षक	28,065	14,033	8,352	4,811	59.52	34.28
	आं.का.	9,65,617	4,82,809	1,47,719	1,23,102	30.60	25.50
	आं.स.	9,57,416	4,78,708	98,933	64,580	20.67	13.49
2008-09	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	5419	2710	575	523	21.22	19.30
	पर्यवेक्षक	29,309	14,655	8,864	6,602	60.49	45.05
	आं.का.	9,98,216	4,99,108	1,79,280	1,29,811	35.92	26.01
	आं.स.	9,84,792	4,92,396	1,30,903	1,29,553	26.58	26.31
2009-10	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	5568	2784	500	412	17.96	14.80
	पर्यवेक्षक	31,703	15,852	14,760	5,949	93.11	37.53
	आं.का.	10,80,586	5,40,293	1,69,238	1,49,958	31.32	27.75
	आं.स.	10,52,907	5,26,454	1,63,102	1,05,798	30.98	20.10
2010-11	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	5856	2928	375	337	12.81	11.51
	पर्यवेक्षक	32,391	16,196	7,797	4,357	48.14	26.90
	आं.का.	11,74,388	5,87,194	1,33,219	1,31,134	22.69	22.33
	आं.स.	11,04,098	5,52,049	1,50,987	1,54,806	27.35	28.04
कुल	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.	उ.न.	13810	2075	1938	15.03	14.03
	पर्यवेक्षक		73,760	48,146	26,089	65.27	35.37
	आं.का.		25,16,812	8,23,698	6,63,635	32.73	26.37
	आं.स.		24,52,483	7,33,054	5,38,117	29.89	21.94

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 5.9  
(पैराग्राफ 5.3.7 के संदर्भ में)

25 राज्यों /सं.शा.क्षे. द्वारा ओडिशा के अंतर्गत अव्ययित शेष की वापसी न होना

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	राज्यों /सं.शा.क्षे. के पास उपलब्ध अव्ययित शेष (₹ लाख में)
आन्ध्र प्रदेश	3.37
अरुणाचल प्रदेश	3.73
असम	350.00
बिहार	177.00
गोवा	1.51
जम्मू एवं कश्मीर	264.01
झारखण्ड	25.59
कर्नाटक	3.47
महाराष्ट्र	9.08
मणिपुर	10.62
मेघालय	14.23
ओडिशा	40.64
पंजाब	10.12
सिक्किम	0.03
तमिलनाडु	133.01
उत्तर प्रदेश	209.42
पश्चिम बंगाल	170.28
अ. एवं नि. द्वीपसमूह	9.44
छत्तीसगढ़	109.97
गुजरात	52.07
हरियाणा	1.50
हिमाचल प्रदेश	23.84
उत्तराखण्ड	9.32
राजस्थान	266.82
दिल्ली	13.03
कुल	1,912.10

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध 6.1  
(पैराग्राफ 6.2 के संदर्भ में)

राज्यों द्वारा अनुपूरक आहार पर व्यय

(₹ करोड़ में)

राज्य/सं. शा. क्षेत्र.	2006-07			2007-08			2008-09		
	अ.आ. के लिए अपेक्षित निधि	वर्ष के दौरान व्यय	प्रतिशतता कमी	अ.आ. के लिए अपेक्षित निधि	वर्ष के दौरान व्यय	प्रतिशतता कमी	अ.आ. के लिए अपेक्षित निधि	वर्ष के दौरान व्यय	प्रतिशतता कमी
आन्ध्र प्रदेश	227.40	208.30	8.39	292.66	313.28	(-) 7.04	405.05	350.91	13.36
अरुणाचल प्रदेश	10.64	6.80	36.09	13.07	13.08	(-) 0.05	26.51	8.80	66.79
असम	165.36	48.00	70.97	184.68	90.99	50.73	481.10	95.40	80.17
बिहार	369.18	246.82	33.14	433.54	303.96	29.88	625.41	530.27	15.21
छत्तीसगढ़	122.22	72.48	40.69	141.43	171.88	(-) 21.53	288.28	183.62	36.30
दिल्ली	29.93	16.92	43.45	50.18	29.88	40.45	52.24	44.90	14.05
गोवा	3.04	3.04	0.01	3.33	4.14	24.42	6.69	3.15	53.00
गुजरात	114.52	77.82	32.04	137.86	121.73	11.70	220.56	130.84	40.68
हरियाणा	82.18	72.74	11.49	83.22	136.03	(-) 63.46	101.43	115.13	(-) 13.51
हिमाचल प्रदेश	26.38	19.47	26.18	29.33	25.86	11.83	40.60	45.43	(-) 11.89
जम्मू एवं कश्मीर	22.81	28.12	(-) 23.30	27.02	23.07	14.62	74.35	43.27	41.80
झारखण्ड	119.16	143.40	(-) 20.34	129.56	166.45	(-) 28.47	215.90	188.97	12.47
कर्नाटक	207.44	191.17	7.84	228.55	215.37	5.76	308.25	246.45	20.04
केरल	61.76	77.17	(-) 25.00	73.89	107.55	(-) 46.00	103.66	118.48	(-) 14.29
महाराष्ट्र	335.91	287.14	14.51	397.20	361.30	9.03	499.89	388.87	22.20
मणिपुर	18.30	17.79	2.80	23.56	22.95	2.59	47.20	23.72	49.74
मेघालय	17.58	20.93	(-) 19.04	22.77	25.48	(-) 11.92	34.04	31.52	7.39
मिजोरम	9.84	13.65	(-) 38.78	10.41	12.41	(-) 19.18	13.65	14.95	(-) 9.51
मध्य प्रदेश	251.51	171.60	31.77	324.77	303.29	6.61	458.67	271.56	40.79
नागालैण्ड	23.38	17.99	23.07	22.89	21.92	4.25	29.39	25.03	14.81
ओडिशा	192.14	79.78	58.47	307.31	190.12	38.13	381.48	204.49	46.39
पंजाब	68.25	40.17	41.14	74.94	43.11	42.47	105.24	45.60	56.66
राजस्थान	195.34	157.19	19.52	209.05	202.10	3.32	298.32	236.94	20.57
सिक्किम	2.15	5.22	(-) 143.04	3.17	3.47	(-) 9.41	6.34	5.40	14.90
तमिलनाडु	65.99	62.35	5.52	88.42	142.54	(-) 61.20	127.87	137.52	(-) 7.54
त्रिपुरा	18.71	17.12	8.50	18.02	14.87	17.44	26.08	19.06	26.91
उत्तर प्रदेश	989.43	794.21	19.73	1190.68	1097.50	7.82	1970.41	1139.74	42.15
उत्तराखण्ड	33.51	25.10	25.09	48.03	46.28	3.66	52.39	10.63	79.70
पश्चिम बंगाल	281.76	168.30	40.26	331.28	257.15	22.37	437.72	302.08	30.98
कुल	4065.81	3090.76	23.98	4900.83	4467.76	8.83	7438.69	4962.71	33.29



(₹ करोड़ में)

राज्य/सं. शा. क्षे.	2009-10			2010-11		
	अ.आ.* के लिए अपेक्षित निधि	वर्ष के दौरान व्यय	प्रतिशत कमी	अ.आ.* के लिए अपेक्षित निधि	वर्ष के दौरान व्यय	प्रतिशत कमी
आन्ध्र प्रदेश	631.93	523.17	17.21	654.90	699.79	(-) 6.85
अरुणाचल प्रदेश	29.25	9.56	67.30	32.35	38.48	(-) 18.90
असम	437.42	299.21	31.59	724.52	191.35	73.58
बिहार	1020.28	922.64	9.57	1020.28	570.53	44.08
छत्तीसगढ़	291.17	213.25	26.76	310.75	259.38	16.52
दिल्ली	91.19	68.79	24.56	81.07	89.60	(-) 10.52
गोवा	7.50	7.50	0	7.79	7.79	0
गुजरात	387.69	246.91	36.31	451.44	420.47	6.86
हरियाणा	155.78	145.71	6.46	148.24	110.07	25.75
हिमाचल प्रदेश	66.02	59.39	10.03	63.05	49.78	21.04
जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
झारखण्ड	404.64	532.09	(-) 31.49	434.71	359.97	17.19
कर्नाटक	508.80	566.42	(-) 11.32	543.07	545.87	(-) 0.50
केरल	164.86	158.26	4.00	153.49	147.35	4.00
महाराष्ट्र	809.64	486.61	39.89	1462.28	735.09	49.72
मणिपुर	50.11	24.22	51.65	53.41	52.50	1.70
मेघालय	57.43	59.72	(-) 3.99	56.79	64.08	(-) 12.84
मिजोरम	22.67	24.97	(-) 10.14	24.35	20.26	16.78
मध्य प्रदेश	888.41	519.91	41.47	1188.35	897.36	24.48
नागालैण्ड	45.71	33.05	27.70	48.50	52.82	(-) 8.90
ओडिशा	611.76	327.53	46.46	614.59	477.83	22.25
पंजाब	176.22	88.26	49.91	184.23	70.91	61.51
राजस्थान	477.29	304.65	36.17	527.43	451.39	14.41
सिक्किम	5.82	6.23	(-) 6.93	5.87	8.38	(-) 42.75
तमिलनाडु	258.87	265.58	(-) 2.59	288.85	381.09	(-) 31.93
त्रिपुरा	40.48	36.18	10.63	44.72	40.89	8.56
उत्तर प्रदेश	2961.59	1788.10	39.62	3134.79	2719.60	13.24
उत्तराखण्ड	95.58	14.88	84.42	43.41	29.61	31.79
पश्चिम बंगाल	824.50	551.01	33.17	972.60	670.98	31.01
कुल	11522.60	8283.77	28.10	13275.81	10163.27	23.45

\* वास्तविक तिमाही लाभार्थियों और वास्तविक वित्तीय मानदण्डों के आधार पर परिकल्पित। नकारात्मक कमी मानदण्ड से अधिक व्यय दर्शाती है।

[स्रोत: मंत्रालय के पास उपलब्ध राज्य-वार व्यय विवरणी से निकाला गया]

अनुबंध 6.2  
(पैराग्राफ 6.2 के संदर्भ में)

₹ में राज्य-वार प्रति लाभार्थी प्रतिदिन व्यय

राज्य/सं. शा. क्षे.	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आन्ध्र प्रदेश	1.42	2.06	2.24	3.43	4.27
अरुणाचल प्रदेश	1.31	2.07	1.32	1.3	5.03
असम	3.00	1.26	1.8	4.27	उ.न.
बिहार	1.42	1.3	2.29	3.99	2.46
छत्तीसगढ़	1.11	2.64	2.65	2.99	3.46
दिल्ली	1.09	1.36	2.26	3.06	4.73
गोवा	1.89	2.41	1.87	3.90	3.93
गुजरात	1.43	1.85	1.5	2.72	3.61
हिमाचल प्रदेश	1.51	1.64	2.86	3.76	3.89
हरियाणा	1.72	3.38	2.95	3.97	3.07
जम्मू एवं कश्मीर	2.08	1.7	2.33	उ.न.	उ.न.
झारखण्ड	2.53	2.6	2.27	5.52	3.5
कर्नाटक	1.73	1.85	2.04	4.44	4.4
केरल	2.57	2.71	3.03	3.93	4.07
महाराष्ट्र	1.23	1.83	1.98	2.4	1.97
मणिपुर	2.08	2.31	2.28	1.9	उ.न.
मेघालय	2.42	2.15	2.35	4.17	4.38
मिजोरम	2.81	2.44	2.83	4.6	3.7
मध्य प्रदेश	1.38	1.92	1.41	2.32	3.58
नागालैण्ड	1.69	2.13	2.21	2.8	4.31
ओडिशा	0.93	1.41	1.7	2.41	3.48
पंजाब	1.19	1.06	1.1	2	1.6
राजस्थान	1.77	2.23	2.25	3.45	3.5
सिक्किम	4.18	2.18	3.4	5.02	5.89
तमिलनाडु	1.77	3.1	2.65	3.65	5.15
त्रिपुरा	2.09	1.63	1.93	3.77	3.57
उत्तर प्रदेश	1.55	1.74	1.74	2.34	3.63
उत्तराखण्ड	1.46	1.98	0.52	0.42	1.58
पश्चिम बंगाल	1.38	1.77	2.2	2.97	3.18
कुल	1.52	1.84	2.01	3.08	3.64

[स्रोत: मंत्रालय के पास उपलब्ध राज्य-वार व्यय विवरणी से निकाला गया डाटा]



अनुबन्ध 6.3  
(पैराग्राफ 6.3.1 के संदर्भ में)

राज्यों द्वारा विकास मॉनीटरिंग के विवरण

(आँकड़े लाख में)

राज्य/सं.शा.क्षे.	2006-07			2007-08			2008-09		
	बच्चों की कुल जनसंख्या	वजन किए गए कुल बच्चे	कमी (प्रतिशत में)	बच्चों की कुल जनसंख्या	वजन किए गए कुल बच्चे	कमी (प्रतिशत में)	बच्चों की कुल जनसंख्या	वजन किए गए कुल बच्चे	कमी (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	55.42	47.71	7.71(14)	59.73	50.19	9.53(16)	58.52	51.88	6.64(11)
अरुणाचल प्रदेश	1.69	0.47	1.22(72)	1.9	0.46	1.44(76)	1.95	0.66	1.29(66)
असम	35.11	9.48	25.63(73)	44.81	13.68	31.13(69)	41.38	16.96	24.42(59)
बिहार	96.42	उ.न.	उ.न.	96.42	उ.न.	उ.न.	96.42	उ.न.	उ.न.
छत्तीसगढ़	25.45	16.55	8.9(35)	27.69	18.04	9.65(35)	29.27	18.91	10.36(35)
गोवा	1.1	0.48	0.62(57)	1.16	0.49	0.67(58)	1.16	0.52	0.64(55)
गुजरात	30.01	35.48	(-) 5.47	42.14	30.4	11.74(28)	43.52	34.21	9.31(21)
हरियाणा	20.84	19.03	1.81(9)	21.67	19.39	2.28(11)	21.79	20.64	1.15(5)
हिमाचल प्रदेश	5.88	3.42	2.46(42)	6.33	4.24	2.09(33)	6.49	4.45	2.04(31)
जम्मू एवं कश्मीर	11.44	1.6	9.84(86)	11.44	1.61	9.83(86)	11.76	1.98	9.79(83)
झारखण्ड	36.05	6.52	29.54(82)	40.87	9.98	30.89(76)	42.48	21.1	21.38(50)
कर्नाटक	49.66	28.07	21.59(43)	50.5	29.88	20.62(41)	49.46	31.95	17.51(36)
केरल	27.07	16.8	10.27(38)	27.84	17.89	9.95(36)	29.36	18.5	10.86(37)
मध्य प्रदेश	74.72	50.67	24.05(32)	89.25	60.93	28.32(32)	88.73	66.57	22.17(25)
महाराष्ट्र	83.63	73.43	10.2(12)	82.77	75.87	6.9(8)	83.42	77	6.42(8)
मणिपुर	3.6	1.8	1.81(50)	3.86	1.91	1.95(51)	3.85	1.91	1.94(50)
मेघालय	3.53	1.58	1.95(55)	3.43	1.39	2.04(60)	3.62	1.83	1.79(49)
मिजोरम	1.55	1.05	0.5(32)	1.12	1.29	(-) 0.17	1.3	1.07	0.23(17)
नागालैंड	3.49	0.97	2.52(72)	3.27	1.78	1.49(46)	3.21	1.82	1.39(43)
ओडिशा	44.94	40.49	4.46(10)	45.72	42.08	3.64(8)	46.04	43.01	3.02(7)
पंजाब	18.62	17.96	0.65(4)	21.05	19.53	1.52(7)	21.15	20.16	0.99(5)
राजस्थान	78.54	26.05	52.49(67)	86.33	31.95	54.39(63)	94.42	38.33	56.09(59)
सिक्किम	0.57	0.31	0.27(46)	0.59	0.36	0.23(40)	0.56	0.35	0.21(38)
तमिलनाडु	47.52	39.56	7.95(16)	42.12	40.56	1.56(4)	41.92	40.74	1.18(3)
त्रिपुरा	3.27	1.43	1.84(56)	4.28	2	2.27(53)	4.96	2.23	2.74(55)
उत्तर प्रदेश	228.36	78.11	150.25(66)	249.65	88.66	160.99(64)	253.5	86.41	167.09(66)
उत्तराखण्ड	8.49	3.18	5.31(63)	8.69	3.53	5.17(59)	8.79	4.23	4.55(52)
पश्चिम बंगाल	70.24	42.92	27.31(39)	83.2	48.71	34.49(41)	81.22	52	29.22(36)
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.43	0.24	0.19(45)	0.26	0.22	0.05(17)	0.27	0.25	0.02(9)
चंडीगढ़	0.83	0.36	0.48(57)	0.73	0.66	0.07(10)	0.76	0.76	0
दिल्ली	6.68	2.61	4.08(61)	8.97	2.48	6.49(73)	9.07	2.56	6.51(72)
दादरा एवं नागर हवेली	0.14	0.1	0.04(26)	0.19	0.15	0.04(20)	0.19	0.16	0.03(17)
दमन एवं दीव	0.08	0.03	0.05(65)	0.13	0.08	0.04(34)	0.1	0.08	0.03(26)
लक्षद्वीप	0.08	0.06	0.02(23)	0.06	0.06	0.01(11)	0.07	0.07	0
पुदुचेरी	0.71	0.31	0.41(57)	0.67	0.3	0.37(55)	0.66	0.28	0.37(57)
कुल	1076.18	568.82	507.37(47)	1168.84	620.73	548.11(47)	1181.38	663.58	517.79(44)



(आँकड़े लाख में)

राज्य/सं.शा.क्षे.	2009-10			2010-11		
	बच्चों की कुल जनसंख्या	वजन किए गए कुल बच्चे	कमी (प्रतिशत में)	बच्चों की कुल जनसंख्या	वजन किए गए कुल बच्चे	कमी (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	57.57	52.75	4.82(8)	57.94	50.21	7.73(13)
अरुणाचल प्रदेश	2.16	0.65	1.51(70)	2.23	0.63	1.6(72)
असम	47.59	18.25	29.33(62)	50.33	19.09	31.25(62)
बिहार	96.42	46.22	50.2(52)	96.42	64.15	32.27(33)
छत्तीसगढ़	30.41	19.53	10.88(36)	28.7	20.13	8.57(30)
गोवा	1.22	0.55	0.67(55)	1.21	0.56	0.65(54)
गुजरात	41.09	35.91	5.18(13)	43.35	38.71	4.64(11)
हरियाणा	21.85	20.6	1.25(6)	21.67	20.49	1.18(5)
हिमाचल प्रदेश	6.19	4.32	1.87(30)	6.38	4.48	1.9(30)
जम्मू एवं कश्मीर	11.76	1.98	9.79(83)	11.76	1.98	9.79(83)
झारखण्ड	45.13	25.56	19.58(43)	45.67	27.19	18.49(40)
कर्नाटक	50.14	31.49	18.65(37)	51.94	33.3	18.64(36)
केरल	27.97	18.81	9.17(33)	28.12	18.61	9.51(34)
मध्य प्रदेश	89.1	139.19	(-) 50.09	91.51	73.97	17.55(19)
महाराष्ट्र	83.48	76.55	6.93(8)	82.89	61.3	21.59(26)
मणिपुर	3.85	1.91	1.94(50)	3.85	1.91	1.94(50)
मेघालय	3.83	1.88	1.95(51)	3.94	1.74	2.2(56)
मिजोरम	1.35	1.29	0.06(4)	1.39	1.26	0.13(9)
नागालैंड	3.23	1.91	1.32(41)	3.23	1.91	1.32(41)
ओडिशा	47.17	43.67	3.5(7)	46.28	42.42	3.85(8)
पंजाब	23.22	20.94	2.27(10)	22.93	21.24	1.68(7)
राजस्थान	95.24	40.23	55.01(58)	88.41	39.19	49.22(57)
सिक्किम	0.33	0.34	0	0.58	0.4	0.19(32)
तमिलनाडु	42.99	41.77	1.22(3)	43.23	41.98	1.24(3)
त्रिपुरा	3.61	2.41	1.2(33)	3.95	1.97	1.97(50)
उत्तर प्रदेश	259.07	90.12	168.95(65)	264.45	131.21	133.24(50)
उत्तराखण्ड	9.3	3.6	5.71(61)	10.04	4.5	5.55(55)
पश्चिम बंगाल	80.2	52.1	28.1(35)	80.67	53.07	27.6(34)
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.27	0.2	0.08(28)	0.26	0.18	0.08(31)
चंडीगढ़	0.85	0.77	0.08(9)	0.84	0.84	0
दिल्ली	9.77	2.7	7.06(72)	9.56	3.1	6.46(68)
दादरा एवं ना. हवेली	0.18	0.15	0.03(18)	0.17	0.14	0.03(15)
दमन एवं दीव	0.1	0.08	0.03(26)	0.1	0.06	0.05(45)
लक्षद्वीप	0.07	0.07	0	0.01	0.01	0.01(42)
पुदुचेरी	0.66	0.29	0.37(56)	0.69	0.33	0.37(53)

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 6.4  
(पैराग्राफ 6.3.2 के संदर्भ में)  
राज्यवार बच्चों की पोषण स्थिति

(आंकड़े लाख में)

राज्य/सं. शा.क्षे.	2006-07						
	वजन किए गए कुल बच्चों	सामान्य		ग्रेड I व II (मामूली रूप से कुपोषित)		ग्रेड III व IV (गंभीर रूप से कुपोषित)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	47.71	22.31	46.77	25.34	53.10	0.06	0.13
अरुणाचल प्रदेश	0.47	0.43	90.87	0.04	9.12	0.00	0.01
असम	9.48	5.68	59.88	3.67	38.72	0.13	1.40
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.!	उ.न.	उ.न.!	उ.न.	उ.न.!
छत्तीसगढ़	16.55	7.59	45.86	8.76	52.96	0.20	1.18
गोवा	0.48	0.28	58.59	0.20	41.26	0.00	0.15
गुजरात	35.48	10.40	29.31	24.78	69.83	0.30	0.85
हरियाणा	19.03	10.40	54.66	8.61	45.23	0.02	0.11
हिमाचल प्रदेश	3.42	2.09	61.14	1.33	38.71	0.01	0.15
जम्मू एवं कश्मीर	1.60	1.08	67.39	0.51	31.83	0.01	0.78
झारखण्ड	6.52	3.43	52.64	2.97	45.62	0.11	1.74
कर्नाटक	28.07	13.08	46.61	14.90	53.08	0.09	0.31
केरल	16.80	10.28	61.20	6.51	38.73	0.01	0.07
मध्य प्रदेश	50.67	25.53	50.39	24.76	48.86	0.38	0.75
महाराष्ट्र	73.43	40.04	54.53	33.23	45.26	0.16	0.21
मणिपुर	1.80	1.61	89.94	0.18	9.86	0.00	0.19
मेघालय	1.58	1.00	63.26	0.58	36.61	0.00	0.14
मिजोरम	1.05	0.81	77.33	0.23	22.19	0.01	0.48
नागालैंड	0.97	0.84	86.21	0.13	13.48	0.00	0.31
ओडिशा	40.49	17.60	43.46	22.56	55.72	0.33	0.82
पंजाब	17.96	11.61	64.64	6.29	34.99	0.07	0.37
राजस्थान	26.05	11.96	45.91	14.02	53.82	0.07	0.27
सिक्किम	0.31	0.22	72.83	0.08	27.09	0.00	0.08
तमिलनाडु	39.56	24.09	60.90	15.45	39.06	0.02	0.04
त्रिपुरा	1.43	1.22	85.17	0.21	14.64	0.00	0.19
उत्तर प्रदेश	78.11	36.43	46.64	40.83	52.27	0.86	1.09
उत्तराखण्ड	3.18	1.73	54.29	1.45	45.48	0.01	0.23
पश्चिम बंगाल	42.92	20.28	47.25	22.35	52.07	0.29	0.68
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.24	0.17	72.94	0.06	26.43	0.00	0.63
चंडीगढ़	0.36	0.23	64.76	0.13	35.24	0.00	0.00
दिल्ली	2.61	1.19	45.64	1.41	54.28	0.00	0.07
दादरा एवं नागर हवेली	0.10	0.02	19.08	0.08	79.79	0.00	1.14
दमन एवं दीव	0.03	0.02	60.20	0.01	39.80	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.06	0.03	52.12	0.03	47.19	0.00	0.69
पुदुचेरी	0.31	0.17	54.65	0.14	45.34	0.00	0.00
कुल	568.82	283.86	49.90	281.82	49.54	3.14	0.55



(आँकड़े लाख में)

राज्य/सं. शा. क्षे.	2007-08						
	वजन किए गए कुल बच्चे	सामान्य		ग्रेड I व II (मामूली रूप से कुपोषित)		ग्रेड III व IV (गंभीर रूप से कुपोषित)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	50.19	24.15	48.11	25.59	50.97	0.46	0.91
अरुणाचल प्रदेश	0.46	0.42	91.92	0.04	8.08	0.00	0.00
असम	13.68	8.34	60.97	5.17	37.77	0.17	1.26
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.!	उ.न.	उ.न.!	उ.न.	उ.न.!
छत्तीसगढ़	18.04	8.30	46.01	9.61	53.24	0.13	0.74
गोवा	0.49	0.29	58.43	0.20	41.45	0.00	0.12
गुजरात	30.40	11.73	38.58	18.46	60.74	0.21	0.68
हरियाणा	19.39	10.72	55.31	8.65	44.63	0.01	0.06
हिमाचल प्रदेश	4.24	2.63	61.88	1.61	38.01	0.00	0.12
जम्मू एवं कश्मीर	1.61	1.08	67.17	0.52	32.05	0.01	0.78
झारखण्ड	9.98	5.04	50.54	4.74	47.51	0.19	1.95
कर्नाटक	29.88	14.17	47.43	15.63	52.31	0.08	0.27
केरल	17.89	10.89	60.88	6.99	39.06	0.01	0.07
मध्य प्रदेश	60.93	32.34	53.07	28.23	46.32	0.37	0.61
महाराष्ट्र	75.87	43.32	57.10	32.42	42.73	0.13	0.17
मणिपुर	1.91	1.64	86.17	0.26	13.59	0.00	0.24
मेघालय	1.39	0.88	63.40	0.51	36.50	0.00	0.10
मिजोरम	1.29	0.99	76.64	0.30	23.05	0.00	0.30
नागालैंड	1.78	1.58	88.88	0.15	8.51	0.05	2.62
ओडिशा	42.08	19.12	45.45	22.64	53.80	0.32	0.75
पंजाब	19.53	12.52	64.07	6.97	35.67	0.05	0.25
राजस्थान	31.95	14.48	45.31	17.41	54.49	0.06	0.20
सिक्किम	0.36	0.28	77.96	0.08	21.83	0.00	0.21
तमिलनाडु	40.56	24.81	61.17	15.74	38.80	0.01	0.03
त्रिपुरा	2.00	1.37	68.34	0.63	31.32	0.01	0.33
उत्तर प्रदेश	88.66	41.32	46.60	46.66	52.63	0.68	0.77
उत्तराखण्ड	3.53	1.91	54.12	1.61	45.60	0.01	0.28
पश्चिम बंगाल	48.71	24.12	49.53	24.34	49.97	0.24	0.50
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.22	0.15	69.75	0.06	29.68	0.00	0.57
चंडीगढ़	0.66	0.43	64.49	0.23	35.42	0.00	0.09
दिल्ली	2.48	1.27	51.24	1.21	48.67	0.00	0.09
दादरा एवं नागर हवेली	0.15	0.04	25.30	0.11	73.47	0.00	1.23
दमन एवं दीव	0.08	0.04	50.22	0.04	49.78	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.06	0.03	52.57	0.03	46.83	0.00	0.59
पुदुचेरी	0.30	0.17	56.45	0.13	43.55	0.00	0.00
कुल	620.73	320.56	51.64	296.94	47.84	3.23	0.52



(आँकड़े लाख में)

राज्य/सं.शा.क्षे.	2008-09						
	वजन किए गए कुल बच्चे	सामान्य		ग्रेड I व II (मामूली रूप से कुपोषित)		ग्रेड III व IV (गंभीर रूप से कुपोषित)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	51.88	25.97	50.06	25.87	49.85	0.04	0.08
अरुणाचल प्रदेश	0.66	0.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	16.96	11.08	65.31	5.78	34.10	0.10	0.58
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.!	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.!
छत्तीसगढ़	18.91	8.71	46.07	10.07	53.25	0.13	0.68
गोवा	0.52	0.32	62.17	0.20	37.77	0.00	0.06
गुजरात	34.21	14.15	41.38	19.83	57.97	0.22	0.66
हरियाणा	20.64	11.53	55.87	9.10	44.08	0.01	0.05
हिमाचल प्रदेश	4.45	2.81	63.07	1.64	36.83	0.00	0.10
जम्मू एवं कश्मीर	1.98	1.36	68.88	0.61	31.06	0.00	0.06
झारखण्ड	21.10	11.98	56.80	8.91	42.23	0.20	0.97
कर्नाटक	31.95	15.35	48.03	16.51	51.66	0.10	0.31
केरल	18.50	11.51	62.19	6.99	37.75	0.01	0.06
मध्य प्रदेश	66.57	36.86	55.37	29.41	44.19	0.30	0.44
महाराष्ट्र	77.00	46.75	60.72	30.15	39.15	0.10	0.13
मणिपुर	1.91	1.64	86.17	0.26	13.59	0.00	0.24
मेघालय	1.83	1.15	62.58	0.68	37.29	0.00	0.13
मिजोरम	1.07	0.79	73.86	0.28	25.94	0.00	0.20
नागालैंड	1.82	1.71	93.79	0.11	6.16	0.00	0.05
ओडिशा	43.01	19.95	46.38	22.71	52.81	0.35	0.81
पंजाब	20.16	13.05	64.75	7.06	34.99	0.05	0.26
राजस्थान	38.33	18.27	47.67	19.75	51.52	0.31	0.81
सिक्किम	0.35	0.28	78.53	0.07	21.40	0.00	0.07
तमिलनाडु	40.74	25.42	62.38	15.32	37.59	0.01	0.03
त्रिपुरा	2.23	1.46	65.41	0.77	34.39	0.00	0.20
उत्तर प्रदेश	86.41	41.01	47.46	44.37	51.35	1.03	1.19
उत्तराखण्ड	4.23	2.11	49.94	2.11	49.81	0.01	0.25
पश्चिम बंगाल	52.00	26.51	50.97	25.22	48.50	0.27	0.53
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.25	0.18	73.60	0.06	25.92	0.00	0.49
चंडीगढ़	0.76	0.48	63.35	0.28	36.47	0.00	0.18
दिल्ली	2.56	1.21	47.39	1.35	52.58	0.00	0.04
दादरा एवं नागर हवेली	0.16	0.04	27.08	0.11	72.52	0.00	0.40
दमन एवं दीव	0.08	0.04	47.23	0.04	52.72	0.00	0.05
लक्षद्वीप	0.07	0.04	61.13	0.03	38.64	0.00	0.23
पुदुचेरी	0.28	0.17	60.28	0.11	39.71	0.00	0.01
कुल	663.58	354.56	53.43	305.75	46.08	3.28	0.49



राज्य/सं. शा.क्षे.	2009-10						
	वजन किए गए कुल बच्चे	सामान्य		ग्रेड I व II (मामूली रूप से कुपोषित)		ग्रेड III व IV (गंभीर रूप से कुपोषित)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	52.75	26.68	50.58	26.03	49.34	0.04	0.08
अरुणाचल प्रदेश	0.65	0.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	18.25	11.79	64.61	6.35	34.81	0.11	0.58
बिहार	46.22	11.47	24.83	18.10	39.16	16.64	36.01
छत्तीसगढ़	19.53	9.20	47.08	10.20	52.23	0.13	0.68
गोवा	0.55	0.34	62.63	0.20	37.30	0.00	0.06
गुजरात	35.91	16.30	45.39	19.35	53.88	0.26	0.74
हरियाणा	20.60	11.62	56.41	8.96	43.51	0.01	0.07
हिमाचल प्रदेश	4.32	2.71	62.83	1.60	37.10	0.00	0.08
जम्मू एवं कश्मीर	1.98	1.36	68.88	0.61	31.06	0.00	0.06
झारखण्ड	25.56	14.62	57.20	10.74	42.03	0.20	0.77
कर्नाटक	31.49	15.48	49.17	15.91	50.53	0.09	0.30
केरल	18.81	11.76	62.51	7.04	37.42	0.01	0.06
मध्य प्रदेश	139.19	41.29	29.67	28.30	20.33	69.59	50.00
महाराष्ट्र	76.55	48.32	63.12	28.14	36.76	0.09	0.12
मणिपुर	1.91	1.64	86.17	0.26	13.59	0.00	0.24
मेघालय	1.88	1.24	65.61	0.65	34.27	0.00	0.12
मिजोरम	1.29	0.94	72.79	0.35	27.05	0.00	0.17
नागालैंड	1.91	1.75	91.64	0.16	8.29	0.00	0.07
ओडिशा	43.67	20.86	47.78	22.48	51.49	0.32	0.74
पंजाब	20.94	13.54	64.64	7.39	35.27	0.02	0.09
राजस्थान	40.23	21.88	54.39	18.05	44.86	0.30	0.75
सिक्किम	0.34	0.28	82.31	0.06	17.64	0.00	0.05
तमिलनाडु	41.77	26.53	63.52	15.23	36.46	0.01	0.02
त्रिपुरा	2.41	1.69	69.88	0.72	29.88	0.01	0.23
उत्तर प्रदेश	90.12	44.00	48.83	45.76	50.78	0.36	0.39
उत्तराखण्ड	3.60	2.63	73.22	0.95	26.46	0.01	0.32
पश्चिम बंगाल	52.10	26.37	50.63	25.44	48.83	0.28	0.55
अ. एवं नि. द्वीपसमूह	0.20	0.16	82.08	0.03	15.77	0.00	2.15
चंडीगढ़	0.77	0.49	62.94	0.28	36.88	0.00	0.17
दिल्ली	2.70	1.37	50.70	1.33	49.28	0.00	0.01
दादरा एवं नागर हवेली	0.15	0.04	27.69	0.11	71.94	0.00	0.37
दमन एवं दीव	0.08	0.04	47.23	0.04	52.72	0.00	0.05
लक्षद्वीप	0.07	0.04	61.13	0.03	38.64	0.00	0.23
पुदुचेरी	0.29	0.18	62.08	0.11	37.92	0.00	0.00
कुल	798.75	389.27	48.74	320.95	40.18	88.52	11.08



(आँकड़े लाख में)

राज्य/सं. शा.क्षे.	2010-11						
	वजन किए गए कुल बच्चे	सामान्य		ग्रेड I व II (मामूली रूप से कुपोषित)		ग्रेड III व IV (गंभीर रूप से कुपोषित)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	50.21	25.75	51.28	24.42	48.63	0.04	0.08
अरुणाचल प्रदेश	0.63	0.62	98.00	0.01	2.00	0.00	0.00
असम	19.09	13.11	68.68	5.89	30.86	0.09	0.46
बिहार	64.15	11.47	17.88	36.04	56.17	16.64	25.94
छत्तीसगढ़	20.13	12.38	61.53	7.35	36.50	0.40	1.97
गोवा	0.56	0.37	65.89	0.19	34.06	0.00	0.04
गुजरात	38.71	23.70	61.23	13.24	34.21	1.76	4.56
हरियाणा	20.49	11.69	57.05	8.79	42.90	0.01	0.05
हिमाचल प्रदेश	4.48	2.95	65.76	1.53	34.18	0.00	0.06
जम्मू एवं कश्मीर	1.98	1.36	68.88	0.61	31.06	0.00	0.06
झारखण्ड	27.19	16.31	60.00	10.68	39.30	0.19	0.70
कर्नाटक	33.30	20.15	60.50	12.21	36.66	0.95	2.84
केरल	18.61	11.74	63.08	6.86	36.83	0.02	0.08
मध्य प्रदेश	73.97	52.89	71.51	19.69	26.61	1.39	1.88
महाराष्ट्र	61.30	47.01	76.68	12.70	20.71	1.60	2.61
मणिपुर	1.91	1.64	86.17	0.26	13.59	0.00	0.24
मेघालय	1.74	1.24	70.87	0.50	28.95	0.00	0.18
मिजोरम	1.26	0.97	76.74	0.29	23.06	0.00	0.20
नागालैंड	1.91	1.75	91.64	0.16	8.29	0.00	0.07
ओडिशा	42.42	21.03	49.57	21.09	49.71	0.31	0.72
पंजाब	21.24	14.10	66.37	7.13	33.59	0.01	0.05
राजस्थान	39.19	22.29	56.87	16.78	42.80	0.13	0.33
सिक्किम	0.40	0.35	89.28	0.04	9.86	0.00	0.86
तमिलनाडु	41.98	27.20	64.78	14.78	35.20	0.01	0.02
त्रिपुरा	1.97	1.25	63.11	0.72	36.54	0.01	0.35
उत्तर प्रदेश	131.21	77.51	59.07	53.42	40.72	0.28	0.21
उत्तराखण्ड	4.50	3.38	75.07	1.07	23.74	0.05	1.19
पश्चिम बंगाल	53.07	33.48	63.08	17.48	32.93	2.12	3.99
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.18	0.15	82.30	0.03	16.62	0.00	1.08
चंडीगढ़	0.84	0.53	62.71	0.31	37.04	0.00	0.25
दिल्ली	3.10	1.56	50.09	1.55	49.87	0.00	0.03
दादरा एवं नागर हवेली	0.14	0.11	75.22	0.04	24.52	0.00	0.26
दमन एवं दीव	0.06	0.03	49.60	0.03	50.22	0.00	0.18
लक्षद्वीप	0.01	0.01	59.83	0.00	40.17	0.00	0.00
पुदुचेरी	0.33	0.21	63.80	0.12	36.20	0.00	0.00
कुल	782.29	460.27	58.84	296.00	37.84	26.02	3.33

[स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान डाटा]



अनुबंध 6.5  
(पैराग्राफ 6.4.2 के संदर्भ में)

मार्च 2011 को नमूना जांच किए आं.के. में संशोधित अनुपूरक मानदंडों के कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य	चयनित आं.के. की कुल संख्या	उन आं.के. की संख्या जहाँ संशोधित भोजन मानदंडों का कार्यान्वित नहीं किया गया था	उन आं.के. की संख्या जहाँ तीन से छः वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को गर्म भोजन नहीं परोसा गया था	उन आं.के. की संख्या जहाँ नि.रा. के प्रतिमान पर तीन से छः वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान किए गए अ.आ. के उदाहरण पाए गए	उन आं.के. की संख्या जहाँ तीन से छः वर्ष की आयु वर्ग से कम के लाभार्थियों को एक से ज्यादा बार भोजन देने की व्यवस्था नहीं थी	उन आं.के. की संख्या जहाँ सुबह का जलपान प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की गई थी	उन आं.के. की संख्या जहाँ छः महीने से तीन वर्ष के बच्चों को नि.रा. के प्रतिमान पर अ.आ. प्रदान नहीं किया गया था
आंध्र प्रदेश	310	300	0	0	310	260	40
बिहार	240	0	0	0	240	0	0
छत्तीसगढ़	120	0	0	120	0	0	0
हरियाणा	160	0	0	0	160	0	0
झारखण्ड	120	120	120	0	120	120	0
कर्नाटक	260	0	0	0	160	160	0
मध्य प्रदेश	280	0	0	0	280	0	0
मेघालय	120	0	0	120	120	81	0
ओडिशा	198	0	0	20	198	3	0
राजस्थान	240	0	40	0	95	111	0
उत्तर प्रदेश	309	0	0	0	309	0	0
पश्चिम बंगाल	200	0	0	0	200	0	200
कुल	2557	420	160	260	2192	735	240

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 6.6  
(पैराग्राफ 6.5.1 के संदर्भ में)

अ.आ. लाभार्थी की व्याप्ति

(आंकड़े लाख में)

राज्य का नाम	2006-07			2007-08			2008-09		
	पात्र	वास्तव में दिया गया अ.आ.	कमी (प्रतिशत)	पात्र	वास्तव में दिया गया अ.आ.	कमी (प्रतिशत)	पात्र	वास्तव में दिया गया अ.आ.	कमी (प्रतिशत)
आंध्र प्रदेश	65.84	41.04	24.8(38)	70.9	50.79	20.11(28)	70.18	53.95	16.23(23)
अरुणाचल प्रदेश	1.89	1.69	0.2(11)	2.13	2.09	0.04(2)	2.19	2.17	0.02(1)
असम	40.05	10.31	29.74(74)	51.85	38.46	13.39(26)	48.91	27.11	21.8(45)
बिहार	115.75	41.74	74.01(64)	115.78	42.18	73.6(64)	115.78	42.18	73.6(64)
छत्तीसगढ़	31.05	20.96	10.09(32)	33.93	23.62	10.31(30)	35.83	24.96	10.88(30)
दिल्ली	7.8	5.15	2.65(34)	10.59	6.08	4.5(43)	10.63	6.81	3.81(36)
गोवा	1.24	0.54	0.7(56)	1.3	0.57	0.73(56)	1.31	0.6	0.7(54)
गुजरात	35.75	20.42	15.33(43)	49.82	24.53	25.29(51)	51.52	28.82	22.7(44)
हिमाचल प्रदेश	6.9	4.26	2.64(38)	7.46	5.33	2.13(29)	7.59	5.22	2.37(31)
हरियाणा	24.66	14.06	10.61(43)	25.67	13.38	12.28(48)	25.83	13	12.83(50)
जम्मू एवं कश्मीर	13.84	5.23	8.61(62)	13.84	5.87	7.96(58)	14.4	5.1	9.3(65)
झारखण्ड	43.15	20.88	22.27(52)	50.07	28.46	21.61(43)	51.39	30.21	21.18(41)
कर्नाटक	58.2	37.52	20.67(36)	59.57	39.01	20.56(35)	58.97	40.59	18.38(31)
केरल	30.94	11.27	19.67(64)	31.93	14.01	17.93(56)	33.62	13.84	19.78(59)
महाराष्ट्र	97.57	59.1	38.48(39)	95.55	65.53	30.02(31)	96.77	68.21	28.56(30)
मणिपुर	4.29	3.15	1.15(27)	4.52	3.69	0.83(18)	4.52	3.7	0.81(18)
मेघालय	4.14	3.42	0.72(17)	4.01	3.48	0.53(13)	4.24	3.88	0.36(8)
मिजोरम	1.86	1.55	0.31(17)	1.41	1.56	0.14	1.64	1.52	0.11(7)
मध्य प्रदेश	88.84	47.25	41.59(47)	106.51	53.12	53.39(50)	105.3	65.03	40.27(38)
नागालैंड	4.02	3.49	0.52(13)	3.83	3.5	0.33(8)	3.74	3.49	0.25(7)
ओडिशा	52.76	44.94	7.82(15)	53.65	48.23	5.42(10)	53.92	48.94	4.98(9)
पंजाब	22.15	11.19	10.96(49)	24.96	13.5	11.47(46)	25.04	13.64	11.4(46)
राजस्थान	92.41	32.52	59.88(65)	101.71	37.1	64.61(64)	110.48	38.26	72.21(65)
सिक्किम	0.65	0.46	0.19(29)	0.66	0.29	0.38(57)	0.62	0.38	0.25(39)
तमिलनाडु	56.14	23.85	32.29(58)	50.57	27.01	23.56(47)	50.2	28.22	21.98(44)
त्रिपुरा	3.82	2.72	1.1(29)	5.11	3.29	1.82(35)	5.94	3.42	2.52(42)
उत्तर प्रदेश	276.5	193.46	83.04(30)	300.15	223.24	76.91(26)	305.88	232.35	73.53(24)
उत्तराखण्ड	9.94	6.58	3.36(34)	10.11	4.78	5.33(53)	10.27	5.82	4.44(43)
पश्चिम बंगाल	80.73	35.33	45.41(56)	95.96	59.17	36.79(38)	93.6	60.62	32.99(35)



(आंकड़े लाख में)

राज्य का नाम	2009-10			2010-11		
	पात्र	वास्तव में दिया गया अ.आ.	कमी (प्रतिशत)	पात्र	वास्तव में दिया गया अ.आ.	कमी (प्रतिशत)
आंध्र प्रदेश	69.16	50.71	18.45(27)	70.61	53.79	16.82(24)
अरुणाचल प्रदेश	2.44	2.44	0	2.5	2.5	0
असम	55.74	23.62	32.12(58)	58.83	30.65	28.18(48)
बिहार	115.78	42.18	73.6(64)	115.78	42.18	73.6(64)
छत्तीसगढ़	36.11	23.8	12.31(34)	34.51	24.93	9.58(28)
दिल्ली	11.4	7.49	3.91(34)	11.15	7.19	3.96(36)
गोवा	1.38	0.64	0.74(54)	1.38	0.67	0.71(51)
गुजरात	48.38	28.17	20.21(42)	51.62	38.59	13.03(25)
हिमाचल प्रदेश	7.39	5.16	2.23(30)	7.45	5.15	2.31(31)
हरियाणा	25.9	12.21	13.69(53)	25.6	11.95	13.65(53)
जम्मू एवं कश्मीर	21.35	5.1	16.25(76)	14.4	5.1	9.3(65)
झारखण्ड	54.72	32.57	22.14(40)	55.45	33.68	21.78(39)
कर्नाटक	60.28	43.1	17.18(29)	61.81	44.1	17.71(29)
केरल	32.24	13.52	18.72(58)	32.48	12.57	19.91(61)
महाराष्ट्र	96.48	67.11	29.36(30)	96.09	74.09	22.01(23)
मणिपुर	4.52	3.7	0.81(18)	4.52	3.7	0.81(18)
मेघालय	4.46	4.01	0.44(10)	4.59	4.1	0.48(11)
मिजोरम	1.71	1.5	0.21(12)	1.75	1.59	0.16(9)
मध्य प्रदेश	105.91	72.85	33.06(31)	109.2	81.03	28.17(26)
नागालैंड	3.79	3.08	0.7(19)	3.79	3.59	0.19(5)
ओडिशा	55.14	50.17	4.97(9)	54.65	49.16	5.49(10)
पंजाब	27.41	13.94	13.47(49)	27.08	14.48	12.6(47)
राजस्थान	111.6	36.55	75.05(67)	104.62	39.18	65.45(63)
सिक्किम	0.42	0.41	0.01(2)	0.65	0.16	0.49(75)
तमिलनाडु	51.43	28.67	22.76(44)	51.29	29.84	21.45(42)
त्रिपुरा	4.97	3.08	1.89(38)	5.54	3.81	1.73(31)
उत्तर प्रदेश	313.18	243.53	69.65(22)	321.05	251.92	69.13(22)
उत्तराखण्ड	10.77	3.95	6.82(63)	11.67	6.93	4.74(41)

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



## अनुबंध 6.7

(पैराग्राफ 6.5.1 के संदर्भ में)

लाभार्थियों की संख्या पर डाटा में विसंगति

(आंकड़े लाख में)

राज्य का नाम	2006-07			2007-08			2008-09		
	व्य.वि. से प्राप्त डाटा	मंत्रालय द्वारा सूचित डाटा	अंतर	व्य.वि. से प्राप्त डाटा	मंत्रालय द्वारा सूचित डाटा	अंतर	व्य.वि. से प्राप्त डाटा	मंत्रालय द्वारा सूचित डाटा	अंतर
आंध्र प्रदेश	48.64	41.04	7.60	50.80	50.79	0.01	52.11	53.95	1.84
अरुणाचल प्रदेश	1.73	1.69	0.03	2.10	2.09	0.01	2.21	2.17	0.04
असम	29.55	10.31	19.24	30.78	38.46	7.68	40.09	27.11	12.98
बिहार	57.75	41.74	16.01	77.00	42.18	34.82	77.00	42.18	34.82
छत्तीसगढ़	21.66	20.96	0.70	23.57	23.62	0.05	24.02	24.96	0.93
दिल्ली	5.15	5.15	0.00	7.29	6.08	1.20	6.81	6.81	0.00
गोवा	0.53	0.54	0.01	0.57	0.57	0.00	0.56	0.60	0.05
गुजरात	19.18	20.42	1.25	24.53	24.53	0.00	28.82	28.82	0.00
हिमाचल प्रदेश	4.28	4.26	0.01	5.24	5.33	0.09	5.28	5.22	0.06
हरियाणा	14.06	14.06	0.00	13.38	13.38	0.00	13.00	13.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	4.50	5.23	0.73	4.50	5.87	1.37	6.20	5.10	1.10
झारखण्ड	18.89	20.88	1.99	20.61	28.46	7.85	27.63	30.21	2.58
कर्नाटक	37.61	37.52	0.09	39.01	39.01	0.00	40.59	40.59	0.00
केरल	10.39	11.27	0.89	13.77	14.01	0.23	13.56	13.84	0.29
महाराष्ट्र	77.36	59.10	18.26	65.66	65.53	0.13	65.32	68.21	2.88
मणिपुर	2.84	3.15	0.30	3.93	3.69	0.24	3.93	3.70	0.23
मेघालय	3.42	3.42	0.00	3.95	3.48	0.47	4.47	3.88	0.58
मिजोरम	1.62	1.55	0.07	1.70	1.56	0.14	1.76	1.52	0.23
मध्य प्रदेश	43.13	47.25	4.11	54.09	53.12	0.97	64.01	65.03	1.02
नागालैंड	3.77	3.49	0.28	3.77	3.50	0.27	3.76	3.49	0.28
ओडिशा	31.06	44.94	13.88	49.85	48.23	1.62	48.80	48.94	0.14
पंजाब	11.19	11.19	0.00	13.50	13.50	0.00	13.67	13.64	0.04
राजस्थान	31.83	32.52	0.70	34.56	37.10	2.54	38.17	38.26	0.09
सिक्किम	0.42	0.46	0.05	0.53	0.29	0.24	0.53	0.38	0.15
तमिलनाडु	11.72	23.85	12.13	15.33	27.01	11.69	17.24	28.22	10.98
त्रिपुरा	2.72	2.72	0.00	3.03	3.29	0.25	3.29	3.42	0.13
उत्तर प्रदेश	170.01	193.46	23.45	209.23	223.24	14.01	217.61	232.35	14.74
उत्तराखण्ड	6.58	6.58	0.00	7.78	4.78	2.99	6.69	5.82	0.87
पश्चिम बंगाल	46.00	35.33	10.67	59.17	59.17	0.00	56.74	60.62	3.88
कुल	717.57	704.09	13.48	839.22	841.88	2.66	883.87	872.05	11.82



(आंकड़े लाख में)

राज्य का नाम	2009-10			2010-11		
	व्य.वि. द्वारा प्राप्त डाटा	मंत्रालय द्वारा सूचित डाटा	अंतर	व्य.वि. द्वारा प्राप्त डाटा	मंत्रालय द्वारा सूचित डाटा	अंतर
आंध्र प्रदेश	50.75	50.71	0.04	54.58	53.79	0.79
अरुणाचल प्रदेश	2.44	2.44	0.00	2.55	2.50	0.05
असम	36.45	23.62	12.83	55.17	30.65	24.52
बिहार	77.00	42.18	34.82	77.00	42.18	34.82
छत्तीसगढ़	23.74	23.80	(-) 0.06	24.99	24.93	0.06
दिल्ली	7.49	7.49	0.00	6.44	7.19	(-) 0.75
गोवा	0.64	0.64	0.00	0.66	0.67	(-) 0.01
गुजरात	30.23	28.17	2.06	38.77	38.59	0.18
हिमाचल प्रदेश	5.26	5.16	0.09	4.95	5.15	(-) 0.19
हरियाणा	12.21	12.21	0.00	11.95	11.95	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	NA	5.10	NA	NA	5.10	NA
झारखण्ड	32.08	32.57	(-) 0.49	34.19	33.68	0.51
कर्नाटक	43.32	43.10	0.22	42.15	44.10	(-) 1.95
केरल	13.95	13.52	0.43	12.55	12.57	(-) 0.02
महाराष्ट्र	67.34	67.11	0.23	124.17	74.09	50.08
मणिपुर	4.18	3.70	0.47	4.45	3.70	0.75
मेघालय	4.77	4.01	0.76	4.88	4.10	0.77
मिजोरम	1.81	1.50	0.31	1.81	1.59	0.21
मध्य प्रदेश	74.69	72.85	1.84	83.40	81.03	2.37
नागालैंड	3.80	3.08	0.72	4.08	3.59	0.49
ओडिशा	49.09	50.17	(-) 1.08	49.09	49.16	(-) 0.07
पंजाब	14.28	13.94	0.33	14.68	14.48	0.20
राजस्थान	36.49	36.55	0.07	46.59	39.18	7.42
सिक्किम	0.41	0.41	0.00	0.48	0.16	0.32
तमिलनाडु	24.24	28.67	(-) 4.43	24.64	29.84	(-) 5.20
त्रिपुरा	3.19	3.08	0.11	3.82	3.81	0.01
उत्तर प्रदेश	254.08	243.53	10.55	249.08	251.92	(-) 2.84
उत्तराखण्ड	11.78	3.95	7.83	6.93	6.93	0.00
पश्चिम बंगाल	73.57	59.68	13.89	81.26	81.43	(-) 0.16
कुल	959.28	882.96	81.42	1065.30	958.06	112.34

(लाल रंग में दिए आंकड़े नकारात्मक हैं)

[स्रोत: मंत्रालय में उपलब्ध राज्य-वार व्यय विवरणियों से निकाला गया डाटा]



अनुबंध 6.8  
(पैराग्राफ 6.5.2 के संदर्भ में)

नमूना जांच किए आं.के. में अ.आ. के वितरण में विघटन

राज्य	वर्ष	चयनित आं.के. की कुल संख्या	उन आं.के. की संख्या जहां अ.आ. के प्रावधान में निम्न दिनों के लिए विघटन था			
			(31-75) दिन	(76-150) दिन	(151-225) दिन	(226-300) दिन
छत्तीसगढ़	2006-07	120	28	5	0	0
	2007-08	119	26	4	1	0
	2008-09	120	17	0	0	0
	2009-10	120	17	0	0	0
	2010-11	120	19	5	1	0
गुजरात	2006-07	150	90	22	0	0
	2007-08	160	83	14	0	0
	2008-09	160	74	27	0	0
	2009-10	160	85	15	0	0
	2010-11	160	95	7	0	0
कर्नाटक	2006-07	258	2	2	0	0
	2007-08	258	0	1	0	0
	2008-09	259	0	0	0	0
	2009-10	260	1	0	0	0
	2010-11	260	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	2006-07	280	62	34	1	6
	2007-08	280	39	27	8	0
	2008-09	280	40	25	11	0
	2009-10	280	44	17	5	0
	2010-11	280	50	18	2	0
ओडिशा	2006-07	146	33	34	13	1
	2007-08	161	58	29	4	0
	2008-09	165	42	35	1	0
	2009-10	189	31	10	5	3
	2010-11	197	30	1	1	0
राजस्थान	2006-07	240	47	20	1	0
	2007-08	240	48	28	2	0
	2008-09	240	53	19	1	0
	2009-10	240	45	28	4	0
	2010-11	240	35	21	2	0
उत्तर प्रदेश	2006-07	309	31	8	0	0
	2007-08	309	56	6	1	0
	2008-09	309	32	7	0	0
	2009-10	309	33	7	0	0
	2010-11	309	22	7	0	0
पश्चिम बंगाल	2006-07	187	49	13	1	1
	2007-08	200	54	14	3	0
	2008-09	200	50	32	9	2
	2009-10	200	63	30	3	0
	2010-11	200	44	14	0	0

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]

## अनुबंध 6.9

(पैराग्राफ 6.5.4 के संदर्भ में)

नमूना जांच किए आं.के. पर पर्यवेक्षक/बा.वि.प.अ. द्वारा अ.आ. के वितरण का पर्यवेक्षण

राज्य	वर्ष	चयनित आं.के. की संख्या	उन आं.के. की संख्या जहाँ अ.आ. के वितरण में स्थानीय समुदाय शामिल था	पर्यवेक्षक/बा.वि.प.अ. द्वारा कुल दौरे	पर्यवेक्षक/बा.वि.प.अ. द्वारा प्रस्तुत दौरों पर रिपोर्ट की संख्या
गुजरात	2006-07	160	0	2081	2003
	2007-08	160	0	2025	1953
	2008-09	160	0	2518	2452
	2009-10	160	0	2218	2105
	2010-11	160	0	2118	2007
छत्तीसगढ़	2006-07	120	120	1219	1219
	2007-08	120	120	1166	1166
	2008-09	120	120	1243	1243
	2009-10	120	120	1139	1139
	2010-11	120	120	1278	1278
झारखण्ड	2006-07	81	0	18	उ.न.
	2007-08	103	0	43	उ.न.
	2008-09	105	0	76	उ.न.
	2009-10	117	0	137	उ.न.
	2010-11	120	0	192	उ.न.
मेघालय	2006-07	120	120	1227	1203
	2007-08	120	120	1589	1573
	2008-09	120	120	1439	1411
	2009-10	120	120	1577	1554
	2010-11	120	120	1628	1591
मध्य प्रदेश	2006-07	280	280	115	0
	2007-08	280	280	156	0
	2008-09	280	280	192	0
	2009-10	280	280	185	0
	2010-11	280	280	190	0
हरियाणा	2006-07	160	160	2172	0
	2007-08	160	160	2173	0
	2008-09	160	160	2141	0
	2009-10	160	160	2210	0
	2010-11	160	160	2028	0
बिहार	2006-07	240	220	उ.न.	उ.न.
	2007-08	240	220	उ.न.	उ.न.
	2008-09	240	220	उ.न.	उ.न.
	2009-10	240	220	उ.न.	उ.न.
	2010-11	240	220	उ.न.	उ.न.
राजस्थान	2006-07	240	227	1688	1555
	2007-08	240	232	1791	1655
	2008-09	240	233	1755	1636
	2009-10	240	233	1747	1637
	2010-11	240	234	1863	1750



राज्य	वर्ष	चयनित आं.के. की संख्या	उन आं.के. की संख्या जहाँ अ.आ. के वितरण में स्थानीय समुदाय शामिल था	पर्यवेक्षक/बा.वि.प.अ. द्वारा कुल दौरे	पर्यवेक्षक/बा.वि.प.अ. द्वारा प्रस्तुत दौरों पर रिपोर्ट की संख्या
पश्चिम बंगाल	2006-07	187	0	1314	290
	2007-08	200	0	1334	350
	2008-09	200	0	1378	375
	2009-10	200	0	1290	337
	2010-11	200	0	1286	303
आंध्र प्रदेश	2006-07	290	22	21	0
	2007-08	300	22	25	0
	2008-09	310	23	21	0
	2009-10	310	23	13	0
	2010-11	310	23	15	0
ओडिशा	2006-07	147	146	800	224
	2007-08	161	160	846	232
	2008-09	167	166	825	247
	2009-10	190	189	1138	367
	2010-11	199	198	1877	453
कर्नाटक	2006-07	258	80	2178	0
	2007-08	258	80	2092	0
	2008-09	259	80	1975	0
	2009-10	260	80	1939	0
	2010-11	260	80	2050	0
उत्तर प्रदेश	2006-07	196	0	542	295
	2007-08	196	0	606	328
	2008-09	196	0	639	338
	2009-10	196	0	667	329
	2010-11	196	0	659	328
वर्ष वार योग	2006-07	2479	1375	13379	6789
	2007-08	2538	1394	13836	7257
	2008-09	2557	1402	14192	7702
	2009-10	2593	1425	14250	7468
	2010-11	2605	1435	15180	7710

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]

**अनुबंध 6.10**  
(पैराग्राफ 6.5.6 के संदर्भ में)

नमूना जांच किए आं.के. में अनुशंसित आहार भत्ते से सूक्ष्मपोषण पदार्थ प्रदान करने में कमी

राज्य	वर्ष	नमूना जांच किए आं.के. की संख्या	उन आं.के. की संख्या जहां तै.भो. उर्जा भोजन आरंभ नहीं किया गया था	उन आं.के. की संख्या जहां सूक्ष्मपोषण पदार्थ से परिपूर्ण भोजन का प्रयोग नहीं किया गया था	उन आं.के. की संख्या जहां अ.आ. में सब्जियां, फल, दूध और अंडा शामिल नहीं था
गुजरात	2006-07	160	0	160	0
	2007-08	160	0	160	0
	2008-09	160	0	0	0
	2009-10	160	0	0	0
	2010-11	160	0	0	0
झारखण्ड	2006-07	81	81	उ.न.	उ.न.
	2007-08	103	103	उ.न.	उ.न.
	2008-09	105	105	उ.न.	उ.न.
	2009-10	117	117	उ.न.	उ.न.
	2010-11	120	120	उ.न.	उ.न.
मेघालय	2006-07	120	0	10	0
	2007-08	120	0	0	0
	2008-09	120	0	0	0
	2009-10	120	0	0	0
	2010-11	120	0	0	0
मध्य प्रदेश	2006-07	280	0	280	280
	2007-08	280	0	280	280
	2008-09	280	0	280	280
	2009-10	280	0	280	280
	2010-11	280	0	280	280
राजस्थान	2006-07	240	20	4	95
	2007-08	240	20	4	88
	2008-09	240	20	4	89
	2009-10	240	20	4	99
	2010-11	240	20	4	104
पश्चिम बंगाल	2006-07	187	187	147	0
	2007-08	200	200	160	0
	2008-09	200	200	160	0
	2009-10	200	200	200	0
	2010-11	200	200	200	0
आंध्र प्रदेश	2006-07	290	290	290	290
	2007-08	300	300	300	300
	2008-09	310	310	310	310
	2009-10	310	310	310	310
	2010-11	310	310	310	310



राज्य	वर्ष	नमूना जांच किए आं.के. की संख्या	उन आं.के. की संख्या जहां तै.भो. उर्जा भोजन आरंभ नहीं किया गया था	उन आं.के. की संख्या जहां सूक्ष्मपोषण पदार्थ से परिपूर्ण भोजन का प्रयोग नहीं किया गया था	उन आं.के. की संख्या जहां अ.आ. में सब्जियां, फल, दूध और अंडा शामिल नहीं था
ओडिशा	2006-07	151	1	1	1
	2007-08	164	1	1	1
	2008-09	200	0	0	0
	2009-10	190	0	0	0
	2010-11	199	0	0	0
कर्नाटक	2006-07	258	0	0	258
	2007-08	258	0	0	258
	2008-09	259	0	0	259
	2009-10	260	0	0	260
	2010-11	260	0	0	260
उत्तर प्रदेश	2006-07	309	0	0	309
	2007-08	309	0	0	309
	2008-09	309	0	0	309
	2009-10	309	0	0	309
	2010-11	309	0	0	309
वर्ष वार योग	2006-07	2076	579	892	1233
	2007-08	2134	624	905	1236
	2008-09	2183	635	754	1247
	2009-10	2186	647	794	1258
	2010-11	2198	650	794	1263

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध 6.11  
(पैराग्राफ 6.6.1 के संदर्भ में)

राज्यों द्वारा गे.आ.पो.का. के अंतर्गत अनाज का उपयोग

राज्य का नाम	2006-07			2007-08			2008-09		
	लाभार्थियों की संख्या	राज्य द्वारा प्रयुक्त मात्रा (मिट्टिक टन में)	प्रति लाभार्थी प्रतिदिन प्रयुक्त मात्रा (ग्राम में)	लाभार्थियों की संख्या	राज्य द्वारा प्रयुक्त मात्रा (मिट्टिक टन में)	प्रति लाभार्थी के लिए प्रतिदिन प्रयुक्त मात्रा (ग्राम में)	लाभार्थियों की संख्या	राज्य द्वारा प्रयुक्त मात्रा (मिट्टिक टन में)	प्रति लाभार्थी के लिए प्रतिदिन प्रयुक्त मात्रा (ग्राम में)
आंध्र प्रदेश	4103963	40486	33	5078607	45368	30	5395143	59223	37
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	208685	0	0	216853	0	0
छत्तीसगढ़	2096058	51677	82	2362082	65000	92	2495513	91755	123
दादरा एवं नागर हवेली	13955	142	34				20052	22	4
गुजरात	2042347	20000	32	2453136	47355	64	2881760	59249	69
हरियाणा	1405833	1000	2	1338053	700	2	1300085	735	2
हिमाचल प्रदेश	426287	6385	50	532941	4091	26	522133	6409	41
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	587246	उ.न.	उ.न.	509948	उ.न.	उ.न.
झारखण्ड							3020561	0	0
कर्नाटक	3752367	50259	45	3901032	39295	34	4058805	66366	55
केरल									
मध्य प्रदेश	4724630	93396	66	5311957	38412	24	6502932	29282	15
महाराष्ट्र	5909641	18777	11	6553012	10978	6	6820883	13026	6
मणिपुर	341873	0	0						
मिजोरम	154963	639	14	155741	755	16	152213	690	15
नागालैंड	349376	8000	76	349988	6200	59	348798	5175	49
ओडिशा	4494394	70602	52	4823199	80850	56	4894185	115899	79
पंजाब	1118886	7647	23	1349839	5024	12	1363679	3653	9
राजस्थान	3252132	4447	5	3710225	1954	2	3826488	3525	3
तमिलनाडु	2384946	8999	13	2701479	7513	9	2821798	13050	15
त्रिपुरा	271947	3399	42	328632	3203	32	342322	5373	52
उत्तर प्रदेश	19345747	84847	15	22324080	136514	20	23235096	150296	22
उत्तराखण्ड	658106	5933	30	478173	8794	61	582454	5660	32
कुल	56847451	476635	28	64548107	502006	26	71311701	629388	29



राज्य का नाम	2009-10			2010-11		
	लाभार्थियों की संख्या	राज्य द्वारा प्रयुक्त मात्रा (मिट्टिक टन में)	प्रति लाभार्थी प्रतिदिन प्रयुक्त मात्रा (ग्राम में)	लाभार्थियों की संख्या	राज्य द्वारा प्रयुक्त मात्रा (मिट्टिक टन में)	प्रति लाभार्थी प्रतिदिन प्रयुक्त मात्रा (ग्राम में)
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	21046	66	10	20013	171	28
आंध्र प्रदेश	5070799	73465	48	5378590	75572	46
अरुणाचल प्रदेश	243726	0	0			
छत्तीसगढ़	2379715	75548	106	2492705	51557	69
दादरा एवं नागर हवेली	17920	117	22	18071	38	7
गुजरात	2817156	61181	72	3858783	68725	59
हरियाणा	1220749	815	2	1195064	26077	73
हिमाचल प्रदेश	516294	8374	54	514571	7075	46
जम्मू एवं कश्मीर	509948	2800	18	509948	1008	7
झारखण्ड				3367760	0	0
कर्नाटक	4309811	74715	58	4410336	58248	44
केरल	1352278	13709	34	1256958	16714	44
मध्य प्रदेश	7285441	117794	54	8103403	202553	83
महाराष्ट्र	6711341	24614	12	7408807	81256	37
मणिपुर	370339	9742	88	370339	7763	70
मिजोरम	149708	785	17	159087	2020	42
नागालैंड	308442	16673	180	359483	9805	91
ओडिशा	5016766	121807	81	4915625	134386	91
पंजाब	1394399	3720	9	1448014	12753	29
राजस्थान	3655230	4165	4	3917833	20628	18
तमिलनाडु	2866558	13970	16	2983586	34920	39
त्रिपुरा	308277	6575	71	381024	9010	79
उत्तर प्रदेश	24352738	195480	27	25192054	240525	32
उत्तराखण्ड	395054	1724	15	692706	3208	15
<b>कुल</b>	<b>71273735</b>	<b>827839</b>	<b>39</b>	<b>78954760</b>	<b>1064012</b>	<b>45</b>

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध 7.1  
(पैराग्राफ 7.2.3 के संदर्भ में)

स्कू.पू.शि. प्रदान न करने वाले नमूना जांच किए गए आं.के.

राज्य	कुल नमूने	वह आं.के. जहां डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया था					वह आं.के. जहां स्कू.पू.शि. के संबंध में अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आंध्र प्रदेश	310	300	310	310	310	280	0	0	0	0	0
बिहार	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
झारखण्ड	120	81	103	105	117	120	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
ओडिशा	200	126	138	144	164	170	7	6	4	3	2
राजस्थान	240	234	235	236	237	237	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	309	309	309	309	309	309	0	0	0	0	0
कुल	1819	1450	1495	1504	1537	1516	407	406	404	403	402

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 7.2  
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

स्कू.पू.शि. किटों के क्रय के लिए राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

राज्य	मंत्रालय द्वारा जारी राशि	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी	कमी की प्रतिशतता
<b>2006-07</b>				
गुजरात	1.92	0	1.92	100
हरियाणा	0.72	0	0.72	100
झारखण्ड	1.35	0	1.35	100
पश्चिम बंगाल	2.75	0	2.75	100
दिल्ली	0.22	0.0042	0.21	98.10
बिहार	3	0.5	2.5	83.45
पंजाब	0.74	0.2	0.54	72.68
कर्नाटक	2.56	1.3	1.26	49.36
केरल	1.4	0.96	0.44	31.36
<b>2007-08</b>				
दिल्ली	0.3	0	0.3	100
गोवा	0.05	0	0.05	100
हरियाणा	0.86	0	0.86	100
झारखण्ड	1.6	0	1.6	100
मध्य प्रदेश	2.88	0	2.88	100
पंजाब	1.09	0	1.09	100
मणिपुर	0.38	0.25	0.13	35.86
<b>2008-09</b>				
दिल्ली	0.3	0	0.3	100
गोवा	0.07	0	0.07	100
हरियाणा	0.87	0	0.87	100
झारखण्ड	1.62	0	1.62	100
मध्य प्रदेश	3.4	0	3.4	100
पंजाब	1.09	0	1.09	100
उत्तर प्रदेश	7.57	0	7.57	100
उत्तराखण्ड	0.55	0	0.55	100
पश्चिम बंगाल	4.44	0.22	4.22	95.11
कर्नाटक	2.72	1.58	1.14	42.13

(₹ करोड़ में)

2009-10				
विहार	8.2	0	8.2	100.00
दिल्ली	0.66	0	0.66	100.00
गोवा	0.12	0	0.12	100.00
झारखण्ड	3.81	0	3.81	100.00
मणिपुर	0.95	0	0.95	100.00
मध्य प्रदेश	7.42	0	7.42	100.00
ओडिशा	5.89	0	5.89	100.00
उत्तर प्रदेश	15.14	0	15.14	100.00
उत्तराखण्ड	1.19	0	1.19	100.00
पश्चिम बंगाल	10.9	0.03	10.87	99.68
पंजाब	2.57	1.14	1.43	55.67
असम	5.4	3.68	1.72	31.81
2010-11				
आंध्र प्रदेश	7.38	0	7.38	100.00
दिल्ली	0.66	0	0.66	100.00
गोवा	0.12	0	0.12	100.00
झारखण्ड	3.65	0	3.65	100.00
ओडिशा	6.17	0	6.17	100.00
पंजाब	2.57	0.67	1.9	74.09
उत्तराखण्ड	1.34	0.72	0.62	46.66
पश्चिम बंगाल	11.14	6.52	4.62	41.47



अनुबंध 7.3  
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

नमूना जांच किए आं.के. में स्कू.पू.शि. किटों की अनुपलब्धता का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	नमूना आं.के. की संख्या	उन आं.के. की संख्या जहाँ स्कू.पू.शि. किट उपलब्ध नहीं थी				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
गुजरात	160	160	160	160	160	160
झारखण्ड	120	81	103	105	117	120
मध्य प्रदेश	280	40	215	217	189	84
ओडिशा	200	121	97	98	113	160
राजस्थान	240	11	30	20	16	17
उत्तर प्रदेश	309	130	63	29	39	45
कुल	1309	543	668	629	634	586

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध 7.4  
(पैराग्राफ 7.5 के संदर्भ में)

स्कू.पू.शि. में गतिविधियों पर राज्यवार विवरण

राज्य	कुल नमूने	उन आं.के. की संख्या जहाँ स्कू.पू.शि. के लिए गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था							उन आं.के. की संख्या जहाँ स्कू.पू.शि. गतिविधियों के लिए पाठ्यचर्या निर्धारित नहीं थी	उन आं.के. की संख्या जहाँ आं.का. को स्कू.पू.शि. के लिए निर्धारित गतिविधियों के चार्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी	उन आं.के. की संख्या जहाँ आं.का. को स्कू.पू.शि. के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था
		शारीरिक और मोटर विकास	भाषा विकास इत्यादि	रचनात्मकता और कल्पना का विकास	समूह गतिविधियां	लेखन पूर्व गतिविधियां	संख्या अवधारणाओं का विकास	गुड़िया/खिलौनों, इत्यादि से खेलना			
आंध्र प्रदेश	310	40	40	40	40	40	40	40	310	0	0
बिहार	240	0	0	0	0	0	0	उ.न.	0	0	0
छत्तीसगढ़	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
हरियाणा	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120
मेघालय	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	280	280	280	280	280	280	280	280	82	52	16
ओडिशा	200	0	0	0	0	0	0	0	4	40	46
राजस्थान	240	2	5	9	2	81	6	6	0	4	12
पश्चिम बंगाल	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
कर्नाटक	260	2	2	0	1	0	2	2	0	0	0
उत्तर प्रदेश	309	151	229	151	309	229	231	231	151	164	158
गुजरात	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
कुल	2699	575	656	580	732	730	819	619	787	390	467

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 8.1  
(पैराग्राफ 8.1.1 के संदर्भ में)

सू.शि.सं. गतिविधियों के लिए जारी निधियों का उपयोग न किया जाना

(₹ लाख में)

राज्य	परिचालित परियोजनाएं	मंत्रालय द्वारा जारी राशि	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशतता कमी
<b>2006-07</b>					
असम	219	54.75	0.00	54.75	100
गुजरात	259	64.75	0.00	64.75	100
झारखण्ड	204	51.00	0.00	51.00	100
मणिपुर	38	9.50	0.00	9.50	100
पश्चिम बंगाल	363	90.75	15.60	75.15	83
तमिलनाडु	434	108.50	40.48	68.02	63
दिल्ली	30	7.50	3.58	3.92	52
पंजाब	142	35.50	19.38	16.12	45
कुल		<b>422.25</b>	<b>79.04</b>	<b>343.21</b>	<b>81</b>
<b>2007-08</b>					
गोवा	11	2.75	0.00	2.75	100
हिमाचल प्रदेश	76	19.00	0.00	19.00	100
झारखण्ड	204	51.00	0.00	51.00	100
पश्चिम बंगाल	416	104.00	0.00	104.00	100
कर्नाटक	185	46.25	3.37	42.88	93
तमिलनाडु	434	108.50	40.77	67.73	62
मध्य प्रदेश	367	91.75	45.41	46.34	51
पंजाब	148	37.00	20.08	16.92	46
कुल		<b>460.25</b>	<b>109.63</b>	<b>350.62</b>	<b>76</b>
<b>2008-09</b>					
दिल्ली	50	12.50	0.00	12.50	100
गोवा	11	2.75	0.00	2.75	100
झारखण्ड	204	51.00	0.00	51.00	100
पश्चिम बंगाल	414	103.50	0.00	103.50	100
कर्नाटक	185	46.25	2.10	44.15	95
पंजाब	148	37.00	16.43	20.57	56
उत्तर प्रदेश	897	224.25	102.95	121.30	54
कुल		<b>477.25</b>	<b>121.48</b>	<b>355.77</b>	<b>76</b>

(₹ लाख में)

राज्य	परिचालित परियोजनाएं	मंत्रालय द्वारा जारी राशि	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशत कमी
<b>2009-10</b>					
दिल्ली	6606	66.06	0.00	66.06	100
गोवा	1212	12.12	0.00	12.12	100
हिमाचल प्रदेश	18248	182.48	0.00	182.48	100
झारखण्ड	38130	381.30	0.00	381.30	100
मणिपुर	9834	98.34	0.00	98.34	100
ओडिशा	67566	675.66	0.00	675.66	100
उत्तर प्रदेश	151393	1513.93	0.00	1513.93	100
पश्चिम बंगाल	108961	1089.61	0.00	1089.61	100
कर्नाटक	59342	593.42	38.50	554.92	94
पंजाब	25436	254.36	18.74	235.62	93
हरियाणा	17192	171.92	34.65	137.27	80
उत्तराखण्ड	10663	106.63	45.65	60.98	57
मध्य प्रदेश	74180	741.80	332.74	409.06	55
कुल		<b>5887.63</b>	<b>470.28</b>	<b>5417.35</b>	<b>92</b>
<b>2010-11</b>					
दिल्ली	6606	66.06	0.00	66.06	100
गोवा	1212	12.12	0.00	12.12	100
मणिपुर	9587	95.87	0.00	95.87	100
पश्चिम बंगाल	111404	1114.04	0.00	1114.04	100
पंजाब	25436	254.36	11.38	242.98	96
ओडिशा	59755	597.55	63.00	534.55	89
हरियाणा	21267	212.67	36.11	176.56	83
आंध्र प्रदेश	72652	726.52	271.69	454.83	63
कर्नाटक	60026	600.26	227.13	373.13	62
केरल	32986	329.86	173.70	156.16	47
मध्य प्रदेश	78799	787.99	454.31	333.68	42
कुल		<b>4797.30</b>	<b>1237.32</b>	<b>3559.98</b>	<b>74</b>

[स्रोत: मंत्रालय में उपलब्ध राज्यवार व्यय विवरणियों से निकाला गया डाटा]



अनुबंध 8.2  
(पैराग्राफ 8.1.1 के संदर्भ में)

2006-07 से 2010-11 के दौरान सू.शि.सं. के अंतर्गत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

राज्य	बजट	व्यय			उपयोग प्रतिशत
		राज्य स्तर	जिला स्तर	कुल	
आंध्र प्रदेश	17.58	उ.न.	उ.न.	7.80	44.37
बिहार	19.04	2.05	0.48	2.53	13.29
छत्तीसगढ़	6.49	1.48	4.80	6.28	96.76
गुजरात	10.96	3.33	0.00	3.33	30.38
हरियाणा	4.84	0.10	1.59	1.69	34.92
झारखण्ड	4.09	उ.न.	उ.न.	3.23	78.97
कर्नाटक	13.73	9.64	2.85	12.49	90.97
मेघालय	1.07	0.23	0.36	0.59	55.14
मध्य प्रदेश	15.60	उ.न.	उ.न.	7.87	50.45
ओडिशा	4.08	0.35	2.10	2.45	60.05
राजस्थान	12.40	3.33	2.98	6.31	50.89
उत्तर प्रदेश	39.84	14.91	1.76	16.67	41.84
कुल	149.72	35.42	16.92	71.24	47.58

[उ.न.: राज्य एवं जिला वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं]

[स्रोत: राज्य नोडल विभाग के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध 9.1  
(पैराग्राफ 9.2.1 के संदर्भ में)

त्रैमासिक/वार्षिक व्य.वि. की राज्यवार प्राप्ति

राज्य का नाम	2006-11 के दौरान त्रैमासिक व्य.वि.			देरी की रेंज		2006-11 के दौरान वार्षिक व्य.वि.		
	कुल बकाया	कुल प्राप्ति	कमी	तिमाही व्य.वि. की संख्या	दिनों में देरी	कुल बकाया	कुल प्राप्ति	कमी
आंध्र प्रदेश	20	14	6	14	13 to 183	5	4	1
अरुणाचल प्रदेश	20	10	10	9	15 to 188	5	5	0
असम	20	10	10	8	40 to 197	5	3	2
बिहार	20	15	5	15	17 to 156	5	5	0
छत्तीसगढ़	20	17	3	18	12 to 134	5	3	2
दिल्ली	20	15	5	15	14 to 165	5	3	2
गोवा	20	16	4	16	10 to 174	5	4	1
गुजरात	20	15	5	14	24 to 85	5	4	1
हरियाणा	20	16	4	15	13 to 40	5	3	2
हिमाचल प्रदेश	20	19	1	14	13 to 201	5	1	4
जम्मू एवं कश्मीर	20	5	15	5	15 to 101	5	0	5
झारखण्ड	20	19	1	18	16 to 134	5	2	3
कर्नाटक	20	16	4	15	10 to 62	5	3	2
केरल	20	20	0	20	23 to 179	5	2	3
मध्य प्रदेश	20	14	6	12	10 to 94	5	5	0
मणिपुर	20	3	17	1	1	5	5	0
मेघालय	20	18	2	13	14 to 137	5	3	2
मिजोरम	20	19	1	7	11 to 104	5	1	4
नागालैंड	20	12	8	11	11 to 147	5	2	3
ओडिशा	20	19	1	15	11 to 106	5	2	3
पंजाब	20	16	4	16	13 to 101	5	4	1
राजस्थान	20	18	2	17	10 to 97	5	3	2
सिक्किम	20	9	11	7	30 to 108	5	3	2
तमिलनाडु	20	15	5	15	20 to 154	5	3	2
त्रिपुरा	20	11	9	9	16 to 83	5	2	3
उत्तराखण्ड	20	17	3	17	13 to 198	5	1	4
उत्तर प्रदेश	20	17	3	10	10 to 131	5	4	1
पश्चिम बंगाल	20	15	5	14	30 to 122	5	5	0
कुल	560	410	150	360		140	85	55

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 9.2  
(पैराग्राफ 9.2.1 के संदर्भ में)

मंत्रालय स्तर पर अनुमोदनों को जारी करने में देरी

राज्य का नाम	IIIरी किस्त					IVथी किस्त				
	व्य.वि. की प्राप्ति की तिथि	तिथि जिस पर प्रस्ताव को सहमति के लिए आई.एफ.डी. के पास भेजा गया	सहमति के पश्चात आई.एफ.डी. से वापसी की तिथि	अनुमोदन को जारी करने की तिथि	विलम्बित दिनों की संख्या	व्य.वि. की प्राप्ति की तिथि	तिथि जिस पर प्रस्ताव को सहमति के लिए आई.एफ.डी. के पास भेजा गया	सहमति के पश्चात आई.एफ.डी. से वापसी की तिथि	अनुमोदन को जारी करने की तिथि	विलम्बित दिनों की संख्या
असम	20.01.2011	04.02.2011	08.02.2011	09.02.2011	20	इन राज्यों को चौथी किस्त जारी नहीं की गई थी				
बिहार	20.09.2010	14.12.2010	15.12.2010	08.02.2011	141					
छत्तीसगढ़	27.01.2011	15.02.2011	21.02.2011	30.03.2011	63					
दिल्ली	17.08.2010	04.10.2010	18.10.2010	19.10.2010	63					
गुजरात	28.02.2011	10.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	30					
हरियाणा	24.02.2011	10.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	34					
हिमाचल प्रदेश	25.11.2010	16.12.2010	20.12.2010	22.12.2010	28					
झारखण्ड	18.10.2010	10.12.2010	14.12.2010	08.02.2011	113	09.03.2011	11.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	20
कर्नाटक	17.08.2010			19.10.2010	63	10.02.2011	10.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	48
केरल	26.10.2010	18.11.2010	23.11.2010	29.11.2010	35	02.02.2011	11.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	56
मध्य प्रदेश	10.08.2010	08.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	70	12.01.2011	10.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	76
मेघालय	12.10.2010	22.10.2010	25.10.2010	10.11.2010	28	इन राज्यों को चौथी किस्त जारी नहीं की गई थी				
मिजोरम	29.10.2010	03.12.2010	07.12.2010	14.12.2010	47					
ओडिशा	06.08.2010	08.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	74	11.01.2011	10.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	77
राजस्थान	01.12.2010	16.12.2010	24.12.2010	08.02.2011	70	09.02.2011	10.03.2011	14.03.2011	30.3.2011	50
तमिलनाडु	16.12.2010	03.02.2011	04.02.2011	08.02.2011	54	इन राज्यों को चौथी किस्त जारी नहीं की गई थी				
उत्तर प्रदेश	13.07.2010	04.10.2010	18.10.2010	19.10.2010	97	20.01.2011	10.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	70
पश्चिम बंगाल	18.10.2010	03.12.2010	07.12.2010	12.12.2011	52	25.01.2011	11.03.2011	14.03.2011	29.03.2011	64

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 9.3  
(पैराग्राफ 9.2.2 के संदर्भ में)

उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शायी गई जारी राशि का राज्यवार विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान	पिछले वर्षों का समायोजन(+) अक्षय, (-) कम जारी	जारी की गई कुल राशि	राज्य सरकार द्वारा दर्शायी गई उ.प्र. से प्राप्त की गई राशि	अंतर
आंध्र प्रदेश	2006-07	90.52	3.22	93.74	90.52	3.22
असम	2006-07	37.12	9.01	46.13	43.35	2.78
	2007-08	33.77	28.09	61.85	33.77	28.09
	2008-09	105.41	16.36	0.00	105.41	-105.41
	2009-10	176.61	74.07	0.00	176.61	-176.61
बिहार	2008-09	153.46	22.49	175.95	153.46	22.49
छत्तीसगढ़	2008-09	54.29	31.05	85.34	91.81	-6.47
दिल्ली	2006-07	6.94	3.18	10.12	6.94	3.18
	2007-08	5.16	1.66	6.82	5.16	1.66
गुजरात	2008-09	74.64	-12.67	61.98	74.64	-12.67
	2009-10	86.96	-3.44	83.52	70.34	13.18
हिमाचल प्रदेश	2006-07	6.30	0.70	7.00	6.30	0.70
	2007-08	10.18	1.01	11.18	10.18	1.01
झारखण्ड	2007-08	69.98	-5.20	64.78	109.82	-45.04
	2008-09	65.46	0.00	65.46	92.05	-26.60
	2010-11	234.39	-62.41	0.00	277.50	-277.50
कर्नाटक	2006-07	94.08	10.21	104.28	94.08	10.21
	2007-08	92.98	8.70	101.68	92.98	8.70
मध्य प्रदेश	2006-07	57.71	7.29	65.00	57.71	7.29
	2008-09	82.90	10.19	93.09	82.90	10.19
मणिपुर	2008-09	11.29	-0.64	10.65	14.10	-3.45
	2009-10	14.78	-1.21	0.00	20.40	-20.40
	2010-11	44.50	-8.23	0.00	44.50	-44.50
मिजोरम	2006-07	4.89	0.00	4.89	6.19	-1.30
ओडिशा	2008-09	87.29	23.34	0.00	87.29	-87.29
	2009-10	139.68	8.39	0.00	163.76	-163.76
	2010-11	194.90	-15.69	0.00	194.90	-194.90
पंजाब	2006-07	31.38	0.29	31.67	31.38	0.29
राजस्थान	2008-09	109.58	18.05	127.63	120.00	7.63
सिक्किम	2006-07	0.96	0.09	1.05	0.96	0.09
	2009-10	7.94	-2.53	0.00	4.44	-4.44
	2010-11	3.62	0.78	0.00	8.88	-8.88
तमिलनाडु	2006-07	34.52	8.15	42.67	34.52	8.15
	2007-08	35.22	11.49	46.71	35.22	11.49
त्रिपुरा	2006-07	7.08	0.15	7.23	8.54	-1.31
पश्चिम बंगाल	2006-07	59.16	4.26	63.42	82.30	-18.88
	2007-08	143.92	-20.73	123.19	143.92	-20.73

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]



अनुबंध 9.4  
(पैराग्राफ 9.3.1 के संदर्भ में)

मंत्रालय द्वारा जारी वेतन तथा राज्यों द्वारा दावित वेतन में कमी

(₹ करोड़ में)

राज्य	2008-09			2009-10			2010-11		
	राज्यों द्वारा राज्य प्रकोष्ठ, जिला और परियोजनाओं के वेतन पर सूचित किया गया व्यय	मंत्रालय द्वारा जारी निधि	कमी	राज्यों द्वारा राज्य प्रकोष्ठ, जिला और परियोजनाओं के वेतन पर सूचित किया गया व्यय	मंत्रालय द्वारा जारी निधि	कमी	राज्यों द्वारा राज्य प्रकोष्ठ, जिला और परियोजनाओं के वेतन पर सूचित किया गया व्यय	मंत्रालय द्वारा जारी निधि	कमी
आंध्र प्रदेश	71.11	52.75	18.36	78.14	47.45	30.69	80.94	47.45	33.49
असम	48.40	30.02	18.38	54.05	27.76	26.29	46.10	28.11	17.99
हिमाचल प्रदेश	35.72	19.90	15.82	19.37	17.35	2.02	24.83	18.65	6.18
हरियाणा	अनुपलब्ध डाटा			42.80	10.69	32.11	48.77	11.00	37.77
झारखण्ड	29.21	27.80	1.41	32.20	25.84	6.36	39.97	25.83	14.14
कर्नाटक	59.55	27.01	32.54	51.82	24.15	27.67	60.79	24.22	36.57
केरल	32.27	22.77	9.50	35.86	20.57	15.29	49.24	31.80	17.44
महाराष्ट्र	93.83	62.32	31.51	133.52	65.06	68.46	149.91	67.90	82.01
मध्य प्रदेश	82.22	52.01	30.21	71.67	56.76	14.91	87.04	56.76	30.28
ओडिशा	50.57	45.45	5.12	60.88	40.83	20.05	68.56	40.82	27.74
पंजाब	28.57	21.07	7.50	37.39	19.71	17.68	39.21	19.71	19.50
राजस्थान	58.50	39.41	19.09	67.27	38.57	28.70	69.63	38.57	31.06
तमिलनाडु	75.98	59.82	16.16	75.11	53.81	21.30	76.79	53.80	22.99
उत्तर प्रदेश	जारी की गई निधि में कोई कमी नहीं			130.32	110.39	19.93	150.59	111.23	39.36
पश्चिम बंगाल	82.68	56.20	26.48	105.85	50.60	55.25	115.76	50.60	65.16
कुल	748.61	516.53	232.08	996.25	609.54	386.71	1108.13	626.45	481.68

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध 9.5  
(पैराग्राफ 9.4.3 के संदर्भ में)

निधियों का गैर-समाधान (राज्य से जिला)

(₹ करोड़ में)

राज्य	जिला	राज्य के आंकड़ों और जिला के आंकड़ों में अंतर (2006-11 की अवधि के दौरान निधियों की - कम प्राप्ति और + अधिक प्राप्ति)
छत्तीसगढ़	बस्तर	-1.64
	बिलासपुर	-0.28
	<b>कुल</b>	<b>-1.92</b>
झारखण्ड	डुमका	-4.03
	धनबाद	-2.84
	गढ़वा	-97.86
	<b>कुल</b>	<b>-104.73</b>
कर्नाटक	बेलगाम	33.94
	बिल्लारी	19.48
	चिकमगलूर	6.27
	उत्तर कन्नड़	12.09
	मंद्या	-6.22
	रायचूर	-1.50
	चामराजनगर	8.12
	<b>कुल</b>	<b>72.18</b>
मध्य प्रदेश	अनूपपुर	-15.86
	दामोह	-3.18
	रतलाम	-22.85
	डिनडोरी	-14.64
	खण्डवा	17.02
	<b>कुल</b>	<b>-39.52</b>
ओडिशा	क्योंझर	68.24
	कंधमाल	-1.12
	कालाहांडी	-15.56
	नयागढ़	1.73
	कटक	2.59
	<b>कुल</b>	<b>55.88</b>
राजस्थान	पाली	2.84
	दौसा	-0.62
	अलवर	-0.24
	बांसवाड़ा	-4.52
	चित्तौड़गढ़	6.85
	<b>कुल</b>	<b>4.31</b>

[स्रोत: राज्य नोडल विभाग अभिलेखों से संकलित डाटा]



**अनुबंध 9.6**  
**(पैराग्राफ 9.4.4 के संदर्भ में)**

**अभिलेखों का राज्य-वार गैर-अनुरक्षण**

राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
आंध्र प्रदेश	महबूबनगर जिले में छः नमूना परीक्षित परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं में और विजयानगरम जिले में छः नमूना परीक्षित परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं में रोकड़ बही अनुचित रूप से अनुरक्षित थी।
गुजरात	जि.का.का. ने अनुदान रजिस्टर अनुरक्षित किए थे परंतु कई अवसरों पर अनुदान की प्राप्ति और संवितरण की प्रविष्टियां, बा.वि.प.अ. को अनुदान जारी किए जाने की तिथि रजिस्ट्रों में अभिलिखित नहीं किए गए। समान रूप से, परियोजना स्तर पर अनुदान रजिस्टर या तो अनुरक्षित नहीं थे (बा.वि.प.अ. मांडवी तथा कामरेज) या फिर इसका अनुरक्षण उचित नहीं था (बा.वि.प.अ. बरदोली और महुवा ने अनुदान रजिस्टर में व्यय विवरण नहीं दर्शाया था)। अनुदान रजिस्ट्रों के गैर/अनुचित रूप से अनुरक्षित होने के कारणवश, लेखापरीक्षा खातों की यथार्थता को सत्यापित नहीं कर पाया।
झारखण्ड	गढ़वा जिले में, सभी चारो नमूना-परीक्षित परियोजनाओं में रोकड़ बही अनुचित रूप से अनुरक्षित थी।
कर्नाटक	रायचूर जिले में किसी भी नमूना परीक्षित परियोजना में रोकड़ बही अनुरक्षित नहीं थी, उत्तर कन्नड़ जिले की चार परियोजनाओं तथा चिकमगलूर जिले की दो परियोजनाओं में पुरानी वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर अनुचित रूप से अनुरक्षित थे।
ओडिशा	क्योंझर, कंधमाल, कालाहांडी, नयागढ़ और कटक के पांच जिलों में 24 नमूना परीक्षित परियोजनाओं में से 17 ने रोकड़ बही को अनुचित रूप से अनुरक्षित किया था।
उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद जिले में एक नमूना परीक्षित परियोजना में वाउचर उचित रूप से अनुरक्षित नहीं थे, दो नमूना परीक्षित परियोजनाओं में लॉग पुस्तिका अनुरक्षित नहीं की गई थी और दो नमूना परीक्षित परियोजनाओं में इसे अनुचित रूप से अनुरक्षित किया गया था। सभी चारों नमूना परीक्षित परियोजनाओं में स्टॉक रजिस्टर अनुचित रूप से अनुरक्षित थे। कन्नौज जिले में, तीन नमूना-परीक्षित जिलों में लॉग पुस्तिका अनुरक्षित नहीं थी और एक नमूना परीक्षित परियोजना में इसे अनुचित रूप से अनुरक्षित किया गया था। सभी चारों नमूना परीक्षित परियोजनाओं में स्टॉक रजिस्टर उचित रूप से अनुरक्षित नहीं थे।
पश्चिम बंगाल	मालदा जिले में, चार नमूना परीक्षित परियोजनाओं में से दो में वाउचर उचित रूप से अनुरक्षित नहीं थे। पश्चिम मिदनापुर जिले में स्टॉक रजिस्टर अनुचित रूप से अनुरक्षित थे।

अनुबंध 10.1  
(पैराग्राफ 10.4.1 के संदर्भ में)

परिचालित आं.के. और पूरक पोषाहार प्रदान करने वाले आं.के. की संख्या को राज्य-वार और वर्ष-वार दर्शाता हुआ विवरण

राज्य/सं. शा.क्षे.	2006-07		2007-08		2009-09		2009-10		2010-11	
	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.
आंध्र प्रदेश	61761	55798	70534	61971	73022	69962	79546	58568	83483	73936
अरुणाचल प्रदेश	3037	2562	4277	4058	4277	4210	6028	6028	6028	6028
असम	25447	1978	36849	35768	36849	7893	52275	10199	55642	14881
बिहार	57767	50637	80211	43740	80211	43740	80211	80211	80211	80211
छत्तीसगढ़	26801	23260	29373	27889	34915	32781	36211	31318	39137	34019
गोवा	1012	1012	1112	1112	1112	1112	1212	1209	1258	1258
गुजरात	38391	33117	43195	40260	43761	42735	47726	40576	49697	48162
हरियाणा	16359	16359	17192	17444	17444	17444	17444	17444	21240	18458
हिमाचल प्रदेश	7354	7354	18248	18248	18248	18248	18248	18248	18356	18353
जम्मू एवं कश्मीर	16409	14769	16409	16409	18797	15774	23375	15774	25793	15774
झारखण्ड	22304	21042	31468	28538	32134	31157	38135	33820	38186	35351
कर्नाटक	51111	50981	54260	53589	54665	54612	62521	61895	63366	63131
केरल	27980	27732	32115	31974	32225	32149	32232	32097	33026	33013
मध्य प्रदेश	56737	53388	68367	61738	69155	66293	81610	69757	90999	77439
महाराष्ट्र	74528	69018	76198	76198	82625	82459	86187	86187	106231	91254
मणिपुर	4501	3657	7621	7639	7621	7621	9654	7621	9883	7621
मेघालय	3162	3113	3195	3195	3337	3318	3825	3768	5112	3877
मिजोरम	1592	1056	1682	1549	1682	1488	1980	1980	1980	1941
नागालैंड	2770	2770	3194	3242	3194	3194	3455	3455	3455	3455
ओडिशा	36527	28417	41697	30579	41785	37191	56498	53332	69572	60902



राज्य/सं. शा. क्षे.	2006-07		2007-08		2009-09		2009-10		2010-11	
	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	अ.आ. प्रदान करने वाले आं.के.
पंजाब	14730	14730	20169	20169	20169	20169	26648	26119	26656	26656
राजस्थान	41985	38173	48363	46927	50939	47354	50923	48152	57511	53931
सिक्किम	886	741	984	701	984	845	1003	853	1173	821
तमिलनाडु	45726	45726	47265	50433	50433	50433	54439	54439	54439	54439
त्रिपुरा	6114	6017	7351	7315	7373	7351	8895	9135	9906	9906
उत्तर प्रदेश	128859	120139	146769	143266	150868	147394	150986	149883	173533	158784
उत्तराखण्ड	7747	6888	8909	3885	9151	6690	10713	8515	16003	10134
पश्चिम बंगाल	56774	46442	88086	69377	89015	73740	91247	75108	111404	99164
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	621	621	672	672	672	672	696	696	697	697
चंडीगढ़	329	329	370	370	370	370	370	420	420	420
दिल्ली	4425	3971	6106	6090	6106	6076	6606	6606	6606	6606
दादरा एवं ना. हवेली	138	138	219	219	253	253	253	253	267	267
दमन एवं दीव	97	92	102	102	102	102	102	102	102	102
लक्षद्वीप	74	74	87	87	87	87	87	87	107	107
पुदुचेरी	688	688	688	688	688	688	688	688	788	788
<b>कुल</b>	<b>844743</b>	<b>752789</b>	<b>1013337</b>	<b>915441</b>	<b>1044269</b>	<b>935605</b>	<b>1142029</b>	<b>1014543</b>	<b>1262267</b>	<b>1111886</b>

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]

**अनुबंध 10.2**  
(पैराग्राफ 10.4.1 के संदर्भ में)

परिचालित आं.के. और स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) प्रदान करने वाले आं.के. की संख्या को राज्य-वार और वर्ष-वार दर्शाता हुआ विवरण

राज्य/सं. शा.के.	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.
आंध्र प्रदेश	61761	60654	70534	78757	73022	72798	79546	71227	83483	76056
अरुणाचल प्रदेश	3037	2546	4277	4058	4277	4210	6028	6028	6028	6028
असम	25447	24446	36849	34793	36849	34145	52275	37739	55642	48824
बिहार	57767	39331	80211	39331	80211	39331	80211	39331	80211	39331
छत्तीसगढ़	26801	25588	29373	28165	34915	33893	36211	33266	39137	35100
गोवा	1012	1012	1112	1112	1112	1112	1212	1209	1258	1258
गुजरात	38391	36089	43195	41968	43761	42735	47726	44014	49697	49134
हरियाणा	16359	16359	17192	17444	17444	17444	17444	17444	21240	18457
हिमाचल प्रदेश	7354	7354	18248	18248	18248	18248	18248	18248	18356	18371
जम्मू एवं कश्मीर	16409	16409	16409	16409	18797	18797	23375	18797	25793	18797
झारखण्ड	22304	20646	31468	28587	32134	30939	38135	35523	38186	35456
कर्नाटक	51111	50976	54260	53552	54665	54612	62521	62052	63366	62814
केरल	27980	27585	32115	31800	32225	32148	32232	32221	33026	32952
मध्य प्रदेश	56737	54393	68367	67607	69155	68662	81610	70890	90999	77507
महाराष्ट्र	74528	73924	76198	76198	82625	82459	86187	86187	106231	91254
मणिपुर	4501	3833	7621	7639	7621	7621	9654	7621	9883	7621
मेघालय	3162	3160	3195	3195	3337	3250	3825	3632	5112	3747
मिजोरम	1592	957	1682	1549	1682	1488	1980	1971	1980	1941
नागालैंड	2770	2687	3194	3242	3194	3194	3455	3455	3455	3455



राज्य/सं. शा. क्षे.	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.	परिचालित आं.के.	स्कू.पू.शि. प्रदान करने वाले आं.के.
ओडिशा	36527	35763	41697	40983	41785	41583	56498	55452	69572	64091
पंजाब	14730	14730	20169	20169	20169	20193	26648	26656	26656	26656
राजस्थान	41985	41692	48363	50209	50939	49348	50923	50409	57511	54694
सिक्किम	886	845	984	982	984	984	1003	941	1173	1168
तमिलनाडु	45726	45726	47265	50433	50433	50433	54439	54439	54439	54439
त्रिपुरा	6114	6018	7351	7315	7373	7351	8895	9135	9906	9906
उत्तर प्रदेश	128859	126478	146769	145607	150868	147063	150986	149151	173533	164822
उत्तराखण्ड	7747	2658	8909	8611	9151	9095	10713	10636	16003	14135
पश्चिम बंगाल	56774	54901	88086	86829	89015	87123	91247	86053	111404	102714
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	621	621	672	672	672	671	696	696	697	697
चंडीगढ़	329	329	370	370	370	370	370	420	420	420
दिल्ली	4425	4425	6106	6090	6106	6106	6606	6606	6606	6606
दादरा एवं ना. हवेली	138	138	219	219	253	253	253	253	267	267
दमन एवं दीव	97	92	102	102	102	102	102	102	102	102
लक्षद्वीप	74	74	87	87	87	87	87	87	107	107
पुदुचेरी	688	545	688	564	688	501	688	600	788	515
कुल	844743	802984	1013337	972896	1044269	988349	1142029	1042491	1262267	1129442

[स्रोत: मंत्रालय के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध 10.3  
(पैराग्राफ 10.8.5 के संदर्भ में)

प्रगति रिपोर्ट का वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	जिलों की संख्या	नमूना परीक्षित परियोजना कार्यालयों की संख्या	नमूना परीक्षित परियोजनाओं के अधीन आं.के. की संख्या	नियमित मा.प्र.रि. भेजने वाले आं.के. की संख्या	मा.प्र.रि. नहीं भेजने वाले आं.के. की संख्या	तिमाही प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजने वाले आं.के. की संख्या	अर्द्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजने वाले आं.के. की संख्या	वार्षिक प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजने वाले आं.के. की संख्या
2006-07	55	225	15698	13132	2558	10545	10549	10699
2007-08	55	225	18825	16260	2558	12862	12759	13016
2008-09	55	225	19053	16491	2558	13029	13190	13183
2009-10	55	225	20969	18387	2579	14416	14470	14570
2010-11	55	225	21594	18984	2607	14762	14916	13847

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]



**अनुबन्ध 10.4**  
(पैराग्राफ 10.8.6 के संदर्भ में)

आं.के. में पंजिकाओं के अनुरक्षण का विवरण

रजिस्टर का नाम	आं.के. की संख्या			शामिल राज्य
	अनुरक्षित नहीं	अनुचित रूप से अनुरक्षित	उचित रूप से अनुरक्षित	
आंगनवाड़ी सर्वेक्षण पंजिका	20	1361	1332	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सेवा पंजिका	236	1029	1448	बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश
बच्चों के लिए सेवा पंजिका	312	899	1502	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश
टीकाकरण, आई.एफ.ए. और विटामिन ए अनुपूरण की पंजिका	291	1061	1361	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
जन्म तथा मृत्यु पंजिका	288	1189	1236	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
आंगनवाड़ी भोजन स्टॉक पंजिका	23	864	1826	आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश
औषधि स्टॉक पंजिका	936	861	916	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
अन्य स्टॉक पंजिका	647	413	1653	बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश
महिला मंडल पंजिका	1190	845	678	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
पर्यवेक्षण सह आगंतुक पुस्तिका	569	812	1332	बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश
दैनंदिनी	1114	587	1012	बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान
वृद्धि चार्ट पंजिका	320	888	1505	बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
जच्चा-बच्चा देखभाल पंजिका	1598	311	804	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
विविध पंजिका	1784	124	805	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
<b>कुल</b>	<b>9328</b>	<b>11244</b>	<b>17410</b>	

[स्रोत: नमूना परियोजनाओं/आं.के. के अभिलेखों से संकलित डाटा]

